लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
Parliament
14-10-97

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 5.1.(U)...63
Date.....9...X...).9

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 40, मंगलवार, 19 अप्रैल, 1979/29 चैत्र, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 784, 786, 788 और 790 से 793		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	19—160
*तारांकित प्रश्न संख्या : 785, 787 789 और 794 से 803		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7601 से 7632, 7634 से 7663 और 7665 से 7800		
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	...	161
प्रधान मन्त्री की बंगला देश की यात्रा के बारे में वक्तव्य	...	161—164
श्री मोरारजी देसाई	...	161
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	164—166
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	167—179
जम्मू और काश्मीर की स्थिति		
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	...	179
13वां प्रतिवेदन		
लोक लेखा समिति	...	180
126वां प्रतिवेदन		
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	...	180
31वां प्रतिवेदन		
नियम 377 के अधीन मामले	...	181—190
(एक) दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्यों का समाचार		
श्री कचरूलाल हेमराज जैन	...	181
(दो) आयातित काजू के वितरण सम्बन्धी नीति		
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	...	182

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(तीन) पंजाब में कोयले की कमी का समाचार		
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	...	183
(चार) मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर डिवीजनों में खेतिहर और भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता		
श्री छविराम अर्गल	...	183
(पांच) पश्चिमी बंगाल को डीजल तेल और मिट्टी के तेल की कम मात्रा में सप्लाई		
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	184
(छः) कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता के निवास स्थान पर हमले का समाचार		
श्री एस० ननजेश गौडा	...	188
अनुदानों की मांगें—1979-80	...	190—215
उद्योग मन्त्रालय		
श्री जार्ज फर्नान्डीस	...	190
वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय	...	215—270
श्री जनार्दन पुजारी		215
श्री धर्मसिंह भाई पटेल	...	224
श्री ए० सी० जार्ज	...	227
श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	...	230
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	...	234
श्री तेजप्रताप सिंह	...	238
श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर	...	243
श्री पी० राजगोपाल नायडू	...	246
श्री पवित्र मोहन प्रधान	...	248
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	250
श्री आर० के० अमीन	...	252
श्री पी० एस० रामलिंगम	...	256
श्री के० ए० राजन	...	258
श्री दाजीबा देसाई		261
श्री विजय कुमार एन० पाटिल	...	264
श्रीमती चन्द्रावती		265
श्री पी० अकिनीडु प्रसाद राव		268

लोक सभा

गुरुवार, 19 अप्रैल, 1979/29 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अफ्रीकी देशों का दौरा

*784. **श्री युवराज** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य मंत्री ने हाल ही में कुछ अफ्रीकी देशों का **दौरा** किया था; यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उन्होंने उन देशों को औषधियां अथवा अन्य प्रकार की सहायता देने का वचन दिया था, यदि हां, तो कौन-कौन औषधियां तथा क्या सहायता दी जाएगी तथा वह किन देशों को दी जाएगी;

(ग) क्या ये उन देशों को दी जा चुकी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) मैंने 10 से 22 सितम्बर, 1978 तक इथोपिया, कीनिया, जाइर, घना, लाइबेरिया और सेनेगल की यात्रा की । इथोपिया में मैंने 11 सितम्बर, 1978 को चतुर्थ इथोपियाई क्रान्तिकारी दिवस समारोह के अवसर पर भारतीय प्रधिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा अन्य देशों की सद्भावना-यात्रा की ।

(ख) से (घ) मैंने वास-जाइर के सूखा-ग्रस्त लोगों की राहत के कुछ खाद्यान्न, दवाइयां और बच्चों के खाद्य पदार्थ जाइर को उपहार के रूप में देने का वचन दिया । भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की सप्लाई के लिए कार्रवाई कर रहा है तथा दवा एवं बच्चों के खाद्य पदार्थ जुटा लिए गए हैं और उन्हें भेजने की व्यवस्था की जा रही है । मैंने सेनेगल को कुछ 'मुर्रा' भैंसे भेंट में देने की भी पेशकश की जिसे कार्यान्वित करने की क्रियाविधि पर सेनेगल के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, पिछले सितम्बर में माननीय विदेश राज्य मंत्री ने इथोपिया, कीनिया, जाइर, घना, लाइबेरिया और सेनेगल की यात्रा की थी। यह सर्वविदित है कि अफ्रीका का वह भाग पांच छः वर्षों से भारी सूखे और अकाल से ग्रस्त रहा है और लगभग लाख-सवा लाख लोग इथोपिया में भूख से मरे हैं। यह भी सर्वविदित है कि आज दुनिया में सबसे अधिक लोग (26 प्रतिशत) भुखमरी के अफ्रीका में शिकार होते हैं। जब मन्त्री महोदय ने देखा कि सेनेगल का पूरा क्षेत्र सूखे और अकाल से पीड़ित है, तो उन्होंने वहां पर यह आश्वासन दिया कि खाद्यान्न, बच्चों के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थ और दवायें वहां भेजी जायेंगी। यह बहुत ही दुखद बात है कि सात माह बीत गये हैं और अब आठवां माह भी बीत रहा है, मगर अभी तक वहां खाद्यान्न, दवायें और बच्चों के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थ नहीं भेजे गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : यह सही है कि यह सामान भेजने में थोड़ी-सी देरी हो गई है। हम उसे भेजने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। बेबी फूड और मेडिसन्स हमने प्रोक्युर कर ली है और हमने एयर इण्डिया को मैन्डेटरी पैसेज देने के लिए रिक्वेस्ट किया है। वह भी सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट से जल्दी मन्जूर हो जायेगा। वहां पर हमारे जो एम्बेसेडर है, हमने उनको इत्तिला कर दी है और मेरे खयाल में हम बेबी फूड और मेडिसन्स बहुत जल्दी उनको पहुँचा देंगे।

वास-जाइर में, सेनेगल में नहीं,—बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और वहां अन्न का बहुत अभाव था। इसलिए हमने वहां कुछ गेहूं और चावल भेजने का आश्वासन दिया था। हमारे लिए एक डिफीकल्टी यह है कि किन्सहासा, जाइर के लिये हमारे यहां से कोई डायरेक्ट शिपिंग लाइन नहीं है। हम इस बारे में हर एक कोशिश कर रहे हैं। जो एकमात्र लाइन हैं सिंधिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड, हमने उनको चीफ कंट्रोलर आफ चार्टरिंग के जरिये से कहा है कि जो नैक्स्ट जहाज उधर जायेगा, वह हमारा सामान लेकर जाये। हम सोच रहे हैं कि अगर हम गेहूँ के बदले में चावल दे सकें, तो अच्छा है।

श्री युवराज : जब राज्य मंत्री वहां गये थे और उन्होंने वहां की कारुणिक स्थिति को देखा कि सूखे और अकाल से लोग बुरी तरह मर रहे हैं और बच्चे भी बुरी तरह से उससे प्रभावित हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सात माह बीतने के बाद भी आप कौन सी व्यवस्था कर रहे थे, किन चीजों की कमी थी, क्या आपके पास खाद्यान्न नहीं था या दवाई की कमी थी या जो भेजने की एजेंसी थी उसको भेजने में कठिनाई थी जो सात माह बीतने के बाद भी आप यह भेज नहीं सके ? आप आश्वासन दे कर आते हैं और क्या वजह है कि आपने अब तक ये चीजें नहीं भेजी ? आपने इसका पता लगाया कि इन देशों में इन चीजों के नहीं जाने से कितने लोग मरे और कितने लोग आज परेशान हैं ? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? ये मुट्ठी भर नौकरशाह जो चाहेंगे वही होगा या गवर्नमेंट की कोई मर्यादा है कोई जिम्मेंदारी है ? मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कौन-सी कार्यवाही करेगी और कब तक ये तमाम चीजें भेजी जायेंगी ?

श्री समरेन्द्र कुण्डू : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि अभी जो परिस्थिति है इस

परिस्थिति में कौन जिम्मेदार है इसके पीछे समय न लगाकर हम सब कोशिश करें कि कैसे जल्दी से जल्दी ये चीजें वहां पर पहुंच जायें। उसके लिए एक हमारी जो मुश्किल है वह यह है कि कुछ कानून बना हुआ है, इसके लिए फाईनेंशियल सैंक्शन चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो उसको भी हम लोग थोड़ा-सा हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरे माननीय मित्र, राज्य मंत्री, जेरे, इथोपिया, केन्या आदि कई देशों में गये हैं। मुझे यह भी मालूम है कि श्री अटल जी हाल ही में केन्या गये। मैं इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह तथ्य मालूम है कि यद्यपि भारत का हित, सरकार और लोग दोनों का, अफ्रीकी महाद्वीप में और अफ्रीका के लोगों और विशेष रूप से स्वतंत्रता के लिए अफ्रीका के संघर्ष में व्यापक और वास्तविक है और तथ्य यह है कि राजनयिक आदान-प्रदान तथा राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदानों के रूप में सरकार ने अफ्रीका के लोगों और सरकार के लिए महत्वपूर्ण अंशदान किया है। अतः क्या विदेश मन्त्री बताएंगे कि वह भारत-अफ्रीका सम्बन्धों को दृढ़ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है। वह केवल सूचना दे रहे हैं। आप इसे बढ़ा रहे हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप मेरी बात मानिये। मन्त्री महोदय कहते हैं कि वह इथोपिया एक शिष्टमंडल का नेतृत्व करने गये थे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह उत्तर में हैं कि वह वहां क्यों गये।

श्री पी० जी० मावलंकर : उन्होंने कहा है कि वह अन्य चार देशों को भी सद्भावना मिशन पर गये। मेरा प्रश्न भाग (क) के उत्तर से उत्पन्न होता है। वह कहते हैं : उनके नेतृत्व में एक सद्भावना मिशन इथोपिया और चार अन्य देशों में गया था। अतः मेरा प्रश्न यह है कि यदि वह सद्भावना मिशन पर इन अफ्रीकी देशों को गए तो इस सद्भावना मिशन ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के हितों और सम्बन्धों को दृढ़ करने में वास्तव में क्या काम किया है ? मुझे आशा है कि यह संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो नीति सम्बन्धी बड़ा प्रश्न है जो आप पूछ रहे हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : नीति सम्बन्धी क्या मामला है ? वह चार देशों में गए। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप भारत-अफ्रीका के सम्बन्धों के विरुद्ध क्यों हैं ? भारत-अमेरिका के सम्बन्ध महत्वपूर्ण हैं, इससे तत्काल यही बात पैदा होती है। वह एक सद्भावना मिशन पर गये हैं और दोनों इसका उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह नीति सम्बन्धी बड़ा प्रश्न है।

श्री सुरथ बहादुर शाह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यहां अपनी उदारता प्रकट करने के पूर्व उनको यह मालूम था या इसका संदेह था कि वहां सामान भेजने में देरी होगी ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उनको आश्वस्त करने के समय इस बात को सोचा था कि

आठ महीने बीत जाएंगे ? यदि हां तो क्या उन्होंने उनसे यह कहा था कि आप को ये चीजें मुहैया करने में समय लगेगा ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : माननीय सदस्य ने यह बहुत अच्छी बात उठाई है·····

अध्यक्ष महोदय : सब बात अच्छी है, काम अच्छा नहीं है ।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : बातचीत से काम निकलेगा । मैंने उनको वहां पर बता दिया था कि सामान भेजने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि हमारी डायरेक्ट शिपिंग लाइन नहीं है और उनको इस बात का अनुभव भी था ।

यात्री डिब्बे

*786. **श्री अहसान जाफरी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 मार्च, 1979 को रेलवे की विभिन्न वर्कशापों में कितने यात्री डिब्बे बनकर तैयार रखे थे;

(ख) क्या यह सही है कि रेल-पहियों के उपलब्ध न होने के कारण बहुत सारे डिब्बे पटरियों पर न उतारे जा सकें;

(ग) क्या यह सही है कि रेलवे पहियों का आयात कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो किस देश से और वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कुल कितने पहियों का आयात किया गया;

(ङ) क्या यह सही है कि रेलवे उन लोगों को रेल डिब्बे आबंटित करने में असफल रहा है जो प्रतिवर्ष अप्रैल तथा मई में यात्राओं का आयोजन करते हैं; और

(च) 23 मार्च, 1979 को वर्कशापों में कितने रेल डिब्बे मरम्मत के लिये पड़े थे ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 23 मार्च, 1979 को विभिन्न रेल कारखानों में आवधिक ओवरहाल के पश्चात् 138 यात्री यानों को सेवार्थ तैयार किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी तक डिब्बों के कोई पहिये आयात नहीं किये गये । किन्तु सितम्बर, 1979 से अगस्त, 1980 तक की अवधि के लिए बड़ी लाइन के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिब्बों के पहिये आयात करने के प्रबन्ध किये गये हैं ।

(घ) 1977-1978 के लिए यानों के पहियों का आयात नहीं किया गया था । सितम्बर, 1979 अगस्त, 1980 की अवधि के लिए इटली से 2501 पहियों और आस्ट्रेलिया से 4588 पहियों का आर्डर दिया गया ।

(ङ) चूंकि रेलों ने 1979 में 1700 ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चलाने का निर्णय किया है, इसलिए भ्रमण संयोजकों की डिब्बों के लिए सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता । फिर भी, पार्टियों के लिए आरक्षित डिब्बों तथा विशेष गाड़ियों के रूप में अधिकतम संख्या में डिब्बों की व्यवस्था करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(च) 2027 डिब्बे ।

श्री अहसान जाफरी : बड़े ताज्जुब की बात है कि सितम्बर, 1979 से अगस्त, 1980 के दर्म्यान में 7089 रेलवे व्हील सेट्स बाहर से मंगाने का रेलवे ने प्रोग्राम बनाया है । इसके पहले ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया गया । रेलवे की वर्कशाप्स बड़े अच्छे ढग से काम करती थीं । आज हिन्दुस्तान की रेलवे लाइन एशिया की सबसे बड़ी लाइन है, हम बाहर के देशों को कोचेज़ और रेल बनाकर देते हैं, इंजन बनाकर देते हैं, डीजल इंजन बनाकर देते हैं फिर क्या वजह है कि आज हमारी रेलवे में कोचेज की कमी पैदा हो रही है ? क्या हम व्हील्स बनाने के काबिल नहीं हैं या कोई और गड़बड़ी है जिसकी वजह से प्रापर काम नहीं हो रहा है ?

प्रो० मधु दंडवते : इस सवाल का जवाब मैंने इस सदन में कई मर्तबा दिया है । जहां तक कोचेज के और वैगंस के व्हील सेट्स का सवाल है, हम लोग दुर्गापुर स्टील प्लान्ट से व्हील सेट्स मंगवाते हैं । दुर्गापुर स्टील प्लान्ट के काम में, बंगाल में जो बड़ी बाढ़ आई उसकी वजह से दिक्कत पैदा हुई । अगर वह दिक्कत पैदा नहीं होती तो जितने व्हील सेट्स की जरूरत थी वह पूरी हो जाती और विदेशों से मंगाने की जरूरत महसूस नहीं होती । बाढ़ की वजह से दुर्गापुर स्टील प्लान्ट पर बुरा असर पड़ा । मैं उस मिनिस्ट्री को भी दोष नहीं देना चाहता क्योंकि वह एक नेचुरल कैलेमिटी थी जिसकी वजह से वे अपना वायदा पूरा नहीं कर पाये । इसीलिए यह फैसला किया गया कि विदेशों से व्हील सेट्स इम्पोर्ट किए जायें । लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह कोई पर्मानेन्ट फीचर नहीं है । दुर्गापुर स्टील प्लान्ट से अगर हमें व्हील सेट्स मिलते रहेंगे तो हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं रहेगी ।

श्री अहसान जाफरी : मन्त्री जी ने कहा कि व्हील सेट्स बाहर मंगाने की बात कोई पर्मानेन्ट फीचर नहीं रहेगी । इस सिलसिले में मैं एक बात यह पूंछना चाहता हूं कि भारत में टूरिज्म के लिए काफी पैसा खर्च किया जा रहा है, गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ से भी पूरे देश में नये—नये टूरिस्ट सेन्टर्स खोले जा रहे हैं, और भी कितने ही काम किये जा रहे हैं लेकिन टूरिस्ट एसोसिएशन्स और प्राईवेट कम्पनीज जब कोचेज की मांग करती है तो रेलवे एथारिटीज बिल्कुल इन्कार कर देती हैं । एक रेलवे जोन दूसरे रेलवे जोन के साथ कोई कोआर्डिनेशन नहीं करता है । टूरिस्ट एसोसिएशन्स चार महीने पहले एप्लीकेशन देते हैं, 500 रुपया भी डिपाजिट करते हैं लेकिन उसके बावजूद जब उनकी स्टार्ट करने की डेट होती है उसके दो तीन दिन पहले खबर की जाती है कि उनकी एप्लीकेशन मंजूर की गई या नहीं । मन्त्री जी ने बताया है कि 2027 कोचेज़ रेलवे वर्कशाप्स में रिपेयर के लिए पड़ी थी । अगर एक जोन में 20 कोचेज़ भी निकाल कर अलग रख दी जायें तो पूरे देश के टूरिस्ट एसोसिएशन्स की मांग पूरी हो सकती है । मैं जानना चाहूँगा इस सिलसिले में आप क्या करने जा रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक कोचेज का सवाल है, दो प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने हैं। गर्मी के मौसम में सफर करने वालों की तादाद बहुत बढ़ती है। एक तरफ बहुत से यात्री किसी एजेंसी के जरिये नहीं, अपनी जिम्मेदारी पर यात्रा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ट्रेवलिंग एजेन्सीज़ भी कोचेज़ की मांग करती हैं, टूरिस्ट एसोसिएशन मांग करते हैं कि उनको स्पेशल ट्रेन और डिब्बे दिए जायें। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले साल हमने 1173 एडीशनल ट्रेन्स का इंतजाम किया था और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार समर रश को मीट करने के लिए 1700 एडीशनल ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम में इतने बड़े पैमाने पर यात्रियों के लिए ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है और तब टूरिस्ट एजेन्सीज़ और प्राइवेट एजेन्सीज को डिब्बे देने में हमें कुछ कठिनाई आती है।

पहले तो हम ऐसे पैसेन्जर्स को जो अपनी जिम्मेदारी पर आते हैं, उनको प्राथमिकता देंगे...

श्रीमती चन्द्रावती : जो ट्रेन्स कैन्सिल हो गई थीं; उनको आपने अभी तक चालू नहीं किया है...

प्रो० मधु दण्डवते : आपका सप्लीमेन्ट्री बाद में।

श्रीमती चन्द्रावती : आपने एक्स्ट्रा ट्रेन्ज चलाने के लिए कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आपने उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

मैं यह बतला रहा था कि इतनी बड़े पैमाने पर जब हमने ट्रेन्ज का इन्तजाम किया है तो आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने यह तय किया है कि कामर्शियल बेसिज पर टूरिस्ट एसोसियेशन्ज या एजेन्सीज को प्राथमिकता देने के बजाय जो दूसरे लोग हैं जैसे फार्मर्स हैं, यूथ सैक्शन्ज हैं, उनको प्राथमिकता दी जाय। लेकिन हमने टूरिस्ट एसोसियेशन्ज और ट्रेवल एजेन्सीज के लिए भी "फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ड" के आधार पर रखा है। लेकिन यह भी सही है कि कभी-कभी जब फार्मर्स आते हैं, यूथ सैक्शन्ज या पिलग्रिम्ज आते हैं तो दूसरों की प्राथमिकता को डिस्टर्ब करके इनको देना पड़ता है। लेकिन जहां तक आपके सुझाव का सम्बन्ध है, इस गर्मी के मौसम में जितना भी ज्यादा इन्तजाम हो सकता है, हम करने की कोशिश करेंगे।

श्री गोविन्दराम मोरी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ—दुर्गापुर स्टील प्लांट में जो रेल के पहिये बनते हैं—उनकी लागत-कीमत क्या है और कितना माल रेल मन्त्रालय उनसे खरीदता है ? क्या रेल मन्त्री इस बात से सहमत हैं कि लागत मूल्य पर यह खरीद की जाती है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह सवाल तो स्टील मिनिस्टर से पूछना चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो अभी बदला नहीं है, मैं अभी भी रेल मिनिस्टर हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास तथ्य है; तो उत्तर दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे पास तथ्य हैं।

हमने दुर्गापुर स्टील प्लांट से पहले 27 हजार व्हील-सेट्स देने की मांग की थी, बाद में दिक्कत को देखते हुए हमने कहा कि 22 हजार दिए जांय। उसके बाद 17 हजार कर दिए गये, उनमें से 15-16 हजार व्हील सेट्स हमको मिले। इसके लिए मैं उनको दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि बाढ़ की वजह से जो दिक्कत पैदा हुई, उससे व्हील-सेट्स का उत्पादन कम हो गया। लेकिन जैसे ही वहां की परिस्थिति सुधर जायगी, हमको ज्यादा व्हील सेट्स मिलने लगेंगे, तब तक बीच में हम विदेश से इम्पोर्ट कर रहे हैं।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, अप्रैल-मई में स्पेशल रेल-गाड़ियां चलाने के लिए रेलवे ने जो नियम बनाये थे, उनमें इस साल थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ताकि ज्यादा सुविधा दी जा सके, जैसे 30 दिन से ज्यादा के लिए ट्रेन नहीं दी जाय—इस तरह का नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी वेस्टर्न रेलवे ने भी "उमा ट्रेवल्ज" को 65 दिन के लिए दिया है। नार्दर्न रेलवे ने भी 'फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ड' नियम का उलंघन करके 'किसान प्रगति मंडल' खण्डोसन, गुजरात' को नहीं दिया और भंवरी देवी एण्ड पार्टी' को दे दिया गया। क्या इसके बारे में जांच की जायगी और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको गाड़ी दी जायगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूँ—वैसे मेरी स्मरण-शक्ति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि हिन्दुस्तान की किस एजेन्सी को कितने दिनों के लिए ट्रेन दी गई है—यह सब बतला सकूं। फिर भी आपने जो सवाल पूछा है उसको जरूर ध्यान में रखूंगा और और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सारी तफसील लेने के बाद मैं उनको खत लिखूंगा।

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर अन्धेपन का प्रभाव

*788. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अन्धेपन के प्रभाव के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नेत्र विज्ञान को मुख्य विषय बनाने की दृष्टि से एम० बी० बी० एस० के छात्रों के अध्ययन पाठ्यक्रम में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) क्या इस बीमारी की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए बीमारी के बेहतर निदान और इलाज की व्यवस्था करने और अन्धेपन को रोकने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) अनुमान है कि देश में लगभग 90 लाख व्यक्ति दृष्टिहीन हैं।

(ख) जी नहीं। यदि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के भरण-पोषण पर 75/- रुपए प्रतिमास का

खर्च भी लगाया जाय तो, भी सारे दृष्टिहीन व्यक्तियों के भरण-पोषण पर राष्ट्र को 800 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च वहन करना होगा ।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद सांविधिक रूप से देश में चिकित्सा स्तर निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार है। एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा में नेत्र विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में शामिल करने के लिए परिषद को लिखा गया है।

(घ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दृष्टिहीनता की रोकथाम करने और इस रोग के बेहतर निदान और इलाज उपलब्ध करने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपाय :

1. लोगों को नेत्रों की देखरेख के उपाय बताना ताकि वे नजर की रक्षा कर सकें और नजर की क्षति को रोक सकें।

2. गश्ती यूनिटों के जरिये तत्काल नेत्र के आपरेशन की सुविधा प्रदान करना। ये यूनिटें दूरवर्ती क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या सम्बन्धी व्यापक सेवाएं भी प्रदान करेगी और दृष्टि विकार का शीघ्र पता लगाने के लिए स्कूल पूर्व आयु के और स्कूल जाने वाले बच्चों सहित लोगों का सर्वेक्षण भी करेगी। राज्य सरकारों को 15 यूनिटें पहले ही दे दी गई हैं और 15 और यूनिटें 1979-80 में दे दी जाएंगी।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तालुक और जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों तथा नेत्र विज्ञान की क्षेत्रीय संस्थानों में नेत्र परिचर्या सम्बन्धी व्यापक सेवाओं के लिए स्थायी आधारभूत ढांचे का विकास करना।

4. नीचे दिए गये मानदण्ड पर केन्द्रीय सहायता दी जानी है :—

गश्ती यूनिटें : आवर्ती खर्च प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक सीमित होगा और एक बार अनावर्ती खर्च 4.00 लाख रुपये तक दिया जाएगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र : प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को लगभग 3,000/- रुपये से 5000/- रुपये तक की लागत के उपकरणों के रूप मे एक बार सहायता।

जिला अस्पताल : उपकरण और सामग्री के रूप में प्रति जिला अस्पताल को 50,000/- रुपये की दर से एक बार सहायता।

मेडिकल कालेज : प्रति मेडिकल कालेज को 5.00 लाख रुपये की दर से एक बार सहायता बशर्ते कि इतनी ही रकम राज्य सरकार द्वारा दी जाए।

स्थान : क्षेत्रीय संस्थान के लिए उपकरणों के वास्ते एक बार सहायता के रूप में 30.00 लाख रुपये चरणबद्ध रूप से प्रदान किए जाएंगे।

5. डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का एक शीर्ष संगठन के रूप में विकास करने की स्वीकृति दे दी गई है

ताकि यह केन्द्र इस कार्यक्रम की योजना बनाने और इसे कार्यान्वित करने में तकनीकी नेतृत्व प्रदान कर सके। इस केन्द्र में 325 पलंग, पूर्ण सुसज्जित नेत्र अस्पताल, राष्ट्रीय नेत्र बैंक, प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, सामुदायिक नेत्र विज्ञान और पुनर्वास विंग होंगे, बुनियादी विज्ञान प्रयोगशालाएं, औजार मरम्मत और विकास कार्यशाला तथा कम्प्यूटराइज्ड चिकित्सा रिकार्ड पद्धति की व्यवस्था होगी।

6. रोहे नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3550 ब्लाकों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लिया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनसंख्या कवर हो गई है।

7. जिन गांवों में नेत्र चिकित्सा की सुविधाएं नहीं हैं उनमें नेत्र शिवर आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित दिशा निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार प्रति अंतरिक्ष (इन्ट्रा-आकूलर) आपरेशन के लिए 40/- रुपये की की दर से अधिक से अधिक 6000/- रुपये प्रति नेत्र शिविर के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती है। 1978-79 के दौरान इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को लगभग 84,000/- रुपये की कुल सहायता दी गई थी।

8. देश में राष्ट्रीय योजना को कार्यरूप देने तथा नेत्र राहत कार्य क्षेत्र में दाता एजेंसियों के कार्यकलापों में तालमेल रखने में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए दो राष्ट्रीय समितियां बनाई गई हैं।

9. प्रशिक्षित नेत्र सहायक उपलब्ध करने के लिए अगले दो वर्षों में 30 स्कूल खोलने का विचार है ताकि तात्कलिक आवश्यकताओं और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा नेत्र सहायकों के लिए बी० एस० सी० (आनर्स) नेत्र विज्ञान का तीन वर्षीय पाट्यक्रम की व्यवस्था की जा सके।

श्रीमती पार्वती देवी : अंधापन अथवा नेत्रहीनता विधाता का सब से बड़ा अभिशाप है। नेत्रहीन व्यक्ति का जीवन निराशा, अंधकार और विषादपूर्ण होता है। विश्व में डेढ़ करोड़ चक्षुहीन व्यक्ति हैं। इनमें पचास लाख हमारे देश में हैं। दुनिया में हर तीन अंधे व्यक्तियो में एक भारतीय है। इससे भी बड़े दुःख की बात यह है कि भारत में तीस लाख अंधे ऐसे हैं जिनका इलाज हो सकता है। उचित चिकित्सा के अभाव में इनका जीवन अंधकारपूर्ण है। हर वर्ष बारह हजार बच्चे हमारे देश में अंधे हो रहे हैं। इसका कारण कुपोषण और विटामिन 'ए' की कमी है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि नेत्रहीन लोगों की ट्रेनिंग और रोजगार के लिए सरकार ने क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं जिनसे वे आत्मनिर्भर बन सकें? समाज के पिछड़े वर्गों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वही सुविधायें भी इन्हें भी दी जानी चाहिए। अंधे व्यक्तियों की सहायता करना और उन्हें ट्रेनिंग देना सरकार का कर्त्तव्य है। पैकिंग, लेबल लगाना, गिनती करना, लाइट इंजीनियरिंग, ड्रिलिंग पेपर कटिंग आदि कामों में उन्हें लगाया जा सकता है। उनके लिए दस्तकारी और क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जा सकती है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस समय देश में ऐसी कितनी संस्थायें हैं जो नेत्रहीनों को ट्रेनिंग दे रही है और उन्हें केन्द्र की ओर से सहायता दी जाती है।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में यह कहा था कि नेत्रहीनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हमने राज्यों को 1978-79 तक तीस मोबाइल यूनिट्स दिये हैं, बी० एस० सी० को 11, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को 150, मेडिकल कालेजों को 9 और दूसरी रेगुलर इंस्टीच्यूट को 6 दिये हैं। इस तरह से हम अनुदान देते हैं। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत देश में नेत्रहीनों को सहायता देने के लिए हम लोगों का कार्यक्रम है जोकि मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया है।

श्रीमती पार्वती देवी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने नेत्रहीन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनायी है ताकि वह भी हमारे सामाजिक जीवन में पूरा-पूरा योगदान दे सकें ? जो चीजें अथवा उपकरण नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए काम आते हैं क्या सरकार उन्हें ड्यूटी मुक्त करने पर विचार करेगी ?

श्री रवि राय : जो मेरा पहले जवाब था उसी में इसका भी सारा जवाब आ चुका है। इसमें कोई नयी चीज नहीं है।

श्री के० गोपाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि हमारे पास चिकित्सा कर्मचारियों की अथवा प्रशिक्षित कर्मचारियों की देश में अन्धेपन को रोकने के लिए कमी है। बड़ी संख्या में अच्छे डाक्टर हैं। हो यह रहा है कि दिल्ली में भी मंत्री महोदय को मालूम है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और गुरु नानक चिकित्सा केन्द्र जैसे प्रमुख संस्थान हैं और आँखों के इलाज के लिए आवश्यक लाखों रुपये के चिकित्सा उपकरण बेकार पड़े हुए हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हमारे पास उनको प्रयोग करने के लिए कर्मचारी नहीं हैं किन्तु कारण यह है कि उनकी कुछ छुट-पुट मरम्मत की जानी है और उन्हें बदला जाना है और यह अफसरशाही गोलमाल तथा संस्थानों के अध्यक्षों द्वारा दुरुपयोग के कारण नहीं हो रहा है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नये उपकरण खरीदने से पहले वह यह सुनिश्चित करने के लिए एक जांच करेंगे कि जो लाखों रुपये के उपकरण पहले भी वहां हैं क्या उनका उचित उपयोग होता है और जो कर्मचारी पहले ही वहां हैं तथा जो स्थानीय राजनीतिक दबाव से पीड़ित हैं, उनका उचित उपयोग होता है ?

श्री रवि राय : यद्यपि इस प्रश्न से यह विशेष प्रश्न पैदा नहीं होता, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर सकता हूँ कि हमने पहले भी डा० गोपीनाथ की अध्यक्षता में इसकी जांच करने के लिए समिति नियुक्त की है जो यह सुनिश्चित करेगा कि किस प्रकार वर्तमान उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : देश में बहुत बड़ी संख्या में अंधे हैं। उनकी शिक्षा उनके इलाज और उनकी देख-रेख के लिए आज बहुत कम खर्च किया जाता है। खर्च बढ़ा कर उनके अच्छे इलाज और देश में अन्धापन कम से कम हो, उसके लिए क्या आप कोई विशेष कदम उठाने का विचार कर रहे हैं। आज जो खर्च किया जा रहा है वह न के बराबर है अन्धों की संख्या को देखते हुए और इसको क्या आप बढाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री रवि राय : मेरे बयान को कछवाय जी ने देखा होगा। मुझे एक बात का डर है। मैं माननीय सदस्यों से भी इस बात को कहूंगा। मुख्य मन्त्रियों की तरफ से मांग होती है कि

दो हजार करोड़ रुपया जो सैंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्ज के लिए रखा गया था वह राज्यों को दे दिया जाए। एक तरफ तो माननीय सदस्य मांग करते हैं कि खर्च ज्यादा किया जाए और दूसरी तरफ यह मांग होती है कि इस राशि को राज्यों में दिया जाए। मुझे डर लग रही है कि अन्धेपन को खत्म करने के लिए जो मौजूदा हम लोग सहायता दे रहे हैं उसमें भी हम लोगों को झख मार कर कमी करनी पड़ेगी।

श्री हुकम चन्द कछवाय : झख का क्या मतलब है ?

श्री रवि राय : बाध्य होकर।

दुधारु गायों और सांड़ों को ले जा रही माल-गाड़ी को रोकना

*790. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रेलवे सतर्कता अधिकारियों ने एक माल गाड़ी को जो 250 दुधारु गाय तथा सांड़ ले जा रही थी एक रेलवे बुकिंग क्लर्क द्वारा उन मालिकों के साथ सांठगांठ करके की गयी सन्दिग्ध धोखाधड़ी के सन्देह में प्रारम्भिक जांच हेतु दिल्ली में शकूरबस्ती स्टेशन पर रोका था।

(ख) क्या इस बीच जांज पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

11 माल डिब्बे जिसमें 174 पशु, अर्थात् भैंस के 121 कटड़े, गाय के 13 बछड़े, 4 बैल और 36 गायें बिना दुधमुहें बछड़े के थे और जो 8-1-1979 को 18.10 बजे शकूरबस्ती में प्राप्त हुए थे, 13-1-1979 को 16.30 बजे तक वहां रुके रहे क्योंकि इन माल डिब्बों के पाकेट लेबलों में उनके गन्तव्य स्थल चुनार और वाराणसी; अर्थात् जिन स्टेशनों को ये माल डिब्बे बुक किये गये थे, की बजाय बक्सर और सियालदह दिखाये गये थे। यह विसंगति भटिंडा में एक गाड़ी क्लर्क द्वारा पायी गयी थी। यातायात विभाग के अनुरोध पर, सतर्कता शाखा ने जांच का काम शुरू किया और सतर्कता शाखा द्वारा की गयी प्रारम्भिक पूछताछ से पता चला कि प्रतिबन्ध के कारण, पशु बक्सर और सियालदह के लिए बुक नहीं किये जा सकते थे। मूलत: चुनार के लिए बुक किये गये चार माल डिब्बों के लिए रेलवे रसीदें जाली होने का सन्देह था जिनमें गन्तव्य स्टेशन सियालदह दिखाया गया था और यह सन्देह था कि इनके कार्ड-लेबल रास्ते में बदल दिये गये है।

चूंकि गंभीर धोखेबाजी, रेलवे रसीदों की जालसाजी, पाकेट लेबलों का बदला जाना और इस काम में बाहरी व्यक्तियों का हाथ होने का सन्देह था, इसलिए इस मामले की पुलिस को रिपोर्ट की गयी और रेलवे पुलिस, दिल्ली किशनगंज द्वारा 12-1-79 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के

के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468/471/420/511 के तहत मामला दर्ज कराया गया और तत्पश्चात माल डिब्बे भेज दिये गये।

रेलवे पुलिस, दिल्ली किशनगंज ने आगे छान-बीन के लिए यह मामला सरकारी रेलवे पुलिस, भटिंडा को अन्तरित कर दिया है। सरकारी रेलवे पुलिस, भटिंडा द्वारा इस मामले की अभी भी छान-बीन की जा रही है और छान-बीन पूरी हो चुकने तथा उसकी रिपोर्ट रेलों को मिल जाने के बाद इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री पी० के० कोडियन : बयान में यह स्वीकार किया गया है कि गम्भीर धोखाधड़ी, रेलवे रसीदों की जालसाजी, पाकेट लेबलों में परिवर्तन तथा बाहरी व्यक्तियों के हाथ होने के बारे में रेलवे ने सन्देह व्यक्त किया है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। वक्तव्य में यह भी उल्लेख किया गया है कि भटिंडा में एक लिपिक ने इस गड़बड़ी का पता लगाया। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि रेलवे को इस प्रकार की धोखाधड़ी से आय में काफी हानि हो रही है और खासतौर से यह हानि माल यातायात में हो रही है और यदि हां, तो क्यों इस पर साधारण, तथा नैमित्तिक तरीके से कार्यवाही की जा रही है और क्यों रेलवे विभाग का सतर्कता विभाग इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करता है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा है कि ग्यारह डिब्बे जिन्हें वाराणसी और चुनार जाना था, कुछ लोगों के गलत तरीकों के कारण, जो या तो रेलवे में भी हैं या उन लोगों की बाहर वालों के साथ सांठ-गांठ है, तथा डिब्बों के लेबल बदल कर उन्हें जान-बूझकर किन्हीं अन्य स्टेशनों को भेजा गया। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह रेलवे का एक ट्रेन लिपिक था जिसने यह गड़बड़ी पकड़ी है और इस मामले की रिपोर्ट की है। हम अब गम्भीर रूप से जांच कर रहे हैं।

मैंने अपने वक्तव्य के अन्तिम भाग में पहले भी कहा है कि रेल पुलिस, दिल्ली, किसनगंज ने सरकारी रेलवे पुलिस, भटिंडा को आगे जांच के लिए यह मामला भेज दिया है। जांच पहले भी चल रही है और मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें जो जांच और कार्यवाही की जायेगी वह सभी समाज विरोधी तत्वों के लिए एक निवारक उपाय का काम करेगी और जांच परिणामों के आधार पर हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री पी० के० कोडियन : क्या मन्त्री महोदय सभा को बतायेंगे कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में कुछ संगठित दलों द्वारा कई जालसाजियां की जा रही हैं और क्या इसके अतिरिक्त किसी अन्य मामले का पता लगाया गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक विशिष्ट प्रश्न है जो बैलों, गायों, बछड़ों आदि से सम्बन्धित है। अत: मैं इसे गाय और बैलों से मनुष्यों पर नहीं ले जा सकता हूं। मैंने केवल उसी प्रश्न का उत्तर दिया है जो पूछा गया है।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैं मंत्री जी का ध्यान एक-दूसरे पहलू पर ले जाना चाहता हूँ और वह यह है कि यह जानवर थे जो 5 दिन एक जगह पर रखे गये, उनके खाने, पीने, उनके रख-रखाव के लिए रेलवे ने कोई व्यवस्था की थी या नहीं ? यह प्राय: देखा जाता है कि जानवरों के

साथ उनके कीपर्स या एक-दो आदमी रहते हैं। वह थे कि नहीं ? अगर थे तो आपकी जांच पड़ताल में बहुत सुविधा हो जाती है। और अगर नहीं थे तो क्या व्यवस्था की गई ? और बाद में जब इसका पता नहीं चला कि किसके पास यह जानवर जायेंगे तो उन जानवरों की क्या हालत हुई और किसको वह जानवर दिए गए ?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने बयान में बताया है कि 8-1-79 से 13-1-79 तक यह जानवर वहीं वैगन में रहे। उसके बाद जब पता लग गया कि कुछ भ्रष्टाचार उसमें है तो इनवेस्टीगेशन शुरू हो गई। बीच में एक बछड़ा मर गया, लेकिन दूसरे जानवर—गाय और बैल जिन्दा हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। और जिस पार्टी के नाम से यह कंसाइनमैंट था उनको भी कानटेक्ट किया गया है। इस प्रकार से जब हमारे सामने कोई सवाल आता है तो पार्टी कंसर्न्ड जो है जिसका सम्बन्ध उनसे होता है उनके साथ सम्पर्क स्थापित करके हम उचित व्यवस्था करते हैं।

श्री० पी० राजगोपाल नायडू : क्या मंत्री महोदय उस एक का नाम बतायेंगे जो इन दुधारू पशुओं को भेज रहा था ?

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे खेद है कि नाम यहां उपलब्ध नहीं है किन्तु मैं यह सूचना माननीय सदस्य को दूंगा।

कलकत्ता ट्यूब रेलवे

*791. †**श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में ट्यूब रेलवे परियोजना पर यदि चरणबद्ध रूप से काम हुआ तो वह सक्षम नहीं होगी;

(ख) क्या परियोजना अधिकारियों ने इस परियोजना को पूरा करने और इस रेलवे को सक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त धन की स्वीकृति के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या विचार व्यक्त किए हैं; और

(घ) इस ट्यूब रेलवे के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा कितना काम अभी पूरा किया जाना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस परियोजना पर चरणबद्ध रूप से काम कुछ सीमा तक जरूरी है ताकि विकसित की गई नयी तकनीकों के परीक्षण हो सकें और परियोजना के अवशिष्ट भाग निर्माणधीन होते हुए कुछ खण्डों को यातायात के लिए खोला जा सके। लेकिन प्रथम चरण के खण्डों को यातायात के लिए खोल देने के बाद समूची परियोजना को यथासम्भव शीघ्र पूरा कर लेने में ही इसकी उपयोगिता है। योजना आयोग ने, इससे पहले, प्रथम चरण के रूप में डम-डम से श्याम बाजार और टालीगंज से एस्पेलेनेड तक निर्माण की मंजूरी दी थी। जहां तक चरण-II, श्याम बाजार, एस्प्लेनेड खण्ड पर निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, यद्यपि, एक समय

ऐसा आया जब योजना आयोग ने यह विचार किया था कि पहले खण्ड पर काम पूरा हो जाने के बाद ही इसे हाथ में लिया जाये लेकिन आगे विचार-विमर्श के बाद, योजना आयोग ने चरण-II, श्याम बाजार, एस्प्लेनेड खण्ड साथ ही चित्तरंजन एवेन्यू से गुजरने वाले खण्ड पर भी निर्माण कार्य शुरू करने की सहमति दे दी है।

वास्तविक रूप में, इस निर्माण कार्य में अब तक 17 प्रतिशत प्रगति हुई है। इस परियोजना के बड़े भाग पर काम पूरा होना अभी शेष है परन्तु निर्माण कार्य में तेजी लायी जा रही है।

श्री सचीन्द्र लाल सिंघा : क्या मंत्री महोदय इस परियोजना के पूरा करने की निर्धारित तारीख बतायेंगे ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : महोदय, प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया गया है। मैं इसे फिर पढ़ता हूँ। यह 16.5 किलो० मीटर लाइन है। निर्माण कार्य की वस्तुतः प्रगति 17 प्रतिशत है। 16 करोड़ रुपये पहले भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। 50 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी पहले भी दी जा चुकी है।

प्रो० मधु दण्डवते : आरम्भ में योजना आयोग ने परियोजना को दो चरणों में स्वीकृति दी थी। हमें यह अनुदेश दिये गये कि हमें परियोजना का पहला चरण लेना चाहिए। अर्थात्, दम-दम से श्याम बाजार तक लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य में दिया हुआ है।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे आगे मैं केवल यही कहूंगा कि केन्द्र की स्वीकृति जो पहले नहीं नहीं मिली थी, अब मिली है अतः पहला चरण 1984-85 तक पूरा हो जायेगा और 1986 में केन्द्रीय खण्ड पूरा होगा। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि गत 22 वर्षों में प्रत्येक परियोजना के लिए जो तारीख निर्धारित की गई थी हमने उस तारीख से तीन महीने पहले ही काम पूरा किया है और किसी भी मामले में निर्धारित तारीख के बाद पूरा नहीं हुआ है।

श्री सचीन्द्र लाल सिंघा : क्या इसे चरणों में करना व्यावहारिक होगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उन्होंने अच्छी तरह से सुना नहीं है।

श्री चित्त बसु : मैंने वक्तव्य पढ़ा है। योजना आयोग ने जो एक वरिष्ट मंत्रिमण्डल है, दूसरे चरण के लिए स्वीकृति दे दी है। किन्तु एक बात का उत्तर देना शेष रह गया है। श्री ए० के० चक्रवर्ती महाप्रबन्धक, ट्यूब रेलवे, कलकत्ता के अनुसार परीक्षण के तौर पर रेल 1981 से चलनी आरम्भ होगी। मैं यह कह रहा हूँ कि क्या सरकार यह परिक्षण दमदम से तालीगंज को सीधे करने के बारे में विचार करेगी ताकि यह सारी योजना एक ही चरण में पूरी हो जाये। जब तक यह एक ही चरण में पूरी नहीं की जाती इसे व्यवहारिक नहीं बनाया जा सकता है। कारण यह है कि 16.4 किलो मीटर की यह सारी लाइन 16 लाख यात्रियों को ले जा सकती

है। यदि दूसरे चरण अर्थात् एस्प्लेनेड से श्याम बाजार तक के क्षेत्र को निकाला जाये तो यात्रियों

को ले जाने की क्षमता केवल पांच लाख ही रह जायेगी। क्या सरकार इस परियोजना पर विचार करेगी और इसे एक ही चरण में पूरा करेगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इस प्रश्न पर आश्चर्य होता है जब मैंने कहा है कि केन्द्रीय भाग अर्थात् श्याम बाजार से एस्प्लेनेड तक का भाग 1986 तक पूरा हो जायेगा तो आप सारी लाइन पर 1981 में ही चलाने के परीक्षण की आशा कैसे कर सकते हैं ? दुर्भाग्यवश, परीक्षण तब तक नहीं हो सकता है जब तक लाइन नहीं बिछाई जाती है। यही मेरी कठिनाई है।

श्री चित्त बसु : यदि महा प्रबन्धक ऐसा कहता है·····।

प्रो० मधु दंडवते : यह आदि प्ररूप है।

श्री सौगत राय : यह अच्छी बात है और हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कहा है कि अब परियोजना के केन्द्रीय चरण के चित्तरंजन के अधीन काम होने के बारे में आपत्ति योजना आयोग की दूर हो गई है। हम आपकी बात मान लेते हैं। क्या मैं मंत्री महोदय को याद दिला दूं कि वह 7 अप्रैल को कलकत्ता गये थे और 31 मार्च के लगभग महाप्रबन्धक ने एक वक्तव्य दिया दिया था कि योजना आयोग ने चित्तरंजन एवेन्यू के अधीन खुदाई का काम करने में बाधा डाली। उसके बाद कलकत्ता में इस निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे। जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष कलकत्ता गये तो पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस बारे में प्रो० दण्डवते को खास तौर पर लिखा था कि इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। अब समाचार पत्रों से मालूम होता है, जो प्रो० दण्डवते ने भी देखा होगा, कि मंत्रालय तथा योजना आयोग में कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग कलकत्ता के परिवहन मालिकों तथा बड़े व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ कर इस भाग की स्वीकृति को रोक रहे हैं। अब आप आशा करते हैं कि किसी प्रकार की आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या आप इन लोगों के बारे में, जो इस काम को रोक रहे हैं और काम के पूरा होने के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं, प्रकाश डालेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : मुझे माननीय सदस्य अथवा योजना आयोग के अभिप्राय के बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरे पास योजना आयोग के प्राधिकारी से हस्ताक्षर किया हुआ दिनांक 16 अप्रैल का एक सरकारी पत्र है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि केन्द्रीय भाग के बारे में स्वीकृति दी जा चुकी है। जहां तक प्रदर्शनों का सम्बन्ध है, हो सकता है पहले कुछ प्रदर्शन हुए हों किन्तु जब मैं अपने माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में कालानी-कालानी बस्ती का उद्घाटन करने गया था तो 40 से 50 हजार लोग वहां हमें बधाई देने के लिए इकट्ठा थे। वास्तव में 11 व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया था। मैंने उनसे कहा था कि कम-से-कम वे और लोगों को तो लाते। मेरे लिए यह शर्म की बात है कि मैं केवल 11 व्यक्तियों का सामना करूँ।

इलाहाबाद और भोपाल के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाया जाना

*792. **सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघेलखंड के अनेक जिलों की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रा-

लय ने इलाहाबाद से बरास्ता मानिकपुर-सतना-भोपाल के लिए नई रेलगाड़ी चलाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) क्या जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अभी इलाहाबाद से भोपाल के लिए काशी एक्सप्रेस में एक डिब्बा लगाने का निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं । भोपाल और इलाहाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि यातायात का औचित्य न होने के साथ-साथ, इलाहाबाद-जुकेही खण्ड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता का अभाव है और भोपाल तथा इलाहाबाद में टर्मिनल सुविधायें भी नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं एक थ्रू सवारी डिब्बा चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि 27/28 दादर-वाराणसी एक्सप्रेस में पहले ही अधिकतम डिब्बे लगाये जा रहे हैं । तथापि थ्रू यात्री 3/4 हावड़ा-बम्बई मेल और सम्बद्ध गाड़ियों के साथ सप्ताह में एक बार चलने वाले हावड़ा-भोपाल थ्रू सवारी डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

श्री सुखेन्द्र सिंह : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के दोनों भागों के उत्तर में कहा है, "जी नहीं," "जी नहीं"—न वह गाड़ी देना चाहते हैं और न बोगी देना चाहते हैं । मन्त्री महोदय स्वत: जानते हैं कि वह इलाका मध्य प्रदेश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसे बुन्देलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है । वह इलाका मानिकपुर से इलाहाबाद तक फैला हुआ है । वहां से कोई गाड़ी सीधे भोपाल के लिए नहीं है । तमाम इलाके के संसद-सदस्यों ने भी प्रार्थना की है कि हमें एक गाड़ी दी जाये, या कम से कम एक बोगी दी जाये, जिससे हम सीधे भोपाल जा सकें । मंत्री महोदय ने परिचालन के सम्बन्ध में कठिनाई बताई है । उन्होंने मुझे स्वत: कहा है कि इसे डबल लाइन बना रहे हैं । क्या मंत्री महोदय इस बारे में पुनर्विचार करेंगे कि अगर वह ट्रेन नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम वह एक बोगी तो दे दें, जिससे हम सीधे भोपाल जा सकें ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, जहां तक यात्रियों की संख्या का सवाल हैं, मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं कि दादर से वाराणसी वाया इलाहाबाद जाने वाली गाड़ी इटारसी पर 4-40 बजे सुबह आती है और उसके आधे घंटे के बाद वहां से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भोपाल जाने के लिए है । एक दूसरी पैसेंजर गाड़ी भी है, जो इटारसी से 6-30 बजे स्टार्ट होती है और भोपाल 9-45 बजे पहुँचती है इसलिए गाड़ी का इन्तजाम इस वक्त नहीं हो पायेगा । माननीय सदस्य ने डिब्बे के बारे में जो जिक्र किया है, उसके बारे में मैं विचार करूंगा, और अगर हो सकेगा, तो सुविधा देने की कोशिश करेंगे ।

श्री सुखेन्द्र सिंह : इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से मन्त्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ (**व्यवधान**) दादर-वाराणसी ट्रेन में मद्रास के लिए एक बोगी लगती है । चूंकि अब गंगा-कावेरी चलने लगी है, इसलिए उस बोगी का कोई उपयोग नहीं है । इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर उस बोगी को निकाल कर भोपाल के लिए एक पर्मानेंट बोगी दे दी जाये, तो बड़ी सुविधा होगी । मंत्री महोदय ने डबल लाइन के बारे में कहा है । मैं

जानना चाहता हूँ कि क्या यह काम शुरू कर दिया गया है। इसके न होने के कारण पिछले तीस सालों में इलाहाबाद से बम्बई के लिए कोई गाड़ी नहीं चली है। इसलिये डबल लाइन का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी इस पर कार्यवाही की जायेगी। सतना में प्लेटफार्म न होने के कारण तमाम ट्रेनें लेट हो जाती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सतना के प्लेटफार्म को कब तक बना दिया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मूल प्रश्न को छोड़कर कई सवाल पूछे गये हैं। मूल प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया है।

श्री राघव जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि इलाहाबाद और भोपाल के बीच में सीधी गाड़ी इसलिये नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर टर्मिनल सुविधायें नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय हावड़ा से अहमदाबाद तक वाया पटना, इलाहाबाद, बीना और भोपाल एक ट्रेन चलाएंगे ? इस ट्रेन को चलाने से चार राज्यों की राजधानियां—पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में भोपाल और गुजरात में अहमदाबाद जुड़ जाती हैं। आज इन चार राजधानियों को जोड़ने वाली एक भी ट्रेन नहीं है। इसके अलावा इस ट्रेन के द्वारा दो महत्वपूर्ण तीर्थस्थान, इलाहाबाद और उज्जैन, भी जुड़ सकते हैं। इसलिये क्या मन्त्री महोदय इस नई ट्रेन को प्रारम्भ करने की कृपा करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैं इतना ही कहूंगा कि भोपाल की टर्मिनल क्षमता कम है। इस वक्त उसको बढ़ाना आसान काम नहीं है और जहां तक डिब्बे जोड़ने का सवाल है वाराणसी तक जाने वाली जो दादर एक्सप्रेस है उसकी पूरी डिब्बे की क्षमता है। यदि उसमें से दूसरों का कोटा कम करके कोटा देना है तो उसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन उन्होंने जो दूसरा सवाल उठाया उसका मूल प्रश्न के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उग्रसेन : जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा है कि दादर वाराणसी एक्सप्रेस जो चलती है उसमें सतना के लिये एक डिब्बा है और इसी तरह कई जगह के डिब्बे उन्होंने बताये, तो हमारा सवाल है कि नाम तो उसका है वाराणसी एक्प्रेस और उसमें सब जगह के डिब्बे लगा देते हैं, नतीजा यह होता है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वाराणसी तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी दादर से या बोरीबंदर से कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाएंगे वाराणसी के लिये ताकि नार्थ बिहार और वाराणसी तथा उसके आस-पास के लोग अपने घर पहुँच सकें ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता है।

गोहाटी तथा कछार जिले को जोड़ने वाली एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चालू करना

*793. †**श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कछार जिले (आसाम) के लोगों के लिए आसाम के विभिन्न भागों तथा देश में अन्यत्र जाने के लिये केवल एक ही एक्सप्रेस रेलगाड़ी है;

(ख) क्या 'बारक वैली एक्सप्रेस' में भारी भीड़ होती है और स्थान की कमी के कारण प्रतिदिन बहुत से लोग इसमें यात्रा करने से वंचित रह जाते हैं;

(ग) क्या उत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबन्धक और रेलवे बोर्ड को इस सम्बन्ध में जनता, विधान सभा के सदस्यों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार गोहाटी तथा कछार जिले को जोड़ने वाली एक अतिरिक्त एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने पर विचार करेगी; और

(ङ) क्या सरकार वर्तमान "बारक वैली एक्सप्रेस" को समयानुसार चलाने की व्यवस्था करेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) जी हां। 11/12 बारक वैली एक्सप्रेस गाड़ी में भीड़-भाड़ पाई गयी है।

(घ) 16-4-1979 से, सिलचर और गोहाटी के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी चालू की गयी है।

(ङ) 11/12 बारक वैली एक्सप्रेस गाड़ी के समय-पालन में सुधार लाने के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 11/12 बारक वैली एवसप्रैस में भीड़भाड़ ज्यादा है। राज्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस भीड़भाड़ को समाप्त करने के लिए और डिब्बे लगायेगी ? क्या सरकार इस लाइन पर दो इंजन लगायेगी ? मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री शिव नारायण : यह अच्छा सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर : मुझे खुशी है कि इस प्रश्न की सूचना देने के बाद मंत्रालय ने सिलचर और गोहाटी से सप्ताह में दो गाड़ियां आरम्भ की हैं। यह बड़ा नाजुक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में परिवहन की समस्या बहुत गम्भीर है। आसाम, मणिपुर, नागालैंड सभी क्षेत्र नाजुक हैं। मंत्री महोदय के उत्तर को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे उचित आदेश देगी जिससे सप्ताह में दो बार के स्थान पर दैनिक गाड़ी चलें ?

श्री शिव नारायण : हम आसाम और त्रिपुरा की तरह पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। छः नई लाइनें उन्हें दी गई हैं। जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को उनके प्रथम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम इस पर विचार करेंगे।

श्रीमती रशीदा हक चौधरी : माननीय मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि बारक वैली एक्सप्रेस में बड़ी भीड़ होती है। मिलिट्री से वह भरी रहती है। कभी-कभी एक महीना पहले भी रिज़र्वेशन मिलना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि यह एक ही ट्रेन है और उसमें कम्पार्टमेंट्स की कमी रहती है। बिना रिज़र्वेशन के सीट मिलने का सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि आपने जो बाई-वीकली ट्रेन चलाना शुरू किया है उसकी जगह पर डेली ट्रेन चलाई जाए इस सिलसिले में आप कदम उठायेंगे ?

श्री शिव नारायण : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमने दो पैसेंजर ट्रेन्स और चला दी हैं। मिलिट्री को हम एग्नोर नहीं कर सकते है। असम बार्डर का प्रोटेक्शन मिलिट्री ही करती है इसलिए उसको हम पहले पहुंचायेंगे। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं लेकिन आपको भी हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री निहार लस्कर : हम अपने राज्य मंत्री श्री शिव नारायण को अपने क्षेत्र के लिए नई गाड़ी देने पर बधाई देते हैं किन्तु हमें खेद है कि रेलवे बहुत देर से जागी है क्योंकि हमें इस गाड़ी के लिए बड़ा आन्दोलन करना पड़ा और हम गत दो वर्षों से इस गाड़ी को चलाने लिए प्रशासन में भिन्न-भिन्न अधिकारियों को लिखते रहे हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस गाड़ी में बहुत भीड़भाड़ है। मैं रेल मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी नीति के अनुसार यह बिना दर्जे की गाड़ी है और इस गाड़ी को गोहाटी से सिलचर जाने में कितना समय लगेगा तथा क्या इस बिना दर्जे की गाड़ी के लिए डिब्बे बनाये जा चुके हैं।

श्री शिव नारायण : महोदय, मुझे इसके लिए सूचना चाहिए।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र की आधी आबादी पहाड़ों के पार लमडिंग के दूसरी ओर निवास करती है आधी पापुलेशन तो उधर रहती है। बीच में 36 टनेल्स हैं। वहां आप जब तक डबल ट्रेन नहीं बनायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। क्या आप डबल लाइन बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री शिव नारायण : आपका सुझाव सुन्दर है। हमने शुरू में कहा, हम विचार कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने आपको 6 लाइनें दी हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है। अब हम गम्भीर कार्यवाही पर आते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी चयन आयोग

*785. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से रेल मंत्रालय में भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की सूचना उन्हें किस आधार पर दी जाती है;

(ख) रेल मंत्रालय में अस्थायी अवर श्रेणी लिपिकों को किस आधार पर स्थायी किया जाता है और किस वर्ष तक नियुक्त किये गये लिपिकों को स्थायी किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिपिकों, जिन्हें 1974 तक नियुक्त किया गया था, को स्थायी किया जा चुका है और रेल मंत्रालय में लिपिकों के स्थायीकरण की इस कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) इस कमी को किस निश्चित तिथि तक पूरा किया जा सकेगा ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) रेल मंत्रालय के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रत्येक कोटि में भर्ती, सम्बन्धित भर्ती नियमों में सीधे भर्ती के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है। उन पदों की संख्या का आकलन, जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजा जाता है, सम्बद्ध अवधि के दौरान संभावित रिक्तियों की संख्या के आधार पर किया जाता है, जिनमें से पदोन्नति से भरे जाने वाले अपेक्षित पदों की संख्या कम कर दी जाती है।

(ख) निम्न श्रेणी लिपिकों का स्थायीकरण टाइप परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर उनकी वरीयताक्रम में और समय-समय पर इस ग्रेड में स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। अब तक 30-6-1961 तक नियुक्त किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थायी किया जा चुका है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में लिपिकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में, इस मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन, जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है ऊंचे पदों में कर्मचारियों के सेवा निवृत होने स्थायीकरण से तथा अस्थायी पदों को स्थायी करने से स्थायी पद उपलब्ध होने पर कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रयास किया जा रहा है।

जहाजों का निर्माण तथा आयात

*787. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम तथा कोचीन स्थित शिपयार्डों में शुरू से अब तक पृथक-पृथक कितने जहाजों का निर्माण हुआ;

(ख) आगामी 5 वर्षों के दौरान इन शिपयार्डों में कितने जहाजों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितने तथा कितने मूल्य के और किन-किन देशों से जहाजों का आयात किया गया; और

(घ) विशाखापत्तनम तथा कोचीन शिपयार्डों में क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक 77 जहाज बनाये और डिलीवर किये। कोचीन शिपयार्ड में जहाज निर्माण का काम जारी है और अभी तक कोई भी जहाज डिलीवर नहीं किया गया है।

(ख) आर्डर मिलने पर, हिन्दुस्तान शिपयार्ड अपनी मौजूदा क्षमता के आधार पर अगले पांच वर्षों में 21600 डी०डब्लू०टी० के पायनियर किस्म के लगभग 14 जहाज लाकर तैयार कर सकेगा। कोचीन शिपयार्ड का लक्ष्य अपने पांच वर्षों में 4 जहाज बनाकर डिलीवर करना है इनमें 3 पनामाक्स बल्क कैरियर शामिल हैं जिनके लिए आर्डर मिला हुआ है।

(ग) पिछले पांच वर्षों में अर्थात 1974-75 से 1978-79 तक की अवधि में नीचे लिखे देशों से 128 जहाज आयात किये गये जिनमें सेकेंडहैंड जहाज भी शामिल हैं :—

1. जापान
2. यू०एस०एस०आर०
3. जर्मन गणराज्य
4. जर्मन संघीय गणराज्य
5. यूगोस्लाविया
6. यू०के०
7. स्पेन
8. स्वीडन
9. बेल्जियम
10. रूमानिया
11. पोलैंड
12. सिंगापुर
13. डेनमार्ग
14. हांगकांग
15. नार्वे
16. पनामा
17. लायबेरिया
18. फिनलैंड
19. यूनान
20. क्वेत
21. हालैंड
22. ब्राजील

इन जहाजों की खरीद की कुल कीमत के बारे में सूचना अभी तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जहां तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड का सम्बन्ध है, श्रमिकों के सम्बन्धों में सुधार आने से उत्पादन में सुधार हुआ है। शिपयार्ड के क्षमता के उपयोग को अभीष्ट स्तर पर बनाए रखने के लिए लगातार आर्डर प्राप्त होते रहने के लिए कोशिश भी की जा रही है। कोचीन शिपयार्ड में जो संयंत्र स्थापित हैं उनके आधार पर प्रतिवर्ष 75000 डी०डब्लू०टी० के 2 पनामाक्स जहाज बनाकर डिलीवर किये जा सकते हैं। लेकिन यह स्थिति 5 जहाजों के बनाकर पूरा करने के बाद ही आयगी। शिपयार्ड कुछ क्षेत्रों में जहां भी अतिरिक्त क्षमता है उसका इस्तेमाल विभागीय कार्यों को करने और बाहर की एजेन्सियों के लिए उत्पादन का काम करने में किया जा रहा है।

समुद्र व रेल मार्ग से दक्षिणी राज्यों को कोयले की सप्लाई

*789. **श्री के० टी० कौसलराम** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों को केवल रेल मार्ग के बजाय कलकत्ता और हल्दिया से समुद्र व रेल मार्ग से कोयले की ढुलाई करने के क्या कारण है;

(ख) इस प्रकार कोयले की कितनी मात्रा में ढुलाई की गई, समुद्री मार्ग से कोयले की ढुलाई करने में कितना विलम्ब हुआ और समुद्र द्वारा ढुलाई करने से कितनी अतिरिक्त लागत आई; और

(ग) क्या दक्षिणी राज्यों की सम्पूर्ण जरूरत के कोयले की ढुलाई करने के लिए समुद्री जहाज पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) रेल परिवहन पर दबाव कुछ कम करने के लिए, दक्षिण क्षेत्र विशेष रूप से मीटर लाइन खण्डों पर कोयले की कुछ मात्रा की ढुलाई रेल व समुद्र मार्ग से की जाती है। यह ढुलाई तटीय जहाजरानी को बनाये रखने में भी सहायता देती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1978-79 के दौरान, दक्षिण रेलवे के लिए 3·18 लाख टन लोको कोल और दक्षिण में सार्वजनिक उपभोक्ताओं के लिए 2·11 लाख टन कोयले की समुद्र मार्ग से ढुलाई की गयी थी। अतीत में, लगभग पर्याप्त संख्या में माल-वाहक उपलब्ध होते रहे हैं। निकट अतीत में तटीय जलपोतों की अपर्याप्तता, पतन-कठिनाइयों आदि के कारण समुद्र-मार्ग द्वारा दक्षिण को कोयले की ढुलाई में कुछ विलम्ब हुआ है।

समुद्र-मार्ग द्वारा तूतीकोरिन और कोचीन पत्तनों के लिए कोयले के परिवहन की अतिरिक्त लागत क्रमशः लगभग 44 रुपए और 48 रुपए प्रति टन है जिसकी प्रतिपूर्ति एक आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को कर दी जाती है।

मैडिकल कालेजों में सिक्किम के विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण

*794. **श्री हुकम चन्द कछवाय**
श्री दयाराम शाक्य } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों के मैडिकल कालेजों में सिक्किम के विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण करने हेतु कोई व्यवस्था की गई है क्योंकि सिक्किम एक पिछड़ा राज्य है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सिक्किम के कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है;

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे पिछड़े राज्य से सम्बन्ध रखते हैं, मैडिकल कालेजों में सिक्किम के प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को कुछ विशेष रियायतें दी जाती हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना में सिक्किम में एक मैडिकल कालेज खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कालेज सम्भवतः कब तक खुल जाएगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सिक्किम सरकार को जितनी मैडिकल सीटें सुपुर्द की गई थीं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1976-77	13
1977-78	10
1978-79	11

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) देश के मौजूदा मैडिकल कालेजों से प्रतिवर्ष लगभग 12,500 डाक्टर निकलते हैं। देश को इस समय जितने डाक्टरों की आवश्यकता है, उसे पूरा करने के लिए यह संख्या पर्याप्त समझी जाती है।

मधुमेह के लिए कोकिनिया इंडिका से औषधियां

*765. **श्री जी० एम० बनातवाला**
श्री शंकर सिंह जी वाघेला } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 मार्च, 1979 के "स्टेट्समेन" में प्रकाशित समाचार देखा है जिसमें बताया गया हैं कि कोकिनिया इंडिका नामक एक जंगली बेल, जो बंगलादेश और भारतीय उप महाद्वीप के अनेक भागों में पाई जाती है, से निकाली गई एक नई औषध मधुमेह रोग (डायाबीटीज मैलिट्स) के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है;

(क) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इसका कोई परीक्षण करने का हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में उक्त दवा का क्लिनिकी परीक्षण चलता रहा है। इस दवा की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है।

समुद्री नौवहन में प्रशिक्षण देने के लिए संस्था

*796. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लक्षदीप में लोग परम्परागत रूप से बहुत अच्छे नाविक हैं और आज भी इन द्वीपों से बड़ी संख्या में लोग समस्त विश्व में व्यापारी बेड़ों में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार समुद्री नौवहन में प्रशिक्षण देने के लिए इन द्वीपों में एक संस्था की स्थापना की संभावना पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां, लक्षदीप के लोग परम्परा से बड़े अच्छे नाविक होते हैं और इनमें से पर्याप्त लोग व्यापारी समुद्री बेड़े में काम कर रहे हैं।

(ख) अधिकारियों और नाविकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने पहले से ही छह प्रशिक्षण संस्थान खोल रखे हैं। इन छह प्रशिक्षण संस्थानों में से नाविकों के प्रशिक्षण के लिए तीन प्रशिक्षण संस्थान हैं जो आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापन स्तर

*797. **श्री एडुआर्डो फेलीरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी चिकित्सा शिक्षा में अध्यापन स्तर, रोगियों की देखभाल तथा अनुसंधान कार्यों में गिरावट के बारे में सरकार को पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सा शिक्षा में गिरावट के कारणों का पता लगाने तथा उनकी जांच करने और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए विशिष्ट चिकित्सा शिक्षाविदों को लेकर एक आयोग गठित करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) यह कहना ज्यादती होगी कि वर्तमान चिकित्सा शिक्षा पद्धति में अध्यापन स्तर, रोगियों की देखभाल और अनुसंधान कार्यों में गिरावट आई है, किन्तु निस्संदेह इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है और जब कमी कमियां ध्यान में आती हैं तो उन्हें ठीक करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्यकारी परिषद् बनाया जाना

*798. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्यकारी परिषद् गत एक वर्ष से नहीं बनायी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्यकारी परिषद पुनर्गठित की गई है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

कन्टेनर नौवहन सेवा के लिए संयुक्त सार्थ-संघ

799. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम तथा तीन ब्रिटिश नौवहन कंपनियों ने मिलकर एक सम्पूर्ण कन्टेनर नौवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक संयुक्त सार्थ-संघ गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त निर्णय से दोनों सरकारों को क्या लाभ पहुँचेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) तीन भारतीय जहाजी कम्पनियां कुछ ब्रिटिश जहाजी कंपनियों से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रही हैं ।

(ख) मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस बातचीत में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिकमत उपकरण

*800. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे कार्यक्रम में सरकार की असंगठित क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि और स्वनियोजन के घोषित उद्देश्य का भी ध्यान रखा जाता है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) नियोज्य कौशलों के माड्यूल्स पर आधारित उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण सिस्टम की एक परियोजना भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से यू० एन० डी० पी० अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से चलायी जा रही है ।

2. इस सिस्टम में अनेक ऐसे उच्च और परिष्कृत कौशलों में उच्च कौशल प्राप्त श्रमिकों और तकनीशियनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जो अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है । यह उद्योग के लिए प्रशिक्षण के व्यापक और संकलित नमूने की परिपूर्ति करने के लिए की गई एक और कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करता है । इसलिए इस पर गत तथा वर्तमान अवस्थाओं के संदर्भ में विचार करना चाहिए ।

3. फौरी कार्यक्रम यह है :

(I) बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों के परिसरों में पांच नए उच्च प्रशिक्षण संस्थान खोलना, जिनमें से प्रत्येक संस्थान ऐसे अनेक व्यवसायों को उच्च प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो सम्बन्धित क्षेत्र में उद्योग के लिए अत्यधिक महत्व रखते हों।

(II) नये क्षेत्रों में, विशेषकर रसायन उद्योगों के सम्बन्ध में उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के कार्यकलापों में और अधिक विविधता लाना ।

(III) उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम से कम 12,000 कुशल तथा अत्यधिक कुशल श्रमिकों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना ।

(IV) अधिक उद्योगीकृत राज्यों में 16 चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा ऊंचा करके उन्हें आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाना और अत्यधिक आवश्यकता वाले व्यवसायों में और पर्याप्त स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, ताकि स्थानीय उद्योगों की मांगों की पूर्ति की जा सके।

(V) और अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्तर के संस्थान बनाने के लिए योजनायें तथा कार्यक्रम तैयार करना।

(VI) चुने हुए उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में और समुचित व्यवसायों में नियोज्य कौशलो के माड्यूलों द्वारा प्रशिक्षण की प्रणाली की प्रयोज्यता की परीक्षा करना तथा उसे आरम्भ करना।

4. जिन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियोज्य कौशलों के माड्यूलों द्वारा प्रशिक्षण की प्रणाली विद्यमान है, उनका उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों में सीधी भर्ती के लिये या सेवा में रहते हुए और आगे प्रशिक्षण के लिये युवा व्यक्तियों को न्यूनतम कौशल प्रदान करना है। चाहे श्रमिकों को उच्च प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाये या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, उसे अपने विशिष्ट कौशलों को सुधारने और अपनी अन्तर्जात योग्यताओं का विकास करने के योग्य बनाया जायेगा, जिससे उसके नियोजन की क्षमता बढ़ सके तथा उसकी माली हालत बेहतर हो सके।

पाक अधिकृत कश्मीर में रेडियो केन्द्रों का निर्माण

*801. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
डा० विजय मंडल } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1979 के 'ईवनिंग न्यूज' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने दो और रेडियो केन्द्रों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अतिरिक्त रेडियो स्टेशनों के निर्माण से भारत के अभिन्न अंग के रूप में जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर किसी भी रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

पक्षाघात का पहले से पता लगाने के उपकरण

*802. **श्री निहार लास्कर**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पक्षाघात तथा मस्तिष्क की अन्य बीमारियों का पहले से पता लगाना तथा ठीक समय पर चिकित्सा उपाय कर लेना संभव है;

(ख) यदि हां, तो उपकरण के प्रयोग से यह पता लगाना किसी सीमा तक संभव है;

(ग) क्या यह उपकरण देश के सभी अस्पतालों में उपलब्ध करा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां ये उपकरण रखे गये हैं; और

(ङ) इसमें कितनी लागत आयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

मत्स्य नौकाओं का निर्माण

803. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में मत्स्य नौकाएं बनाने के लिए पोलैंड के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जहां तक नौवहन और परिवहन मंत्रालय का सम्बन्ध है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

जाम जोधपुर नगर के सीजन टिकट्स होल्डर्स

7601. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के जामनगर जिला के जाम जोधपुर नगर के सीजन टिकट्स होल्डर्स ने पोरबन्दर-जाम जोधपुर के बीच गांधीग्राम एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सीजनल टिकट वालों की यात्रा के बारे में जनरल मैनेजर, पश्चिम रेलवे, बम्बई को 10 अगस्त, 1978 को तार भेजा था और 11 सितम्बर, 1978 को एक अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस तार और अभ्यावेदन में क्या मागें की गई थीं; और

(ग) सरकार ने इन मांगों पर क्या कार्यवाही की है तथा उसका ब्यौरा क्या है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो यह कब की जायेगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जाम जोधपुर के सीजन टिकट-धारियों की ओर से दिनांक 10-8-78 का कोई तार प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन, मंडल अधीक्षक, भावनगर को दिनांक 11-9-78 का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) मांग यह थी कि सीजन टिकटधारियों को पोरबन्दर और जेतलसर के बीच 45 अप गांधीग्राम एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रा करने की अनुमति दे दी जाये।

(ग) चूंकि इस गाड़ी में उपलब्ध सम्पूर्ण स्थान आरक्षित था, इसलिए सीजन टिकट-धारियों को इसमें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी । इस गाड़ी में उपलब्ध स्थान के इस्तेमाल के अध्ययन के आधार पर, अब यह विनिश्चय किया गया है कि सीजन टिकटधारियों को इस गाड़ी में यात्रा करने की अनुमति देने के लिये, एस० एल० आर० डिब्बे में दूसरे दर्जे का स्थान अनारक्षित कर दिया जाये ।

फिल्म यूनिट द्वारा सहायता प्राप्त करने हेतु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लगाया जाना

7602. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि 1978-79 में परिवार कल्याण विभाग के फिल्म यूनिट ने समाचार प्राप्त करने (न्यूज कवरेज) हेतु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को देश के विभिन्न स्टेशनों में नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या है जिन्होंने दोनों और विमान यात्रा की और इसका औचित्य क्या था और क्या यात्रा से पूर्व उचित प्राधिकारी की मंजूरी ली गई थी और किन परिस्थितियों में; और

(ग) क्या सरकार को कुछ असिस्टेंट मिडिया आफिसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या है और की गई प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां । चूंकि विभागीय छोटी सी फिल्म यूनिट में इस समय कोई भी नियमित लाइटमैन नहीं है, इसलिए इस यूनिट से सम्बद्ध हैल्परों को प्रशिक्षण दिया गया है और फिल्म बनाने के काम में इनकी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) मेहसाना, गुजरात में 30/31 जनवरी, 1979 को एक विशाल पुरुष नसबन्दी शिविर को फिल्माने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा फिल्म कर्मचारियों को वायुयान से यात्रा करने की मंजूरी दी गई थी । इस फिल्म को दूरदर्शन समाचार में दर्शाया जाना था और इस शिविर पर आधारित एक छोटी सी फिल्म भी बनाने का विचार था । इन दो प्रकार के फिल्मी कार्यों के लिए बड़े कीमती और नाजुक कैमरों और ध्वनि रिकार्ड करने वाले उपकरणों की आवश्यकता थी । इन उपकरणों को ले जाने और फिल्म बनाने के काम में सहायता करने के लिए लाइटमैन-एवं-हैल्पर को भी लिया गया था । श्री रतन सिंह, हैल्पर को भी अन्य तकनीकी कर्मचारियों के साथ-साथ वायुयान द्वारा आने-जाने की अनुमति दी गई । इस प्रकार के फिल्म निर्माता दल के साथ एक लाइटमैन का होना एक साधारण सी बात है ।

(ग) जी, नहीं ।

राजस्थान में व्यापारियों को वैगनों का आवंटन

7603. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के व्यापारियों ने गत चार महीनों के दौरान खरीफ की उपज की ढुलाई के लिए कितने वैगनों की मंडीवार और तारीखवार मांग की थी और इस मांग पर वास्तव में, तारीखवार, कितने वैगन आवंटित किये गये; और

(ख) क्या यह सच है कि बहुत सी मंडियों को महीनों तक वैगन सप्लाई नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप वसूल किये गये कृषि उत्पाद की मंडियों से ढुलाई नहीं की जा सकी और मूल्य काफी गिर गये जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी हानि हुई तथा साथ ही उपभोक्ताओं को उन मंडियों में इन्हीं वस्तुओं का अधिक मूल्य अदा करने लिए विवश किया गया जहां पर उपरोक्त उत्पाद भेजा जाना था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मुगल लाइन्स और कोंकण सेवा एकक की सेवा शर्तें

7604. **श्री बापू 'साहिब परुलेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मुगल लाइन्स के मेन लाइन कर्मचारियों पर लागू मंजूरी सहित सेवा शर्तों और मुगल लाइन्स के कोंकण सेवा एकक से सम्बद्ध कर्मचारियों के बीच असमानता है;

(ख) मेन लाइन्स के कर्मचारियों और कोंकण एकक से सम्बद्ध कर्मचारियों के बीच असमान सेवा शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस असमानता को दूर करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) भारत सरकार ने कोंकण यात्री सेवा, 1973 में मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लि० से अपने हाथ में ली थी और 'न मुनाफा न घाटा' के आधार पर चलाने के लिए मुगल लाइन्स लि० को सौंप दी थी। इस तरह कोंकण सर्विस यूनिट का विलय मुगल लाइन्स के साथ नहीं किया गया, और कोंकण यात्री सेवा के परिचालन की देखरेख के लिए वस्तुत: एक अलग यूनिट के रूप में कार्य कर रही है । कोंकण सेवा का कुछ स्टाफ भी मुगल लाइन लि० ने उन्हीं शर्तों पर ले लिया जो उनके पहले मालिक (अर्थात् मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लि०) के पास लागू थीं । इसलिए उनकी सेवा शर्तों जिनमें उनके वेतन भी शामिल है, और मुगल लाइन्ज के मुख्य लाइन स्टाफ की 'सेवा शर्तों' में भेदभाव का प्रश्न नहीं होता । कोंकण सेवा के परिचालन में निरन्तर भारी घाटा होने के कारण इस स्टाफ की सेवा शर्तों और उनके वेतनों में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं हुआ है, परन्तु सुविधाएं दी गयी हैं ।

स्कूटर चालकों के लिए मोटर साईकिल हैलमेट

7605. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारत स्तर पर स्कूटर चालकों के लिए मोटर साइकिल हैलमेट आरम्भ करने के बारे में भारत सरकार की नीति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : मोटर गाड़ी अधिनियम में एक नई धारा 85-ए पहले ही जोड़ दी गयी है ताकि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए बचाव टोप (क्रेश हैलमेट) पहनना अनिवार्य बनाया जा सके जो सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की मोटर साईकिल चला रहा हो या उस पर सवारी कर रहा हो (साईड कार में होने की अवस्था को छोड़कर) । इस धारा के उपबन्धों को ऐसे नियमों सहित एक साथ लागू करने का प्रस्ताव है जो इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं ।

अन्दमान और मुख्य भूमि के बीच यात्री सेवा के लिए नया यात्री पोत

7606. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान और मुख्य भूमि के बीच यात्री सेवा बनाये रखने के लिए एम० बी० अन्दमान्स, जो पुराना पड़ गया है, के स्थान पर आधुनिक सुविधाओं वाला नया पोत लेने का आर्डर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यह आर्डर कब दिया गया, किसे दिया गया और पोत किस समय छुड़ाया गया ।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) एम० वी० अन्दमान जहाज, जो पुराना हो गया है, विशेष सर्वेक्षण के लिए भेजा जाएगा, इससे उक्त जहाज से 4 वर्षों तक और काम लिया जा सकता है । फिलहाल भारतीय नौवहन निगम एम० वी० अन्दमान जहाज को बदलने के लिए एक दूसरे जहाज का आर्डर देने पर इस ढंग से विचार कर रहा है कि जब तक एम०वी० अन्दमान जहाज वेकार घोषित किया जायेगा, नया जहाज उपलब्ध हो जाए । आर्डर अभी दिया जाना है ।

कोटा-बारन शटल गाड़ी का पुनः चलाया जाना

7607. **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल** मन्त्री यप बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-बारन शटल गाड़ी रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए; और

(ग) इसे कब पुनः चालू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) कोटा-बारन शटल गाड़ी को 26 फरवरी, 1979 से रद्द किया गया था और 15 अप्रैल, 1979 को उसे फिर से चला दिया गया था ।

रसायन तथा औषधि उद्योग के बारे में द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाना

7608. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बार-बार स्मरण कराये जाने और अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी उद्योग के कर्मचारियों के उत्थान के लिए विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए रसायन तथा औषधि उद्योग पर द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाने में सरकार असफल रही है; और

(ख) बम्बई में हुए गत त्रिपक्षीय सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) फार्मेस्यूटीकल उद्योग के कर्मचारियों, विशेष रूप से इसके चिकित्सा और विक्रय प्रतिनिधियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का विचार है।

(ख) हाल ही के वर्षों में किसी ऐसे त्रिपक्षीय सम्मेलन के होने की श्रम मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

मनोरोग से पीड़ित लोगों के लिए भजन और धार्मिक गीत

7609. **श्री नाथू सिंह**
श्री बागुल सुम्बरुई } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर में हुए अनुसंधान से पता चला है कि भजन तथा धार्मिक गीत गाना मनोरोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रोगियों को अनुसंधान के लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) इस विषय पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने कोई विशिष्ट अनुसंधान नहीं किया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न नही उठता ।

सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन

7610. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को पेंशन पुराने तथा अप्रचलित पेंशन नियम, 1871 के आधार पर पेंशन दी जाती है;

(ख) क्या वर्ष 1973 से पूर्व तथा इसके बाद दी गई पेंशनों में अनेक विसंगतियां और भेदभाव हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(घ) क्या पेंशनरों की एसोसिएशनों ने कुछ समय पहले अनेक बार इस बारे में अभ्यावेदन दिये हैं परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(ङ) मूल्य वृद्धि और पेंशनरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को देखते हुए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। रेल कर्मचारियों के लिए ठीक वही पेंशन योजना अपनायी गयी है जो वित्त मन्त्रालय ने सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनायी है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशनीय लाभों में समय-समय पर आशोधन किये गये हैं/उन्हें उदार बनाया गया है और सभी उदारतायें रेल कर्मचारियों के मामले में भी लागू की जाती हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। जो कर्मचारी किसी खास तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं, वे उस तारीख को लागू नियमों द्वारा शासित होने के पात्र होते हैं, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में अन्यथा कुछ निर्दिष्ट न किया गया हो। तदनुसार, जो पेंशन भोगी 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, वे उस समय लागू पेंशन नियमों द्वारा शासित थे। बाद की किसी तारीख से, इन नियमों में जो उदारता लाई गई थी, उसके लिए वे पात्र नहीं हैं। तथापि, 1-1-73 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 15 रु० से 35 रु० तक की तदर्थ राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा, 1-1-73 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जो पेंशन सम्बन्धी राहतें दी जाती हैं, वे 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी दी जाती है।

(घ) रेलवे पेंशनर्स संघम्, मद्रास ने उन विभिन्न पेंशनीय लाभों को पूर्व-व्याप्ति की तारीख से कार्यान्वित करने के लिए अभ्यावेदन दिया है जो सरकार ने समय-समय पर दिये हैं।

अभ्यावेदन पर सावधानीपूर्वक विचार कर लेने के बाद, सरकार ने यह विनिश्चय किया कि 1-1-73 के बाद के उदारीकरणों को पूर्व-व्याप्ति सहित लागू नहीं किया जा सकता।

(ङ) जैसा कि ऊपर भाग (ख) और (ग) में बताया गया है, सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए पेंशनभोगियों को पहले ही समय-समय पर पेंशन सम्बन्धी राहत दी जा रही है। समय-समय पर यथानिर्धारित मासिक अंशदान का भुगतान करने पर पेंशनभोगियों को डाक्टरी सुविधायें भी स्वीकार्य हैं।

आयुर्वेदिक अस्पताल

7611. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय समूचे देश में, राज्यवार, कितने आयुर्वेदिक अस्पताल हैं और उन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या और किस प्रकार की कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए अधिक से अधिक डाक्टरों को प्रशिक्षण देने के प्रयास कर रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) मध्य प्रदेश राज्य ने बताया है कि इस राज्य में 13 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं तथा उन पर प्रति वर्ष 28 लाख रुपये खर्च आता है।

सिक्किम राज्य ने तथा चण्डीगढ़, लक्षदीप, गोवा, दमन और दीव अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा दादर व नगर हवेली संघ शासित क्षेत्रों ने शून्य सूचना भेजी है।

शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इस समय देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए जो योजनायें चल रही हैं तथा जिन्हें चलाने का विचार है उनका विवरण संलग्न है;

(ग) आयुर्वेद के पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हों। इसे सुनिश्चित करने के लिए दो स्नातकोत्तर प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के 17 स्नातकोत्तर विभागों को सहायता दी जा रही है। देश के स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे स्नातकपूर्व कालेजों को भी सहायता दी जा रही है।

विवरण

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली की स्थापना।
2. स्नातकोत्तर संस्थान, जामनगर का विकास।
3. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जामनगर।
4. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी स्थित आयुर्वेद स्नातकोत्तर केन्द्र का विकास।
5. आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना।
6. इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटिड, रानीखेत की स्थापना।
7. भारतीय चिकित्सा पद्धति की भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद का विकास।
8. स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थानों को सहायता अनुदान देना।
9. स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को फार्मेसियों के साथ-साथ जड़ी-बूटी उद्यानों का विकास।
10. देशी चिकित्सा पद्धतियों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के केन्द्रों का विकास।

चलाई जाने वाली नई योजनायें

11. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विंग का विस्तार।

12. भारतीय चिकित्सा पद्धति की पुस्तकों का प्रकाशन ।

13. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकपूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण ।

14. आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति/होम्योपैथी की डिस्पेंसरियों की स्थापना ।

15. ग्रामीण चिकित्सकों (वैद्यों) आदि का प्रशिक्षण ।

16. राज्यों तथा प्राइवेट निकायों द्वारा चलाये जा रहे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के स्नातकपूर्व कालेजों का विकास ।

इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास द्वारा प्रचार कार्य

7612. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में भारतीय दूतावास द्वारा किये जा रहे प्रचार कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) जुलाई, 1976 में इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के पुनः खोले जाने के बाद कितने प्रेस रिलीज और भारत समाचार बुलेटिन जारी किये गये; और

(ग) वहां प्रचार कार्य बढ़ाने के लिए और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) इस्लामाबाद स्थित राजदूतावास ।

(i) पाकिस्तान के बड़े-बड़े नगरों में प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क रखता है;

(ii) भारतीय और पाकिस्तानी पत्रकारों, संगीतज्ञों, कलाकारों और प्रोफेसरों को एक-दूसरे देश की यात्रा करने में सहायता करता है; और

(iii) समय-समय पर सांस्कृतिक एवं संगीत संध्या का, फिल्म शो का और व्याख्यानों का आयोजन करता है ।

(ख) स्थानीय प्रतिबन्धों के कारण राजदूतावास नियमित आधार पर प्रेस विज्ञप्ति और समाचार बुलेटिन जारी नहीं कर पाता लेकिन यात्राओं आदि के विशिष्ट अवसरों पर बुलेटिन निकालता है और जारी करता है। राजदूतावास भारतीय पत्रिकायें, पुस्तकादि और प्रचार सामग्री चुने हुए व्यक्तियों को नियमित रूप से भेजता रहता है ।

(ग) विदेश मंत्रालय इस्लामाबाद स्थित अपने राजदूतावास में और कराची स्थित प्रधान कौंसलावास के प्रचार कार्य के लिए अमले की संख्या बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

नैरो गेज लाइनों को बदलना

7613. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी नैरो गेज लाइनों को मीटर गेज और ब्राड गेज में बदला जा चुका है; और

(ख) कितनी नैरो गेज लाइनों का मीटर गेज और ब्राड गेज में बदला जाना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अभी तक केवल पश्चिम रेलवे पर नडियाड से कपड़वंज तक 44.64 कि० मी० लम्बे खण्ड पर लगभग 4.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना को ही स्वीकृति दी गई है जो मोडासा तक बड़ी लाइन के निर्माण की परियोजना का ही एक अंग है। भविष्य में, छोटी लाइनों का बड़ी लाइनों में बदलाव का प्रश्न यातायात की आवश्यकताओं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बड़ौदा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

7614. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर श्रेणी II, श्रेणी III और श्रेणी IV के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे रेल कर्मचारियों के लिए अधिक संख्या में क्वार्टरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क)—श्रेणी II—कोई नहीं
श्रेणी III—503
श्रेणी IV—773

(ख) जी हां।

(ग) इस स्टेशन पर टाईप-I के 6 यूनिट, टाइप-II के 10 यूनिट और टाइप-III के 4 यूनिट क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है। क्वार्टरों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और अधिक क्वार्टरों के निर्माण को आगामी वर्षों के निर्माण कार्यक्रमों में शामिल किए जाने पर विचार किया जायेगा।

बहरीन के साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी करार

7615. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बहरीन के बीच एक स्वास्थ्य सम्बन्धी करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो करार किन उद्देश्यों के लिए किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) भारत और बहरीन के बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी औपचारिक समझौता करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। लेकिन

बहरीन के स्वास्थ्य मंत्री के 20 फरवरी 1979 से 7 मार्च 1979 तक की भारत की यात्रा के दौरान परस्पर सहमत कार्यवृत पर हस्ताक्षर हुए ।

(ख) दोनों पक्षों की ओर से सहमत कार्यवृत में डाक्टरों तथा अर्द्ध-चिकित्सक स्टाफ की भर्ती; बहरीन के छात्रों का चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण, दवाइयां तथा औषधियां प्राप्त करना और भारत से अस्पताल में प्रयोग किए जाने वाले उपस्करों को मंगाना; भारत से नर्सों की भर्ती और नर्सिंग के क्षेत्र में बहरीनी छात्रों का प्रशिक्षण शामिल है । इनके अतिरिक्त, बहरीन में होने वाली वैज्ञानिक संगोष्ठियों आदि में भारत के विशेषज्ञों द्वारा भाग लिए जाने पर भी सहमति हुई ।

रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव सोसोयटी, इलाहबाद

7616. **श्री रामजी लाल 'सुमन'** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव सोसायटी, इलाहाबाद को प्राप्त पार्सल ढुलाई ठेके को निरन्तर असन्तोषजनक कार्य के कारण जून, 1978 में रद्द कर दिया गया था;

(ख) क्या इलाहाबाद डिवीजन के अधिकारियों ने अधिक अनुभव प्राप्त तथा कार्य के अच्छे रिकार्ड वाली वैध संस्थाओं को अपनी दरें देने हेतु आमंत्रित किए बिना ही ताकि उन्हें उनकी लाभप्रद दरों पर ठेका दिया जा सके, रेलवे मजदूर संघ को वर्तमान दरों पर उक्त ठेका आवंटित करने की मनमानी कार्यवाही की थी;

(ग) क्या नियमों के अनुसार, अन्य संस्थाओं को आमंत्रित किए बिना ही किसी एक संस्था को ढुलाई का ठेका आवंटित किया जा सकता है;

(घ) रेलवे मजदूर संघ ने इलाहाबाद में पार्सलों की ढुलाई के ठेकेदार के रूप में कितने दिन कार्य किया है, उनके विरुद्ध जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और गलत काम के लिए उन पर कितनी बार जुर्माना किया गया था; और

(ङ) क्या इलाहाबाद में पार्सलों की ढुलाई करते समय किसी मामले में गलती होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के बारे में उक्त संस्था के साथ कोई करार हुआ था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव सोसायटी, इलाहाबाद के पार्सल सम्हलाई के ठेके को 27/28 अगस्त, 1978 की मध्य रात्रि से समाप्त कर दिया गया था । मैसर्स रेलवे मजदूर संघ संविधा सहकारी समिति लि०, इलाहाबाद जो कि इलाहाबाद में माल सम्हलाई के ठेके को काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में काम चला रही थी, 28-8-78 से काम जारी रखने के लिए ठेके का आवंटन कर दिया गया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) 28-8-78 से 28-2-79 तक जनता से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई और रेल कर्मचारियों से तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनके लिए सोसाइटी को लिखित चेतावनी दे दी गयी थी । कोई जुर्माना नहीं किया गया ।

(ङ) इलाहाबाद में पार्सल सम्हलाई के कार्य के लिए रेल प्रशासन द्वारा सोसाइटी से किये गये वर्तमान दरारनामे में एक परिशिष्ट जोड़ दिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम की रूट नं० 52 पर चलने वाली बसें

7617. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की रूट नं० 52 पर रीगल से नौरोजी नगर तक चलने वाली बसों का अन्तराल कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस रूट पर चलने वाली बसों की सेवाओं में विशेषकर रविवार और अवकाश के दिनों में और सामान्यतया सप्ताह के दिनों में हाल में गिरावट आयी है;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम इस रुट को भंग करने और भविष्य में रूट नं० 50, 560 आदि जैसे अन्य रूट की सेवाओं को सामान्य सेवाओं के रूप में नौरोजी नगर तक बढ़ाने पर विचार करेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्तमान सेवा में सुधार करने और अन्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) सुबह-शाम के व्यस्ततम समय में 9 फेरे लगाये जाते हैं। इन फेरों के बीच का अन्तराल 14 मिनिट से लेकर 32 मिनिट तक का होता है। 10.45 बजे से लेकर 16.20 बजे तक के बीच रीगल से कोई फेरा नहीं लगाया जाता।

(ख) सवारियों की कमी के कारण रविवार और छुट्टियों के दिन बसें नहीं चलाई जाती। परन्तु, बाकी दिनों बसों की सेवा बिल्कुल नियमित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मौजूदा सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं। नौरोजी नगर से सफदरजंग को बहुत-सी बसें चलती हैं और वहां से कनाट प्लेस/रीगल के लिए बहुत सी बसें मिल जाती हैं।

गोहाटी से नौगांव के लिए रेलगाड़ी का चलाया जाना

7618. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी को नौगांव के साथ जोड़ने के लिए एक सीधी रेलगाड़ी चालू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक चलाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो नौगांव जिले के लोगों की उन कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें इस रेलगाड़ी के चालू हो जाने से भारी लाभ होगा; और

(घ) क्या छौपरमुख से नौगांव तक 20 किलोमीटर की दूरी तक रेलमार्ग का बहुत खराब रख-रखाव किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गोहाटी और नौगांव आसाम के बीच एक सीधी गाड़ी चलाये जाने के लिए यातायात सम्बन्धी कोई औचित्य नहीं है।

(घ) जी नहीं।

बम्बई-पुणे डबल डेकर गाड़ी

7619. **श्री अमृत कासर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-पुणें-बम्बई डबल डेकर, 'सिंहगढ़ एक्सप्रेस', इस गाड़ी में अनेक असुविधाओं के कारण असफल साबित हुई है;

(ख) क्या यात्रियों को बहुत कम ऊंचाई, प्लेटफार्म पर प्रवेश, खिड़कियों से आने वाली गर्मी, धूल तथा अन्य फालतू चीजें और भीड़भाड़ के कारण उतना ही परिश्रम करना पड़ता है जितना सिंहगढ़ किले पर चढ़ने के लिए करना पड़ता है; और

(ग) उक्त गाड़ी में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या सरकार उक्त गाड़ी को बन्द करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। 309/310 सिंहगढ़ एक्सप्रेस में दुमंजले डिब्बे चलाने के बाद अप्रैल 1978 में यात्रियों के बीच अभिमत कार्ड वितरित करके यात्रियों की प्रतिक्रिया मालूम करने पर यह पता चला कि अधिकांश यात्री महसूस करते हैं कि यह यात्रा आरामदायक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दुमंजिले डिब्बों का चलाना बन्द करने का कोई इरादा नहीं है। यह प्रस्ताव है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया का दुबारा पता लगाया जाय ताकि सभी ऋतुओं में इस किस्म के डिब्बों में यात्रा करने के उनके अनुभव से लाभ उठाया जा सके।

लद्दाख की सड़कों पर प्रस्तावित व्यय

7620. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **नौहवन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान लद्दाख में सड़कों के निर्माण पर कितनी धन-राशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) लद्दाख के क्षेत्र में सीमा पथ संगठन द्वारा 1077 लाख रु० की लागत के निर्माण कार्य के किए जाने की योजना है। जहां तक राज्य योजना का सम्बन्ध है, लद्दाख क्षेत्र में सड़क निर्माण और विकास कार्यों के लिए 1978-83 के योजना परिव्यय के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में सीनियर मैनेजरों के वेतन में वृद्धि

7621. **श्री श्याम सुन्दर दास**
श्री दलपत सिंह परस्ते } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना में जूनियर मैनेजर ग्रेड-II सीनियर मैनेजरों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) भविष्य में जूनियर मैनेजर ग्रेड-II को सीनियर मैनेजर ग्रेड-II के बराबर वेतन देने तथा सीनियर मैनेजर के वेतन बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस प्रकार के कुछ मामले हैं ।

(ख) यह असंगति इस कारण उत्पन्न हुई है क्योंकि कुछ मैनेजर, ग्रेड-2 प्रति माह 501/- रु० विशेष वेतन प्राप्त कर रहे थे और जब पहली जनवरी, 1973 से संशोधित वेतनमान लागू किए गए, तो इस विशेष वेतन को ध्यान में रखते हुए उनका वेतन निर्धारित करना पड़ता था ।

(ग) और (घ) संशोधित वेतनमान को लागू करने से उत्पन्न असंगतियों की जांच करने तथा कुछ अन्य मामलों का अध्ययन करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पहले ही एक वेतन समिति गठित कर दी है ।

कलकत्ता पत्तन के नाविक सम्बन्धी मेहता समिति का प्रतिवेदन

7622. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के नाविक सम्बन्धी डा० मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अभी क्रियान्वित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था;

(ग) प्रतिवेदन क्रियान्वित न किये जाने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या उपरोक्त प्रतिवेदन क्रियान्वित करने के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) यह रिपोर्ट 10 अक्तूबर, 1978 को प्राप्त हुई थी ।

(ग) से (ङ) इसकी सिफारिशों की सम्बन्धित मंत्रालयों और पश्चिम बंगाल की सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है और शीघ्र निर्णय लेने के लिये कार्रवाही की जा रही है।

भड़ौच-जम्बूसार नैरो गेज लाइन का बदला जाना

7623. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भड़ौच-जम्बूसार नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव अथवा योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, जो पहले से चल रही योजनाओं की प्रगति के लिए भी पर्याप्त नहीं है, भड़ौच-जम्बूसार छोटी लाइन के आमान-परिवर्तन के बारे में विचार करना सम्भव नहीं है।

रेलवे के नशीले पदार्थ सेवन करके चलने वाले संगचल कर्मचारी

7624. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें बताया गया है कि रेलवे के कुछ संगचल कर्मचारी नशीले पदार्थ सेवन करके अपने कार्य पर आते हैं जिससे अक्सर दुर्घटनायें होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कोई आम शिकायतें नहीं मिली हैं। लेकिन, तीन ड्राइवर ऐसे पाये गये जिन्होंने मादक पेयों के प्रभाव में दुर्घटनाएं कीं/जिनके कारण टक्कर होने की दुर्घटनाएं होते-होते रह गयीं।

(ख) दो ड्राइवरों को सेवा से हटा दिया गया है और एक को पदावन्नत कर दिया गया।

रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 में यह प्रावधान पहले से ही है कि रेल कर्मचारी मादक पेयों अथवा औषधियों से सम्बन्धित प्रचलित कानून का अनुपालन करेंगे और ऐसे पेयों अथवा औषधियों के प्रभाव में ड्यूटी पर नहीं आयेंगे—विशेषकर तब जब कोई कर्मचारी रनिंग कर्मचारी कोटी से सम्बन्धित हो अथवा गाड़ी पास करने के काम से सीधे सम्बन्धित हो। रेलों को ऐसी हिदायतें भी जारी की गयी हैं कि उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन की किसी भी घटना पर गम्भीर रूप अख्तियार किया जाये और ऐसे रेल कर्मचारी को कठोरतम दंड देने में कोई हिचकिचाहट न दिखलायी जाये जो, रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध आरम्भ की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान आचरण नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है।

डी० डी० टी० और क्लोरोक्वीन

7625. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन कि डी० डी० टी० और क्लोरोक्विन में, जिसका मलेरिया रोकने के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, और रसायनों को मिला कर 1,000 किस्मों के कीटनाशी पदार्थ तैयार किये जाते हैं, काफी सामग्री होती है जिससे मनुष्य के जिगर को नुकसान पहुँच सकता है;

(ख) क्या अमरीका ने फैडरल इन्सेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्ज एण्ड रोडेंटिसाइड एक्ट के अधीन कीटनाशी औषधियों के निर्बाध उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा चेमतिरोन, अरचेक्स क्रोबर, फिनावेन, जोनिफोल, लैम्टोफोस, रेलडन, माचेटस, नेमोफोस, सियोलोन, साइट्रोलेन, सिमेट्रिन आदि जैसे गैर पंजीकृत अमरीकी कीटनाशी औषधियों का उस देश द्वारा निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कीटनाशी औषधियों का निर्बाध उपयोग रोकने का है जो मनुष्य के शरीर में जा सकती है और वर्तमान संगति के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि भावी संतान के लिए भी हानिकारक हो सकती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक इस मंत्रालय की जानकारी है अमेरिका ने अपने देश में कीटनाशी औषधियों के बेरोक उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया हो लेकिन अमरिका में गैर-पंजीकृत ऐसी कीटनाशी औषधियों का अन्य देशों को निर्यात करने के बारे में हमारे पास कोई निश्चित सूचना नही है। यह बताया जाता है कि मई 1977 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रों से कहा था कि वे आजाद करने वाले देशों के प्रधिकारियों की जानकारी और सहमति के बिना उन अधिक हानिकारक रसायनों का निर्यात न करें जो उनके अपने देश में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। प्रश्न में दी गई कीटनाशी औषधियों की सूची में से भारत में पंजीकृत फर्मो को केवल क्रोवर और माचेंट्स का आयात करने को अनुमति दी गई थी।

(ग) भारत सरकार ने मानवों और पशुओं को कीटनाशी दवाइयों के खतरे से बचाने और इसके सम्बन्धित मामलों के लिए कीटनाशी औषधियों के निर्यात, निर्माण बिक्री यातायात, वितरण और उपयोग को विनियमित करने के लिए कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 बनाया है। इस अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत एक पंजीकरण समिति गठित की गई है जो मानवों और पशुओं की सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं पर उचित ध्यान देने के बाद भारत में उपयोग के लिए कीटनाशी दवाइयों को पंजीकृत करती है। इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत सरकार को जन साधारण की सुरक्षा के कारणों से कीटनाशी दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइन्सिज को अधिकार में लिया जाना

7626. **श्रीमती मोहसिना किदवई**
श्री कचरुलाल हेमराज जैन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में मेडिकल कालेजों और एसोसियेशन टीचिंग हास्पिटल का प्रशासन भिन्न तथा जटिल है जिससे प्रशासन और सेवा दोनों ही में असामान्य विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में मेडिकल इंस्टीट्यूशनों में उचित व्यवस्था करने के लिए क्या शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) हालांकि यह सही है कि राजधानी में मेडिकल कालेज और उनसे सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल विभिन्न प्राधिकरणों के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं, तथापि सरकार को इन संस्थाओं में प्रशासनिक और सेवा सम्बन्धी मामलों में असाधारण विलम्ब होने की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भविष्य निधि योजना से छूट प्राप्त कारखाने

7627. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कारखानों को कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि के लिए अंशदान से छूट प्राप्त है;

(ख) इनको कब छूट दी गई थी और छूट देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार छूट प्राप्त सभी वर्गों को सामान्य वर्ग के अन्तर्गत लायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) 31-12-1978 की स्थिति के अनुसार ऐसे कारखाने/प्रतिष्ठान 3054 थे, जिन्हे कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के उपबन्धों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में ढील/छूट दी गई ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) के अनुसार समुचित सरकार ने नवम्बर, 1952 से दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान छटें प्रदान कीं । इस धारा में यह उल्लिखित हैं :—

(ग) समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में निर्दिष्ट ऐसी शर्तों को पूरी करने पर, किसी भी योजना के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन के ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान को छूट प्रदान कर सकती है—

(क) जिसे यह अधिनियम लागू होता है, यदि समुचित सरकार के विचार में अंशदान की दर के सम्बन्ध में इसकी भविष्य निधि के नियम धारा 6 में निर्दिष्ट नियमों की अपेक्षा कम हितकर नहीं है और कर्मचारियों की अन्य भविष्य निधि सुविधाएं भी प्राप्त हैं, जो इस अधिनियम या सदृश स्वरूप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों से सम्बन्धित किसी अन्य योजना में व्यवस्थित सुविधाओं की अपेक्षा कुल मिलाकर कम हितकर नहीं हैं; या

(ख) यदि ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को भविष्य निधि पेंशन या उपदान जैसी सुविधायें प्राप्त है और समुचित सरकार की यह राय है कि पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, कुल मिलाकर ऐसे कर्मचारियों को दी गई ऐसी सुविधायें इस अधिनियम या सदृश प्रकार के अन्य प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में कर्मचारियों से सम्बन्धित किसी अन्य योजना में व्यवस्थित सुविधाओं की अपेक्षा कम हितकर नहीं है ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक लेखा समिति (1978-79) ने अपनी 110 वीं रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।

मलेरिया के लिए लिए आयुर्वेदिक औषधि का किसव

7628. **श्री छीतू भाई गामित**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मलेरिया के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि तैयार करने में अपना सहयोग दिया है जो देशी जड़ी-बुटियों का मिश्रण है और मलेरिया के रोगियों के रक्त के नमूने लेकर सैंकड़ों क्षेत्रीय प्रयोग करके और औषधि का प्रयोग करके औषधि की प्रभावशीलता बिना किसी सन्देह के सिद्ध की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस आयुर्वेदिक औषधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय : (क), से (ग) भारत सरकार को मलेरिया के इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधि का विकास करने के बारे में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । तथापि, आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के मलेरिया के उपचार के लिये कुबेरक्षा नामक एक योग का विकास किया है। इस परिषद ने विभिन्न राज्यों में स्थित अपने संस्थानों/केन्द्रों/यूनिटों के माध्यम से इस औषधि पर क्लिनिकी परीक्षण आरम्भ कर दिए हैं। भारत सरकार इस औषधि की गुणकारिकता के बारे में किये जा रहे क्लिनिकि परीक्षणों से निकलने वाले अन्तिम निष्कर्षों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है ।

प्रथम श्रेणी का मानार्थ पास

7629. **श्री राजशेखर कोलूर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने प्रथम श्रेणी के मानार्थ पास के लिए आवेदन-पत्र दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मानार्थ पास तदनुसार जारी किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (ग) पहले दर्जे का एक अखिल भारतीय मानार्थ कार्ड पास सितम्बर 1976 में श्री वी०वी० गिरि को, पत्नी सहित 21-9-77 तक वैध वातानुकूल श्रेणी में उपलब्ध तथा दूसरे दर्जे में एक परिचर के साथ जारी किया गया था। इस कार्ड पास की अवधि समाप्त हो जाने पर, इसके नवीकरण का श्री वी०वी० गिरि का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह संशोधित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत नहीं आता। इन सिद्धान्तों को संसद के समक्ष भी रखा गया था।

राष्ट्रीय नियोजन सेवा सम्बन्धी मेथ्यू समिति की सिफारिशें

7630. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री पी० एम० सईद
श्री धर्मवीर वशिष्ठ
श्री ज्योतिर्मय बसु } : **क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री**

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजन सेवा के बदले केन्द्र में जन-शक्ति आयोजना और रोजगार का पृथक मंत्रालय बनाने और राज्यों में उसी प्रकार के विभागों को बनाने तथा ब्रिटेन की पद्धति पर सर्वाधिक राष्ट्रीय जनशक्ति आयोग की नियुक्ति राष्ट्रीय नियोजन सेवा सम्बन्धी मेथ्यू समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या उपर्युक्त सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी मैथ्यू समिति ने यह सिफारिश की है कि सामान्य कार्यकारी क्षेत्रीय स्टाफ के साथ केन्द्र में (और राज्यों में तद्नुरूपी विभाग) जनशक्ति आयोजना और रोजगार का एक पृथक मंत्रालय या एक महानिदेशालय) या संयुक्त राज्य की तरह एक सर्वाधिक राष्ट्रीय जनशक्ति आयोग) होना चाहिए, जो सरकारी स्तर पर कार्यकारी और सचिवालय सम्बन्धी दोनों कार्यों को मिलाता है।

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार प्राप्त करने के लिए इस सिफारिश को उन्हें भेज दिया गया है। ताकि केन्द्रीय सरकार इस पर अन्तिम निर्णय ले सके।

(ग) राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त करने के बाद इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जायगा।

(घ) ऊपर (ख) के अनुसार।

विदेशों के कब्जे में भारती क्षेत्र

7631. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 में और 15 अगस्त 1947 को पूरे देश का कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) अन्य देशों द्वारा हमारे देश के कितने क्षेत्र पर कब्जा किया गया है;

(ग) इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(घ) हमारे देश में कितना क्षेत्र विवादग्रस्त क्षेत्र है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे विवाद चल रहा है; और

(ङ) अन्य देशों द्वारा कब्जे में किये गये हमारे क्षेत्रों को वापस लेने के लिए सरकार का विचार क्या विशेष कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) 15 अगस्त 1947 को भारत का कुल क्षेत्रफल 32,63,395 वर्ग किलोमीटर था । अद्यतन अंतिम आकलन के अनुसार 1-7-1971 को भारत का क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर था । सरकार के निर्णय के अनुसार अगली जनगणना किए जाने तक यही संख्या मान्य समझी जाएगी ।

(ख) और (ग) हमारे देश का क्रमशः 30,200 वर्ग मील तथा 14,500 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है । पाकिस्तान ने 1963 के तथाकथित चीन-पाक समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का लगभग 2,000 वर्ग मील अतिरिक्त क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है ।

(घ) चीन ने सितम्बर, 1959 से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख तथा मध्य क्षेत्र में भारतीय प्रदेश के अनुमानतः 50,000 वर्ग मील क्षेत्र के सम्बन्ध में दावा किया है। लेकिन, भारत निरन्तर यह मानता रहा है कि भारत और चीन के बीच सही परम्परागत सीमा वही है जो भारत द्वारा दिखाई गई है ।

(ङ) चीन और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत भारतीय प्रदेश की वापसी के लिए भारत सरकार सीधे द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा शांतिपूर्ण तरीकों से कोशिश करती रहेगी । जैसा कि 21 फरवरी 1979 के अहने वक्तव्य में विदेश मन्त्री ने इस सदन को बताया था, कि चीन की उनकी यात्रा के दौरान अन्वेषणात्मक प्रारम्भिक सम्बन्धों द्वारा कम से कम ऐसे मसले पर जो ठण्डा पड़ गया था, पुनः बातचीत शुरू हुई तथा दोनों सरकारें इस महत्वपूर्ण प्रश्न के समाधान के संभव तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता पर सहमत हुई है ।

सी०आई०टी०यू० के कार्यकरण को नियन्त्रित करने के बारे में राज्यों को परिपत्र

7632. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कोई ऐसा परिपत्र जारी किया गया है जिसमें सी०आई०टी०यू० के कार्यकरण को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संगठन के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार किसी भी श्रमिक संगठन के प्रति पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं रखती ।

मनोहरपुर तथा चक्रधरपुर स्टेशनों पर गाड़ियों का रुकना

7634. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियां नहीं रुकती यद्यपि उसके निकट एक प्रसिद्ध लघु इस्पात संयंत्र स्थित है और न ही जटकल ऐक्सप्रेस, स्टील ऐक्सप्रेस, कलिंग ऐक्सप्रेस हावड़ा बम्बई ऐक्सप्रेस चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं यद्यपि वहां पर डिवीजनल कार्यालय है और रोउरकेला इस्पात संयंत्र भी उसके निकट है और इन स्थानों पर काफी माल और यात्री भी होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मनोहरपुर और चक्रधरपुर स्टेशनों पर 'हाल्ट' बनाने का है ?

रेल मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) दो सवारी गाड़ियों के अलावा दो जोड़ा एक्सप्रेस गाड़ियां, अर्थात् 29/30 बम्बई हावड़ा एक्सप्रेस और 5/6 हावड़ा राउरकेला एक्सप्रेस मनोहरपुर स्टेशन पर ठहरती है, किसी अन्य एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव की मनोहरपुर में व्यवस्था करने के लिए यातायात सम्बन्धी कोई औचित्य नहीं है। केवल 59/60 गीतांजलि एक्सप्रेस जोकि एक अन्तर्नगरीय सुपर फास्ट गाड़ी है, को छोड़कर सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां चक्रधरपुर स्टेशन पर ठहरती हैं ।

शेर हाल्ट स्टेशन के कर्मचारी

7635. **पंडित द्वारिका नाथ तिवारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल्ट स्टेशनों पर काम करने वाले तथा टिकटों की बिक्री और उनको प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की परिलब्धियों में वृद्धि की घोषणा की थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस घोषणा के 6 महीने बाद भी विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे के कारण वाराणसी डिवीजन में शेर हाल्ट स्टेशन के मामले में इसे लागू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, इस मन्त्रालय द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है और पूर्वोत्तर रेलवे पर बढ़ी हुई संशोधित दरें शीघ्र ही लागू की जायेंगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का दिल्ली में जोनों में विभाजन

7636. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को तीन जोनों में अर्थात मध्य, दक्षिण और उत्तरी जोन में विभाजित किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न जोनों में चिकित्सा अधिकारी उनके निवास स्थानों को ध्यान में रख कर नियुक्त किये जाते हैं;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जहां एक जोन में रहने वाले डाक्टर को अन्य जोन में नियुक्त किया गया है और ऐसे डाक्टरों को अपने कार्यस्थल पर पहुँचने के लिये 6 किलो-मीटर की दूरी पर जाना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, जहां तक यह प्रशासनिक रूप से संभव है।

(ग) और (घ) जी हां। कुछेक मामलों में चिकित्सा अधिकारियों को दूरस्थ औष-धालयों में स्थायी रूप से तैनात किया गया है, जहां बड़ी जरूरत थी।

उत्कल एक्सप्रेस में सुविधायें

7637. **श्री बैरागी जैना :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उड़ीसा के संसद सदस्यों से 18 दिसम्बर, 1978 को उत्कल एक्सप्रेस में नियमित, निम्न स्तर की और अपर्याप्त पानी और बिजली की सप्लाई के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो सरकार को इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उत्कल एक्सप्रेस में और सुविधाओं की व्यवस्था करने अथवा इसकी गति बढ़ाने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। उत्कल एक्सप्रेस की सुविधायें अपेक्षित मानक तक की हैं। फिर भी, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिए गये सुझावों की जांच की जा रही है और जहां कहीं अपेक्षित एवं औचित्यपूर्ण होगा, आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

भविष्य निधि मुख्यालय की कार्यकुशलता में वृद्धि

7638. **श्री मनोहर लाल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों से अंश-दाताओं के सभी अन्तिम भुगतानों तथा अग्रिम राशियों के मामलों को दो सप्ताहों अथवा अधिक से अधिक एक महीने में तय करने के लिये कहा जाता है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के बारे में पदोन्नति स्थायीकरण, दक्षतारोध, विनियमन पुष्टि तथा भवन निर्माण ऋण के मामले में केन्द्रीय कार्यालय में अत्यधिक विलम्ब होता है और इनमें छः महीने से अथवा इससे भी अधिक समय लगता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार नई दिल्ली स्थित मुख्यालय कार्यकुशलता में वृद्धि के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है और ऐसे मामलों का एक माह में निपटारा सुनिश्चित कराने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लेखा प्रक्रिया नियमावली के पैरा 141 में यह व्यवस्था है कि ऐसे भुगतान यथासंभव शीघ्र ही किये जाने चाहिए और सामान्यतः यह संभव होना चाहिए कि पूरी तरह से पूर्ण फार्म में प्राप्त दावों का भुगतान उनके प्राप्त होने के दस दिनों के अन्दर-अन्दर कर दिया जाए ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि पदोन्नति, स्थायीकरण, दक्षतारोध, विनियमन और भवन निर्माण ऋण के मामलों में, जो निर्धारित कागजातों के साथ सभी दृष्टि से पूर्ण प्राप्त होते हैं, आदेश सामान्यतः शीघ्र ही जारी कर दिये जाते हैं ।

(ग) मुख्यालय में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये पहली दिसम्बर, 1978 से एक कार्मिक और प्रशिक्षण निदेशक की नियुक्ति की गई है और कार्य-पद्धतियों को सरल बनाने के लिए हाल ही में एक आंतरिक कार्य अध्ययन एकक भी स्थापित किया गया है ।

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के आश्रितों को सेवाओं में खपाना

7639. **श्री सरतकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवानिवृत होने वाले अथवा दुर्घटनाओं में मरने वाले रेल कर्मचारियों के आश्रितों को सेवाओं में खपाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार रेलवे में रेल कर्मचारियों के सेवा संबन्धी रिकार्डों (गोपनीय रिपोर्ट आदि) को देखते हुए सेवा निवृत्ति के पश्चात नौकरी देने का कोई प्रावधान करेंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सेवानिवृत्तकर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिये जाने का प्रस्ताव नहीं है । सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिये जाने की ऐसी कोई योजना संघ के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों के मामले में समान अवसर प्रदान करने की गारन्टी दिये जाने की संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होगा । उन कर्मचारियों के मामले में, जिनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है ।

जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच रेलवे स्टेशन

7640. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उप-नगर में पश्चिम रेलवे पर जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच एक नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस प्रस्ताव के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) इस स्टेशन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, परन्तु वित्तीय दृष्टिकोण से उसे छोड़ दिया गया ।

राजनीति में भाग लेने के लिए बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों पर रोक लगाने का उपबन्ध

7641. **श्री के० ए० राजन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीति में भाग लेने पर बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों पर रोक लगाने के उपबन्ध को समाप्त करने के लिये मंत्रालय ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी कार्यवाही करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) पोर्ट ट्रस्ट को सलाह दी गयी है कि वे उस उपबन्ध को हटा दें जिसमें राजनीति में उनके कर्मचारियों द्वारा भाग लेने पर रोक लगाई गई है ।

दिल्ली-अहमदाबाद छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

7642. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-अहमदाबाद छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की प्रस्तावित योजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटर लाइन पहले से ही मौजूद है । शायद सदस्य महोदय का आशय वर्तमान मीटर लाइन के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन से है । दिल्ली-अहमदाबाद ट्रक मार्ग का आमान परिवर्तन एक अनुमोदित कार्य है । इस कार्य पर कुल लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक होगी और बढ़ती हुई यातायात की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप इस परियोजना को चरणों में आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

पश्चिम रेलवे में हड़ताल के कारण उत्तर रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

7643. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर दिये जाने के फलस्वरूप पूर्व रेलवे को विभिन्न गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था तथा कई गाड़ियों की दूरियों में कमी करनी पड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के रेल कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा बांदीकुई स्टेशन पर चलाये गये आन्दोलन के कारण 19-3-79 को 18.15 बजे शुरू हुआ और बाद में जयपुर, भरतपुर तथा फुलेरा तक फैल गया। उत्तर रेलवे को 19-3-79 और 20-3-79 को गाड़ियां या तो पर्यन्त स्टेशनों से पहले ही रोकनी पड़ीं या रद्द करनी पड़ीं।

आन्दोलन 20/21-3-79 को समाप्त हो गया।

31 मई, 1979 से रेल हड़ताल

7644. **श्री अनंतराम जायसवाल**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
श्री जनार्दन पुजारी
श्री गंगा भक्त सिंह
श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारतीय रेल कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी ने 25 मार्च, 1979 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में अपनी बोनस की मांग पर दबाव डालने हेतु 31 मई, 1919 से पूर्ण हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर किस निश्चित तारीख तक फैसला हो जायेगा और इस बारे में घोषणा की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेल कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी समिति ने 25 मार्च, 1979 को हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उसने इस संघ से सम्बद्ध यूनियनों को निर्देश दिया है कि बोनस तथा अन्य मांगों के प्रश्न पर वे अपने-अपने रेल प्रशासनों को 1 मई, 1979, सबेरे 6.00 बजे से पूर्ण कर्मचारी हड़ताल की नोटिस दे दें;

(ख) सरकार यह आश्वासन देना चाहती है कि बातचीत के द्वार सदैव खुले हैं और बातचीत से सभी समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी प्रयास उठा नहीं रखा जायेगा।

(ग) सरकार ने बोनस सहित मजूरी, आय और मूल्यों के प्रश्न पर नियोजित अध्ययन दल की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर विचार करने के लिए मन्त्रियों के एक दल को नियुक्त किया है जिसमें उप प्रधान मन्त्री एवं वित्त मन्त्री, गृह मन्त्री, श्रम मन्त्री, उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री हैं। यह मामला अभी मन्त्रिमंडलीय समिति और वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय कब तक हो पायेगा, इसकी निश्चित तारीख बता पाना संभव नहीं है।

राज्यों में रेल मार्ग की किलोमीटर लम्बाई

7645. **श्री के०प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में रेल मार्ग की किलोमीटर में कुल लम्बाई सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत 15 वर्षों के दौरान नई रेल लाइनों के अन्तर्गत लाई गई किलोमीटर दूरी के बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	1963 से अब तक बढ़ायी गई मार्ग-दूरी	31-3-1978 को मार्ग किलो-मीटर दूरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	132.00	4,714
2.	असम	394.00	2,194
3.	बिहार	403.00	5,413
4.	गुजरात	319.00	5,670
5.	हरियाणा	40.00	1,445
6.	हिमाचल प्रदेश	—	256
7.	जम्मू व कश्मीर	77.00	77
8.	मैसूर/कर्नाटक	215.00	2,961
9.	केरल	—	887
10.	मध्य प्रदेश	645.00	5,716
11.	महाराष्ट्र	104.00	5,231
12.	नागालैंड	—	9
13.	उड़ीसा	450.00	1,948
14.	पंजाब	9.00	2,137
15.	राजस्थान	282.00	5,608
16.	तमिलनाडु	241.00	3,765
17.	त्रिपुरा	—	12
18.	उत्तर प्रदेश	231.00	8,759
19.	पश्चिम बंगाल	255.00	3,716
20.	चंडीगढ़	—	11
21.	दिल्ली	21.00	168
22.	गोवा, दमन और दीव	—	79
23.	पांडिचेरी	—	27

तमिलनाडु एक्सप्रेस में बंगलौर के लिए सीधे डिब्बे लगाना

7646. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार तमिलनाडु एक्सप्रेस में दोनों ओर इंजन लगाने के उपरांत बंगलौर के लिए सीधे डिब्बे लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी नहीं। प्रसंगवश, 125/126 कर्नाटक-केरल एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली और विजयवाड़ा के बीच चलने वाली 121/122 तमिलनाडु एक्सप्रेस की समय अनुसूची के अनुसार ही, सप्ताह में दो दिन चलती है, नई दिल्ली और बेंगलूरु के बीच एक सुविधाजनक थ सेवा की व्यवस्था करती है।

बम्बई पत्तन में घाट लगाने की सुविधायें

7647. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन में कितने जहाज हैं और वे कितने दिनों से घाट लगाने की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) इन जहाजों से उतारी जाने वाली वस्तुएं लगभग कितने मूल्य की हैं; और

(ग) बम्बई पत्तन में घाट लगाने की सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 16-4-1979 के अनुसार घाट की प्रतीक्षा कर रहे जहाजों की स्थिति नीचे दी गयी है :—

1 जहाज 24 दिनों से	—इसमें जहाज के पहुंचने की तारीख शामिल है।
1 जहाज 23 दिनों से	,,
1 जहाज 19 दिनों से	,,
1 जहाज 18 दिनों से	,,
1 जहाज 17 दिनों से	,,
1 जहाज 13 दिनों से	,,
3 जहाज 12 दिनों से	,,
2 जहाज 11 दिनों से	,,
2 जहाज 9 दिनों से	,,
3 जहाज 7 दिनों से	,,
2 जहाज 6 दिनों से	,,
1 जहाज 5 दिनों से	,,
1 जहाज 4 दिनों से	,,
2 जहाज 2 दिनों से	,,

(ख) जहाजों से जिस माल के उतारे जाने की प्रतीक्षा की जा रही है उसके मूल्य के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) योजना आयोग न्हावा शेवा में प्रस्तावित नये पत्तन पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 60 लाख रु० देने के लिए सहमत हो गया है । पोर्ट ट्रस्ट से कहा गया है कि वह परियोजना रिपोर्ट शुरू करने के लिए उपयुक्त परामर्शक के चयन के मामले में अगली कार्यवाही करे ।

हैजा और आन्त्र रोगों सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्थान द्वारा हैजे के लिए नये टीके का विकास

7648. **श्री रेणु पद दास**
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता लीज्ड कालरा रिसर्च सेंटर (जिसे अब हैजा तथा आन्त रोगों सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्थान नाम दिया गया है), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के अन्तर्गत एक स्थायी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एक बिना परीक्षण किए गये 'नये हैजे के टीके' का उपयोग वर्ष 1974-75 में कलकत्ता में बड़े पैमाने पर गन्दी बस्तियों के लोगों पर बिना वैज्ञानिक मंजूरी, चिकित्सा नीति और प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : हैजा अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता (अब राष्ट्रीय हैजा और आन्त रोग संस्थान) ने 1975-77 के बीच कलकत्ता में किए गए नियन्त्रित क्षेत्रीय परीक्षण में कूट भेषज (प्लासबो) के रूप में टेटनस टाक्साइड के साथ मिलाकर एल्यूमिनियम फास्फेट एडजूवेंट हैजा वैक्सीन का उपयोग किया था । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा एल्यूमिनियम फास्फेट एडजूवेंट हैजा वैक्सीन का उपयोग करने का निर्णय विशेषज्ञों के एक दल की सलाह पर लिया गया था और उक्त केन्द्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने इस परीक्षण से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने विचार व्यक्त किये हैं कि परीक्षण सुनियोजित और उचित रूप से किए गए हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों के आयात के बारे में जांच करने सम्बन्धी समिति

7649. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों के आयात के बारे में जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है, यदि हां, तो कब;

(ख) इस समिति के निर्देश पद क्या हैं और समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 25 जनवरी, 1979 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हृदय-वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डा० आर० गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक लघु समिति गठित की थी। इस समिति का कार्य विशेष रूप से हृदय रोग विज्ञान, वृक्कविज्ञान और तांत्रिक सर्जरी के क्षेत्र में आयात के लिए और स्थानीय इलैक्ट्रोनिक चिकित्सा उपकरण उद्योग की सुरक्षा के लिए अपेक्षित सभी इलेक्ट्रो चिकित्सा उपकरणों की जरूरत की जांच करना है। इस समिति को अपनी रिपोर्ट दो महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 24 मार्च, 1979 तक प्रस्तुत करनी थी। तथापि, इस समिति का कार्यकाल जुलाई, 1979 के अन्त तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) 1. डा० गोपी नाथ,
प्रोफेसर और अध्यक्ष,
हृदय-वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली। — अध्यक्ष

2. डा० एम० के० मणि,
प्रमुख वृक्क विज्ञानी,
जसलोक अस्पताल तथा
अनुसंधान केन्द्र, बम्बई। — सदस्य

3. डा० एम० एस० वलियाथान,
निदेशक, श्री चित्र त्रिरुनल
चिकित्सा केन्द्र, त्रिवेन्द्रम। — सदस्य

4. डा० ए० के० बनर्जी,
तंत्रिका सर्जरी विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली। — सदस्य

5. डा० एस० के० गुहा,
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष,
जीव चिकित्सा इंजीनियरी,
जीव चिकित्सा इंजीनियरी केन्द्र,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
नई दिल्ली। — सदस्य

6. डा० पी० एन० घई,
स्वास्थ्य सेवा सहायक महानिदेशक,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
नई दिल्ली । सदस्य, सचिव

रेलवे पुल का बढ़ाया जाना

7650. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तोरसा नदी पर एक रेलवे पुल (अलीपुरद्वार न्यू गीतलदाह मीटरगेज उत्तर सीमा रेलवे) के बढ़ाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1962 की बाढ़ के उपरांत, रेल प्रशासन ने जल निकास मार्ग में विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । स्थानीय जनता ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की थी क्योंकि पुल की निचली और स्थित ग्रामों में बाढ़ का पानी भर जाने की आशंका थी । इस समस्या पर राज्य इंजीनियर समिति जिसमें राज्य सरकार और रेलवे के वरिष्ठ इंजीनियर शामिल हैं, द्वारा विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि वर्तमान पुल के नीचे जल-निकास व्यवस्था पर्याप्त होने के कारण पुल के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन, वर्ष 1975 में उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग ने रेल प्रशासन को कहा कि इस पुल के विस्तार की आवश्यकता की दोबारा जांच करें । सभी तकनीकी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक विचार करके, इस समस्या के समाधान के लिए, आयोग के अध्यक्ष से एक संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध रेल प्रशासन द्वारा मार्च 1979 में किया गया था । उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग ने अभी तक यह बैठक नहीं बुलाई है ।

विदेशों में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को जाने की अनुमति न दिया जाना

7651. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में, वर्षवार, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को विदेशों में नियुक्ति के लिए जाने की अनुमति नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने ऐसे डाक्टरों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई; और

(ग) अन्य डाक्टरों की तुलना में इन डाक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का औचित्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय निम्नलिखित बातों पर आधारित था :—

(1) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनेक अधिकारियों के अपने पदों से अनुपस्थित रहने के कारण केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न पदों को भरने में कठिनाई होती है और इससे अस्पतालों और अन्य संस्थाओं में चिकित्सा परिचर्या के स्तर पर भी बुरा असर पड़ता है ।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को विदेश नियुक्ति पर चले जाने के कारण केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में लम्बी अवधि तक अनेक पद खाली पड़े रहे जिन्हें दीर्घ-कालीन आधार पर नहीं भरा जा सका और ये अधिकारी अपने डैपुटेशन की अवधि को बढ़ाने की मांग करते रहे ।

(3) ऐसे रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां अधिक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई क्योंकि बहुत से तदर्थ अधिकारी स्वयं ही बाद में विदेश नियुक्तियों के लिए चुन लिए गये और उन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त करने का उद्देश्य ही विफल हो गया ।

दिसम्बर, 1975 में प्रश्नाधीन प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात् विशेषज्ञ ग्रेड के केवल तीन सी० जी० एच० एस० अधिकारियों को जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विदेश-नियुक्तियों के लिए चुन लिये गए थे, अपनी नियुक्तियों पर जाने की अनुमति नहीं दी गई ।

(ग) चूंकि प्रशासनिक सुविधा इस बात की मांग करती थी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को विदेश जाने पर तत्काल रोक लगा दी जाए । इसलिए इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि प्राइवेट अथवा अन्य डाक्टरों की अपेक्षा उनसे सौतेला व्यवहार किया गया ।

हुगली नदी की नौगम्यता

7652. **श्री चित्त बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हल्दिया से दूर हुगली नदी (पश्चिम बंगाल) की नौगम्यता का कुछ समय से चिन्ताजनक रूप से ह्रास हो रहा है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस बीच इस मामले की ओर सरकार का ध्यान खींचा है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) हुगली नदी की नौगम्यता का सुधार करने के लिए, जिसमें आमतौर पर ह्रास होने के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सरकार का विचार क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (घ) फरक्का बांध के अप्रैल, 1975 में खुल जाने से हुगली नदी के डुवाब में कलकत्ता से नीचे 34 नाटिकल मील तक सुधार हुआ है । परन्तु पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गहन निकर्षण के बावजूद, नदी के अप्रत्याशित बहाव के परिणामस्वरूप हल्दिया को जाने वाले नौवहन जलमार्ग में जलस्तर गिर गया है । इस मामले पर देश और विदेश के विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं । फिलहाल दिसम्बर, 1977 से एक शोर

डिसपोजल टर्मीनल चालू कर दिया गया है ताकि बाहर निकला हुआ कीचड़ आदि पानी के अन्दर फिर न आ गिरे। हुगली नदी और साथ में हल्दिया को जाने वाले नौवहन जल-मार्ग में गहन निकर्षण किया जा रहा है ताकि जलस्तर में कमी न होने पाए।

(ख) और (ग) अगस्त, 1978 में पश्चिम बंगाल के सिंचाई और जलमार्ग मंत्री ने कलकत्ता/हल्दिया पत्तनों के सुधार सम्बन्धी मामलों के बारे में जिनमें हल्दिया को जाने वाले नौवहन जलमार्ग और हुगली नदी के जलस्तर में सुधार सम्बन्धी कार्य शामिल हैं, नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री को लिखा था। उन्हें उत्तर में इस मामले में और उपरोक्त मामले में की गयी या की जाने वाली कार्यवाही की सूचना दे दी गयी थी।

टी० बी० अस्पताल, महरौली

7653. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** कुमारी राजो देवी की मृत्यु के बारे में 24 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहोशी और अन्ततः मृत्यु के कारणों का पता लगाने के बारे में जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी, नहीं। 24 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5249 और न कि 5248 के उत्तर में यह पहले ही बता दिया गया था कि अस्पताल के पदाधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कुमारी राजो देवी 9-6-1978 से 'कोमा' में चली आ रही थीं और 20-6-1978 को उनकी अतिज्वर के कारण मृत्यु हो गई थी।

(ख) पता लगाए गए तथ्यों से यह प्रतीत हुआ कि इसमें कोई असामान्य बात नहीं थी और इसलिए औपचारिक जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई थी।

पंजाब विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के भविष्य निधि के दावे

7654. **श्री भगत राम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के कितने दावे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ और सहायक भविष्य निधि आयुक्त अमृतसर के कार्यालयों में अनिर्णीत पड़े हुए हैं;

(ख) दावे कितने वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) दावों का निपटान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने यह बताया है :—

(क) पंजाब विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के 17 दावे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ और सहायक भविष्य निधि आयुक्त अमृतसर के कार्यालयों में अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) ये सभी दावें दो मास से कम की अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) नियोजकों द्वारा भेजे जाने वाले निम्नलिखित कागजातों के न होने के कारण इन दावों को निपटाया नहीं जा सका :—

(1) कर्मचारियों के सेवा में आने सम्बन्धी ब्यौरा।

(2) सदस्यों द्वारा नौकरी छोड़ने के कारणों और तारीखों का ब्यौरा; और

(3) इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सदस्यता समाप्त होने से पहले की अवधि के लिए वसूल किए गए और जमा कराए गए अंशदानों का ब्यौरा।

(घ) नियोजक को सलाह दी गई है कि वह अपेक्षित सूचना भेजें और अधिकृत भविष्य निधि निरीक्षक को भी अनुदेश दिए गए हैं कि वह दावों के शीघ्र निपटान के लिए सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से उक्त सूचना प्राप्त करें।

उत्तरी सीमान्त रेलवे में रेल कर्मचारियों की कमी

7655. **श्री इस्माइल हुसैन खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी सीमान्त रेलवे में रेलवे टी० टी० आई० कण्डक्टरों, कोच अटेंडेंटों और सहायक स्टेशन मास्टरों की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चल रही हैं और यात्रियों को सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

7656. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार जब पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठतम कर्मचारियों को पदोन्नत करना पड़ता है और उनका कार्य छह महीने तक देखा जाता है और उनके कार्य की रिपोर्ट मांगी जाती है;

(ख) क्या मन्त्रालय के ध्यान में ऐसे उदाहरण आए हैं जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कार्य छह महीने तक नहीं देखा गया और छह महीने पूरे होने से पूर्व उनको पदावन्नत कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों में से उपयुक्त उम्मीद-

वार उपलब्ध नहीं होते हैं, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ, न कि आवश्यक रूप से वरिष्ठतम उम्मीदवार, को छः माह की अवधि के लिए आरक्षित रिक्ति पर लगाने का प्रयास किया जाता है। ये अनुदेश संरक्षा की कोटियों के अलावा सभी पदों के लिए लागू होते हैं। अनियमितता का कोई भी मामला रेल मन्त्रालय की जानकारी में आता है तो उसमें सुधार कर दिया जाता है।

प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय

7657. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और उस पर नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग, प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : 1973-74 से 1976-77 तक जन स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति जितना व्यय हुआ, उसका विवरण संलग्न है। इस विवरण में प्रत्येक राज्य के सामने कुल स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति व्यय की सूचना भी दी गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग प्रति व्यक्ति व्यय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1973-74 से 1976-77 तक की अवधि में जनस्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय तथा स्वास्थ्य (राजस्व) पर कुल व्यय का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1973-74		1974-75		1975-76		1976-77	
		जन स्वा०	कुल स्वा०	जन स्वा०	कुल स्वा०	जन स्वा०	कुल स्वा०स	जन वा०	कुल स्वा०
		रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आंध्र प्रदेश	1·92	6·19	2·88	7·85	3·25	8·86	3·93	10·61
2.	असम+मिजोरम	3·83	7·58	4·30	9·56	4·38	10 27	4·31	8·54
3.	बिहार	1·39	3·61	1·70	4·09	1·72	4·46	1·52	4·57
4.	गुजरात	4·31	8·70	2·61	8·57	3·91	10 68	4·40	12·48
5.	हरियाणा	4·15	8·88	3·65	9·99	4·16	11·19	5·05	12·45
6.	हिमाचल प्रदेश	6·00	15·56	5·55	17·10	6·22	19·36	6·66	20·27
7.	जम्मू व काश्मीर	4·15	15·02	4·45	15·77	4·75	17·02	†	†

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	कर्नाटक	2·57	6·26	2·64	8·81	3·42	11·26	3·28	11·61
9.	केरल	2·02	8·74	3 59	12·87	2·65	14·12	3·28	15·46
10.	मध्य प्रदेश	3·55	6·41	4·25	8·38	2·62	6·98	4·56	9·65
11.	महाराष्ट्र	5·35	10·52	7·56	13·52	7·11	13·41	5·89	12·86
12.	मणिपुर	3·99	12·72	4·26	16·20	4·04	16·98	2·01	13·14
13.	मेघालय	12·92	20·40	9·15	18·52	15·00	24·81	11·34	22·89
14.	नागालैंड	10·88	52·64	13·71	80·84	31·10	75·84	32·37	76·89
15.	उड़ीसा	2·65	6·34	2·58	6·93	3·62	9·13	3·47	8·95
16.	पंजाब	7·00	12·51	4·85	12·34	8·92	17·88	6·03	15·66
17.	राजस्थान	4·22	9 26	5·73	12·11	5·94	13·27	6·62	14·31
18.	सिक्किम	—	—	—	—	6·70	23·60	16·24	37·51
19.	तमिलनाडु	2·13	8·69	1·58	9·81	1·74	10·94	4·03	14·29
20.	त्रिपुरा	2·07	11·02	2·14	11·09	2·78	13·22	2·61	14·08
21.	उत्तर प्रदेश	1·67	4·29	2·12	5·08	2·00	5·36	1·77	5·64
22.	पश्चिम बंगाल	1·88	7·62	2·02	9·78	2·47	12 31	2·82	13·38
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	15·96	43·12	13·24	58·58
24.	गोआ, दमन व दीव	11·28	28·92	11·08	35·20	15·41	47·59	11·98	43·06
25.	पांडिचेरी	4·57	25·25	9·33	38·84	10·43	50·04	12·49	49·42
अखिल भारत†††		2·98	7·72	3·43	9·44	3·65	10·63	†	†

जन स्वा० :—जन स्वास्थ्य

कुल स्वा० :—कुल स्वास्थ्य

नोट :—†† चूंकि भारत के महानियन्त्रक और लेखा परीक्षक द्वारा अभी केन्द्रीय सरकार के व्यय के आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है, इसलिए अखिल भारतीय आंकड़े तैयार करना सम्भव नहीं है।

† महानियन्त्रक और लेखा परीक्षक के पास जम्मू व कश्मीर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह बताया गया है कि राज्य सरकार के रिकार्ड आग में नष्ट हो गए हैं।

††† अखिल भारतीय योग में केन्द्रीय सरकार, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के व्यय शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोआ, दमन व दीव और पांडिचेरी को छोड़कर शेष संघ शासित क्षेत्रों के बारे में व्यय का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

1976-77 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति का गठन

7658. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों का गठन कर दिया गया है;

(ख) समितियों के कृत्य और कार्य-काल क्या हैं;

(ग) इन समितियों में नामजदगी का मापदण्ड क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति और उत्तरी क्षेत्र परामर्शदात्री समिति में शामिल किए गए सदस्यों के नाम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ समितियों और राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ परिषद् दोनों की क्रमशः 31-3-1980 और 30-6-1980 को 2 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है।

(ख) (i) क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ समितियों के काम :—

(क) उस क्षेत्र जिससे समिति सम्बन्धित है. में सुविधाओं की व्यवस्था।

(ख) समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नये स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

(ग) समय सारणियों के सम्बन्ध में व्यवस्था।

(घ) रेलों द्वारा व्यवस्थित सेवाओं और सुविधाओं में सुधार।

(ङ) बुक स्टालों के साथ-साथ खानपान/विक्रय सुविधा से सम्बन्धित मामले।

(च) सामान्य जनता के हित अथवा जन सुविधा या सेवाओं और सुविधाओं से सम्बन्धित ऐसे मामले जो उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उठाये जाते हैं।

(छ) मंडल रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ समितियों की रिपोर्टों अथवा उपर्युक्त (क) से (च) तक संदर्भित विषयों से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामले जो विशेष रूप से मण्डल रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ समितियों द्वारा विचार के लिए अग्रेषित किये जाते हैं।

(ज) राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ परिषद् अथवा रेल मन्त्रालय प्रशासन द्वारा रिपोर्ट और विचार के लिए प्रस्तुत मामले।

(ii) अवधि—अप्रैल से लेकर 2 वर्ष

(iii) **राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ परिषद् के काम :**

(1) रेलों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं और सुविधाओं से सम्बन्धित ऐसे मामले जो मन्त्री द्वारा विचार के लिए भेजे जायें।

(2) क्षेत्रीय समिति के कामों के क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे मामले जो ऐसी समितियों द्वारा विचार के लिए भेजे जायें।

(3) रेलों में सेवाओं और सुविधाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामलों को जो अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में रखे गये हों, को कार्य-सूची में शामिल करना ।

(iv) अवधि—1 जुलाई से लेकर 2 वर्ष ।

(ग) रेलवे उपयोगकर्त्ता परमर्शदातृ समितियों और राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ परिषद् में मनोनयन रेलवे उपयोगकर्त्ताओं के महत्वपूर्ण समूहों और विभिन्न अभिज्ञात प्रतिनिधित्व आधार पर किया जाता है ।

(घ) 30-6-1980 को समाप्त होने वाली 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ परिषद् के सदस्य :

1. सचिव, उद्योग मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
2. सचिव, पर्यटन और नागरिक उड्यन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
3. सचिव, वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
4. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
5. वित्त आयुक्त, रेलवें, रेल मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
6. सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
7. सदस्य यांत्रिक, रेलव बोर्ड, नई दिल्ली ।
8. सदस्य इन्जीनियरी, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
9. श्री आर० नरसिम्हा रेड्डी, संसद सदस्य, मदनपाली पोस्ट, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट (आन्ध्र प्रदेश)
10. श्री रामकृष्ण हेगड़े, संसद सदस्य, कृतिका 229, राजमहल, विलास एक्सटेंशन, बंगलौर ।
11. श्री महेन्द्र मोहन मिश्र, संसद सदस्य, भुवनेश्वर भवन, रमना क्लब रोड, मुजफ्फपुर (बिहार)
12. श्री विट्ठल गाडगिल, संसद सदस्य, 116 हिन्दू कालोनी, दादर, बम्बई ।
13. श्री एस० डी० सिंह चौरसिया, संसद सदस्य, 13 ए० पी० सेन रोड, लखनऊ ।
14. श्री तेजप्रताप सिंह, संसद सदस्दय, ग्रा० एवं डाक० मगरौथ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश ।
15. श्री राममूर्ति, संसद सदस्य, रामपुर गार्डन्स, बरेली (उत्तर प्रदेश) ।
16. श्री ओंकार सिंह, संसद सदस्य, सिविल लाइन, बदायूं, (उ० प्र०)
17. श्री शक्ति कुमार सरकार, संसद सदस्य, ग्राम गरफा, डाक० हलतू, जिला 24 परगना, (पश्चिम बंगाल)
18. श्री युवराज, संसद सदस्य, ग्राम कुमारीपुर, डाक० कटिहार, कटिहार (बिहार) ।

19. श्री वीरेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य, डाक० बिहार शरीफ, जिला नालंदा (बिहार)

20. डा० वसन्त कुमार पन्डित, संसद सदस्य, 8 शीतलवाड रोड, एल० जगमोहनदास मार्ग, बम्बई ।

21. श्री पी० जी० मावलंकर, संसद सदस्य, 'गोपिका' 22 महाराष्ट्र सोसाइटी, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद ।

22. श्री पी० राजगोपाल नायडू, संसद सदस्य, डोर नं० 1-5, दिगुवमधाम, ग्राम एवं डाक० चित्तूर डिस्ट्रिक्ट (आन्ध्र प्रदेश)

23. श्री रोबिन सेन, संसद सदस्य, 87 एपियर गार्डन, डाक० आसनसोल जिला बर्दवान, (पश्चिम बंगाल) ।

क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदातृ समितियों के प्रतिनिधि

24.	श्री एस० एम० राठी, राठी फार्म, बी० रोड, सतपुर, औद्योगिक क्षेत्र, सतपुर, नासिक	क्षे० रे० उ० प० स०, मध्य रेलवे
25.	श्री पद्मराज राय, 6 सेथपुकार रोड कलकत्ता	क्षे० रे० उ० प० स०, पूर्व रेलवे
26.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल, मै० भारत भारती प्रकाशन, 533 वैस्टर्न कटचेरी रोड, मेरठ	क्षे० रे० उ० प० स०, उत्तर रेलवे
27.	श्री नुरुल हक खाँ, एडवोकेट जफरा बाजार, गोरखपुर	क्षे० रे० उ० प० स०, पूर्वोत्तर रेलवे
28.	श्री बी० पी अग्रवाल, द्वारा मै० राजेश अग्रवाल एंड कं० फैंसी बाजार, गोहाटी	क्षे० रे० उ० प० स०, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
29.	श्री बी० एन० तल्लम, 419, पैलेस अपर ओचार्ड, बंगलौर-6	क्षे० रे० उ० प० स०, दक्षिण रेलवे
30.	श्री रमेश चन्द्र लहोटी, रायल टाकीज, सुल्तान बाजार, हैदराबाद	क्षे० रे० उ० प० स०, दक्षिण-मध्य रेलवे
31.	श्री के० भट्टाचार्य जी 4 एफ० राघानाग चौधरी रोड, कलकत्ता	क्षे० रे० उ० प० स०, दक्षिण-पूर्व रेलवे
32.	श्री के० एल० जैन, अवै० सचिव, राजस्थान चेम्बर्स आफ कौमर्स एंड इंडस्ट्री राजस्थान चेम्बर्स भवन, एम० आई० रोड, जयपुर	क्षे० रे० उ० प० स०, पश्चिम रेलवे

अखिल भारतीय निकायों/उद्योगों के प्रतिनिधि

33.	श्री भीखुभाई एन० शाह 55 श्रीमाली सोसाइटी, नौरंगपुरा, अहमदाबाद	फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री
34.	श्री एफ० सी० बघवार, 3-ए, तीस जनवरी मार्ग, नयी दिल्ली	दि एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इण्डिया
35.	श्री के० पी० मुखर्जी, निदेशक, (वाणिज्य) कोल इंडिया लि० कोल भवन, 10 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	कोल इंडस्ट्री
36.	श्री एन० एस० कुलकर्णी, प्रबन्ध निदेशक, काटन कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० एयर इन्डिया बिल्डिंग, 12 फ्लोर नारिमन प्वाइन्ट, पो० बा० नं० 1350 बम्बई	काटन इन्डस्ट्री
37.	श्री एस० के० नंदा, उप-महा प्रबन्धक, स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	आयरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्री
38.	संयुक्त आयुक्त (उर्वरक) कृषि मन्त्रालय नई दिल्ली	कृषि सम्बन्धी हित
39.	डा० जगजीत सिंह, डी०-943 न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली	सेनानिवृत्त रेल अधिकारी (महा प्रबन्धक)

विशेष हित

40. श्री सी० अन्ना राव,
1-7-54/बी,
सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद

41. श्री एच० एन० बराह, एडवोकेट
खालीहमारी डिब्रूगढ़

42. श्री रुसी, पी० कंट्रक्टर, एडवोकेट
रेलवे स्टेशन के पीछे, बड़ोदरा

43. श्री राजेन्द्र सिंह सिखाना
डाक० सोनीपत, हरियाणा

44. श्री एन० रमन्ना, सम्पादक विजया
मैसूर सिटी

45. श्री डी० ए० कट्टी,
भीम शक्ति, निपानी बेलगांव डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक

46. श्रीमती ज्ञानवती सक्सेना,
अध्यक्ष, स्टेट शोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड
सिविल लाइन, भोपाल

47. श्री पी० विश्वामभरण,
डाक० कोवल्लम, जिला त्रिवेन्द्रम

48. श्री गोवर्धनलाल बन्वाल,
पद्मपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

49. श्री राधानाथ राथ
सम्पादक 'समाज'
कटक

50. श्री कृपाल सिंह बदुंगर,
जनरल सैक्रेटरी, अकालीदल, (ग्रामीण)
ग्राम बदुंगर, जिला, पटियाला (पंजाब)

51. श्रीमती अरुणा राय,
सी-17, ऊषा निकेतन,
सफदरजंग डवलपमैंट एरिया,
हौजखास, नई दिल्ली ।

52. श्री टी० पी० एलुमलई,
भूतपूर्व विधायक,
श्रीनिवास पेरुमल कोयल स्ट्रीट,
त्रिवोट्टयूर, मद्रास

53. श्री राजवंत सिंह,
21-ए० पी० सैन रोड,
लखनऊ

54. श्री अब्दुल म्यूज खान,
गांधी नगर, बस्ती, उत्तर प्रदेश

55. श्री एम० एम० बागची,
36/सी० शरद चन्द्र घोष,
गार्डन रोड, कलकत्ता

56. श्री एस० एन० सुब्बाराव,
अध्यक्ष, महात्मा गांधी सेवा आश्रम,
जौरा आलापुर-476221
जिला, मुरैना (बाया ग्वालियर)

57. श्री सी० बी० एल० भटनागर,
जनरल सैक्रेटरी,
नेशनल फैडरेशन आफ रेलवे यूजर्स

31-3-1980 को समाप्त दो वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य

I. **राज्य सरकारों के प्रतिनिधि**

1 श्री गुरवचन सिंह,
संयुक्त निदेशक, (उद्योग)
पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।

2. श्री पी० पी० छावड़ा, जे० ए० एस०,
संयुक्त निदेशक (उद्योग)
हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ ।

3. श्री मनोहर सिंह,
उप सचिव (गृह) ग्रुप-7,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

4 श्री के० बी० मिश्र,
उप सचिव (पी० डब्ल्यू० डी०)
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

5. श्री अतर सिंह,
सचिव, (यातायात)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

6. श्री एच० एल० भल्ला,
निदेशक, (रेल संचलन)
खाद्य आपूर्ति एवं यातायात विभाग,
जम्मू एण्ड कश्मीर सरकार,
जम्मू/श्रीनगर ।

7. श्री आर० के० आहूजा,
उप आयुक्त, दिल्ली ।

II राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधि

1. श्री कृपाल सिंह, विधायक,
गली नं० 4, नवीन आबादी,
भगतांवाला गेट, अमृतसर ।

2. श्री दीप चन्द भाटिया, विधायक,
हरियाणा विधान सभा,
फरीदाबाद ।

3. श्री मोहन लाल शर्मा विधायक,
सरदार शहर, जिला चुरु,
राजस्थान ।

4. श्री मोहम्मद उस्मान, विधायक,
मोहल्ला : अबुल माली, देवबंध
जिला : सहारनपुर ।

5. श्री सुजान सिंह पठानिया, विधायक,
ग्राम : मंझार, डाकखाना : लोहारा,
तहसील नूरपुर, जिला : कांगड़ा (हि० प्र०)

6. श्री रफीक हुसैन खाँ, विधायक,
मेंधार (पुंछ), जम्मू/कश्मीर ।

7. श्री हंस राज सेठी, सदस्य महानगर परिषद्,
92-बी० कालका जी, नयी दिल्ली ।

III. चैम्बर्स आफ कामर्स/ट्रेड एसोसियेशन के प्रतिनिधि

1. श्री रमेश श्रीवास्तव,
जनरल सैक्रेटरी, कानपुर डाइंग एण्ड क्लाथ प्रिंटिंग कं० लि०,
14/64, सिविल लाइंस, कानपुर ।

2. श्री चम्पा लाल सलेचा,
मै० नीलकंठ कैमिकल वर्क्स,
26-इंडस्ट्रीयल एरिया,
बिजलीघर के पीछे, भगत की कोठी, जोधपुर ।

3. श्री विनीत विरमानी,
15 गोल्फ लिंक्स, नयी दिल्ली ।

4. श्री एन० के० छजेरा,
मैं० श्री भवानी काटन मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज,
पो० बाक्स नं० 14, अबोहर ।

5. श्री वी० पी० पुन्ज,
पुन्ज सन्स प्रा० लि०,
एम०-13, कनाट सर्कस, नयी दिल्ली ।

IV. पंजीकृत यात्री एसोसियेशन के प्रतिनिधि

1. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, मैं० भारत भारती प्रकाशन,
533-वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ ।

2. श्री प्रदीप कुमार गोयल, मैं० एक्मी इलैक्ट्रिकल कम्पनी,
23 डी० गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ ।

V. मंडल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के प्रतिनिधि

1. श्री ललित मोहर टंडन,
1/5, न्याय मार्ग, हैस्टिंग रोड, इलाहाबाद ।

2. श्री राधेश्याम मित्तल,
मैं० सागर मल, घनश्याम दास,
पो० बाक्स नं० 25, मंडी दववाली, सिरसा ।

3. श्री रामसरण अग्रवाल,
274, सत्य निकेतन, मोतीबाग, नई दिल्ली ।

श्री महाराज कृष्ण खन्ना,
393, लाजपत नगर, जालंधर सिटी ।

5. श्री बी० एन० भार्गव,
मैं० राजपूताना स्टेशनरी मार्ट, सोजती गेट,
जोधपुर ।

6. श्री के० डी० सक्सैना,
6-देवेन्द्र पुरी, बांस मंडी, लखनऊ ।

7. श्री रेवती सरण,
चैम्बर आफ कामर्स, मंडी रोड, हापुड़ (मेरठ)

VI. I-सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रतिनिधि

1. श्री आर० पी० श्रीवास्तव,
वितरण प्रबधक, इण्डियन एक्सप्लोसिव लि०,
पंकी, कानपुर ।

2. श्री एम० एल० तलवार,
मुख्य यातायात प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम,
16-20 बारा खम्बा रोड, नयी दिल्ली ।

VII. कृषि हित से संबंधित प्रतिनिधि

1. श्री गुरनाम सिंह, सरपंच,
ग्राम : रजराना, डाकखाना : करदल गढ़,
तहसील, मानसा (सिरसा होकर) जिला : भटिंडा, पंजाब ।

2. श्री छोटू लाल सकीन,
केसरीसिंह पुर, जिला : गंगानगर ।

VIII. विशेष हित से संबंधित प्रतिनिधि

1. श्री ए० एन० दास,
36 कैनिंग लेन, नयी दिल्ली ।

2. श्री भंवर लाल, कोठारी,
ओसवाल कोठारी मोहल्ला,
बीकानेर ।

3. श्री विजय कुमार, किसान आयरन स्टोर्स,
कालेज रोड, बरनाला, जिला : संगरुर, पंजाब ।

4. श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट,
एल० 142-माडल टाउन, रोहतक ।

5. श्री केवला प्रसाद शुक्ल,
एडवोकेट, 17-नया कटरा,
दिलकुशा, इलाहाबाद ।

6. श्री एच० आर० लिलोथिया,
हाउस नं० 49/2ए०, छोटी मोर सराय,
चांदनी चौक, दिल्ली ।

7. श्री करतार सिंह ठक्कर,
जनरल सैक्रेटरी, हरियाणा स्टेट अकाली दल,
गुरुद्वारा मंजी साहब, अम्बाला सिटी ।

IX. संसद सदस्य

1. श्री रघुवीर सिंह विर्क,
संसद सदस्य, पंजाब कोल्ड स्टोरेज,
जी० टी० रोड, करनाल ।

2. श्री रामजी लाल सुमन,
अम्बेडकर ब्वायज होस्टल,
अशोक नगर, आगरा ।
3. श्री सुजान सिंह, संसद सदस्य,
सुजान सिंह पार्क, सोनीपत,
हरियाणा ।

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट तथा मिनी बसें

7659. **श्री ज्वाला प्रसाद कुरील** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के प्राइवेट ओपरेशन (किलोमीटर योजना) के अधीन प्राइवेट बसों और मिनी बसों (प्राइवेट) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की व्यक्तियों के प्राइवेट बसों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को बसों की उपरोक्त संख्या सरकारी नियमों के अनुसार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी बसों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) नौ अप्रैल, 1979 तक दिल्ली परिवहन निगम के पास किलोमीटरी योजना के अधीन चल रही 600 स्टेंडर्ड बसें और 102 मिनी प्राईवेट बसें थीं ।

(ख) 54.

(ग) निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अधीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की 115 स्टेंडर्ड बसें रखने का निश्चय किया है । यह संख्या निगम की विभिन्न किलोमीटरी योजना के अधीन निगम द्वारा रखी जाने वाली स्टेंडर्ड बसों की कुल संख्या का लगभग 16 प्रतिशत है । 1-8-77 के बाद जो अतिरिक्त बसें निगम द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बसें लगायी गयीं या लगायी जायेंगी उनकी संख्या 525 है जो लगभग 22 प्रतिशत होता है । मिनी बसों के मामलों में, केवल उन्हीं बसों को जो इस समय दूसरी योजना के अधीन चल रही हैं, किलोमीटरी योजना में परिवर्तित किया गया है और निगम कोई अतिरिक्त मिनी बस नहीं लगाना चाहता है । अतः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की मिनी बसों को लगाने का प्रश्न नहीं होता ।

सफदरजंग अस्पताल में स्टोर आफीसरों के पद

7660. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्टोर आफीसरों के पद

भरने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से आवेदन-पत्र मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस पद के लिए निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव क्या-क्या हैं और कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियुक्त किये गये व्यक्ति/व्यक्तियों के पास नियुक्ति की तारीख को न तो अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं ही हैं और न ही स्टोर का काम करने का एक दिन का भी अनुभव है ? जबकि अधिक अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति मिल रहे थे; और

(घ) यदि हां, तो यह नियुक्ति किस आधार पर की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रविराय) : (क) जी हां। सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में भंडार अधिकारी का पद भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे गये थे।

(ख) प्रस्तावित भर्ती नियमों के मसौदे में भर्ती की विभिन्न पद्धतियों की व्यवस्था की गई है, जैसाकि पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण अथवा सीधी भर्ती द्वारा। इस समय यह पद, भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने तक, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तदर्थ आधार पर भरा गया है। इस पद को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर भरने के लिए भर्ती नियमों के मसौदे में निम्नलिखित अर्हताएं आदि सुझाई गई हैं :—

> "केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन सदृश पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा 550-900/425-700 रुपये अथवा इसके समतुल्य वेतनमानों वाले पदों में क्रमशः 3/8 वर्षों की नियमित सेवा हो तथा भंडारों के, अधिमानतः चिकित्सा तथा वैज्ञानिक भंडारों के क्रय, सम्भरण तथा वितरण करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारी।"

इस परिपत्र के उत्तर में जिसमें भारत सरकार के सभी विभागों, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) जिस व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, वह अपेक्षित अर्हताएं तो रखता है, परन्तु उसके पास स्टोर को हैंडल करने का सीधा अनुभव नहीं है हालांकि अस्पताल के सहायक प्रशासन अधिकारी के रूप में वह अस्पताल के काम का सारा अनुभव रखता है। एक अन्य उम्मीदवार वांछनीय अर्हताएं रखता था किन्तु उसके पास अपेक्षित अनुभव नहीं था। एक अन्य उम्मीदवार इस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं तथा अनुभव दोनों रखता था तथापि, विभागीय चयन समिति की सिफारिशों पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई थी, जिसने इस व्यक्ति को चयन करते समय सभी उम्मीदवारों के आपसी मेरिटों और सेवा अभिलेखों पर विचार करने के बाद उसे उपयुक्त समझा था।

बम्बई पत्तन पर पत्तन प्रभार और गोदी शुल्क की देय राशि

7661. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास की ओर से बम्बई पत्तन में पत्तन प्रभार और गोदी शुल्क की देय राशि को बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार को मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है और सरकार की इससे कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन राजस्व में हानि हो रही है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इंडियन नेशनल शिपआनर्स एसोशियेशन ने उक्त वृद्धि पर आपत्ति की है, और अन्य भारतीय पत्तनों की तुलना में पत्तन सुविधायें अपर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है और संशोधित दरें 1 अप्रैल, 1979 से लागू कर दी गयी हैं।

(ख) प्रस्ताव बम्बई पोर्ट ट्रस्ट न्यास द्वारा उपलब्ध की गयी सात प्रमुख अलाभप्रद सेवाओं की दरों में संशोधन करने के थे। प्रति वर्ष लगभग 7 करोड रु० की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में जो घाटा हुआ, वह इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

सेवा	वर्ष	घाटा
1. गोदियों पर चढ़ाया/ उतारा गया सामान्य माल	1975-76	553.09
	1976-77	292.82
	1977-78	354.19
2. घाटों पर चढ़ाया/उतारा गया सामान्य माल	1975-76	29.97
	1976-77	16.48
	1977-78	11.32
3. हाइड्रोलिक व्हार्फ क्रेनज	1975-76	72.22
	1976-77	50.43
	1977-78	64.74
4. इलैक्ट्रिक व्हार्फ क्रेनज	1975-76	82.63
	1976-77	29.02
	1977-78	54.86

1	2	3
5. गोदियों पर बर्थिंग और मूरिंग	1975-76	107.49
	1976-77	शून्य (+12.90)
	1977-78	26.53
6. घाटों पर बर्थिंग और मूरिंग	1975-76	65.33
	1976-77	72.39
	1977-78	116.11
7. सूखी गोदी पर माल रखना	1975-76	2.21
	1976-77	शून्य (+9.81)
	1977-78	5.42

(घ) इंडियन नेशनल शिपआनर्ज एसोसियेशन ने विभिन्न कारणों से पत्तन प्रभारों में वृद्धि पर आपत्ति की है ।

(ङ) मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद पोर्टट्रस्ट के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये ।

नौवहन कम्पनियां

7662. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय नौवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जो विश्व व्यापी मन्दी के कारण बन्द हो गयी हैं;

(ख) इन कम्पनियों की और उनके चालकों के वेतन की कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) चालकों को भुखमरी के कारण होने वाली मौत से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि भारतीय व्यापारिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत मजूरी का भुगतान न होने की वजह से चालक दल जहाजों को छोड़कर नहीं जा सकता ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं, एक भी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

मुरादाबाद-बरेली लाइन को दोहरी लाइन किया जाना

7663. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद और बरेली के बीच रेल लाइन को, इस लाइन के भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए, दोहरी लाइन करने और एक ही लाइन होने के कारण अधिक रेलगाड़ियां

चलाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके, जिनके कारण रेल गाड़ियां विलम्ब से पहुँचती हैं, का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इलैक्ट्रिक सिगनल जिनसे काफी सीमा तक उक्त कठिनाइयां दूर होती हैं, उपलब्ध करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) मुरादाबाद और बरेली के बीच लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किए जाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

काजीपेट-करीमनगर लाइन

7665. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजीपेट-निजामाबाद बरास्ता करीमनगर तक एक नई रेलवे लाइन की परियोजना के बारे में योजना आयोग के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव इस समय विचार के किस चरण में है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) करीमनगर के रास्ते निजामाबाद से हसनपर्ती तक बड़ी लाइन बिछाने के लिए 1976 में एक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था । यह देखा गया कि इस परियोजना पर 32 करोड़ रुपये लागत आयेगी तथा यह अर्थक्षम भी नहीं होगी । वित्तीय संसाधनों की कमी और चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना पर और आगे विचार नहीं किया गया और इसे योजना आयोग को नहीं भेजा गया ।

किलोमीटर योजना-'ए' के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम को अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से आवेदन-पत्र

7666. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी संचालन (किलोमीटर योजना) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम को 15 मार्च, 1979 तक अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से उनकी बसें लगाने के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियोंके कितने व्यक्तियों को 'रूट परमिट' दिये गये हैं;

(ग) इस बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने/उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 475

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को किलोमीटर योजना-क के अन्तर्गत अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 54 बसों को रूट परमिट दिये जा चुके हैं (इस शर्त के साथ कि प्रति-दिन 250 किलोमीटर परिचालन किया जायेगा) ।

(ग) निगम ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 115 बसें लगाने का फैसला किया है । 90 योजना-क के अन्तर्गत जो कि 250 कि० मी० तय करने वाली 600 बसों में से हैं तथा 25 बसें योजना-ख के अन्तर्गत जिनको 125 कि० मी० के परिचालन की गारंटी है जो कि ऐसी गारंटी वाली 125 बसों में से हैं और जो इस योजना के अन्तर्गत लगाई जानी हैं । कुछ अनुसूचित जाति की बसें सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत योजना-क के अन्तर्गत लगाई गई हैं, जिनकी 225 कि० मी० प्रतिदिन परिचालन की गारंटी है ।

विदेशी सरकारों को मान्यता देना

7667. **श्री एस० आर रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा विदेशी सरकारों को दी गयी मान्यता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देशवार सरकारों को मान्यता (प्रतिष्ठापन तारीख) दिये जाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जिन देशों में 'अचानक परिवर्तन' के परिणामस्वरूप सरकार सत्ता में आई है और जिन्हें भारत ने मान्यता प्रदान कर दी है उनके नाम नीचे दिये गये हैं । नई सरकारों के सत्तारूढ़ होने तथा भारत द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त करने की तारीख इस प्रकार है :—

देश का नाम	नई सरकार के सत्तारूढ़ होने की तारीख	मान्यता प्रदान करने की तारीख
मारीतानिया	10-7-1978	10-7-1978
यमन अरब गणराज्य	24-6-1978	24-6-1978
यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य	26-6-1978	26-6-1978
बोलिविया	22-7-1978 और 25-11-1978	22-7-1978 और 25-11-1978
पाकिस्तान	5-4-1977	5-4-1977
अफगानिस्तान	30-4-1978	30-4-1978
ईरान	12-2-1979	12-2-1979
सेशेल्स	5-6-1977	20-6-1977

सामान्य प्रथा के अनुरूप भारत सरकार नई सकार की उपस्थिति में मान्यता प्रदान कर देती है या उसके साथ सम्बन्ध बनाए रखती है जबकि वह सम्बद्ध देश में प्रभावकारी रूप से नियंत्रण में पायी जाती है ।

जुकेही-नैनी लाइन को दुहरा किया जाना

7668. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में जुकेही-नैनी लाइन इकहरी लाइन है और इसे अभी तक दुहरा नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि जबलपुर के लोगों की नई गाड़ियां चलाने अथवा वर्तमान गाड़ियों के अन्तराल कम करने की मांगों को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि जुकेही-नैनी सेक्शन पर केवल एक लाइन है;

(ग) सरकार इस लाइन को कब तक दुहरा करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इस खंड में अतिरिक्त गाड़ियों की मांग लाइन क्षमता के अभाव तथा आवश्यक माल यातायात की ढुलाई के कारण पूरी नहीं की जा सकी थी।

(ग) और (घ) सतना-जुकेही-छिवकी खंड को आंशिक रूप से दोहरा करने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। अनिवार्य यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मैहर-ऊंचेहरा और लागरगंवा-सतना खंडों (कुल 25.77 कि० मी०) पर दोहरी लाइन बिछाने के काम को 1979-80 के बजट में अनुमोदित कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे के कार्य के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज स्मारक

7669. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या विदेश मंत्री 23 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंगापुर में भव्य आजाद हिन्द फौज स्मारक का, जिसे लार्ड माउन्टबैटन ने दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के तत्काल बाद नष्ट कर दिया था, उस नगर/राज्य की सरकार की सहमति से पुनर्निर्माण करने का कोई प्रयास किया है या करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार सिंगापुर सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखने का है कि यदि वह सरकार सहयोग करने के लिए तैयार न हो तो भारत की सरकार और जनता इस पुनर्निर्माण के लिए धन देगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (ग) जैसा कि पिछली बार सदन को सूचित किया गया था—इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित करने पर यह पता चला है कि सिंगापुर की सरकार उस देश में आजाद हिन्द फौज स्मारक के पुनर्निर्माण के व्यवस्थापन के पक्ष में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस स्मारक का पुनर्निर्माण का काम शुरू करना व्यावहारिक नहीं होगा। सरकार इस सम्बन्ध में स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखेगी।

गुजरात में हजीरा में शिपयार्ड

7670. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री गुजरात में हजीरा में शिपयार्ड और पत्तन के बारे में 1 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न सं० 1955 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हजीरा में शिपयार्ड के लिए व्यापक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदात्री फर्म को किस तारीख को नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या व्यापक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) दो स्थलों अर्थात् गुजरात में हजीरा और उड़ीसा में पारादीप की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक परामर्शी कंपनी ने 15 सितम्बर 1978 को एक करार पर हस्ताक्षर किए ।

(क) और (ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उसको प्रस्तुत करने का समय करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 7 मास तय किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

लेथियम मशीन और कार्टलाइजेशन मशीन का व्यर्थ पड़े रहना

7671. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोवैज्ञानिक उपचार के लिये लेथियम मशीन और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कार्टराइजेशन मशीन के बारे में, जो काफी समय से खराब पड़ी है, जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो बेकार पड़ी रहने वाली अथवा उपयोग में न लाई गई मशीनों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने अन्य अस्पतालों से भी जानकारी एकत्र कर ली जिनमें ऐसी मूल्यवान मशीनें बेकार पड़ी हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए कोई लेथियम मशीन नहीं है । जहां तक डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का सम्बन्ध है, आपरेशन थियेटर में चार कौटरी मशीन हैं और वे सबकी सब काम करने की स्थिति में हैं। स्त्री रोग विभाग में एक और भी मशीन है जो कि चालू हालत में है। त्वचा विज्ञान विभाग की दो मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। यह एक मशीन 8 हजार रुपये की आती है। मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लि० और इम्पीरियल सर्जीकल

कम्पनी से इनकी मरम्मत करने के लिये सम्पर्क किया गया था लेकिन फालतू पुर्जों के न मिलने के कारण इनके दोष दूर नहीं किये जा सके ।

(ग) जी, नहीं । इस सूचना को एकत्र करने के लिये कार्यवाई आरम्भ कर दी गई है ।

हावड़ा स्टेशन पर खाली न किये गये वैगन

7672. **प्रो० समर गुह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों तथा अनाजों आदि से भरे हुए बहुत सारे वैगन हावड़ा स्टेशन पर हफ्तों तक, बल्कि महीनों तक बिना माल उतारे खड़े रहे थे;

(ख) क्या खाद्य पदार्थों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने हेतु वैगनों से माल न उतारने की नीति बेइमान व्यापारियों द्वारा चलाई जाती है;

(ग) यदि हां, तो बड़ी संख्या में वैगनों से माल न उतारे जाने की इस हावड़ा स्टेशन पर हाल ही में ऐसे गतिरोध पैदा करने वाली कितनी घटनायें हुई;

(घ) क्या सरकार इन बेइमान व्यापारियों को कड़ा दण्ड देने के उद्देश्य से कड़े उपाय करने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) किसी परेषिती विशेष द्वारा माल डिब्बे असामान्य अवधि के लिए नियमित रूप से इस उद्देश्य से नहीं रोके जाते कि खाद्य एवं उपभोज्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो ।

(ग) निकट अतीत में कोई गतिरोध नहीं हुआ था ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सन्तति निग्रह

7673. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से सन्तति-निग्रह किये जाने के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनके प्रभाव के बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाओं के अध्ययन को प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के रूप में लिया गया है । आयुर्वेदिक और सिद्ध को केन्द्रीय अनुसंधान परिषद उन अनेक पौधों की छानबीन करती आ रही है, जिनमें गर्भ-निरोधक की क्षमता समझी जाती है ताकि एक मान्य नान-स्टेरायडल गर्भ-निरोधक दवा तैयार की जा सके । अनेक नुस्खों और एकल औषधियों का, जिनमें गर्भ-रोधन की क्षमता होने का दावा किया जाता है, काउन्सिल के विभिन्न केन्द्रों में

क्लिनिकी और केमिको-फार्माकोलोजिकल दोनों स्तरों पर मूल्यांकन किया जा रहा है। पटियाला, कलकत्ता, जयपुर, त्रिवेन्द्रम, बम्बई, लखनऊ और वाराणसी स्थित केन्द्रों में क्लिनिकी अध्ययन किए जाते हैं। वाराणसी जामनगर, भुवनेश्वर और त्रिवेन्द्रम में केमिको-फार्माकोलोजिकल अध्ययन किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के अलावा इस परिषद ने कुछेक नुस्खों को, जिनके उत्साह-वर्धक परिणाम सामने आये हैं, इसके अन्य बड़े-बड़े संस्थानों को क्लिनिकी और प्रायोगिक परीक्षणों के लिये अलाट किया है ताकि यह परीक्षण बहुसंख्यक विषयों को कवर कर सकें और इसके परिणाम ठोस और स्पष्ट निष्कर्ष निकालने में सहायक सिद्ध हो। इन क्लिनिकी परीक्षणों का अभिप्राय प्रेरणा तथा विषय और चिकित्सक के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है जिनसे काफी लम्बे अर्से तक औषधि-परीक्षण चलता रखा जा सके ताकि दवा/नुस्खे की क्षमता से मूल्यांकन में किसी गलती की गुन्जाइश न रहे। कई बार विभिन्न कारणों से, जैसे परिवार द्वारा मकान बदल लेने, पति द्वारा अपनी नसबन्दी आपरेशन करवा लेने, दवा को नियमित रूप से लेने में आलस्य कर जाने, बच्चा पैदा करने की पुनः इच्छा जाग्रत होने, गर्भ-रोधन के अन्य तरीकों को अपना लेने आदि से इस काम को बीच में ही छोड़ना पड़ा है। वैसे, निरन्तर समझा-बुझा कर लोगों को राजी करके उन्हें बीच में दवा न छोड़ने की घटनाओं को कम करने के यथा संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

निम्नलिखित दवाओं/नुस्खों का क्लिनिकी स्तर पर अध्ययन किया जाता है/जाता रहा है :—

विडंगादियोग (विडंग, जपाकुसुम और हींग)

इसका 23 व्यक्तियों को 10 चक्र देकर और तीन व्यक्तियों को 30 चक्र खिलाकर अध्ययन किया गया है। चूंकि इससे वात-विकार आदि कुप्रभाव उत्पन्न हो गये थे, इसलिये अधिकांश लोगों ने इसका उपयोग बीच में बन्द कर दिया और परिणामस्वरूप इस अध्ययन को जारी नहीं रखा जा सका।

तालिसादियोग (तालीसा और गैरिक)

यह दवा 370 व्यक्तियों को खिलाई गई। यह देखा गया कि इस परीक्षण के दौरान बहुत सी महिलाओं को या तो गर्भ ठहर गया या उनसे अधिक रक्तस्राव आदि शिकायतें सुनने को मिलीं। अतः इस अध्ययन को बंद कर दिया गया।

के० कैप्सूल (विडंग)

यह दवा 226 व्यक्तियों ने ली। 78 व्यक्तियों की कड़ाई से पैरवी की गई। इनमें से 19 व्यक्तियों ने इस दवा के 30 से भी अधिक चक्र खाये और 27 व्यक्तियों ने इस दवा के 20 से 30 खाये थे। चूंकि इस दवा के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं, इसलिये इस पर आगे परीक्षण किया जायेगा।

आयुष ए० सी०-1 (विडंग और जपाकुसुम)

यह दवा 250 व्यक्तियों को खिलाई गई और 130 व्यक्तियों की पैरवी की जा रही है।

5 व्यक्तियों ने इस दवा के 20 से भी अधिक चक्र खा लिये हैं और शेष ने 20 से कम चक्र दवा खाई है।

आयुष ए० सी०-4 (अशोक, लक्ष्म, क्रमुक और विडंग) :

इस परिषद ने एक-एक दवा पर अध्ययन करने के आधार पर यह नई आयुष ए० सी०-4 दवा निकाली है। यह दवा 256 व्यक्तियों को खिलाई गई और प्रत्येक व्यक्ति ने इस दवा के 36 चक्र खा लिये हैं। इस समय ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके बारे में 1-5 चक्रों के बाद पैरवी की जा रही है।

3. निम्नलिखित दवाइयों पर कैमिको-फार्माकालोजिकल अन्वेषण किये गये हैं :—

(i) अब्रुस प्रिकाटोरियस (गुजां)

(ii) एम्बैलिया राइब्स (विडंग)

(iii) आयुष-7 (तालीसपत्र और गैरिक)

(iv) आयुष-47 (अशोक, लक्ष्य, क्रमुक, गोल्ड सुगर)

(v) विडंगादियोग जपाकुसुम और हींगु)

(vi) आयुष-ए० सी०-2 (अशोक, लाक्ष्य और क्रमुक)

(vii) प्लम्देगो रोजिया

(viii) गोस्सीपियम हर्बेसियम

(ix) नीरियम इंडिकम

(x) डाकुस कारोटा (बीज)

(xi) हिबिस्कस रोजासिन्सिस

(xii) वाक्वा इंडिका।

परिवार नियोजन

7674. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में परिवार नियोजन की गति तेज करने और परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कैसे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम को तेज करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इस कार्यक्रम को बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है और इसके कल्याण पक्ष की ओर तथा लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी देकर और उन्हें समझा-बुझाकर गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने के लिए राजी करने की

ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सारे देश में बड़ी संख्या में ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके शैक्षिक और प्रेरणात्मक कार्यों को तेज कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षण देकर प्रसूति सेवाओं में सुधार लाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन दाइयों को प्रशिक्षण देने के बाद बढ़िया औजार भी दिये जाते हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को, जोकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिचर्या सुलभ कराने की दिशा में एक प्रयास है, जारी रखा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को बढ़िया ढंग से लागू किया जा सके। जन स्वास्थ्य रक्षकों ने पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में निरोध बांटने का काम शुरू कर दिया है।

राज्यों में इस कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपनी विधान सभाओं के सदस्यों को स्वयं पत्र लिखे हैं जिसमें उनसे इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने का अनुरोध किया गया है। ऐसी ही अपीलें केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से संसद सदस्यों को भी की गई हैं। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों तथा महिला संगठनों को भी इस कार्यक्रम में लगाया गया है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच स्वस्थ होड़ उत्पन्न करने के अभिप्राय से सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना भी आरम्भ की गई है। जनवरी से मार्च, 1979 की अवधि में बढ़िया कार्य करने के फलस्वरूप विशेष पुरस्कार भी घोषित किए गए हैं। इस अवधि को इस उद्देश्य से 'परिवार नियोजन तिमाही' के रूप में मनाया गया था कि लोगों का ध्यान बच्चों की बढ़िया देखभाल करने तथा छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने की ओर केन्द्रित किया जा सके। आकाशवाणी और दूरदर्शन समेत सभी प्रचार साधनों को परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर सीमान्त रेलवे के रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में वृद्धि

7675. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे के डी० एच० सेक्शन के पहाड़ी क्षेत्रों में काम कर रहे रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्तर्गत पड़ने वाले दार्जिलिंग-हिमालयन खंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत रेल कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता की दरों के संशोधन के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। संशोधित दरें इस प्रकार हैं :

वेतन शृंखला	मकान किराया भत्ता की दरें
(1) 750/-रुपये तक	वेतन का 7.5%, न्यूनतम 15 रुपये प्रति माह
(2) 750/-रुपये से अधिक	806.25 रुपये से जितनी राशि कम पड़ती हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि संगठन में पदों का भरा जाना

7676. **श्री मनोहर लाल**
श्री शिवनारायण सरसूनिया } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि-संगठन के अधिकारी और कर्मचारी 10 वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक तदर्थ आधार पर रहे और इसके परिणामस्वरूप विभाग में 10 वर्ष से भी अधिक से अधिकारी नहीं बन सके;

(ख) यदि हां, तो तदर्थ आधार पर की गयी नियुक्तियों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; क्या विभाग ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जो गत कई महीनों से अनिर्णीत हैं और पद रिक्त पड़े हैं तथा संगठन का कार्य बुरी तरह प्रभावित है; और

(ग) उपकेन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का यह पद 31 जुलाई, 1978 से रिक्त पड़ा है, एफ० ए० सी० ए० ओ० तथा अन्य सभी उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के पदों सहित विभागीय अधिकारियों को पदोन्नत करके सभी पद भरने में सरकार के सामने क्या बाधायें हैं और पदों के भरने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) एसे कुछ मामले हुए हैं तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पर्याप्त विभागीय अधिकारी हैं, परन्तु इन में लेखा अधिकारी शामिल नहीं है जिनकी नियुक्तियां निर्धारित परीक्षा पास करने पर की जाती हैं।

(ख) जनवरी, 1978 में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने तदर्थ नियुक्तियों की पुनरीक्षा करने और इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए कार्यवाही करने हेतु अनुदेश जारी किए थे। तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिए सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(ग) खाली पदों को योग्य और उपयुक्त विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति करके भरने के बारे में सिद्धान्त रूप में कोई आपत्ति नहीं है।

बच्चों में अन्धापन

7677. **श्री पी० एम० सईद**
श्री निहार लास्कर
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायल कामनवैल्थ सोसाइटी फोर ब्लाइंड के निदेशक के अनुसार भारत में 40,000 बच्चे प्रतिवर्ष अन्धेपन से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है;

(ग) भारत के बच्चों में अन्धेपन में वृद्धि के लिए मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) भारत सरकार को रायल कामनवैल्थ सोसाइटी फोर ब्लाइंड के निदेशक द्वारा छापी गई इस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है जिसके अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 40,000 बच्चे नेत्रहीन हो जाते हैं ।

(ख) कितने बच्चे नेत्रहीन हैं, इसके बारे में कोई विश्वसनीय वार्षिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) बच्चों में नेत्रहीनता के मुख्य कारण कुपोषण, संक्रमण, स्क्वेन्ट तथा आंख की चोटें हैं ।

(घ) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

नेत्रहीनता की रोकथाम तथा नियन्त्रण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

(1) भारत सरकार ने दृष्टि विकार निवारण और नेत्रहीनता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया है । इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(क) लोगों की नेत्रों की देख-रेख के उपाय बताना ताकि वे नजर की रक्षा कर सकें और नजर की क्षति को रोक सकें ।

(ख) गश्ती यूनिटों के जरिये तत्काल नेत्र सम्बन्धी सुविधा प्रदान करना । ये यूनिट दूरवर्ती क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या सम्बन्धी व्यापक सेवाएं भी प्रदान करेंगी और दृष्टि विकार का शीघ्र पता लगाने के लिए स्कूल पूर्व आयु वाले और स्कूल जाने वाले बच्चों सहित लोगों का सर्वेक्षण भी करेगी ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तालुक और जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और नेत्र विज्ञान के क्षेत्रीय संस्थानों में नेत्र परिचर्या सम्बन्धी व्यापक सेवाओं के लिए स्थायी आधारभूत ढांचे का विकास करना । भारत सरकार ने डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक शीर्ष संगठन के रूप में विकास करने की स्वीकृति दी है । इस प्रकार के आधारभूत ढांचे के विकास से पैरीफेरल स्तर से लेकर उच्च विशेषज्ञता प्राप्त केन्द्र में नेत्र देख-रेख सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध की जायेंगी ।

(घ) 1-5 वर्ष की आयु वाले बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाली नेत्रहीनता की रोकथाम का एक कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में बच्चों को विटामिन 'ए' की कमी से बचाने के लिए उन्हें हर छः महीनों में एक बार तेल में विटामिन 'ए' की मात्रा मिलाकर देने के कार्य को भी शामिल किया गया है।

राज्य सरकारों के अनुरोध पर रेलवे लाइन

7678. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार के आने के पश्चात बिछायी गयी नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नई रेल लाइनें/मार्ग बनाने के लिए, जिनके लिए राज्य सरकारों ने अनुरोध किये हैं, क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) निम्नलिखित नयी लाइनें पूरी की गयी और मार्च, 1977 से यातायात के लिए खोली गयीं :—

		आमान	कि० मी० में लम्बाई	खोले जाने की तारीख
1.	गोहाना-पानीपत	ब० ला०	39·21	8-4-77
2.	शाहदरा-बागपत-शामली	ब० ला०	86·60	8-4-77
3.	तिरुवनन्तपुरम-नागरकोविल कन्या कुमारी	ब० ला०	86·50	15-4-79
4.	गुना-मकसी	ब० ला०	193·48	16-4-77
5.	कल्याणी से कल्याणी टाउन शिप	ब० ला०	5·00	7-4-79

मार्च, 1977 से निम्नलिखित नयी लाइन परियोजनाओं को निर्माण के लिए हाथ में लिया गया है :—

1.	करेली रोड-जयन्त	ब० ला०	33·00
2.	भद्राचलम रोड-मानगुरु	ब० ला०	52·00
3.	आप्ता रोहा	ब० ला०	62·00
4.	कल्याणी-कल्याणी टाउन शिप	ब० ला०	5·00
5.	नदियाद-मोडासा	ब० ला०	105·00
6.	एर्णाकुलम-अलप्पी	ब० ला०	50·00
7.	टुपकाडीह-तालगारिया	ब० ला०	33·00
8.	मानिक गढ़-चन्दूर	ब० ला०	26·00
9.	गुवाहाटी-बनिहाट	ब० ला०	28·00
10.	धर्मनगर-कुमारघाट	मी० ला०	33·00

	आंसाम	कि० मी० में लम्बाई
11. बालीपाड़ा-मालुक पोंडा	मी० ला०	33·45
12. सिलचर-जोरीबाम	मी० ला०	50·36
13. आमगुड़ी-तुली	मी० ला०	17·07
14. लालाघाट-भैरवी	मी० ला०	48·77

(ख) पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास परक रेलवे लाइनों के बिछाने के लिए एक युक्तिसंगत कसौटी के प्रश्न पर राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ऐसी लाइनों के लिए नीति और लम्बी अवधि की योजना बनायी जायेगी।

उत्तरी सीमान्त रेलवे में खान पान सेवा

7679. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में उत्तरी सीमांत रेलवे में समुचित खान पान सेवा की व्यवस्था करने के लिए ठेकेदारों का चयन करने में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों/ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिनको उत्तरी सीमांत रेलवे ने उत्तरी सीमांत रेलवे में खान पान की सेवा की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिए खान पान की व्यवस्था करने वाले वर्तमान ठेकेदार के लिए कोई टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं और सरकार एक जोन में ऐसे एकाधिकार संगठनों/एकाधिकार को क्यों प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) इस ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले खाद्यपदार्थ आदि के विरुद्ध जनता द्वारा बार-बार विरोध तथा असंतोष प्रकट किए जाने के बावजूद उसे खाद्यपदार्थ का स्तर सुधारने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) खानपान/वेंडिंग ठेके देने के लिए, प्रेस अधिसूचनाओं और रेलवे स्टेशनों पर सुस्पष्ट स्थानों में सूचनाएं प्रदर्शित करके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इसके बाद आवेदन पत्रों की वरिष्ठ वेतनमान और उससे ऊंचे वेतनमान के तीन या तीन से अधिक अधिकारियों की एक जाँच समिति द्वारा जांच की जाती है (1-8-78 से पूर्व इस समिति में दो अधिकारी होते थे)। आवेदकों की उपयुक्तता, अनुभव, वित्तीय स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए जांच समिति उपयुक्त उम्मीदवारों की सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश करती है, जो जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम पात्र और उपयुक्त व्यक्ति को ठेका प्रदान करता है पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया गया। इस अवधि के दौरान, करीमगंज और तिनधरिया स्टेशनों में भोजनालयों के ठेके, क्रमशः सर्व श्री पी० सी० घोष और एम० के० मित्रा तथा कामरूप एक्सप्रेस (बड़ी लाइन और मीटर लाइन) तथा तिनसुकिया मेल (बड़ी लाइन) भोजन यान के ठेके मेसर्स पी० आर० रिंग कम्पनी को दिये गये थे।

(ख) करीमगंज और तिनधरिया स्टेशनों में भोजनालय के ठेके देने में सामान्य प्रक्रिया अपनायी गयी थी, लेकिन, कामरूप एक्सप्रेस और तिनसुकिया मेल में भोजन यान के ठेके आवेदन पत्र आमंत्रित किये बिना रेल मन्त्रालय ने मैसर्स पी० आर० केटरिंग कम्पनी को दिये थे।

(ग) चल खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए अव-संरचना जैसी आधार डिपो आधार रसोईघर और आवश्यक सुविज्ञता अपेक्षित है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में इन सुविधाओं को विकसित करने के लिए, जो उनके पास इस समय उपलब्ध नहीं है, अतिरिक्त कर्मचारियों पर भारी पूंजी निवेश और आवर्ती खर्च की आवश्यकता थी। मैसर्स पी० आर० कैटरिंग कम्पनी को, जो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अनेक दूसरी गाड़ियों में चल खानपान सेवाएं पहले से ही चला रही थी और जिसके पास आवश्यक अव-संरचना और सुविज्ञता, उपलब्ध थी, उपयुक्त रूप से विचार करके मन्त्रालय द्वारा इन ठेकों को आवंटित करने के आदेश दिये गए थे।

जैसा कि रेलवे बजट भाषण में 20-2-1979 को घोषणा की गयी थी, यह विनिश्चय किया गया है कि सभी मेल/एक्सप्रेस और सुपर फास्ट गाड़ियों में भोजन यान सेवाएं शीघ्र ही विभागीय प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत ले ली जाएंगी। तिनसुकिया मेल और कामरूप एक्सप्रेस भी शीघ्र ही विभागीय प्रबन्ध व्यवस्था में ले ली जायेंगी।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान करीमगंज और तिनधरिया के भोजनालयों में और तिनसुकिया मेल में भोजनयान में परोसे गये भोजन की किस्म के सम्बन्ध में जनता से कोई शिकायत नहीं मिली थी। लेकिन, कामरूप एक्सप्रेस में भोजनयान में परोसे गए भोजन की किस्म के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की गई और उस पर जुर्माने किये गये।

बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम में मजूरी की अधिकतम सीमा को हटाया जाना

7680. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **संसदीयकार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत वेतन की अधिकतम सीमा लागू करने के क्या कारण हैं जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम और श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में ऐसी कोई शर्त नहीं है (वेतन अथवा कमीशन के रूप में 750 रुपये महीना अथवा 9000 रुपए वार्षिक); और

(ख) भेषज उद्योग में फील्ड कर्मचारियों के हित में इस प्रकार की अधिकतम सीमा को हटाने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न श्रम कानूनों का अलग-अलग क्षेत्र तथा अलग-अलग परिधि है। तथापि, 30 अगस्त, 1978 को पेश किए गए औद्योगिक सम्बन्ध विधियक, 1978 में विक्रय संवर्धन कर्मचारी बिना किसी मजदूरी सीमा के एक सुस्पष्ट वर्ग के रूप में आते हैं।

टी० बी० से श्रमिकों की रक्षा

7681. **श्री बसंत साठे :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1979 के "पेट्रियट" में टी० बी० इनसिडेन्स एमंग माइनर्स काजेज वरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) टी० बी० से श्रमिकों की रक्षा करने के लिए गत दो वर्षों में किए गए अनेक उपायो तथा वर्ष 1979-80 में किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रेस रिपोर्टरों के एक ग्रुप ने 18 मार्च, 1979 को केन्द्रीय अस्पताल, जोदा का निरीक्षण किया था। उन्हें यह बताया गया कि जून, 1978 में इस अस्पताल के शुरू होने के बाद से टी० बी० के 100 रोगियों का इलाज किया गया जिसमें से 37 स्प्यूटम पाजिटिव रोगी महादेवी, बिरला टी० बी० सैनटोरियम, रांची को भेजे गए। तथापि जैसा कि प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है, यह कहना सही नहीं है कि इन व्यक्तियों को मैंगनीज विषाक्तता या फैरो-मैंगनीज प्लांट की चिमनी से आने वाली धूल के लगातार अन्तःश्वसन के कारण टी० बी० का रोग हुआ। जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान संस्थान ने फैरो मैंगनीज प्लांट में मैंगनीज अपावरण (एक्सपोजर) के मामलों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह पता चला कि इस प्लांट के 0.8 प्रतिशत कर्मचारियों को टी० बी० है।

(ग) राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की गई क्षयरोग के नियंत्रण सम्बन्धी योजना के अतिरिक्त, खान श्रमिकों का टी० बी० सहित अन्य बीमारियों से बचाव करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(I) टी० बी० के विरुद्ध निवारक उपाय करने के लिए पहली अप्रैल, 1979 से बी०सी० जी० टीका जैसे कार्यक्रम शुरू करना।

(II) चिकित्सालयों में और चलते-फिरते चिकित्सा एककों द्वारा खनन क्षेत्रों में अपने निरीक्षणों के दौरान ऐसे रोगियों का पता लगाना और इलाज के लिए उन्हें केन्द्रीय अस्पताल भेजना।

(III) खान विनियम, 1955 में संशोधन ताकि नए भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए प्राथमिक डाक्टरी परीक्षा और खान में प्रत्येक व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा पांच वर्ष के अन्तरालों में आवधिक डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था हो सके। सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि प्रथमतः नये भर्ती होने वाले व्यक्तियों और उन खान श्रमिकों का, जिन्होंने भूमि के नीचे 15 वर्ष की सेवा कर ली है, पहली अप्रैल, 1979 से डाक्टरी जांच की जानी चाहिए।

रेलवे स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था

7682. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में पालनपुर गांधीधाम लाईन पर 'वाराही' स्टेशन कड़ी-कटोसण लाइन पर 'देअसणा' स्टेशन, पाटसा महेसाणा लाइन पर 'सेलावी' स्टेशन और क्लोल-बिजापुर लाइन पर 'पीलवाई रोड' स्टेशन को बिजली कब तक दी जायेगी; और

(ख) क्या इन चारों स्टेशनों को बिजली देने की मांग काफी समय से की जा रही है और अभी तक किसी को भी बिजली नहीं दी गयी है परन्तु उसके लिए रेलवे बजट में उपबन्ध किया गया है और क्या बजट में किये गये उपबन्ध के अनुसार इन स्टेशनों को शीघ्र बिजली दी जायेगी चूंकि मांग काफी समय से लम्बित है और बिजली के न होने के कारण रात को बहुत असुविधा होती है और क्या इसे ध्यान में रखते हुए इस मांग को शीघ्र पूरा किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) पिलवाई रोड स्टेशन का बिजलीकरण 1979-80 के बजट में शामिल कर लिया गया है । वराही, देवासना और सेलावी रेलवे स्टेशनों का बिजलीकरण यथाशीघ्र कर लिया जायेगा ।

(ख) इन रेलवे स्टेशनों के बिजलीकरण की मांग की गयी है। लेकिन, धन की तंगी के कारण स्टेशनों का अभी तक बिजलीकरण नहीं किया जा सका था ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में प्रथम श्रेणी के जूनियर मेडिकल अधिकारी

7683. **श्री मही लाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में प्रथम श्रेणी के जूनियर मेडिकल अधिकारियों को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद भी स्थायी घोषित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस ग्रेड में स्थायी होने के लिए अपेक्षित निर्धारित अवधि को पूरा करने के बाद भी उन्हें स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं और कितने ऐसे अधिकारियों को अब तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में आदेश कब तक जारी किए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह आवश्यक नहीं है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को उनके परिवीक्षा अवधि के पूरा होने पर स्थायी बनाया जाता है लेकिन उन्हें उस तारीख से स्थायी घोषित कर दिया जाता है जिस दिन से स्थायी पद उपलब्ध हो जाते हैं । जांच समिति द्वारा उनके उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के पश्चात् 1-1-73 से तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी०डी०ओ० ग्रेड-दो के अधिकारियों को जूनियर क्लास-I वेतनमान में रखा गया । 1970 के अंत तक जिन 743 जनियर क्लास एक के अस्थायी अधिकारियों ने क्लास-II सेवा का पद ग्रहण कर लिया था, में से 214 अधिकारियों को विभागीय चयन समिति

द्वारा स्थायी घोषित करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है और जैसे ही संघ लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हो जाएगी, आदेश जारी कर दिये जायेंगे। यहां पर लगभग 200 स्थायी पद और खाली हैं और 200 पात्र अधिकारियों को स्थायी घोषित करने का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा।

वियतनाम स्थित भारतीय राजदूत का कम्पूचिया जाना

7684. **डा० रामजी सिंह :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनोई स्थित भारतीय राजदूत श्री शिवराम कृष्णन कम्पूचिया जा रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने अपनी यात्रा के लिए वियतनाम की सरकार से अनुमति मांगी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कम्पूचिया को मान्यता देने के लिए तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, नहीं।

(ख) कम्पूचिया की यात्रा के लिए कम्पूचिया की सरकार की ही अनुमति अपेक्षित होगी।

(ग) और (घ) हम कम्पूचिया की स्थिति पर निरन्तर निगाह रखे हुए हैं जो अभी भी अस्थिर है और जब भी उचित और आवश्यक होगा हम इस पर निर्णय ले लेंगे।

345 अप भटिंडा-जींद एक्सप्रेस गाड़ी का विलम्ब से चलना

7685. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 345 अप भटिंडा-जींन्द एक्सप्रेस सामान्यतया एक से दो घन्टे तक विलम्ब से चलती है;

(ख) क्या इस गाड़ी का चलन समय केवल 5 घन्टे है;

(ग) यदि हां, तो इस गाड़ी के विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि गाड़ी समय अनुसार से चले और भटिंडा रेल स्टेशन के बाहर ठहर कर समय बर्बाद न करे ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) मार्च 1979 के दौरान, 345 अप जींद-फिरोजपुर सवारी गाड़ी लगभग 16 दिन ठीक समय पर पहुँची। लेकिन यह गाड़ी 8 दिन लगभग 15 मिनट तक और 6 दिन 16 से 30 मिनट तक लेट रही। केवल एक ही दिन यह गाड़ी एक घन्टा से अधिक लेट रही।

(ख) जींद से भटिंडा के बीच गाड़ी का यात्रा समय 4 घन्टे और 48 मिनट है।

(ग) जींद-जाखल खंड लगभग संतृप्त स्थिति को प्राप्त है और अन्य गाड़ियों के लेट हो जाने का प्रभाव 345 अप सवारी गाड़ी के संचलन पर पड़ता है।

(घ) 345 अप सवारी गाड़ी मार्च के दौरान केवल तीन दिन भटिंडा स्टेशन से कुछ पहले ही रोकी गई थी। 345 अप सवारी गाड़ी जींद भटिंडा खण्ड पर एक उपनगरी गाड़ी मानी जाती है और इसके संचालन पर कड़ी नजर रखी जाती है। इस खन्ड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण-कार्यों की योजना भी बना ली गई है।

रेलवे में स्वचालित यन्त्रों का प्रयोग

7686. **श्री किशोर लाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) सीटों के आरक्षण के मामले में भ्रष्टाचार को दूर करने के प्रयोजन से रेलवे का विचार स्वचालित यन्त्रों/कम्प्यूटरों का उपयोग कब से आरम्भ करने का है; और

(ख) इस पर कितनी राशि खर्च होगी ;

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) यात्री सीटों/शायिकाओं के आरक्षण का संगणकीकरण पहले से ही कार्यक्रम के आधार पर आंका गया है। इस काम के लिए संगणकों का तन्त्र-जाल लगाने की व्यवस्था से सम्बन्धित अध्ययन इलेक्ट्रानिक्स विभाग के परामर्श से किया जा रहा है। इन अध्ययनों के पूरा हो जाने के बाद लागत आदि का अनुमान उपलब्ध हो जायेगा।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

7687. **श्री रिनचिंग खाण्डू खिमे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में इसके जिलों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण किस वर्ष करने का विचार है और इसकी अनुमानित कुल लागत कितनी आयेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) सम्भवतः सदस्य महोदय का आशय अरुणाचल प्रदेश में नई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण और प्राथमिकता के अन्य कार्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस समय देश में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों में कोई और नई वृद्धि नहीं कर सकती।

भारत के वाणिज्य दूतों (कान्सल) के विरुद्ध शिकायतें

श्री केशव राव धोंडगे : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने भारतीय वाणिज्य दूत हैं जिनके विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (ग) विदेश स्थित केन्द्रों और मिशनों के काम के बारे में सरकार को समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं । ये शिकायतें सेवाओं, शैक्षिक सुविधाओं, वाणिज्य और व्यापार से सम्बन्धित विषयों, अतिथियों से व्यवहार, वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं आदि के बारे में होती हैं । जैसे ही इस प्रकार की शिकायतें इस मन्त्रालय के सम्बद्ध प्रभाग में मिलती हैं, वैसे ही उनके बारे में जांच-पड़ताल की जाती है और उन्हें सुधारने और दूर करने के लिए उचित कार्यवाही की जाती है ।

ओरियन्ट पेपर मिल में हड़ताल

7689. **श्री शरद यादव** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरियन्ट पेपर मिल में उत्पादन कम करने के लिए कोई षडयन्त्र किया गया है और कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के कारण वहां कार्य ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्र अधिकार में आता है । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन इस मामले में संगत सरकार है, इस यूनिट की यूनियनें अप्रैल और अक्तूबर, 1978 के बीच प्रस्तुत किए गए अपने मांग पत्र के सम्बन्ध में दबाव डालने और प्रबन्धतंत्र द्वारा अभिकथित अनुशासनहीनता के कारण दिसम्बर, 1978 में उनके तीन वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त करने के सम्बन्ध में विरोध करने के लिए आन्दोलन करती आ रही हैं । यह सूचित किया गया है प्रबन्ध तंत्र ने इस आन्दोलनों के कारण 27 श्रमिकों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया है । राज्य सरकार विवाद ग्रस्त मामलों का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है । उन्होंने यूनियनों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में उठाए गए 16 महत्वपूर्ण मामलों सम्बन्धी विवाद को विवाचन के लिए औद्योगिक न्यायालय को भेजा है । यह सूचित किया गया है कि बर्खास्त किए गए तीन अधिकारियों में से एक अधिकारी ने मुआवजा लेना स्वीकार किया है और उसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है । राज्य सरकार शेष मामलों के सम्बन्ध में सौहार्दपूर्ण समझौते कराने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है ।

विश्व बैंक ऋण

7690. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए गत 8 से 10 वर्षों में केन्द्र सरकार से ऋण लेने के कारण विश्व बैंक ने (जिसे इसने गत 30 वर्षों में 90 करोड़ डालर के कुल ऋण दिये हैं) भारतीय रेलवे को अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसने भविष्य में भारतीय रेलवे द्वारा ऋण लेने की स्थिति को रोकने के लिए कुछ विकल्पों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1966-67 से निरंतर वार्षिक घाटे के कारण रेलों को अपनी लाभांश दायिताएं पूरी करने तथा निर्माण कार्यों की कुछ कोटियों पर खर्च के लिए सामान्य राजस्व से ऋण लेना पड़ा था। यद्यपि 1976-77 और 1977-78 में भारी बचत हुई थी, तथापि एकत्र ऋणभार तथा उसके चुकाने के उपाय सरकार को निरन्तर चिन्तित किये हुए थे। इस स्थिति के विषय में विश्व बैंक ने भी रेलों के आधुनिकीकरण तथा अनुरक्षण परियोजनाओं के लिए बैंक की सहायता की मंजूरी देने के सम्बन्ध में जून 1978 में हुई बातचीत के दौरान अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। स्थिति को सुधारने के लिए बैंक ने कुछ संभावित विकास भी सुझाये थे। बैंक को यह बता दिया गया था कि रेलवे और सरकार पहले ही इस मामले के प्रति जागरुक है।

(ग) रेलवे अभिसमय समिति, 1971 की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने रेलों की पूंजी संरचना की जांच करने के लिए मार्च, 1978 में एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया था। इस दल द्वारा अक्तूबर, 1978 में दी गयी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर राजस्व आरक्षित निधि के अन्तर्गत बकाया ऋण दायिता को बट्टेखाते डालने का विनिश्चय किया गया है। रेलों द्वारा सामान्य राजस्व को अदा किये गये लाभांश की मात्रा में कुछ राहतें देने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दल द्वारा की गयी सिफारिशों को भी रेलवे अभिसमय समिति, 1977 ने स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त, 1979-80 के रेलवे बजट में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव जो अंशत: रेल दर-सूची जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर आधारित है, शामिल किया गया है उपर्युक्त उपायों से सामान्य राजस्व के रेलों पर ऋणभार में भारी कमी हो जाने की प्रत्याशा है।

अशोक नगर के निकट ऊपरि पुल

7691. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक नगर (हुबली) के निकट रेलवे फाटक और हावेरी (काराजजी के रास्ते में) रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरि पुल अथवा भूमिगत पुल का निर्माण करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े समय तक यातायात रुका रहता है और इससे इन स्थानों पर लोगों को असुविधा होती है; और

(ग) ऊपरि अथवा भूमिगत पुलों के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इन समपारों पर सड़क यातायात की अप्रत्याशित रुकावट की कोई भी सूचना नहीं मिली है।

(ग) हावेरी स्टेशन के पास वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव जिसकी कि कर्नाटक सरकार द्वारा सिफारिश की गयी थी, को मूल रूप से रेलवे के 1965-66 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। अशोक नगर (हुबली) समपार के समीप निचले सड़क पुल के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार से अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते ही इस पर विचार किया जायेगा।

कृषि श्रमिकों पर लागू होने वाले कानूनों में परिवर्तन

7692. **श्री सुरेन्द्र भा सुमन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक कानूनों के विद्यमान उपबन्धों से श्रमिकों की दशा में कहां तक सुधार हुआ है; और

(ख) क्या इन कानूनों का अध्ययन करने के पश्चात, जहां तक इनके कृषि श्रमिकों पर लागू होने का सम्बन्ध है, सरकार इनमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझती है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों की लगातार पुनरीक्षा कर रही है कि ये कानून कृषि श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के हितों का अच्छी तरह रक्षा कर सकें।

नई दिल्ली में 25-1-78 को आयोजित ग्रामीण असंगठित श्रमिकों सम्बन्धी विशेष सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में, ग्रामीण असंगठित श्रमिकों सम्बन्धी एक केन्द्रीय स्थायी समिति गठित की गई है, जो ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के रहन-सहन और कामकाज की दशाओं में सुधार करने तथा उनके संगठन को बजवा देने सम्बन्धी मामलों में सरकार को सलाह देगी। 29-1-79 को हुई असंगठित श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति की प्रथम बैठक में निम्न-लिखित मामलों पर तीन उप-समितियां गठित करने का निर्णय किया गया :—

(i) कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान।

(ii) ग्रामीण श्रमिकों का संगठन तथा शिक्षा, और

(iii) बंधित श्रमिक।

उप-समितियां गठित की जा चुकी हैं और आशा है कि वे अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगी। जिन पर तत्पश्चात केन्द्रीय स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

दिल्ली यमुना पार क्षेत्र में रेलवे अस्पताल

7693. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में कितने रेलवे कर्मचारी रह रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में उनके लिए रेलवे का कोई अस्पताल नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर एक अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यमुना पार क्षेत्र के रहने वाले 1662 रेल कर्मचारियों ने रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में अपने नाम पंजीकृत करा लिए हैं।

(ख) जी नहीं। यमुना पार क्षेत्र, दिल्ली-शाहदरा में एक सम्पूर्ण स्वास्थ्य इकाई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र में रेल कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधायें फिलहाल पर्याप्त समझी जाती हैं।

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के विकलांग विभागों के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन

7694. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० ढोलकिया और डा० मुखोपाध्याय जिन्हें दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के विकलांग विभागों के कार्यकरण की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, ने सरकार को इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) इस दल का विचार था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विकलांग विज्ञान सम्बन्धी अच्छे कार्य का विकास किया जा सकता है जिसमें इस विषय की विशेषज्ञता पर अधिक से अधिक जोर लेने और क्वालिटी तथा उत्कृष्टता पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हुए खास-खास क्षेत्रों के कार्यों पर अधिक ध्यान देने की व्यवस्था हो।

(ग) संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल केवल निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषज्ञताओं का विकास करने का निर्णय किया गया था :—

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	1. तंत्रिका विज्ञान 2. हृदय रोग विज्ञान तथा हृदय वक्ष सर्जरी।
(2) स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़।	जठरान्त्र रोग विज्ञान
(3) सफदरजंग अस्पताल	प्लास्टिक सर्जरी और दग्ध।

पलवल में यमुना पर पुल

7695. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में रहीमपुर (पलवल) में यमुना पर पुल बनाने का कार्य जिसका नींव पत्थर 31-3-78 को प्रधान मंत्री द्वारा रखा गया था, शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस कार्य को दो वर्षों के भीतर पूरा करने के प्रधान मंत्री के आश्वासन पर दृढ़ रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्रमिक कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) राज्य सड़क पर स्थित होने के कारण, हरियाणा सरकार मुख्यत: इसके निर्माण से सम्बन्धित है। इस कार्य को प्रारंभ करने में कुछ विलम्ब हुआ है जिसका कारण पिछली वर्षा ऋतु में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण डिजाइन में परिवर्तन किया जाना है। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा टेंडरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही कार्य सुपुर्द किया जाने की सम्भावना है। कार्य के प्रारम्भ किए जाने के पश्चात् गाइड बन्दों सहित पुल के निर्माण को पूरा किया जाने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

राजस्थान में रेल लाइनें

7696. **श्री राम किशन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनों की लम्बाई कितनी थी और इस समय कितनी है तथा राजस्थान में रेल लाइनों की लम्बाई क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्रों में और कृषि और खनिजों को ध्यान में रखते हुए रेल लाइनों का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कहां और इस बारे में सर्वेक्षण कब से किया जा रहा है; और

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारत वर्ष में रेलवे लाइनों का मार्ग किलोमीटर जो प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में 53,596 था, अब बढ़कर 60,695 कि० मी० हो गया है। राजस्थान में वर्तमान मार्ग की लम्बाई 5,608 कि० मी० है।

(ख) से (घ) राजस्थान के सीमा क्षेत्र में रेलवे लाइनों के लिए कोई स्वीकृत योजना नहीं है। परन्तु बीकानेर और छत्तरगढ़ के बीच राजस्थान नहर के विकास के संदर्भ में एक नयी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

कटिहार रेलवे अस्पताल

7697. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार रेलवे अस्पताल में बहुत से रोगियों को जमीन पर लेटने के लिए मजबूर किया जाता है;

(ख) उस अस्पताल में कितने बिस्तर उपलब्ध हैं; और

(ग) उस अस्पताल के लिए कुछ और बिस्तरों की मंजूरी देने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जब किसी मौसम में सभी पलंगों पर रोगी हों, तो अन्य रोगियों को फर्श पर बिछे गद्दों पर रखा जाता है, जैसाकि अन्य स्थानों पर आम तौर पर होता है।

(ख) 99 पलंग।

(ग) कटिहार से लगभग 100 कि० मी० दूर माल्दा टाउन में 30 पलंग वाले एक अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि इसके बन जाने पर कटिहार रेल अस्पलाल में रोगियों की संख्या में कमी हो जायेगी।

काला बुखार अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना

7698. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडीसिन, कलकत्ता ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वित्तीय तथा अन्य सहायता के साथ काला बुखार अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने की योजना तैयार की है;

(ख) क्या योजना मई, 1978 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की मंजूरी के लिए भेजी गई थी;

(ग) यदि हां, तो योजना को मंजूर न किए जाने का क्या कारण है; और

(घ) इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् को इस योजना की सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी की गई नवीनतम हिदायतों के प्रकाश में पुनः जांच करने के लिए कह दिया गया है।

रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या

7699. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) उनमें से राजपत्रित, अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल सुरक्षा विशेष बल सहित सगभग 62,250 कर्मचारी।

(ख) रेलवे सुरक्षा विशेष बल तथा रेलवे बोर्ड में 209 राजपत्रित अधिकारी, लगभग 7900 अराजपत्रित कर्मचारी तथा लगभग 57141 अन्य ओहदों के कर्मचारी हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक्स-रे फिल्मों का धोया जाना

7700. **श्री युवराज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक्स-रे फिल्मों के धोने का काम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा करवाया जाता है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों से 'डार्क रूम' का कार्य भी करवाया जाता है; और

(ग) क्या इस अस्पाल में 18 दिसम्बर से एक्स-रे का काम रोक दिया गया है और यदि हां, तो उक्त कार्य कब से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से नहीं करवाया जायेगा और प्रशिक्षित कर्मचारियों को कब से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) जी हां, केवल कुछ ही मामलों में क्योंकि पहले इस अस्पताल में डार्क रूम असिसटेंटों के केवल तीन पद थे।

(ग) कर्मचारियों ने 18-12-78 से 31-1-79 तक नियमानुसार कार्य हड़ताल का सहारा लिया। अब सरकार ने इस अस्पताल के लिए डार्क रूम असिसटेंटों के आठ अतिरिक्त पद मंजूर कर दिए हैं। जैसे ही भर्ती नियमों के आधार पर ये पद भर दिये जायेंगे, यह कार्य ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जायेगा।

कोंकण लाइन का भविष्य

7701. **श्री बापू साहेब परुलेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स द्वारा चलाई जा रही कोंकण लाइन का भविष्य सरकार के विचारानुसार अनिश्चित है और यदि हां, तो किस तारीख से;

(ख) चोगले स्ट्रीमशिप से कोंकण लाइन के अधिग्रहण के समय यह निर्णय किया गया था कि कोंकण लाइन का भविष्य अनिश्चित है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मुगल लाइन, कोंकण सेवा कर्मचारियों को, कोंकण लाइन के भविष्य की अनिश्चितता के आधार पर मुगल लाइन को पृथक यूनिट समझती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) महाराष्ट्र सरकार के कहने पर भारत सरकार ने कोंकण यात्री सेवा, 1973 में मैसर्स चौगुले स्टीमशिप लि० से अपने हाथ में ली थी और 'न मुनाफा, न घाटा' के आधार पर चलाने के लिए मुगल लाइन लि० को सौंप दी थी। तब से यह कम्पनी इस सेवा को भारी घाटे के बावजूद चला रही है। सुधारात्मक उपाय करने के बावजूद भी अब तक इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुई है।

(ख) से (घ) मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लि० से अधिग्रहण करने के बाद कोंकण सर्विस यूनिट का विलय मुगल लाइन्स के साथ नहीं किया गया, और कोंकण यात्री सेवा के परिचालन की देखरेख के लिए कोंकण सेवा यूनिट वस्तुत: एक अलग यूनिट के रूप में कार्य कर रही है। कोंकण सेवा का कुछ स्टाफ भी मुगल लाइन लि० ने उन्हीं शर्तों पर ले लिया जो पहले मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लि० ने लागू कर रखी थीं। इस सेवा के परिचालन में निरन्तर भारी घाटा होने

के कारण इस स्टाफ की सेवा शर्तों और इनके वेतनों में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं हुआ है, परन्तु इन्हें कुछ सुविधाएं दी गयी हैं।

रेल गाड़ियों में बिस्तरों की सप्लाई

7702. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिस्तरों की सप्लाई के मामले में रेलवे के विभिन्न जोनों द्वारा एक ही फार्मूले का पालन नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो वर्तमान प्रथा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हावड़ा से चलने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी में वातानुकूलित 2 टियर शायिका वाले डिब्बों में पर्याप्त बेडरोल सप्लाई नहीं किए जाते हैं और पूरी राशि देने वाले यात्रियों को अपेक्षित चादरें आदि नहीं मिलती हैं और क्या रेलवे को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) एक बेडरोल में कितनी न्यूनतम निर्धारित वस्तुएं होती हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सभी रेलों के मार्गदर्शन के लिए बिस्तरे में दी जाने वस्तुएं निर्धारित कर दी गयी हैं। तथापि, बिस्तरे की वस्तुओं में जलवायु के अनुरूप मामूली घट-बढ़ हो सकती है। प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित 2 टियर शयन-यान के यात्रियों को बिस्तरे में दी जाने वाली वस्तुओं का विवरण इस प्रकार है :—

यात्रियों को बिस्तरे में दी जाने वाली वस्तुएं

प्रथम श्रेणी		वातानुकूलित 2-टियर शयनयान	
1. होल्डाल	1	1 चादरें	2
2. गद्दा	1	2 तकिया	1
3. चादरें	2	3 तकिया कवर	1
4. तकिया	1	4 कम्बल	1
5. तकिया कवर	1	5 छोटा तौलिया	1
6. कम्बल	1		
7. छोटा तौलिया	1		

मांगने पर यात्रियों को अतिरिक्त कम्बल भी दिए जाते हैं जिनके लिए 50 पैसे प्रति कम्बल प्रति रात्रि के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है।

(ख) और (ग) जी हां। इस बारे में शिकायतें मिली थीं तथा रेल प्रशासन ने हावड़ा और दिल्ली के बीच चलने वाले वातानुकूलित 2-टियर शयनयान के यात्रियों की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाये हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

7703. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहुत अपर्याप्त और अकुशल है, यदि हां, तो सरकार का विचार तुरन्त क्या कार्यवाही करने का है; और

(ख) क्या यह सच है कि बसों के लिए 'चेसिस' कलकत्ता से प्राप्त किए जाते हैं और 'बाडी' हरियाणा में बनवाई जाती हैं और इस प्रकार लम्बी प्रक्रिया से असाधारण विलम्ब होता है, क्या इस बात को देखते हुए सरकार पद्धति को आसान बनाने के बारे में विचार कर रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

एटेन्डेंट के रूप में नमित्तिक कर्मचारी

7704. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में विभिन्न रेलवे में रेलगाड़ियों में एटेन्डेंट की ड्यूटी करने वाले कुल कितने नमित्तिक/दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी हैं;

(ख) ये कर्मचारी ऐसी अस्थायी ड्यूटी कब से कर रहे हैं तथा उनकी न्यूनतम से अधिकतम सेवावधि क्या है;

(ग) क्या सरकार रेलवे में उनकी सेवा नियमित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फर्मास्यूटिकल्स और अन्य सहायक उद्योगों द्वारा फील्ड कर्मचारियों को लाभ देने से इन्कार करना

7705. **श्री समर मुखर्जी**
श्री दीनेन भट्टाचार्य } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि फार्मास्यूटिकल्स और अन्य सहायक उद्योग प्रबन्धक फील्ड कर्मचारियों को भविष्य निधि बोनस, मंहगाई भत्ता आदि के रूप में संविधानिक लाभ से वंचित रख रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया से प्राप्त मांग पत्र से पता चलता है कि चिकित्सा और बिक्री कर्मचारी महंगाई भत्ता बोनस, कर्मचारी राज्य बीमा लाभ, आदि प्राप्त नहीं कर रहे हैं ।

(ख) फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में बिक्री सवर्धन कर्मचारियों की कुछ समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए शीघ्र ही एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का विचार है ।

मैडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ज को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

7706. **श्री समर मुखर्जी**
श्री दीनेन भट्टाचार्य } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) का संशोधन करके फार्मास्यूटिकल तथा अन्य सम्बन्धित उद्योगों में कार्य कर रहे मैडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ज को औद्योगिक विवाद अधिनियम के लाभ देकर उनको रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1976 की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1947 के लाभ उन विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को पहले से ही दिये गये हैं जो 750/- रु० प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त नहीं करते या 9000/- रु० प्रतिवर्ष से अधिक कमीशन प्राप्त नहीं करते । तथापि, 30 अगस्त, 1978 को लोक सभा में पेश किये गये औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक, 1978 के खण्ड 2 के उपखंड 9 की परिधि में विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी बिना किसी मजदूरी सीमा के एक अलग वर्ग के रूप में आते हैं ।

एस० पी० ई० एक्ट में मजूरी की अधिकतम सीमा

7707. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एस० पी० ई० एक्ट परिलब्धियों पर अधिकतम सीमा निर्धारित कर किसी कर्मचारी को, (यदि वह परिलब्धियों की सीमा पार कर जाता है) संरक्षण देने से इंकार करके जीवन की किसी अवस्था में जबकि बढ़ती हुई आयु उसके सामने भय पैदा करती है, अयोग्य ठहरा सकता है, (इस विचार से वृद्धावस्था में कर्मचारी के मन में असुरक्षा की भावना होती है क्योंकि वैकल्पिक रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं); और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एस० पी० ई० एक्ट में से मजूरी की अधिकतम सीमा को निकाल देने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 इस समय केवल उन कर्मचारियों पर ही लागू होता है जो प्रतिमाह 750/- रु० से अधिक वेतन प्राप्त नहीं करते या प्रतिवर्ष 9000/- रुपये से अधिक मजदूरी या कमीशन प्राप्त नहीं करते ।

(ख) जी, हां । औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक, 1978 में, अन्य बातों के साथ-साथ, विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के लिये मजदूरी-सीमा समाप्त करने का प्रस्ताव है ।

बिहार राज्य के चिकित्सा कालेजों में प्रवेश

7708. **श्री बागुन सम्बरुई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में चिकित्सा कालेजों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए विज्ञान की परीक्षा में सफल होने से पूर्व शारीरिक रूप से स्वस्थता की परीक्षा में सफल होना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में इस पद्धति को भारत सरकार ने अपनी मन्जूरी दी थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) बिहार में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में बैठने के इच्छुक उम्मीदवार को चिकित्सा अधिकारी से जो सिविल असिस्टेंट सर्जन से कम के पद का न हो, निम्नलिखित आशय के एक प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करना होता है कि (1) वह कुष्ठ रोग, क्षयरोग आदि जैसे किसी संचारी रोगों से पीड़ित नहीं है, (2) उसकी दृष्टि कम से कम 6/12 है; तथा (3) स्टेथेस्कोप सुनने की क्षमता रखता है । प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा की यह पद्धति उसी पैटर्न पर आधारित है जो लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी मिश्रित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रचलित है ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है ।

विदेश मन्त्री द्वारा अमरीका की यात्रा

7709. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1979 के अन्तिम सप्ताह में उनके द्वारा लगभग 10 दिन के लिये अमरीका की यात्रा की जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत-अमरीका संयुक्त आर्थिक आयोग में भाग लेने के लिए उनके साथ कुछ विशेषज्ञों का प्रतिनिधि मंडल भी जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि मंडल के लिये चुने गये व्यक्तियों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सभरेन्द्र कुण्डू) : (क) विदेश मन्त्री अप्रैल के अंतिम सप्ताह में संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा पर जाने वाले हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) विदेश मंत्री के साथ जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं—

1. श्री जगत सिंह मेहता, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय ।
2. प्रोफ़ेसर एम० जी० के० मेनन, सचिव, विज्ञान और तकनीकी विभाग।
3. श्री पी० पी० डिसूजा, संयुक्त सचिव, विदेश मत्रालय ।
4. श्री जे० एन० दीक्षित, सचिव, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ।
5. श्री टी० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय ।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत और वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास के कुछ अधिकारी भी शामिल होंगे ।

लघु पत्तन

7710. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने किन पिछले निर्माणाधीन और नए लघु पत्तनों का निर्माण कार्य पूरा करने का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) पांचवीं योजना में और पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं में लघु पत्तनों के विकास के लिए पत्तनवार कितना धन आवंटित किया गया है;

(ग) उनके मन्त्रालय ने लघु पत्तनों के बारे में क्या नीति अपनाई है; और

(घ) भारत सरकार ने पिछले निर्माणाधीन लघु पत्तनों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों को छोड़कर अन्य पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। परन्तु पहले प्रत्येक समुद्री राज्य से चुने हुए एक छोटे पत्तन के आधार पर छोटे पत्तनों के विकास के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई है।

2. पांचवीं योजना अवधि में चौथी योजना से केवल आगे ले जाई गई योजनाओं को लिया गया था और कोई नई योजना शामिल नहीं की गई थी।

पांचवीं योजना के दौरान आगे ले जाई गई योजनाओं के लिए स्वीकृत किये गए ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	पत्तन/योजनायें	पांचवीं योजना में स्वीकृत ऋण (रुपये लाखों में)
आंध्र प्रदेश	काकीनाड़ा	77.39
केरल	बेपोर	96.20
उड़ीसा	*गोपालपुर	12.50
कर्नाटक	*कारवाड़	20.33
गुजरात	पोरबन्दर	488.63
महाराष्ट्र	रत्नगिरि	12.00

*योजनाएं,जो योजना आयोग ने स्वीकृत नहीं की हैं परन्तु सांकेतिक नियतन स्वीकृत किये गए हैं।

(ग) और (घ) 1978-83 योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निर्णय किया है कि छोटे पत्तनों का विकास, राज्य योजनाओं के क्षेत्र का भाग माना जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राज मार्ग

7711. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आदिवासी क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्गों के नाम क्या हैं ?

(ख) राष्ट्रीय मुख्य धारा पर इन्हें लाने हेतु आदिबासी क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने और इनकी व्यवस्था करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या नीति अपनाई गई है; और

(ग) इस बारे में इन क्षेत्रों के लिए छठी योजना के कार्यक्रम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क), से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और उनका विकास संपूर्ण देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किया जाता है न कि किसी क्षेत्र के आधार पर। इस प्रक्रिया में कई राष्ट्रीय राजमार्ग आदिवासी क्षेत्रों में से भी गुजरते हैं जैसा कि संलग्न सूची में दिखाया गया है। वित्तीय दबाव और अन्य प्राथमिकता के कारणों से सरकार मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में कोई नई वृद्धियां करने में असमर्थ हैं। जहां तक आदिवासी क्षेत्रों से अथवा अन्य स्थानों से मिलाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से राज्य सरकार का संबंध है, छठी योजना (1978-83) में इन सड़कों को आदिवासी क्षेत्रों से मिलाने वाली सड़कों के लिए विशेष व्यवस्था रखी गई है। चूंकि अभी छठी योजना के नियतनों को अंतिम रूप दिया जाना है, अभी मामले का अंतिम चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

विवरण

देश के आदिवासी क्षेत्रों में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण

क्रम संख्या	रा० रा० संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम	अभ्युक्ति
1	2	दिल्ली-आगरा-इलाहाबाद-मोहनिया-बरही और कलकत्ता ।	
2	3	आगरा-ग्वालियर-इंदौर-धूलिया- नासिक और बम्बई ।	
3	5	बहारागोरा-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम-विज़यवाड़ा और मद्रास ।	
4	6	धूलिया-नागपुर-संबलपुर-बहारागोरा और कलकत्ता ।	
5	7	वाराणसी-रीवा-जबलपुर-नागपुर-हैदराबाद-बंगलौर-सालम और केप कमरिन ।	
6	8	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर-अहमदाबाद-बड़ौदा और बंबई ।	
7	17	पानवल-महद-पानाजी-कारबार-मंगलौर और त्रिचूर ।	
8	22	अम्बाला-कालका-शिमला-रामपुर और चीनी और शिपकी-ला के पास भारत और तिब्बत के बीच पड़ने वाली सीमा से आगे ।	
9	23	चास-रांची-रूरकेला-तालचार और राष्ट्रीय राजमार्ग 42 पर समाप्त होने वाले ।	
10	26	लखनऊ-कानपुर-झांसी और लाखंडन	
11	31	बरही-भक्तियारपुर-मोकमेह-पुरनिया-डलखोला-सिलीगुड़ी-सीवाक-कूचबिहार-नौर्थ सालीमारा और पौंड के समीप अमीगांव ।	
12	32	गोविन्दपुर-धनबाद और जमशेदपुर ।	
13	33	बरही-रांची-टाटानगर और बहारागोरा ।	
14	36	नवगांव-डबका और दीमापुर ।	

1	2	3
15	37	गोलपारा-गुहाटी-जोरहट-कुमारगांव-काकुम और सायखोआ घाट।
16	39	कुमारगांव-इंफाल-पलाल और बर्मा और भारत के बीच पड़ने वाली सीमा से आगे।
17	40	जोरहट-शिलांग और दावकी के समीप बांगलादेश और भारत के बीच पड़ने वाली सीमा से आगे।
18	43	रायपुर-विजयानगरम और विजयानगरम के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के साथ इसके जंक्शन से आगे।
19	44	शिलोंग-जोवाय-पासी-बदरपुर और अगरतल्ला।
20	45	मद्रास-त्रिचुरापल्ली और दिन्दीगुल।
21	48	बंगलौर-हासन-मंगलौर।

रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करना

7712 **श्री आर० के० महालगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को बम्बई की पत्तन लाइन पर एक रेलवे स्टेशन के नाम को तेज बहादुरसिंह नगर की बजाय कोलवाड़ा के रूप में बदलने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) निकट भविष्य में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान अभ्यावेदन में की गई मांग के बारे में फरवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह में आन्दोलन के विभिन्न समाचारों की ओर दिलाया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1976 से अब तक अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार किसी रेलवे स्टेशन के वर्तमान नाम में परिवर्तन सम्बद्ध राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है और राज्य सरकार को इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति प्राप्त करनी होती है। फिलहाल, यह मामला महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के विचाराधीन है।

(घ) जी हां।

तरसाई स्टेशन पर 'हाल्ट' बनाया जाना

7713. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरसाई ग्राम पंचायत तथा जाग्रती युवक मंडल, तरसाई ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में जेटलसर-पोरबन्दर रेलवे लाइन पर तरसाई स्टेशन पर वहां से प्रातः गुजरने वाली फास्ट पैसेंजर 335 अप और शाम को गुजरने वाली 336 डाउन का 'हाल्ट' बनाने की मांग की है; और

(ख) तरसाई स्टेशन पर जहां पर 5,0 0 की आबादी है, उपरोक्त रेलगाड़ियों के 'हाल्ट' की कब तक व्यवस्था की जायगी, और 'हाल्ट' कितने समय का होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) 1-5-79 से गाड़ी ठहरायी जायेगी ।

29-अप/30-डाउन रेल गाड़ियों के लिए गोमटा स्टेशन पर हाल्ट बनाया जाना

7714. **श्री धर्मसिह भाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमटा तथा अन्य गांवों की ग्राम पंचायत ने 11 सितम्बर, 1978 को पश्चिम रेलवे के भावनगर डिवीजन के डिवीजनल अधीक्षक को अभ्यावेदन भेजा था कि सौराष्ट्र गुजरात में राजकोट-जेतलसर रेलवे लाइन पर गोमटा रेलवे स्टेशन पर 29 अप तथा 30 डाउन भावनगर-ओखा तथा ओखा-भावनगर द्रुत यात्री गाड़ियों के लिए दो मिनट का हाल्ट बनाया जायें; और

(ख) गोमटा तथा अन्य निकटवर्ती दस गांवों की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों के सम्बन्ध में गोमटा स्टेशन पर दो मिनट 'हाल्ट' की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) 1-4-79 से 29/30 भावनगर-ओखा रोड तेज़ सवारी गाड़ी को 2 मिनट के लिए गोमटा में ठहराने की व्यवस्था की गयी है ।

वेरावल और जेतलसर के बीच लिंक ट्रेन का चलाया जाना

7715. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रदेश के जूनागढ़ जिले में श्री नागरिक संघ, प्रभास पाटण ने पोरबन्दर-अहमदाबाद (सुपर फास्ट गांधीग्राम एक्सप्रेस) ट्रेन में वेरावल से जेतलसर तक की लिंक ट्रेन जोड़ने के बारे में 4 सितम्बर, 1978 को पश्चिम रेलवे, बम्बई के महाप्रबन्धक और डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट भावनगर को अभ्यावेदन भेजा था; और

(ख) लिंक ट्रेन कब और किस प्रकार जोड़ने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) यद्यपि श्री नागरिक-संघ, प्रभास पाटन से दिनांक 4-9-78 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है, बेरावल से

जेतलसर तक 45 अप गांधीग्राम एक्सप्रेस से मेल लेती हुई एक सम्पर्क गाड़ी 9-8-78 से अर्थात् गांधीग्राम एक्सप्रेस चालू करने के समय से ही उपलब्ध थी । जनता की मांग पर 46 डाउन अहमदाबाद-पोरबन्दर गांधीग्राम एक्सप्रेस और तेज सवारी गाड़ी के बीच समुचित मेल लेने की भी व्यवस्था कर दी गई है जिससे 1-11-78 से जेतलसर से वेरावल तक एक सम्पर्क गाड़ी की व्यवस्था हो जाये ।

जूनागढ़ ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन द्वारा अभ्यावेदन

7716. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूनागढ़ ग्रेन, सीड्स एण्ड शुगर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन जूनागढ़ ने नये बस अड्डे के निकट रेलवे लाइन पर नीचे का अथवा उपरि पुल बनाने के बारे में उनको तथा महाप्रबन्धक पश्चिम रेलवे को 11 अगस्त, 1978 को अभ्यावेदन भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जूनागढ़ में नये बस अड्डे के निकट कब और कैसे नीचे का अथवा ऊपरी पुल का निर्माण किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) जी हां । स्थल का निरीक्षण किया गया है और स्थल पर विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों से वहां निचले सड़क पुल का निर्माण भी व्यावहारिक नहीं समझा जाता । ऊपरी सड़क पुल का निर्माण भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उत्तर में रोड जंकशन है तथा समपार के बिल्कुट निकट बस अड्डा है । वर्तमान नियमों के अनुसार, मौजुदा समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण सम्बन्धी सभी प्रस्ताव राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इस आश्वासन के साथ प्रायोजित किये जाने चाहिए कि वे अपने हिस्से की लागत वहन करेंगे । जूनागढ़ में मौजूदा समपार संख्या 1 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए अभी तक न तो गुजरात राज्य सरकार से और न ही जूनागढ़ नगर-पालिका से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । जैसे ही राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस आश्वासन के साथ कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा कि वह अपने हिस्से की लागत वाहन करेंगे, ऊपरी/निचले सड़क पुल के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक स्थान खोजने के सम्बन्ध में रेलों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम

7717. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मन्त्रालय ने सड़क क्षेत्र में एक व्यापक अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो (एक) योजना और कार्यक्रम क्या है, (दो) इन योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है, (तीन) उड़ीसा राज्य में

से होकर जाने वाले तथा निर्माण किये जाने वाले राष्ट्रीय राजपथों के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) (i) और (ii) 1976-77 में 5.22 करोड़ रुपए की 12 तत्काल महत्ता वाली प्राथमिकता समस्याओं का एक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके पश्चात् 3.6 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से 1978-83 अवधि के दौरान 18 समस्याओं का दूसरा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तय किया गया। इन विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1978-83 के योजना प्रारूप में 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) आरक्षण से कुछ अनुसंधान योजनाओं को वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव है।

(iii) कार्यान्वित की जा रही इन योजनाओं का आशय देश में विशेष सड़क और पुल समस्याओं का जो कि विभिन्न भौतिक और वातावरण सम्बन्धी हैं उनका समाधान करना है न कि केवल राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित है। समस्या के किये जा रहे परीक्षण के आधार पर योजना को चुना जाता है। इनमें से कुछ समस्यायें प्रयोगशाला केन्द्रित होती है और उनके लिए किसी जांच टुकड़ों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को अथवा उड़ीसा में निर्माण किए जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यों का ठीक ब्यौरा देना सम्भव नहीं।

इलाहाबाद और अलीगढ़ में पार्सल चढ़ाने-उतारने के ठेके

7718. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या इलाहाबाद डिवीजन में इलाहाबाद और अलीगढ़ के पार्सल चढ़ाने-उतारने के ठेके और इलाहाबाद, अलोघाट और एच० आर० एफ० ग्रुप के माल चढ़ाने उतारने के ठेके देने के लिए सहकारी समितियों से सीमित निविदायें आमन्त्रित की गई थीं;

(ख) क्या सहकारी समितियों से टेंडर आमन्त्रित करने की अधिसूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी;

(ग) क्या 5 रुपये का भुगतान करके समितियों को जारी किये गये टेंडर फार्मों में टेंडर की शर्तें समुचित रूप से अधिसूचित की गई थीं;

(घ) क्या टेन्डरों में उक्त ठेकों के लिए समितियों से वर्तमान दरों से कम दरें प्राप्त हुई थीं; और

(ङ) क्या वे सहकारी समितियां, जिन्होंने उक्त ठेकों के लिए कम दरों का प्रस्ताव किया था, रेल विभाग और सहकारिता विभाग द्वारा की गई जांच के अनुसार वास्तविक समितियां हैं और यदि हां, तो अब तक कम दरों पर ठेकों का आवंटन न करने का क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) जी हां।

(ङ) इलाहाबाद में माल की सम्हलाई के ठेके को छोड़कर सभी ठेकों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और सहकारी समितियों को उनकी प्रमाणिकता का सत्यापन करने के बाद

आवंटित कर दिए गए हैं। इलाहाबाद में माल सम्हलाई का ठेका वास्तविक कामगारों की प्रमाणिक सहकारी समिति को आवंटित करने का प्रश्न विचाराधीन है क्योंकि इस ठेके को प्रदान करने के पक्ष और विपक्ष में इनके अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कानपुर के साइकिल स्टैंड का ठेकेदार

7719. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में साइकिल स्टैंड के ठेकेदार ने, जिसकी ठेका की अवधि 31 जनवरी, 1979 को समाप्त हो गई थी, रेलवे की भारी राशि लगभग 40,000 रुपये जमा नहीं कराई थीं;

(ख) क्या इस कारण उक्त ठेकेदार के नाम पर साइकिल स्टैंड का ठेका डी एस/ इलाहाबाद द्वारा 16 जनवरी, 1979 से समाप्त कर दिया गया था;

(ग) क्या सक्षम अधिकारी द्वारा ठेका समाप्त किये जाने के बाद भी कुछ अधिकारियों ने अपने अवैध लाभ के लिए इस ठेके को 31 जनवरी, 1979 तक चलने दिया; और

(घ) सरकार का ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो उक्त साइकिल ठेकेदार से समय पर देय राशि वसूल नहीं कर सके और समाप्त ठेका को 16 जनवरी, 1979 के आगे चलने दिया ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) ठेकेदार ने लाइन्सेस फीस के रूप में 14,600 रु० की रकम ठेके की वैध तारीख 31-3-1979 तक जमा नहीं की थी जिसे ठेकेदादर की प्रतिभूति निक्षेप की रकम से समायोजित कर दिया गया है।

(ख) ठेके की अवधि 31-1-79 को समाप्त हो गई है और इस ठेकेदार के पक्ष में उसे दुबारा नहीं दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) लाइसेंस फीस की बकाया रकम ठेकेदार के प्रतिभूति निक्षेप से पहले ही समायोजित कर ली गई है और इस प्रकार किसी चूक के लिए कार्रवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

लेडी हार्डिग अस्पताल का नाम बदला जाना

7720. **श्री दया राम शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिग अस्पताल का नाम बदल कर सुचेता कृपलानी अस्पताल रख दिया गया है और कालेज का नाम नहीं बदला गया है; और

(ख) कालेज का नाम न बदले जाने के क्या कारण हैं और कालेज का नाम कब तक बदल दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के कर्मचारियों और छात्रों ने यह अभ्यावेदन किया था कि स्वयं लेडी हार्डिंग ने इस कालेज की स्थापना करने में बहुत परिश्रम किया था और भारत में महिलाओं की चिकित्सा शिक्षा उनके समर्पित प्रयत्नों की देन है। वर्षों से महिला चिकित्सा छात्राओं की कई पीढ़ियां इस कालेज से शिक्षा पाकर बाहर निकलती हैं और उनका इस कालेज के नाम से एक भावुकतापूर्ण लगाव है। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि लेडी हार्डिंग का नाम इस कालेज के साथ लगा रहने दिया जाना चाहिए और केवल अस्पताल का नाम ही बदला जाये।

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

7721. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अप और डाउन की कौन-2 सी रेलगाड़ियां शुरू होती हैं, खत्म होती हैं और वहां से होकर गुजरती हैं,

(ख) क्या यह सच है कि स्टेशन में रेलगाड़ियों का आवागमन अधिक हो गया है जिसके परिणामस्वरूप स्टेशन पर उतरने वाले और चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन मूल आवश्यकतायें विशेष रूप से वहां पर प्लेटफार्म टिकटों के लिये पृथक बिक्री काउण्टर कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) यदि हां, तो यात्रियों के आवागमन के बारे में सरकार का अनुमान क्या है; और

(घ) निकट भविष्य में प्लेटफार्म टिकटों के लिए एक पृथक बिक्री काउण्टर खोलने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) प्रतिदिन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर 59 गाड़ियां शुरू/समाप्त होती और ठहरती हैं।

(ख) से (घ) इस स्टेशन पर उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों की दैनिक संख्या क्रमशः 3045 और 3575 है। प्लेटफार्म टिकटों की दैनिक बिक्री 919 है।

इस समय प्लेट फार्म टिकट दूसरे दर्जे की खिड़की से जारी किये जाते हैं और यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है। जब और जैसे ही औचित्य समझा गया, प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री के लिए एक अलग काण्उटर खोल दिया जायेगा।

जन्म दर

7722. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1978-79 के अन्त तक जन्म दर घटा कर 30 प्रति हजार करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निकट भविष्य में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां। वैसे केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषदों के संयुक्त सम्मेलन की जनवरी, 1978 में हुई बैठक में परिवार नियोजन के काम' उसकी उपलब्धियों और जन्म-दर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा इसकी समीक्षा की गई और 1982-83 तक जन्म-दर को घटाकर 30 प्रति हजार जनसंख्या लाने के संशोधित लक्ष्य की सिफारिश की गई।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के काम में गिरावट आने के कारण 1978-79 तक 30 प्रति हजार की जन्मदर को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसका मुख्य कारण आपातकाल में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जोर-जबर्दस्ती की व्यापक शिकायतों का होना था।

(ग) 1982-83 तक जन्म-दर को घटाकर 30 प्रति हजार तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के अभिप्राय से एक आपरेशनल कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत 2·5 करोड़ स्वैच्छिक नसबन्दी आपरेशनों, 50 लाख लूप-निवेशनों का लक्ष्य रखा जाएगा तथा प्रतिवर्ष औसतन 50 लाख लोगों को प्रचलित गर्भ-निरोधकों और खाई जाने वाली गोलियों का उपयोग कराया जाएगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और पोषाहार सेवाओं को सभी स्तरों पर अधिकाधिक एकीकृत किया जा रहा है तथा एकोद्देशीय कार्यकर्ताओं को जो विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत मंजूर किए गए हैं, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं में परिणत किया जा रहा है। इसके साथ-साथ परिवार कल्याण कार्य को जोरदार ढंग से चलाया जा रहा है और इसके कल्याण पक्ष की ओर तथा लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी देने और समझा बुझाकर इसे स्वीकार कराने की दिशा में प्रयासों को तेज कर के उन्हें गर्भ-निरोधकों का स्वेच्छा से इस्तेमाल करवाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छोटा परिवार के सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए शैक्षिक और प्रेरणात्मक कार्यों को तेज कर दिया गया है और सारे देश में सैकड़ों ओरियन्टेशन ट्रेनिंग कैम्प लगाए जा रहे हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबन्ध है, वहां पर प्रसूति सेवाओं में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस काम के लिए प्रसव करवाने वाली परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षण देकर उन्हें बढ़िया औजार दिए जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना भी इसी प्रयास का एक अंग है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के परिवार नियोजन और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य पहलुओं को अच्छी तरह से कार्य रूप देने में मदद मिल रही है। इससे दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुलभ कराई जाएगी। जन स्वास्थ्य रक्षकों में पहले ही निरोध बांटने का काम शुरू कर दिया है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच स्वस्थ होड़ को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की एक योजना चालू कर दी गई है। जनवरी से मार्च, 1979 की अवधि में किए गए कार्य के लिए विशेष पुरस्कारों की घोषणा भी कर दी गई है। छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने और बच्चों की बढ़िया ढंग से देख-भाल करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से इस अवधि को 'परिवार नियोजन तिमाही' के रूप में मनाया गया।

कलकत्ता पत्तन

7723. **श्री सचीन्द्र लाल सिंधा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में माल लादने और उतारने के बारे में कलकत्ता पत्तन को स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कलकत्ता पत्तन के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) कलकत्ता में पिछले तीन वर्षों में धरा उठाई किए गए माल का विवरण :—

(मि० टनों में)

मास	लदान	उतार	कुल
जनवरी, 79	178260	95581	273841
फरवरी, 79	141006	103181	244187
मार्च,, 79	103990	98396	202386

माल की धराउठाई में गिरावट मुख्यत: श्रम समस्याओं और समुद्री व्यापारी कार्मिक द्वारा की गई हड़ताल के कारण हुई ।

(ख) कलकत्ता पत्तन के कार्य में सुधार करने के लिए कई एक कदम उठाये गए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(i) भारतीय नौहवन निगम और सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को मोबाइल उपस्करों की उपलब्धता के लिए अपनी फोर्क लिफ्टें लाने की अनुमति प्रदान की गई है ।

(ii) माल के लदान और निकासी में सुधार के लिए मूरिंग/बोयों और सागर एकरेज का गहन प्रयोग ।

(iii) गिफ्ट का माल और उर्वरक जो जमा हो रखा है को ट्रांजिट क्षेत्रों से हटाकर गोदियों से बाहर गोदामों/शेडों में ले नाया जा रहा है ।

इस कार्यवाही के फलस्वरूप माल के लदान और उतार की दर में काफी वृद्धि हुई है। ट्रोजिट शैडों से माल निकाल कर वहां किसी हद तक माल के जमाव को कम किया गया है। जहाजों का प्रतीक्षा समय कम हो गया है। 16 मार्च, 1979 को 37 जहाज घाट की प्रतीक्षा कर रहे थे और सामान्य माल जहाजों की प्रतीक्षा अवधि 28 दिन थी। 16 प्रप्रैल, 1979 को, 24 जहाज प्रतीक्षा कर रहे थे और सामान्य माल जहाजों के प्रतीक्षा का समय घट कर 28 से 9 दिन हो गया ।

कलकत्ता पत्तन का प्रबन्ध ढांचा

7724. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कलकत्ता पत्तन के प्रबन्धकीय ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में कुप्रबन्ध के कारण इस पत्तन में ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रबन्धकों के बारे में अब तक कोई जांच की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ङ) कलकत्ता पत्तन के उचित कार्यकरण के लिए अद्यतन की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) कलकत्ता पत्तन और हल्दिया गोदी पद्धति जो कि इसका भाग है, इसका प्रबन्ध कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो कि एक सांवधिक प्राधिकरण है। पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड का गठन मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1) की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किया गया है। पत्तन न्यास का अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी नहीं है। कलकत्ता पत्तन के प्रबन्ध में एक उप अध्यक्ष और 12 विभागों के प्रमुख और उनके सहायक कर्मचारी उसकी सहायता करते हैं। हल्दिया डाक पद्धति के प्रबन्ध के लिए उसको एक महाप्रबन्धक, एक उप-महाप्रबन्धक, 5 संभागीय प्रबन्धकों और उनके सहायकों द्वारा सहायता दी जाती है। कलकत्ता में डाक लेबर फोर्स जो कि कानूनी रूप से डाक लेबर बोर्ड के अधीन है, के अतिरिक्त एक लेबर फोर्स है जो कि सीधे रूप से दोनों स्थानों अर्थात कलकत्ता और हल्दिया के पत्तन न्यास बोर्ड के अधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) कलकत्ता पत्तन के कार्य में सुधार करने के लिए कई एक कदम उठाए गए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(I) भारतीय नौवहन निगम और सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी को मोबाइल उपस्करों की उपलब्धता के लिए अपनी फोर्क लिफ्टें लाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(II) माल के लदान और निकासी में सुधार के लिए मूरिंग/बोयों और सागर ऐंकरेज का गहन प्रयोग।

(III) गिफ्ट का माल और उर्वरक जो जमा हो रखा है, को ट्रांजिट क्षेत्रों से हटाकर गोदियों से बाहर गोदामों/शैडों में ले जाया जा रहा है।

इस कार्यवाही के फलस्वरूप माल के लदान और उतार की दर में काफी वृद्धि हुई है। ट्रांजिट शैडों से माल निकाल कर वहां किसी हद तक माल के जमाव को कम किया गया है।

जहाजों का प्रतीक्षा समय कम हो गया है। 16 मार्च, 1979 को 37 जहाज घाट की प्रतीक्षा कर रहे थे और सामान्य माल जहाजों की प्रतीक्षा अवधि 28 दिन थी। 16 अप्रैल, 1979 को, 24 जहाज प्रतीक्षा कर रहे थे और सामान्य माल ज़हाज़ों के प्रतीक्षा का समय घटाकर 28 से 9 दिन हो गया।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा प्रचार पर व्यय

7725. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा गत 3 वर्षों में प्रचार पर किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस निगम द्वारा गत तीन वर्षों में (वर्ष-वार, राज्य-वार, भाषा-वार) प्रचार के लिए किन दैनिक समाचार पत्रों तथा साप्ताहिकों का उपयोग किया गया ;

(ग) इस निगम से प्रचार सामग्री एकत्र करने वाले मान्यता प्राप्त संवाददाता का नाम क्या है;

(घ) ग्राम्य प्रेस के प्रति प्रचार की प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार की छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों की सहायता करने की नीति का अनुसरण करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी।

55 डाउन तथा 56 अप रेल गाड़ियों में यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाया जाना

7726. **श्री चतुर्भुज :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा से मथुरा 55 डाउन और 56 अप पैसेंजर रेल गाड़ियों में इस समय यात्री डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) इस लाइन के लिए ऐसे कितने यात्री डिब्बे मंजूर हैं और यदि मंजूर संख्या से कम डिब्बे उपलब्ध कराये जाते हैं तो इसके क्या कारण हैं और डिब्बों की स्वीकृत संख्या कब तक उपलब्ध करायी जायेगी; और

(ग) क्या सरकार इस लाइन के पैसेंजर रेल गाड़ियों में यात्री डिब्बों संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 55/56 बड़ौदा-मथुरा सवारी गाड़ी का प्राधिकृत संघटन 7 सवारी डिब्बे हैं। लेकिन, कभी-कभी यह गाड़ी केवल 6 सवारी डिब्बों के साथ चलती है क्योंकि जब कभी यांत्रिक/बिजली सम्बन्धी मरम्मत के लिए किसी सवारी डिब्बे को हटाया जाता है तो बदलाव प्रयोजन के लिए सवारी डिब्बों की उपलब्धता में कमी के कारण सवारी डिब्बा सुलभ नहीं होता है।

(ग) गर्मियों की भीड़भाड़ कम होते ही पूरे सवारी डिब्बों से युक्त गाड़ी का संचलन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

रुग्ण माल डिब्बे

7727. **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कोटा-नागदा रेल लाइन के स्टेशनों पर कितने माल डिब्बे रुगण घोषित किये गये और इनमें से कितने माल डिब्बों की मरम्मत करायी गयी तथा लदान के लिए भेजे गये और इनको लदान के लिए भेजने में कितना समय लगा;

(ख) ऐसे डिब्बों की संख्या कितनी है जिन्हें रुग्ण घोषित किया गया और 9 महीनों तक जिनमें लदान नहीं किया जा सका;

(ग) इस दोष के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पिछले 6 महीनों के दौरान (अक्तूबर, 78 से मार्च, 79 तक) कोटा-नागदा खंड में 474 माल डिब्बे खराब घोषित किये गये थे और प्रति माल डिब्बा 10 दिन की औसत अवधि के अन्दर उन सबकी मरम्मत कर दी गयी थी और उन्हें भेज दिया गया था।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मेडिकल अधिकारी प्रभारी द्वारा जूनियर मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति

7728. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठनों के मेडिकल अधिकारी प्रभारी अपनी शक्तियों के अन्तर्गत दैनिक/मासिक मंजूरी आय के आधार पर जूनियर मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में भी इस बारे में समान नीति लागू करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां। दिल्ली से बाहर वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संगठनों के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है कि वे नियमित आधार पर चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती होने तक चिकित्सा अधिकारियों को मासिक वेतन पर नियुक्त कर सकते हैं। यह प्रबन्ध डाक्टरों की कमी के कारण औषधालयों को सुचारू रूप से चलाने में होने वाली कठिनाई पर काबू पाने के लिए किया गया है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन काम कर रहे अनेक डाक्टरों को पहले ही तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है।

रेल मन्त्रालय में पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

7729. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय में पदों का दर्जा बढ़ाये जाने से पूर्व चेयरमैन रेलवे बोर्ड से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कितने पद थे और इस समय कितने पद हैं;

(ख) कार्य भार स्पष्टतः कोई वृद्धि न होने के बावजूद सभी नये पद बनाये जाने का क्या औचित्य है;

(ग) बार्ड में कर्मचारियों की संख्या को कम करने की बार-बार घोषित नीति को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है और उच्च प्रबन्धकीय पदों में वृद्धि और पदों का बाहुल्य होने के क्या कारण हैं, जिनकी वजह से विलम्ब होता है और कर्मचारियों तथा जनता के लिए असुविधा होती है; और

(घ) क्या नये पदों को मंजूरी देने में किसी स्तर पर वे अन्तर्ग्रस्त' थे और यदि नहीं तो कार्य निष्पादन के आधार पर वर्तमान और भावी कर्मचारियों की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए उनके मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति को अधिकार क्यों नहीं दिये जाते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1-1-73 को अर्थात् रेल मंत्रालय ग्रेड बढ़ाने से पूर्व तथा आज तक वर्ग 'क', वर्ग 'ख', वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' में पदों की संख्या इस प्रकार है :—

	पदों की संख्या	
	ग्रेड बढ़ाने पूर्व (1-1-73)	आज
वर्ग 'क'	208	253
वर्ग 'ख'	181	223
वर्ग 'ग'	1714	1624
वर्ग 'घ'	543	539

(ख) नये पदों का सृजन, बढ़े हुए कार्यभार के आधार पर औचित्य की पूरी तरह जांच करने के बाद दिया गया था ।

(ग) सर्वोच्च प्रबन्ध-पदों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । वास्तव में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड की पुनर्संरचना के फलस्वरूप अपर सदस्यों के सभी 8 पद समाप्त कर दिये गये थे । इसके बदले, सलाहकार के 3 पदों और निदेशक के दो पदों का सृजन किया गया था । लेकिन वर्ग 'क' और 'ख' में संख्या की वृद्धि रेल सेवाओं के विभिन्न संवर्गों की पुनर्संरचना और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशों के अनुसार डेस्क अधिकारी प्रणाली लागू करने के कारण हुई है । वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' के पदों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(घ) वर्तमान नियमों के अनुसार पदों के सृजन/ग्रेड बढ़ाने के लिए रेल मंत्री सहित सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। जिन मामलों में वित्तीय विवीक्षा अन्तर्ग्रस्त होती है उन्हें परामर्शदातृ समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाता है।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में घोटाला

7730. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी, 1979 के 'हिन्दुस्तान समाचार' में प्रकाशित इस आशय का समाचार सही है कि जयप्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली में बड़े पैमाने पर औषधियों का घोटाला करने के आरोप में अस्पताल के पांच कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य अस्पतालों में ऐसे घोटालों के बारे में भी केन्द्रीय सरकार जांच करेगी; और

(ग) क्या जयप्रकाश नारायण अस्पताल में की गई जांच की तरह की जांच दिल्ली के अन्य अस्पतालों में भी शुरू की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) जब कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उनकी निरपवाद रूप से जांच की जाती है और यदि किसी को दोषी पाया जाता है तो अस्पताल अधिकारी उस मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण वाले अन्य अस्पतालों में ऐसी कोई जांच नहीं की गई।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा फैनसिल की तस्करी

7731. **श्री समर मुखर्जी**
श्री रेणुपद दास
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और उससे सम्बद्ध कलकत्ता स्थित हैजा अनुसंधान केन्द्र (जिसका नाम बदलकर हैजा तथा अन्य 'एन्टीरिया' रोगों के राष्ट्रीय संस्थान हो गया है) ने अपने आप ही 'फैनसिल' (जो भारत में नहीं बिकती है) को तस्करी द्वारा देश में मंगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गम्भीर मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) 'फैनसिल' विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा हैजा अनुसंधान केन्द्र (अब राष्ट्रीय हैजा तथा आन्त्र रोग संस्थान) कलकत्ता को सप्लाई किया गया था ताकि वह केन्द्र औषधियों के क्षेत्रीय परीक्षण

सम्बन्धी उस परियोजना को आरम्भ कर सके जिसे इस केन्द्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका था ।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस प्रयोग सम्बन्धी विषयों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि चूंकि 'फैनसिल' सारे विश्व में कई वर्षों से विभिन्न स्थितियों में उपयोग की जाती रही है और भारत में भी इस औषधि को कुष्ठ रोग, मूत्र-पथ संक्रमणों आदि के उपचार में एन्टी-मैकरोबियल/ एन्टी-इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में एक दशक से भी अधिक समय से प्रयुक्त किया जाता रहा है, इसलिए केन्द्र द्वारा इस औषध का उपयोग करना सही मायने में 'नई औषध' का परीक्षण नहीं कहा जा सकता । समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुँची है कि 'फैनसिल' का जो क्षेत्रीय परीक्षण किया गया, उसका उपयुक्त रूप से डिजाइन तैयार किया गया था, योजना बनाई गई थी और उसे पूरा किया गया था तथा इससे जो परिणाम निकले हैं वे महत्वपूर्ण और संगत हैं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दाहोद रेलवे वर्कशाप अस्पताल

7732. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहोद रेलवे वर्कशाप अस्पताल, पश्चिम रेलवे के कुछ डाक्टरों के विरुद्ध कुछ शिकायतें कई वर्षों से विचाराधीन पड़ी हैं, यदि हां, तो उक्त शिकायतें किन कर्मचारी संघों तथा कर्मचारियों द्वारा की गईं तथा कितनी शिकायतें की गईं;

(ख) क्या कुछ के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य सतर्कता विभागों द्वारा की जा रही हैं, यदि हां, तो किन-किन शिकायतों की जांच की जा रही है और उनमें क्या-क्या आरोप लगाये गए हैं; और

(ग) इस अस्पताल में डाक्टरों तथा कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है, वे वहां कब से काम कर रहे हैं, नियमानुसार कोई कर्मचारी एक ही स्टेशन पर कितनी अवधि तक रखा जा सकता है और क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दाहोद रेल कारखाना अस्पताल के डाक्टरों के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत नहीं है जो अनेक वर्षों से बकाया पड़ी हो । लेकिन, इस यूनिट के डाक्टरों के विरुद्ध छः मास से कम अवधि की तीन शिकायतें बकाया हैं जिनमें से एक 20-1-1979 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दर्ज करायी थी जिसकी जांच वह विभाग स्वयं कर रहा है । अन्य दो शिकायतें अक्तूबर, 78 और मार्च, 79 में पश्चिम रेल प्रशासन से प्राप्त हुई हैं और क्षेत्रीय रेलवे सतर्कता संगठन इनकी जांच कर रहा है । ये शिकायतें किन व्यक्तियों के विरुद्ध हैं इस बात को सतर्कता नीति के अंग के रूप में गुप्त रखा जा रहा है । अतएव, जनहित में इन्हें प्रकट नहीं किया जा रहा है । इन्हीं कारणों से इस स्तर पर किन अभियोगों की जांच की जा रही है इसे बताना भी उचित नहीं समझा जाता क्योंकि इससे जो जांच हो रही है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(ग) दाहोद रेल कारखाना अस्पताल में राजपत्रित कोटि में 18 डाक्टर, श्रेणी III में 235 कर्मचारी और श्रेणी-4 में 117 कर्मचारी कार्यरत हैं। अन्य मण्डलों से स्थानान्तरित कुछेक नर्सों को छोड़कर, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के सभी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की तारीख से इसी अस्पताल में काम कर रहें है। एक स्थान पर किसी कर्मचारी को कार्य करते रहने की कोई निश्चित अवधि, नियमों के अन्तर्गत निर्धारित नहीं की गयी है।

नई दिल्ली स्टेशन पर पहले दर्जे का आरक्षण काउन्टर

7733. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन पर पहले दर्जे तथा दूसरे दर्जे के आरक्षण काउण्टरों पर नियुक्त कर्मचारी जनता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और छोटी-छोटी औपचारिकताओं को पूरा करने पर जोर देते हैं और यात्रियों की ओर समुचित ध्यान नहीं देते जिसके कारण जनता को बहुत असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आरक्षण काउण्टर पर क्रमांकित शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखने का है जिसमें शिकायत की कार्बन काफी की भी व्यवस्था हो और अधिकारियों को आदेश हों कि ऐसी शिकायतों की पावती स्वीकार की जाये और की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाये जिससे कि सुझाव/शिकायत करने का उद्देश्य सार्थक हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार गरमी के महीनों में शिष्टता 'तिमाही' का आयोजन करेगी जिससे कि रेल कर्मचारी साधारण जनता के साथ अधिक शिष्ट ढंग से पेश आयें और रेलवे के लिए अच्छा नाम पैदा करें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस सम्बन्ध में यात्रियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कर्मचारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे जनता के साथ अपने व्यवहार में अधिक नम्रता लायें।

(ख) नई दिल्ली और दिल्ली स्टेशनों में उपस्टेशन अधीक्षक के कार्यालय तथा स्टेट एन्ट्री रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में उच्च दर्जे के केन्द्रीकृत आरक्षण कार्यालय में मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के कार्यालय में शिकायत तथा सुझाव पुस्तकें रखी गयी हैं। इन पुस्तकों में दर्ज की गयी शिकायतों की विधिवत पावती दी जाती है और उस पर की गई कार्रवाही की सूचना शिकायतकर्ता को दी जाती है। लेकिन, प्रत्येक आरक्षण काउण्टर पर अलग-अलग शिकायत तथा सुझाव पुस्तकें नहीं रखी जातीं।

रेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के सम्बन्ध में :

(ग) सितम्बर, 1978 से फरवरी, 1979 तक की 6 महीने की अवधि के दौरान इन पुस्तकों में दर्ज की गई शिकायतों/सुझावों का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान केवल चार शिकायतें दर्ज की गयी थीं (तीन नई दिल्ली स्टेशन में तथा एक नई दिल्ली कनाट प्लेस आरक्षण कार्यालय में)। दो शिकायतें तो निराधार पायी गयीं किन्तु तीसरी शिकायत के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी है। शेष एक शिकायत का अभी

निपटान किया जाना है। अधिकारियों/पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा आरक्षण कार्यालयों तथा गाड़ियों में नियमित रूप से अचानक जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी यात्रियों के साथ शिष्टता और विनम्रता का व्यवहार करें और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा और उत्पीड़न न हो। शिकायत पुस्तक में दर्ज की गयी शिकायतों/सुझावों पर की गयी कार्रवाही की पुनरीक्षा भी की जाती है ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

चीन द्वारा पाकिस्तान और नेपाल को शस्त्रों की सप्लाई

7734. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को चीन द्वारा पाकिस्तान और नेपाल को सप्लाई किए जा रहे आधुनिक शस्त्रों के बारे में जानकारी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन ने पाकिस्तान को पर्याप्त मात्रा में आधुनिक शस्त्र सप्लाई किए हैं। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि चीन ने नेपाल को उन्नत किस्म के हथियार दिए हैं।

मध्य प्रदेश में मलेरिया पर नियन्त्रण के लिए योजना

7735 **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मलेरिया पर नियंत्रण करने सम्बन्धी कितनी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) क्या अब तक खर्च की गई राशि के वांछनीय परिणाम निकले हैं और यदि हां, तो इस बारे में मार्च, 1979 तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) मलेरिया के नियन्त्रण के लिए मध्य प्रदेश में दो केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं, नामत:

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)
2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी)

(ख) मध्य प्रदेश के लिए 1969-70 से 1978-79 तक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में इन दोनों योजनाओं पर किया गया कुल खर्च 42 करोड़ 81 लाख 30 हजार रुपये बैठता है।

(ग) कई वर्षों से मध्य प्रदेश सहित सारे देश में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को विभिन्न कारणों से धक्का पहुंचा है। मलेरिया को रोकने के लिए 1-4-1977 से एक संशोधित कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना को लागू करने से 1976 की तुलना में 1977 के दौरान मलेरिया के रोगियों में 58.4% की कमी हुई और 1977 में मलेरिया के रोगियों की

तुलना में 1978 के दौरान 59.7% की कमी हुई। मध्य प्रदेश के बारे में मलेरिया के रोगियों के मार्च 1979 तक के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजे गए हैं।

पुराने रेलवे क्वार्टर

7736. **श्री अहसान जाफरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल कर्मचारियों के पुराने रेल क्वार्टरों की स्थिति काफी असहनीय है और कब्जाधारियों द्वारा कई बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या मरम्मत कार्य इस आधार पर नहीं किया जाता है कि पुराने मकानों को नया निर्माण करने के लिए तोड़ा जाना है;

(ग) 40 वर्ष और उससे अधिक पुरानी इमारतों की कुल संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान उनके मरम्मत कार्य पर खर्च की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अहमदाबाद में ऐसी कितनी पुरानी इमारतें हैं और क्या रेलवे को कोई शिकायत मिली है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नौवहन उद्योग

7737. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन उद्योग की क्षमता में तो वृद्धि की गई है, जबकि गत पांच वर्षों के दौरान पत्तनों की क्षमतायें स्थिर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान नौवहन उद्योग की क्षमता में कितनी मात्रा में वृद्धि की गई है; और

(ग) बढ़ी हुई नौवहन क्षमता के साथ-साथ पत्तन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं। 1974 से 1978 तक की योजनावधि के दौरान बड़े पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 414.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस अवधि में पूरी की गई बड़ी योजनाओं/परियोजनाओं में हल्दिया में एक छोटे पोर्ट की स्थापना करना, विशाखापत्तनम में बाहरी बंदरगाह जहां अयस्क धरा उठाई की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, मद्रास में बाहरी बन्दरगाह जहां आधुनिक तेल घाट और एक लौह अयस्क घाट मौजूद है, मारमुगाव में तीव्र गति से अयस्क धरा उठाई की सुविधायें, वेडीनार में समुद्र तट से दूर सलाया टर्मिनल, न्यू मंगलौर पत्तन और न्यू तूतीकोरिन पत्तन इत्यादि शामिल हैं।

(ख) जनवरी, 1974 को भारतीय नौवहन का टन भार 29.5 लाख जी०आर०टी० था और यह टनभार बढ़कर जनवरी, 1979 को 55.8 लाख जी०आर०टी० हो गया है।

(ग) बड़े पत्तनों की क्षमता में सुधार करने और उन्हें आधुनिक बनाने की योजनाओं में तिरते जलयानों, संयंत्रों और उपकरणों की खरीद, तट पर सुविधाओं का निर्माण, भारी माल को उतारने-चढ़ाने के लिए मशीनों की व्यवस्था करना इत्यादि शामिल हैं।

प्रति व्यक्ति व्यय

7738. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति अनुमानित वार्षिक व्यय क्या होगा; और

(ख) आगामी पांच वर्षों में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में (वर्षवार) कितने कर्मचारी प्रशिक्षित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) प्लान तथा नान प्लान दोनों पक्षों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दिये गये वास्तविक व्यय के आधार पर प्रति व्यक्ति व्यय निर्धारित किया जाता है। आगामी कुछ वर्षों में केन्द्र और राज्यों की सरकारें वास्तव में कितना खर्च करेंगी, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) छठी योजना के पांच वर्षों में प्रशिक्षित किये जाने वाले विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं की अनुमानित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है किन्तु वर्षवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1978-83 के बीच ग्राम स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए जाने वाले कार्यकर्ताओं की राज्यवार अनुमानित संख्या का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	स्वास्थ्य सुपरवाइजर (महिला)	जन स्वास्थ्य रक्षक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	7020	7020	1755	1755	39250
2.	असम	2668	2668	667	667	17000
3.	बिहार	10144	10144	2536	2536	68000
4.	गुजरात	3840	3840	960	960	1,8500
5.	हरियाणा	1652	1652	413	413	8000
6.	हिमाचल प्रदेश	644	644	161	161	8125

1	2	3	4	5	6	7
7.	जम्मू व कश्मीर	752	752	188	188	—
8.	कर्नाटक	4436	4436	1109	1109	33250
9.	केरल	3576	3576	894	894	—
10.	मध्य प्रदेश	6974	6974	1743	1743	51,500
11.	महाराष्ट्र	6940	6940	1735	1735	39,375
12.	मणीपुर	186	186	46	46	500
13.	मेघालय	174	1714	43	43	1625
14.	नागालैंड	94	94	24	24	1000
15.	उड़ीसा	4020	4020	1005	1005	37625
16.	पंजाब	2068	2068	517	517	13250
17.	राजस्थान	4244	4244	1061	1061	25625
18.	सिक्किम	—	—	—	—	800
19.	तमिलनाडु	5746	5746	1436	1436	—
20.	त्रिपुरा	278	278	69	69	3000
21.	उत्तर प्रदेश	15190	15190	3797	3797	86375
22.	पश्चिम बंगाल	6670	6670	1667	1667	37625
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18	18	5	5	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	90	90	25	23	—
25.	चण्डीगढ़	4	4	1	1	—
26.	दादर व नगर हवेली	14	14	4	4	125
27.	दिल्ली	84	84	21	21	625
28.	गोआ, दमन व दीव	126	126	32	32	1500
29.	लक्षद्वीप	6	6	2	2	—
30.	मिजोरम	60	60	15	15	1125
31.	पांडिचेरी	54	54	14	14	1125
	योग	87,77	87,772	21,943	21,943	4,93,625

रेलवे स्टेशनों पर न हटायी गयी इमारती लकड़ी और लठ्ठों का स्टाक

7739. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चक्रधरपुर और राउरकेला के बीच कुछ रेलवे स्टेशनों पर

लाखों रुपये मूल्य के इमारती और लट्ठों का भारी स्टाक वैगनों के न होने से पड़ा है जिसमें रेल लाइनों के लिए स्लीपर भी शामिल हैं;

(ख) क्या बिहार सरकार के वन विभाग ने कलकत्ता स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय और रेलवे बोर्ड को इस स्टाक को हटाने के लिये स्मृति पत्र भेजे थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मांग-पत्रों के पंजीकरण और यातायात की प्राथमिक पात्रता के अनुसार यथाशीघ्र इस यातायात की निकासी की जा रही है, बशर्ते कि माल डिब्बे उपलब्ध होते रहें।

पारादीप में कोकिंग कोयले का उतारा जाना

7740. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्री डी० डी० देसाई
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 60,000 टन कोकिंग कोयला ले जा रहे दो जहाज पारादीप पत्तन पर दो महीने से रुके पड़े हैं और कोयला अभी तक नहीं उतारा गया है जबकि इस्पात संयंत्रों में कोकिंग कोयले की कमी अनुभव हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उतराई में बिलम्ब होने से कितनी धन-राशि की हानि हुई है; और

(ग) विकल्प के रूप में क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) कोयले के दो जहाज—एम० वी० "लक्ष्मी" और एम० वी० "सांची" जिनमें लगभग 65000 टन कोयला था, पत्तन पर क्रमशः 1-2-1979 को और 11-2-1979 को पहुँचे। एम० वी० "लक्ष्मी" को 8-4-1979 को घाट पर लगाया गया और एम० वी० 'सांची" अभी घाट की प्रतीक्षा में है।

(ख) पारादीप पोर्ट में सिर्फ एक-ही सामान्य माल घाट है। जहाजों को घाट प्राप्ति के लिए अपनी बारी का इन्तजार करना पड़ा। इसके अलावा, निर्यात का लक्ष्य पूरा करने की दृष्टि से 31-3-1979 तक निर्यात माल जहाजों को प्राथमिकता देनी पड़ी।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि माल उतराई में विलम्ब और घाट मिलने में हुए बिलम्ब के कारण कोयले के जहाजों पर, जिनमें उपरोक्त दो जहाज भी शामिल हैं, 31-3-1979 तक जो विलम्ब शुल्क देना पड़ा, वह करीब 40 लाख रुपए है।

(ग) माल को शीघ्र उतारने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बम्बई-पुणे तथा पुणे-बेलगांव राष्ट्रीय राजपथ

7741. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजपथ विकास/सुधार कार्यक्रम के अधीन आगामी वित्त वर्ष के दौरान बम्बई-पुणे तथा पुणे-बेलगांव सेक्शन के विकास/सुधार के लिए किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) 1978-83 की योजना अवधि में खोपोली-खंडाला खंड (लोअर बोरघाट) का पुनर्संरक्षण करने और पुणे शहर के बाहर एक बाईपास के प्रथम चरण का निर्माण करने की स्वीकृति देने का प्रश्न विचाराधीन है । इन दोनों कार्यों की अनुमानित लागत क्रमश: लगभग 3.0 करोड़ रुपये और 1.0 करोड़ रुपये हैं । इन कार्यों की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए योजना में कितना धन खर्च करने की व्यवस्था की गई है और अन्य राज्यों की मांगें कितनी हैं और उनकी प्राथमिकता क्या है इत्यादि-इत्यादि । कुल परिव्यय पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है । वर्तमान स्थिति के अनुसार बम्बई-पुणे-बेलगांव मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 महाराष्ट्र में 2 लेन वाला एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर मुकम्मल पुल बना हुआ है और जिस पर 5.20 करोड़ रुपये लागत के सुधार कार्य, जिनमें सतारा और कोल्हापुर बाईपास भी शामिल हैं, शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं ।

भूमि पर खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन करना

7742. **श्री हुकुम चन्द कछवाय :** क्या **रेल** मंत्री कर्मचारियों को खेती करने के लिए दी गई बेकार भूमि के संबन्ध में 5 दिसम्बर, 1978 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2217 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में 'भूमि पर खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन' के लिए जमीन जोतने वालों को क्या सुविधायें दी गई हैं और खेती के लिए कुल कितनी भूमि दी गई है और वर्ष 1976 से आगे लगातार प्रति एकड़ कितना किराया लिया गया; और

(ख) भूतपूर्व महाप्रबन्धक द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे में जमीन का किराया 100 रुपये प्रति एकड़ तक असाधारण वृद्धि करने का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) उन रेल कर्मचारियों और/या बाहरी व्यक्तियों को, जिन्हें अधिक अन्न उगाने के प्रयोजन से रेलवे के फालतू भूमि लाइसेंस पर दी जाती है, कोई विशिष्ट सुविधा प्रदान नहीं की जाती । वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक लाइसेंसधारी को कृषि के लिए रेलवे की लगभग 2 एकड़ जमीन आबंटित की जाती है । 1976 से 30-9-1977 तक, प्रति एकड़ 25 से 50 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से लाइसेंस-फीस ली गई थी । 1-10-1977 से, प्रति एकड़ 50 से 200 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से लाइसेंस-फीस ली जा रही है ।

(ख) कृषि योग्य भूमि की कीमतों में वृद्धि, कृषि उत्पाद की लागत में वृद्धि आदि विभिन्न कारणों के आधार पर, लाइसेंस-फीस की दर में समय-समय पर संशोधन किया जा रहा है।

रेलवे व्यवस्था का विद्युतीकरण

7743. **श्री जी० एम० बनातवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री शंकर सिंह जी वाघेला } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के व्यापारी संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें समस्त देश में रेलवे व्यवस्था के पूरी तरह विद्युतीकरण किए जाने और चालन-शक्ति के लिए कोयला का इंधन के रूप में प्रयोग किया जाना समाप्त करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या संघ ने रेलवे में अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि और माल परिवहन में उठाईगीरी और चोरियों की ओर भी ज्ञापन में ध्यान दिलाया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अन्तर्निहित लाभों को ध्यान में रखते हुए मापकर्षण के स्थान पर डीजल/बिजलीकर्षण की व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में सरकार को पहले ही जानकारी है। 1971 से, भारत में माप रेल इन्जनों का निर्माण बन्द कर दिया गया है और रेल इंजनों के वर्तमान बेड़े में वृद्धि डीजल और बिजली रेल इंजनों के रूप में ही की जा रही है।

विद्युतीकरण योजनाओं की अवसंरचना पर भारी पूंजीगत निवेश करना पड़ता है और ये योजनायें वित्तीय एवं आर्थिक दृष्टि से केवल तभी सक्षम होती हैं जब यातायात का घनत्व इतना अधिक हो जाए जिससे कि प्रत्यक्ष परिचालन व्यय में बचत के रूप में, निवेश पर यथोचित प्रतिफल प्राप्त होने लगे। इसलिए, विभिन्न खंडों के विद्युतीकरण/डीजलीकरण का प्रश्न एक जटिल आर्थिक समस्या है और इसके लिए यातायात के घनत्व के पूर्वानुमानों, विद्युतीकरण और डीजलीकरण के विकल्पों में भारी निवेश की सापेक्ष लागत एवं उनके प्रत्यक्ष परिचालन-व्यय को ध्यान में रखना होता है। इसलिए, विद्युतीकरण के उपयुक्त समय और इसकी गति को सावधानीपूर्वक कार्यान्वित करना पड़ता है और जब तक विद्युतीकरण आर्थिक दृष्टि से वेहतर विकल्प सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक इन मार्गों पर डीजलीकरण के अपेक्षाकृत सस्ते विकल्प को अपनाये रहना होगा। रेलों की कर्षण सम्बन्धी नीति का उद्देश्य यह रहता है कि विद्युतीकरण पर निवेश सम्बन्धी प्रत्येक मुख्य प्रस्ताव का विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण करके मिश्रित डीजल बिजलीकर्षण को यथासम्भव अनुकूलतम रखा जाए।

रेलों और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये गये अनेक उपायों के फलस्वरूप चलती गाड़ियों में डकैती और लूटपाट की घटनाओं में काफी कमी हुई है क्योंकि 1978 में ऐसी केवल 223 घटनायें हुई जबकि 1977 में 278 घटनायें हुई थीं।

जहां तक माल के परिवहन में चोरी और उठाईगीरी का सम्बन्ध है, इन अपराधों की रोकथाम के लिये निवारक उपाय सुदृढ़ कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप अप्रैल से दिसम्बर,

1978 तक की अवधि के बीच चोरी और उठाईगीरी के कारण अदा किये गये मुआवजे (5.99 करोड़ रुपए) में 1977 के तदनुरूपी अवधि की तुलना में (7.70 करोड़ रुपए) लगभग 1.7 करोड़ रुपए की कमी हुई है।

व्यापारिक बेड़े के अधिकारियों में अल्प-रोजगार की स्थिति

7744. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यापारिक बेड़े के अधिकारियों में विशेष रूप से इन्जीनियरिंग कार्य करने वालों में गंभीर अल्प-रोजगार की स्थिति का पता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) व्यापारिक बेड़े के अधिकारियों में गंभीर अल्प-रोजगार जैसी कोई स्थिति नहीं है। पिछले साल कुछ शिकायतें जरूर मिलती रहीं कि नौचालन अधिकारियों और इन्जीनियरी अधिकारियों की कमी है। इस कमी का एक कारण यह था कि अनेक अधिकारी अपना-अपना सक्षमता-प्रमाणपत्र ले लेने के बाद विदेशी जहाजों पर रोजगार पाने की कोशिश में लगे रहे और इसका दूसरा कारण यह था कि भारतीय नौवहन टनभार का विकास तीव्र गति से होने लगा था।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

बीड़ी कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ

7745. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम बीड़ी कर्मचारियों पर भी लागू होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बीड़ी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाभ पा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां। दिनांक 17 मई, 1977 की अधिसूचना द्वारा यहां अधिनियम बीड़ी श्रमिकों पर भी लागू किया गया।

(ख) कुछ पक्षकारों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त अधिसूचना प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन को रोक रखने के लिए आदेश दिए हैं।

माल डिब्बों में कोयला कम मात्रा में तोला जाना

7746. **श्री अप्पा साहिब गोट खिण्डे** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-मध्य रेलवे पर मराठा टेक्सटाइल्स मिल्स, मिरज से दिनांक 9 मार्च, 1979 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें माल डिब्बों में कोयला कम मात्रा में तोले जाने की शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गए और ऐसे मामलों की आगे पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) मराठा टेक्सटाइल्स मिल्स, मिरज से 19-3-1979 को एक अभ्यावेदन दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा प्राप्त हुआ था।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

कलकत्ता पत्तन श्रमिकों के साथ समझौता

7747. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन श्रमिकों के साथ अब कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) सरकारी स्तर पर फैडरेशनों के साथ किए गए समझौतों के अलावा, हाल के कुछ वर्षों में कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में कलकत्ता पत्तन कर्मचारियों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इन सेवा-शर्तों में काफी अड़चनें हैं। जहां तक कलकत्ता पत्तन कर्मचारियों की स्थानीय तथा अन्य छुट-पुट मागों का सवाल है पोर्ट ट्रस्ट ने अधिकांश मांगों पर संबंधित लेबर यूनियनों के साथ त्रिपक्षीय समझौते कर लिए हैं।कर्मचारियों की स्थानीय अनिर्णीत मांगों तथा कुछ अन्य छुट-पुट मांगों पर द्विपक्षीय वार्ता अभी चल रही है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में किराये

7748. **श्री धर्मबीर सिंह वशिष्ठ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास और कलकत्ता की तुलना में दिल्ली में किराये कम होने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : दिल्ली में बस का प्रति किलोमीटर औसत किराया बम्बई, अहमदाबाद और मद्रास में चालू औसत किराए से तो कम है, परन्तु कलकत्ता में वसूल किये जा रहे किराए की अपेक्षा दिल्ली में वसूल किया जाने वाला बस-किराया अधिक है।

किसी शहर में सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों का किराया कितना हो, यह कई बातों पर निर्भर करता है और इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक पहलू भी होते हैं जिनमें बस चलाने का खर्च और शहर विशेष के निवासियों द्वारा किराया देने की क्षमता और किराया-वृद्धि के प्रति उनकी प्रतिक्रिया इत्यादि अन्य कई पहलू भी शामिल हैं।

वास्तव में पिछले 20 सालों से दिल्ली में बसों के किराए लगभग स्थिर बने रहे सिवाय इसके कि 1963 में बसों के किरायों में सिर्फ 2 पैसे की और उसके बाद 1964 में मामूली सी वृद्धि की गई। अक्तूबर, 1975 में चालू किए गए दो स्टेज के किराए को भी, जो 11 फरवरी,

1979 तक चालू रहा, एक प्रकार से किरायों में परिवर्तन-मात्र समझा जा सकता है और इस परिवर्तन से बस के किराये में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। हाल में बसों के किरायों में की गई वृद्धि को परिचालन-व्यय के साथ बस-किराये का सम्बन्ध जोड़ने के लिए किया गया एक सफल प्रयास कहा जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दिल्ली में बसों के किरायों में बम्बई, अहमदाबाद और मद्रास में प्रचलित किरायों की सीमा तक वृद्धि करना सम्भव नहीं था क्योंकि ऐसा करने से बस-किरायों में एकदम बहुत अधिक वृद्धि हो जाती।

भर्ती करने वाली एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतें

7749. **चौधरी बलवीर सिंह**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती एजेंसी मैसर्स मैनप्लान लेबर सैन्टर (प्रा०) लिमिटेड के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद भी भारत सरकार ने इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितनी शिकायतें मिली हैं, शिकायत करने वाले व्यक्ति/पार्टी का नाम क्या है और उस पर क्या विशिष्ट कार्यवाही की गयी है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (ग) एक भारतीय यात्री फर्म ने नवम्बर 1978 में सरकार से सम्पर्क किया था और यह आक्षेप लगाया था कि मैसर्स मैनप्लान लेबर सेन्टर (प्रा०) लिमिटेड नामक एक विधिवत् पंजीकृत एजेन्सी ने उनके साथ धोखा किया है, जिसने विदेशों में 1008 व्यक्तियों को भरती करने के लिए आवेदन दिया था। बाद में उपर्युक्त यात्रा फर्म ने भी अपनी शिकायत वापिस ले ली। श्रम मन्त्रालय से अनुज्ञा प्राप्त कर लेने के बाद भरती करने वाली एजेंसी को आवश्यक अनुमति दी गई थी। हाल में इस फर्म द्वारा भरती किये गये कतिपय कामगारों ने सरकार से सम्पर्क किया था जिन्होंने शिकायत की थी कि यह फर्म रोजगार के लिए उन्हें विदेश भेजने में असमर्थ है और उसने उनके पासपोर्ट अपने पास रोक रखे हैं। इस मामले को इस फर्म के साथ उठाया गया था और भरती किए गए कामगारों के पासपोर्ट उन्हें वापिस भेज दिये गये हैं।

बन्डेल-कटवा सैक्शन पर रेलगाड़ी सेवा में सुधार

7750. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बन्डेल कटवा सैक्शन पर अनियमित पुरानी तथा सदा से उपेक्षित रेल सेवा के बारे में सरकार को पता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) क्या यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार इस लाइन का आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण करने, इसे दोहरी बनाने, लाइन पर नियमितता रखने और अधिक रेलगाड़ियां उपलब्ध करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बस नम्बर और गन्तव्य स्थान पढ़ने में कठिनाइयां

7751. **श्री के० ए० राजन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों में चढ़ने वाले यात्रियों के लिए बस नम्बर और गन्तव्य स्थान की प्लेट पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि बसें बहुत थोड़ी देर के लिए रुकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गेट के पास बगल में रूट नम्बर और गन्तव्य स्थान लिखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि कुछ समय पहले होता था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) निगम हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि बसों में गन्तव्य स्थान के जो बोर्ड लगाए जाते हैं, उनमें सुधार किया जाए । गन्तव्य स्थान और रूट बोर्ड के लिए अब बक्सों के आकार-प्रकार का मानक निश्चित कर दिया गया है । विभिन्न रूटों की सही रूप में पहिचान के लिए रूट पद्धति के मौजूदा ढांचे में एक कलर कोड चालू किया गया है । इस रंग मूलक व्यवस्था के अन्तर्गत, विभिन्न सर्विस रूटों को विभिन्न टर्मिनल स्थानों के लिए, जहां बसें समाप्त होती हैं या उनसे होकर गुजरती हैं, अलग-अलग रंग आवंटित किए गए हैं । गन्तव्य स्थान सम्बन्धी बोर्ड के बीच भाग में आवंटित रंग की पीठिका पर रूट नं० रोगन से लिखे जाते हैं । रंग मूलक व्यवस्था में यद्यपि रूट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो भी यह पद्धति बस विशेष की दूर से ही पहिचान करने में यात्री की काफी सहायता करती है । निगम ने हाल में निर्णय किया है कि गन्तव्य स्थान के बोर्ड अच्छी हालत में होने चाहिएं और उनके बक्सों के शीशे इतने साफ-सुथरे होने चाहिएं कि जिससे रूट नम्बर साफ-साफ नजर आ सके । फिर भी, चूंकि निगम को भीड़भाड़ के समय अनेक विशेष ट्रिप चलाने पड़ते हैं, खासकर उस समय जबकि बस को किसी ऐसे रूट पर लगाया जाता है जिसके लिए अपेक्षित रूट-सह-गन्तव्य बोर्ड उपलब्ध नहीं होता तो तब बस कर्मचारियों को दिए गए खाली बोर्ड के ऊपर चाक से गन्तव्य स्थान लिख दिया जाता है । ऐसे मामलों में, रूट और गन्तव्य स्थान सूचक बोर्ड अक्सर दूरी से पढ़ने में नहीं आते ।

चेतक एक्सप्रेस का डीजलीकरण

7752. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और उदयपुर के बीच चलने वाली गाड़ी चेतक एक्सप्रेस जो जल्द ही डीजल इंजनों से चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जैसे ही मीटर लाइन के डीजल रेल इंजन उपलब्ध होंगे, दिल्ली-उदयपुर सिटी चेतक एक्सप्रेस के डीजलीकरण को ध्यान में रखा जायेगा और उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

विदेशों को बेचे गये भारतीय जहाजों की संख्या

7753. **श्री लालजी भाई : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों को अथवा विदेशी कंपनियों को कितने भारत-निर्मित जहाज बेचे गये; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) महानिदेशालय (नौवहन) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में महासागर में चलने वाला भारत द्वारा निर्मित एक सैकेंड हैंड जहाज, विदेश में किसी दूसरे देश को 747,000 अमरीकी डालर की कीमत पर बेचा गया था।

बारा रेलवे स्टेशन बन्द किया जाना

7754. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने बारा स्टेशन बन्द करने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखा गया है;

(ग) क्या जन और रेल संपत्ति की सुरक्षा हेतु मंत्रालय में ही समुचित कदम उठाना उचित नहीं है बजाए जन आक्रोश से उत्पन्न संकट का सामना किया जाये; और

(घ) ऐसे आदेश किसने जारी किये और किस आधार पर जारी किए गये और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बारां रेलवे स्टेशन को हुई क्षति

7755. **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारा रेलवे स्टेशन को हुई क्षति का पूरा ब्यौरा इस बीच प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त रेलवे स्टेशन की उचित मरम्मत करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो मरम्मत का कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) क्या उक्त रेलवे स्टेशन को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 26-2-79 को हुए उपद्रव में बारां रेलवे स्टेशन को हुई क्षति का अनुमानित मूल्य निम्नलिखित है :—

1.	स्टेशन की इमारत जिसमें प्रतीक्षालय, पार्सल कार्यालय, प्लेटफार्म सायवान शामिल हैं ।	4,00,000 रु०
2.	मालगोदाम यात्री सुविधा की मदें और टी एण्ड पी	1,50,000 रु०
3.	रेल पथ निरीक्षक का कार्यालय	1,50,000 रु०
4.	रेल पथ निरीक्षक का भंडार टी एण्ड पी भंडार, तेल आदि	2,50,000 रु०
5.	सिगनल उपस्कर	75,000 रु०
6.	बिजली उपस्कर	75,000 रु०
7.	स्टेशन की इमारत, व्यापारी कक्ष, रेल पथ निरीक्षक कार्यालय का फर्नीचर	50,000 रु०
8.	कर्मचारी क्वार्टर	30,000 रु०
	बुक किये गये परेषणों को हुई क्षति	
1.	जावक माल	25,000 रु०
2.	आवक पार्सल	85,000 रु०
3.	पुस्तकों सहित बुक स्टाल	7,000 रु०
4.	चाय के स्टाल	8,000 रु०
		13,65,500 रु०

(ख) और (ग) जी नहीं।

पंजाब से गेहूं का दूसरे स्थानों पर ले जाया जाना

7756. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से देश के दूसरे स्थानों पर गेहूँ ले जाने के लिए रेलवे द्वारा माल डिब्बों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न कराने के कारण आगामी मानसून में करोड़ों रुपये के गेहूं बर्बाद होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने आगामी रबी मौसम में इसके गेहूं उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पंजाब के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है; और

(ग) क्या इस बारे में पंजाब की इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में नियमित रूप से पाक्षिक बैठकें होती हैं जिनमें उत्तर रेलवे तथा पंजाब की लदान करने वाली सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। खाद्यान्न प्राप्त करने वाले राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ढुलाई की योजना बनायी जाती है।

हल्दिया पत्तन में जहाजों के विलम्ब के कारण मुआवजे का भुगतान

7757. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन में जहाजों द्वारा समुद्र तट तक पहुँचने में हुए विलम्ब के कारण वर्ष 1978 में सरकार को भारी मात्रा में मुआवजे का भुगतान करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इंदिरा पत्तन में ऐसी भीड़भाड़ होने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1978 में प्रत्येक पद पर कितनी मात्रा में मुआवजे का भुगतान किया गया; और

(घ) इस भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1978 में क्या कार्यवाही की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) घाट पर जहाजों को लगाने में देरी होने से।

(i) बड़ी-बड़ी जहाजी कंपनियों के समवाय द्वारा साधारण मालवाहक लाइनर जहाजों पर भीड़ का अधिक भार लगाया जाता है।

(ii) चार्टर्ड जहाजों के सम्बन्ध में डेमरेज शुल्क देना पड़ता है।

वर्ष 1978 में बड़ी-बड़ी जहाजी कंपनियों द्वारा हल्दिया में भीड़ का कोई भी अधिभार नहीं लगाया गया। विभिन्न आयातकर्त्ताओं द्वारा ठेके में विहित शर्तों के आधार पर डेमरेज शुल्क दिया जाता है जिसके आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। हल्दिया में साधारण माल के लिए सिर्फ दो घाट हैं। उर्वरकों, सीमेंट, खाने वाले तेल आदि का अधिक मात्रा में आयात होने से इन घाटों पर आने के लिए कभी-कभी इन्तजार करना पड़ता है।

हल्दिया में घाटों की कमी से होने वाली कठिनाई को सागर में जहाजों के माल उतारने और उन्हें वहां खड़े रखने की सुविधा देकर दूर किया जा रहा है।

सिंगापुर में नौकरी करने वाले भारतीय

7758. **श्री बसन्त साठे**
श्री के० मालन्ना
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1979 के स्टेट्समैन, में 'इंडियन जाब सीकर्स इन सिंगापुर स्ट्रेन्डिड' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, मामले के तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुंडू) : (क) और (ख) सरकार ने 26 मार्च, 1979 के अखबार में छपी यह रिपोर्ट देखी है कि सिंगापुर में नौकरी की तलाश में गए भारतीय वहां असहायावस्था में रुके पड़े हैं। सिंगापुर स्थित भारतीय हाई कमीशन ने बताया है कि श्रमिकों की कमी के सम्बन्ध में सूचना के परिणामस्वरूप सिंगापुर में भारत से बहुत से सक्षम कामगार और नौकरी ढूंढने वाले लोग जाते रहे हैं। नौकरी ढूंढने वाले भारतीय "यात्रा पास" के आधार पर सिंगापुर गए थे। लेकिन सिंगापुर की सरकार के विनियमों के अनुसार "यात्रा पास" के आधार पर सिंगापुर जाने वाले विदेशियों को रोजगार की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए बहुत-से भारतीय राष्ट्रिक सिंगापुर में असहायावस्था में रुके रहे क्योंकि वहां की स्थानीय सरकार उनके "यात्रा पास" की अवधि बढ़ाने के लिये तैयार नहीं थी और भारत लौटने वाले जहाजों में पर्याप्त स्थान नहीं था। भारतीय हाई कमीशन ने बताया है कि उनके हस्तक्षेप करने पर सिंगापुर की सरकार उन यात्रियों को वीसा देने के लिए सहमत हो गयी है जिनकी भारत लौटने की टिकटों की पुष्टि हो चुकी हैं। भारत का हाई कमीशन यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए भारतीय जहाजरानी निगम से भी संपर्क बनाए हुए है और उनकी आशा है कि अप्रैल के अन्त तक स्थिति ठीक हो जाएगी। हाई कमीशन ने बताया है कि उनमें से किसी भी व्यक्ति ने उनसे वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। सरकार ने रोजगार के पूर्व-आश्वासन के बिना विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रिक के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को प्रचलित करने के लिए भी कदम उठाये हैं।

स्थानान्तरण यात्रा भत्ते बिल

7759. **श्री दयाराम शाक्य**
श्री हुकम चन्द कछवाय } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सी० एल० सी० (सी०) संगठन में एल० ई० ओ० (सी०) के स्थानान्तरण यात्रा भत्ते बिल भेदभावपूर्ण ढंग से पास किये जाते हैं और सी० एल० सी० (सी०) की मर्जी के अनुसार किये जाते हैं;

(ख) उस समय कोदरमा में और इस समय कलकत्ता में नियुक्त एल० ई० सी० (सी०) के स्थानान्तरण यात्रा भत्ते बिलों को एक वर्ष बीत जाने के बाद नियम के विरुद्ध पास करने और मंजूरी तथा आर० एल० सी० (सी०) धनबाद द्वारा दो अवसरों पर छः महीने की अवधि बढ़ाने के बावजूद भी वर्ष 1971-72 में कानपुर में अन्य एल० ई० ओ० सी० (सी०) के मामले में उन्हें पास न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आर० एल० सी० (सी०), कानपुर को जिसे 1000/रुपये का एल० टी० सी० मंजूर किया गया था, अब तक वाउचर प्रस्तुत न किये जाने अथवा रु० न लौटाये जाने पर सतर्कता चेतावनी दी गयी थी; और

(घ) सी० एल० सी० (सी०) के अन्तर्गत ऐसे सभी मामलों की जांच कराने और सी० एल० सी० (सी०) द्वारा ऐसा मनमाना और भेदभावपूर्ण प्रशासन किये जाने पर रोक लगाने के

लिये कठोर कार्यवाही करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सितम्बर, 1974 में धनबाद से कोदरमा को स्थानान्तरित श्रम प्रवर्तन अधिकारी के स्थानान्तरण यात्रा भत्ते बिल इन दावों को दायर करने में हुई देरी को माफ करने के पश्चात स्वीकार कर लिए गए । जिस श्रम प्रवर्तन अधिकारी को 1971 में कानपुर से बरमो स्थानान्तरित किया गया था, उनके मामले की उनसे अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण पुनः जांच की जा रही है ।

(ग) क्षेत्रीय श्रमायुक्त, कानपुर, जिन्हें छुट्टी यात्रा रियायत पेशगी फरवरी, 1975 में मंजूर की गई थी, के दावे को काल-बाधित होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया । उन्हें निर्धारित समयावधि के अन्दर-अन्दर अपना दावा प्रस्तुत न करने के कारण चेतावनी भी दी गई है ।

(घ) प्रश्न के भाग (क) से (ग) के उत्तरों को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ौदा रेलवे स्टेशन का रेलवे यार्ड

7760. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड को बढ़ाने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अतिरिक्त लाइन क्षमता तथा बम्बई सेन्ट्रल-अहमदाबाद खण्ड पर टर्मिनल सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बारे में एक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का 1979-80 की अनुदान की मांगों द्वारा अनुमोदन किया गया है, जिसमें बड़ोदा स्टेशन पर अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं का सर्वेक्षण भी शामिल होगा । प्रस्तावित सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर आगे कार्रवाही की जायेगी ।

ट्रेन एग्जामिनरों द्वारा वेतनमानों में समता लाने की मांग

7761. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया ट्रेन एग्जामिनर एसोसिएशन ने फरवरी 1979 में बम्बई में आयोजित अपने सम्मेलन में मांग की है कि उनके वेतनमान और सेवा शर्तों को रेलवे वर्कशाप के सुपरवाइजरों के बराबर किया जाये; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) मध्य रेलवे के अखिल भारतीय गाड़ी परीक्षक एसोसियेशन के क्षेत्रीय सचिव ने यांत्रिक विभाग के सवारी तथा माल डिब्बा स्कन्ध के पर्यवेक्षकों ने वेतनमानों में कारखाना पर्यवेक्षक कोटि के साथ वेतनमानों में समरूपता के लिए 16-3-79 और 26-3-79 को एक अभ्यावेदन अग्रेषित किया है ।

(ख) इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है ।

डाक्टरों को विदेशों में नौकरियों के लिये जाने की अनुमति

7762. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बहुत से डाक्टरों को विदेशों में नौकरी करने जाने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान कितने डाक्टरों को जाने की अनुमति दी गई, किन-किन देशों में जाने की अनुमति दी गई, प्रत्येक देश में कितने डाक्टरों को जाने की अनुमति दी गई तथा ये डाक्टर किन-किन श्रेणियों के थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से वर्ष 1978 के दौरान द्विपक्षी विदेश नियुक्तियों के लिए 612 डाक्टर चुने गए थे ।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से विकासशील देशों में द्विपक्षी अनुबन्ध नियुक्तियों के अन्तर्गत चुने गये डाक्टरों की संख्या विवरण में दी गई है। श्रेणीवार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	1976	1977	1978
1.	अल्जीरिया	—	—	97
2.	बहराइन	—	—	1
3.	बोट्सवाना	4	—	—
4.	ईथोपिया	—	—	4
5.	फिजी	6	—	—
6.	ईरान	209	774	316
7.	ईराक	4	4	11
8.	लिबिया	70	2	103
9.	नाइजीरिया	5	6	19
10.	ओमान	4	—	—

1	2	3	4	5
11.	पी० डी० आर० वाई०	—	7	47
12.	सऊदी अरेबिया	—	—	1
13.	उगांडा	16	14	—
14.	सीरिया	—	—	10
15.	जाम्बिया	—	54	3
	योग	318	861	612

लैटिन अमरीकी देशों के साथ सहयोग

7763. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्राजील, चिली, पेरू जैसे लैटिन अमरीकी देशों और अन्य देशों के प्रति भारत का क्या रवैया है और जहां तक भारत का सम्बन्ध है, उसके साथ सहयोग के क्या-क्या काम किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि ब्राजील तो चाहता था कि भारत से कोई भारतीय मंत्री उनके राष्ट्राध्यक्ष के समारोह में उपस्थित हो तथापि सरकार ने राज्य मंत्री तक को प्रतिनियुक्ति करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया; और

(ग) यदि हां, तो लैटिन अमरीकी देशों में यह राजनयिक प्रयास करने में क्या बाधा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) लैटिन अमरीका के देशों के साथ भारत के घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं। हमने अर्जन्तीना, कोलम्बिया, क्यूबा, मैक्सिको और ब्राजील के साथ सास्कृतिक करार, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया एवं पेरू के साथ व्यापारिक करार, और क्यूबा मैक्सिको के साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग से सम्बन्ध करार किए हैं।

(ख) और (ग) ब्राजील की सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि ब्राजील के राष्ट्रपति के पदग्रहण समारोह के अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष शिष्टमंडल भेजा जाए। यह निर्णय लिया गया था कि मैं इस अवसर पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करूं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा संसद में अपने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रमों के कारण मैं इस समारोह में भाग न ले सका।

इन्डोनेशिया के साथ सहयोग

7764. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने इंडोनेशिया, जहां महान हिन्दू संस्कृति की प्राचीन परम्परा है, के साथ तकनीक आर्थिक तथा संस्कृति के किन क्षेत्रों में सहयोग किया है तथा उसका स्वरूप क्या है;

(ख) हमारे पिछले सम्बन्धों के आधार पर इन दो नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्रों के परस्पर लाभ के लिए इंडोनेशिया के साथ हमारे सम्बन्ध सरकार के विचार से किस प्रकार बढ़ाये जा सकते हैं;

(ग) हाल में इंडोनेशिया में केन्द्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा निष्पादित करार में विदेश मंत्रालय ने किस सीमा तक भाग लिया, उससे किस सीमा तक परामर्श लिया गया तथा उसे किस सीमा तक शामिल किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों और ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय करारों में चाहे वे आर्थिक हों अथवा तकनीकी अथवा सांस्कृतिक, विदेश मंत्रालय को शामिल करने के बारे में क्या कार्यवाही की जानी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत व्यापार में सहयोग तथा स्कूटर, चीनी, वस्त्र, औषधि आदि विविध क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में सहयोग शामिल है। तकनीकी क्षेत्र में भारत ने कोलम्बो योजना और भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत इंडोनेशिया के लोगों को प्रशिक्षण सुविधाएं देने और सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की है। भारत और इंडोनेशिया ने तदर्थ आधार पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम भी शुरू किए हैं और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने इंडोनेशिया विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के लिए एक अध्ययन पीठ के लिए वित्तीय व्यवस्था की है।

(ख) दोनों देश बहुधा द्विपक्षीय विचार विमर्श करते रहे हैं, जिसके कारण दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा करने, विश्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और दोनों देशों के बीच के विभिन्न आदान-प्रदान कार्यक्रमों में तेजी लाने तथा पारस्परिक सद्भावना बढ़ाने से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर मिलता रहा है।

7 मार्च, 1979 को इस्पात और खान मंत्री तथा इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री ने लोहा और इस्पात, अलौह धातुओं, सीमेंट, कागज और लुगदी, खनिज स्रोतों की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा इंडोनेशिया में प्राकृतिक गैस के भण्डारों का अन्वेषण, औद्योगिक बस्ती आदि स्थापित करने के क्षेत्रों में पारस्परिक लाभप्रद सहयोग के नये अवसर प्राप्त करने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में बतायी गई अनुवर्ती कार्यवाही के लिए एक तदर्थ मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है।

(ग) जकार्ता स्थित भारतीय राजदूत के माध्यम से विदेश मंत्रालय इस्पात और खान मंत्री की यात्रा के दौरान हुए विचार-विमर्श से सम्बद्ध रहा जिससे कि भारत सरकार और इंडोनेशिया की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रंगून में आयोजित भारत सप्ताह (इण्डिया वीक)

7765. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व रंगून (बर्मा) में 'भारत सप्ताह' मनाया गया था;

(ख) 'भारत सप्ताह' के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम किये गये और भारत गणतन्त्र की ओर से किन्होंने भाग लिया; और

(ग) क्या सरकार दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में ऐसे 'भारत सप्ताह' आयोजित करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) इस अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोहों में नेता जी का जन्म दिवस समारोह, रवीन्द्र नाथ ठाकुर पर विचार-गोष्ठी, फोटो-प्रदर्शनी, फिल्म-शो और सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम शामिल है। मैंने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था और मेरे साथ पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री प्रोफेसर एस० घोष भी गए थे। विश्व भारती की श्रीमती उमा दास गुप्ता ने इस विचार-गोष्ठी में नीति सूचक भाषण दिया। भारत के तेइस मंचीय कलाकारों के एक दल ने सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लिया। 'भारत सप्ताह' आयोजित करने से वहां भारत के लिए पर्याप्त सद्भावना उत्पन्न हुई और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशन्सा की।

(ग) दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों में इस प्रकार के 'भारत सप्ताह' आयोजित करने की सम्भावना पर हम विचार कर रहे हैं।

मानसिक मन्दता

7766. **श्री चित्त बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में लगभग 30 लाख व्यक्ति विभिन्न स्तरों की मानसिक मन्दतासे पीड़ित हैं;

(ख) क्या मानसिक मन्दता से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए सुविधायें, स्थिति को देखते हुए बिल्कुल अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता पत्तन पर हड़तालें

7767. **श्री मनोरंजन भक्त**
प्रो० समर गुह
श्री वसन्त साठे } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर बार-बार होने वाली आकस्मिक हड़ताल के बारे में सरकार को पता है जिससे व्यापारी जहाजों को हानि, परेशानी तथा कठिनाई होती है। यदि हां, तो गत दो

वर्षों से कुल कितने कार्य दिवसों की हानि हुई और ऐसी हड़तालों से गत दो वर्षों में कुल कितनी हानि हुई, और इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) कलकत्ता पत्तन के कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार देश में व्यापारिक नौवहन के हितों की रक्षा के लिए बार-बार होने वाली हड़तालों का अन्त कराने के लिए कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों पर विचार करेगी, यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पिछले दो महीनों में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के अधीन डाक बेसिन मशीनरी वर्करों तथा कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के वाणिज्य-समुद्री अधिकारियों, चौकीदारों और आम मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल के कारण कलकत्ता पोर्ट में काम पर काफी असर पड़ा। पिछले दो वर्षों में जितने श्रम-दिवसों की हानि हुई, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1977-78	10.600 श्रम-दिवस
1978-79	1,15·000 श्रम-दिवस

यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इस हड़ताल के कारण अन्य पक्षों को कितनी हानि हुई।

(ख) कामगारों की कुछ प्रमुख मांगे ये थीं :—अनिवार्य जमा राशि का भुगतान, बाढ़ ऋणों की अदाएगी, दैनिक कर्मचारियों को नियमित करना, रिक्त पदों को भरना, वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों के अनुसार डाक लेबर बोर्ड के आम मजदूरों के वेतन निर्धारित करने के बारे में दिए गए मध्यस्थ निर्णय को उन पर लागू करना।

(ग) सरकार की हमेशा यही नीति रही है कि बड़े पत्तनों में मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखे जायें ताकि वहां पर अचानक हड़ताल और धीरे काम करो जैसी अप्रिय घटनायें न हों क्योंकि उनके कारण उत्पादन में बाधा पड़ती है और पत्तन में जहाजों का अनावश्यक जमाव हो जाता है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, पोर्ट और डाक वर्कर फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ 29-11-78 से 10-1-79 के बीच बार-बार बातचीत की गयी और इस बातचीत में कर्मचारियों की अधिकांश अनिर्णीत मांगों पर निर्णय किये गये। पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों को हिदायत की गयी है कि वे इन निर्णयों को क्रियान्वित करें। उन्हें यह भी हिदायत की गयी है कि वे समय-समय पर स्थानीय यूनियनों के साथ भी बैठक कर लिया करें और इन बैठकों में कर्मचारियों की स्थानीय तथा अन्य छुट-पुट मांगों को यथाशीघ्र हल कर लिया करें। सरकारी स्तर पर और पत्तनों के स्तर पर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द-से-जल्द सुलझा लिया जाए।

कोटा-नीमच लाइन

7768. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा और नीमच क्षेत्र में वन उत्पादों और खनिजों के बाहुल्यता में उपलब्ध होने को देखते हुए इन स्थानों के बीच ब्राडगेज लाइन बिछाने के लिए बार-बार मांग की गयी हैं ;

(ख) क्या इस मार्ग में आने वाला सारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और उसमें परिवहन सुविधाओं का अभाव है;

(ग) क्या नीमच में एक एलकालायड कारखाना, एक अफीम कारखाना और एक सीमेंट कारखाना (जिसके द्वारा शीघ्र उत्पादन किये जाने की संभावना है) है और उनके उत्पाद बरास्ता रतलाम दिल्ली अथवा बम्बई भेजे जाते हैं;

(घ) क्या कोटा नीमच लाइन दो राज्यों को जोड़ेगी और कोटा तथा दिल्ली के बीच की दूरी को कम करेगी और यात्रा के समय में घंटों की कमी लायेगी;

(ङ) क्या नीमच के निकट सदड़ी रेल लाइन के साथ उदयपुर से जुड़ा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो अन्तर्राज्यीय सुविधा तथा औद्योगिक विकास एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) केवल बूंदी के रास्ते कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच बड़ी लाइन की मांगें आयी हैं। 1964 में तथा पुनः 1969 में किये गये यातायात सर्वेक्षणों से पता चला था कि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं होगी।

(ख) प्रस्तावित लाइन के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में अभी केवल सड़कें हैं और उसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जा सकता है।

(ग) नीमच में एक सीमेंट कारखाना लगाने का प्रस्ताव है।

(घ) यह राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ेगी तथा इस सम्पर्क से नीमच और दिल्ली के बीच की दूरी कम हो जायेगी।

(ङ) जी हां।

(च) प्रस्तावित सीमेंट कारखाने से होने वाले यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से बूंदी के रास्ते कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच एक बड़ी लाइन हेतु प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने के लिए चालू वर्ष में स्वीकृति दी गई है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद रिपोर्ट मिलने पर आगे कार्यवाही की जायेगी। चित्तौड़गढ़ और नीमच के बीच मीटर लाइन पहले से ही मौजूद है। बड़ी लाइन को नीमच तक बढाने का फिलहाल विचार नहीं है।

उज्जैन में श्री सिन्थेटिक्स द्वारा बोनस की अदायगी

7769. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उज्जैन में श्री सिन्थेटिक्स तथा रतलाम मध्य प्रदेश में सज्जन मिल्स द्वारा कितने बोनस की अदायगी की गई और इन कम्पनियों के लाभांशों का प्रतिशत कितना-कितना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : वर्ष 1977-78 के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

श्री सिन्थेटिक्स, उज्जैन :

1. लेखा वर्ष 1977-78 में भुगतान किये गए बोनस की प्रतिशतता—20 प्रतिशत। (इसके अलावा 8.33 प्रतिशत की दर से अनुग्रह-पूर्वक अदायगी का भी भुगतान किया गया था)।
2. लेखा वर्ष, 1977-78 में भुगतान किये गये लाभांश की प्रतिशतता:—

(क)	इक्विटी शेयरों पर	15 प्रतिशत
(ख)	अधिमान्य शेयरों पर	9.5 प्रतिशत

सज्जन मिल्स, रतलाम :

1. लेखा वर्ष, 1977-78 में भुगतान किए गये बोनस की प्रतिशतता—8·33 प्रतिशत
2. लेखा वर्ष 1977-78 के लिये भुगतान किया गया लाभांश—शून्य

रतलाम-बांसबाड़ा लाइन

7770. **डा० लक्ष्मीनारायण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम और बांसवाड़ा के बीच रेल लाइन डालने के लिये सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त लाइन अथवा क्षेत्र वहां आदिवासियों की संख्या अधिक होने के कारण, पिछड़े क्षेत्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। रतलाम और बांसवाड़ा के बीच बड़ी लाइन बिछाने के लिये एक प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1977 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि पहाड़ी इलाका होने के कारण 95 कि० मी० लम्बी रेलवे लाइन बिछाने की लागत 34.26 करोड़ रु० आयेगी। इस लाइन पर पर्याप्त यातायात नहीं होगा और पूंजी निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक होगा।

(ग) और (घ) प्रस्तावित रेलवे लाइन पिछड़े क्षेत्र में पड़ती है और यहां आदिवासियों का बाहुल्य है। एक राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति पिछड़े इलाकों में यातायात की आवश्यकताओं के बारे में इस समय जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ऐसे क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जायेगी।

पूर्व रेलवे में गैंगमैनों की संख्या

7771. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में गत चार वर्षों से काम कर रहे स्थायी तथा नैमित्तिक गैंगमैनों की वर्ष प्रतिवर्ष की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि गैंगमैनों की कुल संख्या में भारी कमी हुई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विभिन्न रेलवे समितियों के सदस्यों को सुविधायें

7772. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे विभाग में कार्यरत विभिन्न प्रकार की समितियों के क्या नाम हैं और इन समितियों के सदस्यों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बांकुरा दामोदर नदी रेल लाइन

7773. **डा० विजय मंडल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान नैरोगेज बांकुरा-दामोदर नदी रेल लाइन को तोड़ने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रेल लाइन को तोड़ने से पूर्व तक रेलगाड़ियों का चलाया जाना बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दैनिक रेल यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) 1-10-74 से पूर्व बांकुरा और रायनगर के बीच 3 जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती थीं । 1-10-74 से कोयले की कमी और इस रेलवे में शेष दो जोड़ी गाड़ियों द्वारा यातायात पर्याप्त रूप से सम्हाले जा सकने के कारण एक जोड़ी गाड़ी कम कर दी गयी ।

(घ) मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ।

अदरा-खड़गपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

7774. **डा० विजय मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदरा से खड़गपुर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये कोई धन भी आवंटित किया गया और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

बांकुरा-हावड़ा रेल मार्ग

7775. **डा० विजय मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम नगर से तारकेश्वर तक मेल लाइन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे बांकुरा से हावड़ा तक का मार्ग छोटा हो जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) बांकुरा-राय नगर रेल लाइन भारत की सरकारी रेलों के प्रबन्ध में चलायी जाने वाली एक प्राइवेट छोटी लाइन है। यातायात की कमी के कारण इस लाइन के संचालन में सरकार को घाटा हो रहा है। बांकुरा-राय नगर छोटी लाइन तो तारकेश्वर तक बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि इसमें दिया गया निवेश वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के स्टोर मैनेजर का पद रिक्त रहना

7776. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेडिकल स्टोर्स नई दिल्ली में स्टोर मैनेजर का पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या इस पद का दर्जा घटा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह पद, इस बीच, भर लिया गया है; और

(ङ) इसको भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) सी० जी० एच० एस० दिल्ली में 1-7-76 से स्टोर मैनेजर का पद खाली रहा, क्योंकि इस पर पदासीन व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया था और कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा था।

(ख) और (ग) जी, हां। स्टोर मैनेजर के पद का दर्जा घटा कर उसे तब तक अस्थायी रूप से सहायक डिपो मैनेजर का पद बना दिया गया है, जब तक कि स्टोर मैनेजर का पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता। यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि वर्तमान भर्ती नियमों के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवार के अभाव में इस पद को नहीं भरा जा सका था।

(घ) और (ङ) जी, हां। सहायक डिपो मैनेजर का पद जिसे स्टोर मैनेजर के पद के स्थान पर बनाया गया था, एक अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा जो सी० जी० एच० एस० दिल्ली में परिवार कल्याण स्टोर डिपों में सहायक डिपो मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा था, तदर्थ आधार पर 10-7-78 से भर लिया गया है।

नदी परिवहन

7777. **श्री वेदत बरूग्रा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र नदी से होकर सामान का परिवहन रेल परिवहन से अधिक मंहगा पड़ता है;

(ख) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए नदी परिवहन की लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या भगवती समिति ने विश्व भर में नदी परिवहन की अपेक्षाकृत कम लागत के आंकड़े देते हुए, इस क्षेत्र में नदी परिवहन की लागत अधिक होने पर आश्चर्य व्यक्त किया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में नदी सेवा के एक प्रमुख प्रचालक हैं, सूचित किया है कि यह बिल्कुल सच है कि कलकत्ता से गोहाटी तक नदी द्वारा माल ले जाने की लागत रेल भाड़े की अपेक्षा कुछ अधिक है, जिसके कारण ये हैं :—

(i) रेलों द्वारा वसूल किये जाने वाले भाड़े में सरकारी सहायता भी शामिल की जाती है और इसलिए भाड़े से रेल-परिचालन के खर्च का पता नहीं चलता। पूर्वी सीमांत रेलवे को हर साल भारी घाटा होता है।

(ii) नदी मार्ग द्वारा कलकत्ता से गोहाटी के बीच दूरी अधिक है (रेल-दूरी से 150 प्रतिशत अधिक)

(iii) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के काफी पुराने जहाजों की बार-बार मरम्मत करने और उनका सही ढग से रखरखाव करने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए नदी परिवहन इतना अधिक महगा पड़ता है।

(iv) रात को नौचालन की अनुमति न होने से और समुचित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने से जहाज के आने-जाने का समय बढ़ जाता है और परिणामस्वरूप परिचालन-व्यय भी बढ़ जाता है।

(ख) निगम ने सूचित किया है कि नदी परिवहन की लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है :—

(i) नए जहाजों की खरीद करना जिससे जहाज-परिचालन और रखरखाव के खर्च में कमी हो सके।

(ii) नए जहाजों में नियुक्त कर्मचारियों के वेतनमानों में कमी करना ताकि लागत में कमी हो सके।

(iii) लदान और उतराई के समय में कमी करने के लिए आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना ताकि अनावश्यक बिलम्ब से बचा जा सके और लागत में कमी आ सके।

(ग) जी, नहीं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के चापरमुख सिलघाट शेक्शन का राष्ट्रीयकरण

7778. **श्री वेतव्रत बरूआ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के छपरमुख सिलघाट सेक्शन का अभी तक पूर्णतया राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है;

(ख) इस विशेष सेक्शन अपर गैर-सरकारी कम्पनी को अब भी किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और उक्त गैर सरकारी कम्पनी का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या कम्पनी से किये गये करार के कारण इस लाइन की पूर्ण उपेक्षा की गई है; और

(घ) भारतीय रेलवे के एक सेक्शन पर इस पुराने गैर सरकारी नियन्त्रण को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) चापरमुख-सिलघाट लाइट रेलवे चापरमुख-सिलघाट लाइट रेलवे कम्पनी के स्वामित्वाधीन है लेकिन केन्द्र सरकार के साथ हुए करार के अधीन समीपस्थ पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे द्वारा संचालित की जाती है । करार की मोटी-मोटी बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ग) और (घ) चापरमुख-सिलाघाट खन्ड में रेल पथ नवीकरण आदि के द्वारा सुधार की जरूरत है । कुल खर्च के अपने हिस्से की निधि का आवंटन करने में कम्पनी की असमर्थता के कारण इस खन्ड के मरम्मत-कार्य में देरी हो रही है । इस मामले पर कार्रवाही की जा रही है ।

केन्द्र सरकार दस वर्ष के आवधिक अन्तराल पर रेलवे को खरीद सकती है । इसे खरीदने का पिछला विकल्प 31-3-1978 को था लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि करार के अन्तर्गत इसकी खरीद लाभदायी नहीं थी ।

विवरण

(i) सरकार चल स्टाक के उपयोग सहित लाइन के प्रबन्ध, अनुरक्षण और संचालन के लिए कुल आमदनी का 50 प्रतिशत अपने पास रखती है । शेष 50 प्रतिशत में कम्पनी की शुद्ध आमदनी होती है ।

(ii) चापरमुख-सिलघाट रेलवे कम्पनी का प्रदत्त हिस्सा पूंजी या प्रति वर्ष 3½ प्रतिशत की दर से शुद्ध प्राप्ति की गारन्टी है। इसके अलावा कम्पनी, कार्यालय के खर्च और कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था के खर्च के लिए प्रतिवर्ष, 6,000 रु० तथा निदेशकों की फीस और कानूनी खर्चों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा व्यय की गई वास्तविक रकम का हकदार है ।

(iii) यदि किसी वर्ष शुद्ध प्राप्ति कम्पनी की प्रदत्त हिस्सा पूंजी पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए न्यूनतम रकम से अधिक हो जाती है,

तो इस प्रकार की अधिक रकम, कम्पनी के कार्यालय और खर्च और प्रबन्ध और निर्देशन खर्च का भुगतान करने के बाद, कम्पनी और सरकार के बीच बराबर-बराबर बांट दी जाती है। लेकिन यदि प्राप्ति से शुद्ध आय प्रदत्त हिस्सा पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती, तो ऐसी समूची शुद्ध प्राप्ति कम्पनी को भुगतान कर दी जाती है।

गुयाना में भारतीयों की स्थिति

7779. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुयाना कांसिल आफ इण्डियन आर्गेनाइजेसन् (जार्जटाउन, गुयाना) में सरकार का ध्यान गुयाना में बसे भारतीयों के साथ किये जा रहे जातीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भेदभाव और उनकी धार्मिक कठिनाइयों की ओर दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सी समरेन्द्र कुण्डू) : (क) भारतीय संगठनों की गुयाना परिषद् द्वारा गुयाना में भारतीय मूल के लोगों द्वारा झेली जाने वाली कथित कठिनाइयों की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) भारत सरकार इस मामले में गुयाना सरकार के साथ समय-समय पर संपर्क स्थापित करती रही है।

बर्मा और श्रीलंका में राष्ट्रिकताहीन भारतीयों की संख्या

7780. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका और बर्मा में बसे इस समय राष्ट्रिकताहीन भारतीय मूलकों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) श्रीलंका और बर्मा में ऐसे भारतीय मूलकों की संख्या कितनी है जिनके पास विदेशी पंजीकरण प्रमाण पत्र है;

(ग) सरकार ने श्रीलंका और बर्मा में राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों की राष्ट्रिकता तथा अन्य लाभ और सुविधाएं, जो उन देशों के सामान्य नागरिकों को उपलब्ध हैं, प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों को वापिस लेने का है जो भारत वापिस आना चाहते हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि अनेक भारतीय मूलक लोग अपनी आस्तियां और सम्पत्तियां वहां छोड़कर वापिस आ गये हैं; और

(च) यदि हां, तो उनकी कीमत कितनी है और सरकार ने उनकी वसूली के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) हमारे अद्यतन अनुमानों के अनुसार श्रीलंका में भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों की नागरिकता अभी तय की जानी है, उनकी संख्या 5,16,000 है और इस संख्या में होने वाली प्राकृतिक वृद्धि इससे अलग है। बर्मा में प्रलेख विहीन" भारतीय मूल के व्यक्ति "यानी वे लोग जिनके पास वैध पासपोर्ट, विदेश पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड नहीं है" अनुमानतः 2,80,000 होंगे।

(ख) अनुमान है कि बर्मा में करीब 40,000 भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास विदेशी पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं। श्रीलंका की सरकार इस तरह के प्रमाणपत्र जारी नहीं करती।

(ग) भारत और श्रीलंका ने क्रमशः 1964 और 1974 में करार किया था जिनकी शर्तों के अनुसार भारतीय मूल के कुल 9,75,000 लोगों में से, जिनकी नागरिकता का दर्जा निश्चित नहीं था, 3,75,000 (उनकी संख्या में प्राकृतिक वृद्धि सहित) को श्री लंका की नागरिकता प्रदान की जानी है और 6,00,000 को (उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित) भारत प्रत्यावर्तित किया जाना है। फरवरी 1979 तक इनमें से 1,75,818 व्यक्तियों को श्रीलका के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा चुका था। जहां तक बर्मा का सवाल है, भारतीय मूल के लोगों के दर्जे के सवाल पर बर्मा की सरकार के साथ कई अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया है और हमें यह आश्वासन भी दिया गया है कि बर्मा की नागरिकता प्रदान करने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। बर्मा के प्राधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों से लगातार बर्मा में रहने वाले सभी वयस्क गैर-राष्ट्रिकों को हाल ही में यह सलाह दी है कि वे यह बतायें कि वे बर्मा की नागरिकता लेना चाहते हैं अथवा नहीं। उम्मीद की जाती है कि पीढ़ियों से बर्मा रहने वाले भारतीय मूल के लोग बर्मा की नागरिकता के लिए विकल्प देंगे।

(घ) श्रीलंका के साथ हमारे करार की शर्तों के अनुसार भारतीय मूल के 6,00,000 व्यक्तियों (उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित) को भारत प्रत्यावर्तित किया जाना है जिनमें से 3,10,106 व्यक्ति फरवरी 1979 तक देश प्रत्यावर्तित किये जा चुके हैं।

(ङ) और (च) श्रीलंका की सरकार हमेशा के लिए श्रीलंका छोड़कर जाने वाले भारतीय मूल के लोगों को अधिक से अधिक श्रीलंका के 75,000 रुपये अपने साथ देश प्रत्यावर्तित करने की अनुमति देती है बशर्ते कि श्रीलंका सरकार इस बात से आश्वस्त हो कि जो राशि स्थानान्तरित की जानी है वह उनकी अपनी वास्तविक जीवन की संचित निधि है। इस अधिकतम राशि से ऊपर की जो भी राशि होती है वह स्वयमेव गैर-रिहायशी ब्लाक्ड एकांउट में जमा करा दी जाती है। श्रीलंका के बैंकिंग के स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार के ब्लाक्ड खातों की राशि श्रीलंका के 102 लाख रुपये है। कुछ मामलों में, संबद्ध व्यक्तियों द्वारा भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किए जाने पर सरकार ब्लाक्ड खातों से अनुकम्पा के आधार पर अथवा मानवीय आधार पर पूरी अथवा आंशिक राशि श्रीलंका प्राधिकारियों से अनुमति दिलवाकर प्रत्यावर्तित कर सकी है। जहां तक बर्मा का प्रश्न है 1963 और 1965 में राष्ट्रीयकरण के कारण बहुत से भारतीय स्वदेश रवाना होने से पहले अपनी परिसंपत्ति वहां छोड़ आये थे। इन परिसंपत्तियों का कोई प्रामाणिक अनुमान उपलब्ध नही है। 1973 में बर्मा की सरकार ने राष्ट्रीकृत परिसंपत्तियों के मुआवजे के लिए आवेदन मांगे थे। मुआवजे के प्रश्न पर बर्मा और भारत की

सरकारों के बीच बातचीत चलती रही है। हाल की अपनी बर्मा यात्रा के दौरान विदेश राज्य मन्त्री ने भी इस प्रश्न को बर्मा के प्राधिकारियों के साथ उठाया था और उन्होंने इस सम्बन्ध में शिकायतों की सुनवाई करने और अपना सहयोग देने का वायदा किया।

उत्तर प्रदेश में नैरोगेज लाइनों को बदलना

7781. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की नैरोगेज लाइनों को सुनियोजित ढंग से ब्राड गेज में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतर लाइनें नैरोगेज हैं; और

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) उत्तर प्रदेश में छोटी लाइनें नहीं हैं। किन्तु वहां 3252 कि० मी० लम्बी मीटर लाइनों का जाल बिछा है। उत्तर प्रदेश राज्य में 8759 कि० मी० रेलवे लाइनों में से, इस समय केवल 624 कि० मी० लम्बी मीटर लाइन का आमान-परिवर्तन करने का अनुमोदन कर दिया है, जिसमें से 326 कि० मी० पर यह कार्य पहले ही प्रगति पर है।

(ख) अस्थायी रूप में उत्तर प्रदेश में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। बशर्ते कि आमान-परिवर्तन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त आवंटन किया जाय।

बर्दवान-आसनसोल को उप-नगरीय सेक्शन में घोषित करना

7782. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्दवान से आसनसोल को पूर्व रेलवे का एक उपनगरीय सेक्शन घोषित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्दवान-आसनसोल खण्ड पर बिजली गाड़ी सेवाएं चालू करने के बारे में हाल में ही अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके लिए चल स्टाक और अचल संस्थापनाओं के रूप में अतिरिक्त खर्च की जरूरत होगी और इसलिए संसाधनों की तंगी को देखते हुए इसे प्राथमिकता के अनुसार प्रतीक्षा करनी होगी।

हावड़ा से आसनसोल तक दुमंजिली रेल गाड़ी

7783. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा से आसनसोल तक दुमंजिली रेलगाड़ी चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह दुमंजिली रेलगाड़ी अनुमानतः कब तक चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1978-79 के चल-स्टाक कार्यक्रम में 24 डबल डैकर डिब्बों की व्यवस्था की गयी है और इन्हें चरणबद्ध आधार पर नयी दिल्ली-मेरठ, हावड़ा-आसनसोल और बम्बई-सूरत खण्डों पर चलाया जायेगा।

महात्मा गांधी द्वारा श्रीलंका में लगाया गया पेड़ और उनके रहने वाला मकान

7784. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी द्वारा अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान लगाये पेड़ को सुरक्षित रखा जा रहा है; और

(ख) क्या जिस मकान में वह रहे थे उसको भी सुरक्षित रखा जा रहा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां। विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से एक बागबानी विशेषज्ञ इस वृक्ष को सुरक्षित रखने में श्रीलंका के प्राधिकारियों को सलाह देने तथा उनकी सहायता के लिए श्रीलंका भेजा जा रहा है।

(ख) जी हां। श्रीलंका की सरकार ने यह सम्पत्ति अधिग्रहीत कर ली है जिसमें गांधी स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय बनाया जा रहा है।

रुग्ण मिलों की भविष्य निधि की राशि का भुगतान

7785. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा उसके विभागीय उपक्रमों द्वारा अपने अधिकार में ली गयी रुग्ण मिलों के बारे में अब तक भविष्य निधि को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ख) भविष्य निधि की राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई रुग्ण मिलों ने भविष्य निधि की बाबत अभी 827 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों ने रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन नियुक्त भुगतान आयुक्त के पास दावे दायर किए हैं।

मीटरगेज की एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण

7786. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मीटरगेज एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो शेष कितनी गाड़ियों का डीजलीकरण किया जाना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। अभी तक, मीटर लाइन की 30 जोड़ी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण किया गया है।

(ख) बिना अपवाद के मीटर लाइन की सभी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण करने का इरादा नहीं है। माल यातायात की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद यात्री गाड़ियों के लिए जब भी डीजल रेल इंजन उपलब्ध होंगे, केवल चुनी हुई डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का उत्तरोत्तर डीजलीकरण करने का विचार है।

सी० सी० आर० आई० एम० एच० में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति

7787. **श्री रामजीलाल सुमन** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन इंडियन मेडिसीन एंड होम्योपैथी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इस परिषद के आयुर्वेदिक वैज्ञानिक परामर्श मण्डल के अध्यक्ष कविराज आशुतोष मजूमदार द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में उठाए गए सवालों पर सरकार ने विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद ने 1-1-78 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति नियुक्त थे, उनकी सूचना इस प्रकार है :—

अनुसूचित जाति	118
अनुसूचित जनजाति	10
योग :	128

(ख) इस परिषद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियों के बारे में कविराज आशुतोष मजूमदार द्वारा बतलाई गई किसी भी अनियमितता के बारे में भारत सरकार को जानकारी नहीं है। वैसे इस परिषद को इस आशय के अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की भर्ती के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों की कड़ाई से पालन किया जाए।

यहां यह भी बताया जाता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के कर्तव्यों को हाल ही में आयुर्वेद और सिद्ध, होम्योपैथी, यूनानी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा नामक चार नई अनुसंधान परिषदों में बांट दिया गया है।

हिंसा की घटनायें

7788. **प्रो० समर गुह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में पश्चिम बंगाल के सियालदह और हावड़ा स्टेशनों से उपनगरीय लाइनों पर हिंसा, रेल कार्यालयों पर छापे तथा रेल सेवाओं के अस्तव्यस्त होने की बहुत सी घटनायें हुई हैं और प्रेस में प्रकाशित हुई हैं;

(ख) आन्दोलनकारी यात्रियों से निपटने के लिए पुलिस को गोली तथा लाठी चलानी पड़ी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(घ) ऐसे यात्री आन्दोलन के क्या कारण हैं; और

(ङ) यात्रियों की शिकायत दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जनवरी से मार्च 79 तक की अवधि के दौरान कलकत्ता क्षेत्र के उपनगरीय खण्डों में जनता/यात्रियों द्वारा प्रदर्शन/आन्दोलन की 32 घटनाएं हुईं ।

(ख) और (ग) जी हां, केवल एक मामले में 26-3-79 की संध्या को जबकि बदमाशों द्वारा गाड़ी उपस्करों में कथित गड़बड़ कर दिये जाने के फलस्वरूप बिजली गाड़ी रेकों में यांत्रिक दोष आ जाने के कारण सियालदह से चलने वाली दो उपनगरीय गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं ।

(घ) इन प्रदर्शनों के कई कारण थे जैसे कुछ गाड़ियों के समय में परिवर्तन, गाड़ियों के ठहरावों की व्यवस्था, अतिरिक्त गाड़ियां चलाना, गाड़ियां देर से चलना आदि ।

(ङ) अतिरिक्त सुविधा की प्रत्येक मांग की गहराई से जांच की जाती है तथा जितनी राहत व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण होती है, वह दी जाती है। कलकत्ता क्षेत्र में उपनगरीय गाड़ियों के चलने में सुधार करने के लिए बिजली गाड़ी रेकों का अधिक गहन अनुरक्षण, सियालदह स्टेशन पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था तथा, भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुशन की व्यवस्था करने के लिए समय सूचियों में उपयुक्त परिवर्तन ताकि अपरिहार्य कारणों से गाड़ियों की रुकोनियों की क्रमिक प्रतिक्रिया की रोकथाम हो, आदि कार्यवाई भी निरन्तर की जा रही है । बिजली गाड़ियों की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही है । बदमाशों की गतिविधियों की रोकथाम करने तथा सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग भी मांगा जा रहा है ।

चोरी और उठाईगीरी की घटनाएं

7789. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेल के सियालदह डिवीजन में शरारतपूर्ण गतिविधियों में विशेष रूप से चोरी तथा उठाईगीरी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं और उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल में बुक किये गये परेषणों की चोरी तथा उठाईगीरी के मामलों में मामूली-सी वृद्धि हुई है।

(ख) अवधि	पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल में चोरी तथा उठाईगीरी के मामलों की संख्या।
अप्रैल, 78 से सितम्बर, 78 तक	1667
अक्तूबर, 78 से मार्च, 79 तक	1682

(ग) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. ब्लाक लोड में सभी मूल्यवान परेषणों अर्थात् अनाज, चाय, इस्पात तथा महंगे परेषणों को ले जाने वाली माल गाड़ियों, विशेष रूप से रात में चलने वाली माल गाड़ियों के साथ मार्ग रक्षक भेजे जाते हैं।
2. गाड़ियों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से बचाव के लिए भेद्य खण्डों पर रेल लाइनों पर गश्त के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।
3. भेद्य खण्डों तथा वार्डों में सशस्त्र सुरक्षा बल की सेक्टर एवं निरंतर गश्त लागू की गयी है।
4. रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों के पर्यवेक्षण को बड़ा किया गया है।
5. रेलवे के अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल/केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा चोरी का माल खरीदनेवाली दुकानों और गोदामों तथा चोरी की गयी रेल सम्पत्तियों के प्राप्त कर्ताओं के अड्डों पर छापे मारे जाते हैं।
6. स्थिति से निपटने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच निकट सहयोग बनाये रखा जाता है।

इन उपायों के फलस्वरूप वर्ष 1978-79 के दौरान 43 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 5 दुस्साहसी अपराधी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गोली लगने से मारे गये। ये अपराधी हिंसा पर उतारू हो गये थे तथा इन्होंने रेलवे सुरक्षा बल पर आक्रमण कर दिया था। 20 799/-रुपये के मूल्य की सम्पत्ति वसूल की गयी।

पूर्व रेलवे में विलम्ब शुल्क का भुगतान

7790. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में निरंतर पूर्व रेलवे द्वारा कितने विलम्ब शुल्क का भुगतान किया

गया, कितने दावों के बारे में भुगतान किया जाना है और कितने दावों को तामड़ी माना जायेगा;

(ख) विलम्ब शुल्क दावों का भुगतान करने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या रेलवे दावों के क्षेत्र में कोई दावा एजेन्ट होने की सरकार को जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उनको रोकने तथा दावों की धनराशि का तुरन्त भुगतान करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी रेलवे पर तेज रफ्तार वाली गाड़ी संख्या 271 की समयबद्धता

7791. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर तथाकथित तेज रफ्तार वाली गाड़ी संख्या 271, जो भावनगर (सौराष्ट्र, गुजरात में) से प्रतिदिन प्रातः 2 बजे चलती है, अनेक स्टेशनों-बोराड तथा उससे आगे लिमडी स्टेशन तक लगभग प्रतिदिन आधे घण्टे से लेकर 45 मिनिट तक देर से पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार नियमित रूप से ठीक समय पर न पहुंचने से दैनिक यात्रियों और मजूरी करने वालों को प्रतिदिन की पूरी या आधी मजूरी की हानि सहित भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) दिसम्बर, 78 से मार्च, 79 तक के चालू महीनों की अवधि में 271 तेज सवारी गाड़ी 64 दिन समयानुसार चली थी ।

(ख) और (ग) विभिन्न परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इस गाड़ी के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(घ) पर्यवेक्षण तेज करने तथा इस सवारी गाड़ी के चालन पर दिन प्रतिदिन विशेष निगाह रखने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

हृदय रोग

7792. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने हृदय रोगी हैं और उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार हृदय रोगियों को अथवा ऐसे रोगियों की सहायता करने के लिए न्यास को कोई सहायता दे रही है और यदि हां, तो इस समय प्रत्येक आपरेशन के लिए कितनी सहायता दी जाती है अथवा इसे कब दिये जाने का विचार है; और

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आपरेशन करने के लिए मार्च, 79 तक कितनी सहायता राशि दी गई और उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) देश में विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों से पीड़ित कितने व्यक्तियों का इलाज किया गया है, इसके बारे में सूचना अनुबन्ध-1 में दी गई है ।

(ख) जी नहीं । तथापि, सुपात्र मामलों में गरीब रोगियों को आपरेशन समेत उपचार के लिए स्वास्थ्य मन्त्री के स्वविवेक अनुदान में से धन दिया जाता है ।

(ग) 1978-79 के दौरान सुपात्र रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आपरेशन कराने के लिए स्वास्थ्य मन्त्री के स्वविवेक अनुदान में से जो धन दिया गया, उसका ब्यौरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है ।

[**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी० 4336/79]

आरक्षित स्थान के लिए अनुपूरक सरचार्ज वापस लेना

7793. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात एक्सप्रेस, स्टील एक्सप्रेस, कोरल एक्सप्रेस और हावड़ा आसनसोल एक्सप्रेस सुपर फास्ट गाड़ियों में आरक्षित स्थान के लिए लगाया गया अनुपूरक सरचार्ज वापस ले लिया गया है;

(ख) क्या इसे सभी श्रेणियों के आरक्षणों के लिए वापस ले लिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तिनसुकिया एक्सप्रेस पर भी, जो सुपर फास्ट गाड़ी है, इस सुविधा को लागू करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, 1-2-1979 से ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

मध्य प्रदेश में छोटी लाइनों का बदला जाना

7794. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान भारतीय रेलवे की मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ने वाली छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदले जाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बुन्देलखंड, जिसमें कुछ जिले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आते हैं, की जनता काफी समय से इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए प्रशासन को अभ्यावेदन भेजती रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 1978-79 तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1979-80 के दौरान मध्य प्रदेश में छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का काम हाथ में लेने लिए कोई अनुमोदित योजना नहीं है। तथापि, विगत में उत्तर सतपुड़ा क्षेत्र की छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया गया था परन्तु उसे वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया था। गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण हाल में ही पूरा हुआ है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी हां। तथापि, महोबा से खजुराहो तक एक लाइन के निर्माण के लिए 1975 में एक इंजीनियरी एवं यातायात टोह सर्वेक्षण किया गया था। किन्तु, समिति यातायात होने की सम्भावना के कारण इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था। सम्प्रति, ललितपुर से टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो और सतना होकर सिंगरौली तक एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

अमरीका तथा पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता

7795. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पाक-यू० एस० डिफेंस पैक्ट स्टैंड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के प्रेजीडेन्ट ने पत्रकारों के इस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 1954 में पाकिस्तान और अमरीका के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे वह अभी भी प्रभावी है;

(ग) क्या उक्त समझौते के अन्तर्गत अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सभी नवीनतम शस्त्रास्त्र सप्लाई किये जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या अमरीकी सरकार ने भारत को भी उस समय आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान इन शस्त्रों का भारत के विरुद्ध उपयोग नहीं करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या अमरीका ने इस समय यह आश्वासन पुनः दिया है ?

विदेश मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान रेडियो से प्रसारित इस आशय की रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है।

(ग) 1954 के परस्पर रक्षा सहायता करार के अन्तर्गत अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान को दिए जाने वाले अमरीकी सैनिक सामान पर समय-समय पर रोक लगाई जाती रही है और इस समय अमरीका मुख्यतया व्यावसायिक आधार पर पाकिस्तान को हथियार दे रहा है।

(घ) और (ङ) अमरीकी सरकार के साथ विचार-विमर्श के दौरान भारत सरकार समय-समय पर इस बात पर बल देती रही है कि पाकिस्तान को अद्यतन सैनिक साज-सामान सप्लाई करना, भारत-पाक सम्बन्धों को क्रमिक रूप से सामान्य बनाने की प्रक्रिया में हितकर नहीं होगा और हथियारों के भेजे जाने से इस उप-महाद्वीप में अस्थिरता बढ़ सकती है। अमरीकी सरकार ने घोषणा की है कि वे बिना किसी भेद-भाव के भारत और पाकिस्तान दोनों को रक्षात्मक हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे जिससे भारत उप-महाद्वीप के स्थायित्व में गड़बड़ी पैदा न हो।

श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों को "प्रभुसत्ता" का दर्जा देना

7796. **श्री पी० एम० सईद**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्टेट्समैन" दिनांक 24 मार्च, 1979 में "श्रीलंका लीडर सीक्स डेसाईज इन्टरवेन्शन" शीर्षक से समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री से अनुरोध किया गया था कि वे इस बात को देखने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें कि श्रीलंका सरकार द्वारा वहां के तमिल भाषी लोगों के साथ, जिनको विभिन्न रूपों में भेद-भाव का सामना करना पड़ रहा है और जिसके कारण उन्हें तमिल क्षेत्रों के लिए "प्रभुसत्ता" के दर्जे की मांग करने को बाध्य होना पड़ा है, न्याय किया जाये;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने अपने दौरे के दौरान इस प्रश्न पर बातचीत की थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) श्रीलंका के कुछ लोगों ने प्रधान मंत्री के साथ यह मामला सामान्य रूप में उठाया था।

(ग) और (घ) सरकार की स्थापित नीति के अनुरूप प्रधान मंत्री ने इस विषय पर कोई सार्वजनिक रुख अख्तियार नहीं किया। तथापि उन्हें यह बताया गया कि अगर श्रीलंका की अखंडता एवं प्रभुसत्ता की रूपरेखा के अन्तर्गत इस प्रश्न के समाधान के लिए अगर सभी पक्ष चाहेंगे तो सम्बद्ध उनकी सहायता उपलब्ध रहेगी।

ईरान को भेजा गया सद्भावना मिशन

7797. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री चित्त बसु : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के धार्मिक नेता श्री अयातुल्ला खोमानी से मिलने के लिए कोई सद्भावना मिशन भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिनिधि मंडल ने ईरान के धार्मिक नेता से भेंट की थी;

(ग) भारत स्थित उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है जिनके बारे में भूतपूर्व शासन ने वचन दिये थे; और

(घ) दौरे के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (घ) श्री अशोक मेहता के नेतृत्व में तीन सदस्यों का एक गैर सरकारी सद्भावना प्रतिनिधि मंडल 13 से 20 मार्च, 1979 तक ईरान की यात्रा पर गया। यह प्रतिनिधि मंडल ईरान के विभिन्न नेताओं से मिला जिसमें प्रधान मंत्री श्री मेहदी बजरगान, उप-प्रधान मंत्री श्री अमीर इतेजाम, विदेश मंत्री डा० करीम संजाबी तथा अन्य व्यक्ति शामिल थे। यह प्रतिनिधि मंडल अयातुल्ला खोमानी और अयातुल्ला तलेघानी से भी मिला। प्रतिनिधि मंडल ने ईरान के नये नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित किया जिन्होंने इस सद्भावना यात्रा की सराहना की और भारत की सरकार तथा भारत की जनता की ओर से यह प्रतिनिधि मंडल जो बधाई और शुभकामना संदेश ले गया था वह स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रत्युत्तर में अपनी शुभ कामना व्यक्त की। यह आशा की जाती है कि भारत और ईरान के बीच सहयोग निरन्तर जारी रहेगा।

भारतीय नौवहन निगम में वेतन वितरण

7798. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम लि० में बम्बई/कलकत्ता में स्थित इसके कार्यालयों में कर्मचारियों को प्रत्येक कलन्डर माह के अन्तिम कार्य दिवस को वेतन वितरण करने की पद्धति है;

(ख) क्या दिसम्बर, 1978 तथा जनवरी, 1979 के महीनों का वेतन संगत महीनों के अन्तिम कार्य दिवस को नहीं वितरित किया गया था, यदि हां, तो उक्त महीनों का वेतन कब वितरित किया गया था; और

(ग) वेतन वितरण में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वितरण समा पटल पर रख दिया है।

विवरण

(ख) बम्बई कार्यालय में दिसम्बर, 1978 माह के लिए वेतन 2-1-79 को वितरित किया गया और जनवरी, 1979 का वेतन वितरण के लिए 31-1-79 को तैयार था और यह उसी तारीख को अधिकारियों में वितरित किया गया। परन्तु अन्य कर्मचारियों ने अपना वेतन 6-2-79 को लिया। कलकत्ता कार्यालय में दिसम्बर माह का वेतन 27-12-78 को वितरित किया गया। यद्यपि जनवरी, 1979 का वेतन 31-1-79 को वितरण के लिए तैयार था और यह उसी दिन अधिकारियों में वितरित किया गया जबकि कर्मचारियों ने इस माह का वेतन 8-2-79 को लिया।

(ग) वेतन वितरण में हुए बिलम्ब के कारण इस प्रकार हैं :—

(I) बम्बई कार्यालय

(1) दिसम्बर, 1978 के लिए वेतन

भारतीय नौवहन निगम के कर्मचारियों ने 16-10-78 से नियमानुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया और दिसम्बर, 1978 के मध्य से धीरे काम करो की चाल अपनानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप दिन भर के सामान्य कार्य पर असर पड़ा । चूंकि 30-12-78 और 31-12-78 को छुट्टी थी इसलिए दिसम्बर, 1978 माह का वेतन 29-12-78 को दिया जाना था । परन्तु इन आन्दोलनों के कारण वेतन-पंजिका तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका । 29-12-78 और 1-1-79 को यूनियन ने कोई काम नहीं करने दिया । 2-1-79 को ही कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ और उसी दिन वेतन वितरित किया गया ।

(2) जनवरी, 1979

यूनियन की सलाह पर कर्मचारियों ने प्रबन्धकों द्वारा 50/-रुपए प्रति माह की अन्तरिम पेशगी का भुगतान रोक लिए जाने के कारण इसके विरोधस्वरूप 31-1-79 को वेतन नहीं लिया । इस अन्तरिम पेशगी का भुगतान प्रबन्धकों और यूनियन के बीच किये गये एक करार के आधार पर किया जा रहा था और इसके पीछे यह शर्त थी कि कर्मचारी तब तक कोई आन्दोलन नहीं करेंगे जब तक कि उनके मांग-पत्र से सम्बन्धित सभी प्रश्नों को हल नहीं कर लिया जाता । चूंकि यूनियन अपने आन्दोलनात्मक रवैये पर खड़ी रही, इसलिए प्रबन्धकों ने उक्त भुगतान को रोक लेने का फैसला कर लिया । यूनियन ने 30-1-79 को बम्बई में औद्योगिक न्यायालय में याचिका दायर की जिसमें प्रबन्धकों को उक्त अग्रिम भुगतान रोक लेने से मनाही करने के लिए अनुरोध किया गया था । औद्योगिक न्यायालय ने 1-2-79 को अन्तरिम आदेश जारी किया कि यदि कर्मचारी आन्दोलन तथा प्रदर्शन इत्यादि नहीं करते और अपना सामान्य कामकाज करने लगते हैं तो निगम को उपर्युक्त अन्तरिम अग्रिम का भुगतान नहीं रोकना चाहिए । अदालत के उक्त आदेश के बाद भी यूनियन/कर्मचारियों ने अपना आन्दोलन जारी रखा । अन्ततः यूनियन ने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे 6-2-79 को विरोध प्रकट करते हुए अपना-अपना वेतन ले लें ।

(II) कलकत्ता कार्यालय

(1) जनवरी, 1979

जनवरी, 1979 का वेतन 31-1-79 को वितरण के लिए तैयार रखा गया था और प्रति-माह 50/-रुपए की अन्तरिम पेशगी रोक ली गई, जैसा कि बम्बई के कर्मचारियों के मामले में किया गया । 30-1-79 को कलकत्ता की यूनियन ने अपने वकील के जरिए प्रबन्ध को यह सूचना दी कि यूनियन ने 25-1-79 को शहर के सिविल कोर्ट से एक तरफा आदेश ले लिया था जिसमें प्रबन्ध को अन्तरिम पेशगी रोक लेने से मना किया गया था । भारतीय नौवहन निगम के सालीसीटरों की सलाह पर भारतीय नौवहन निगम ने 5-2-79 को (1, 3 और 4 फरवरी को छुट्टी थी) । कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी । 7-2-79 को उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि जनवरी, 1979 का वेतन अन्तरिम पेशगी दिये बिना दे दिया जाए और जब तक

आगे आदेश नहीं मिल जाता तब तक शहर के सिविल कोर्ट में 50/- रु० की अन्तरिम पेशगी जमा रखी जाए। इसलिए जनवरी, 1979 का वेतन 8-2-1979 को वितरित किया गया।

वाहनों के सड़क-कर का भुगतान न किया जाना

7799. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन प्राधिकरण ने कुछ वाहन मालिकों को, जिन्होंने गत अनेक वर्षों से सड़क-कर का भुगतान नहीं किया है, नोटिस जारी किये हैं;

(ख) क्या इस बारे में प्राधिकरण कर्मचारियों द्वारा जांच भी की जायेगी; और

(ग) सरकार उन वाहन मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जिन्होंने गत अनेक वर्षों से सड़क-कर का भुगतान नहीं किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां। संभवतः माननीय सदस्य का आशय दिल्ली के परिवहन प्राधिकरणों से है।

(ख) जी, हां।

(ग) जो व्यक्ति कर नहीं देते, उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाया जाता है।

बड़ौदा-भोपाल यात्री गाड़ी

7800. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती एक्सप्रेस चालू की गई थी, तो 111-112 बड़ौदा भोपाल यात्री गाड़ी को रतलाम तक बढ़ा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जनता एक्सप्रेस और डीलक्स गाड़ी से बम्बई के रास्ते से उज्जैन यात्रा करने वाले यात्री पैसेन्जर गाड़ी से अजमेर होकर यात्रा करते हैं और दिल्ली-मथुरा से आने वाले यात्रियों और फ्रंटियर मेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को बारिष, सर्दी और रात के समय 4 से 6 घंटे तक नागदा अथवा रतलाम स्टेशनों पर असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की उक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) लम्बी दूरी की गाड़ी चलायी जा सके, इस उद्देश्य से लाइन क्षमता की व्यवस्था करने के लिए कम दूरी वाली बहुत सी खंडीय सवारी गाड़ियों के बदले 26-1-78 से साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी चालू की गयी थी। इस परिवर्तन से नागदा स्टेशन पर कुछ गाड़ियों के बीच मेल लेने के समय में थोड़ी सी वृद्धि हुई जो कुछ खण्डों पर दैनिक यातायात और लम्बी दूरी के यातायात के वृहत्तर हितों में अपरिहार्य थी।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भूतपूर्व राज्य वित्त मन्त्री श्री प्रणब कुमार मुकर्जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया है क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है...

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे अभी प्राप्त हुआ है। मैं इतना शीघ्र निर्णय कैसे कर सकता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आपको 10 बजे से पहले प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं कि यह किस विषय पर है। मैं इसका अध्ययन करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सामान्य प्रक्रिया यह है कि आप यह सूचित करते हैं कि यह पत्र मिल गया है और इसका अमुक तिथि तक निपटारा कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : सभी मामलों पर विचार.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने देखा है आपके पास बहुत बड़ी रद्दी की टोकरी है।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय इतनी जल्दी नहीं हो सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने चार विभिन्न अवसरों पर सदन को गुमराह किया है। सरकार ने बताया कि छुपे हुए धन के बारे में घोषणाएं की गई थीं यह 812·11 करोड़ रुपए बताया गया था किन्तु वास्तव में यह 200 करोड़ रुपए ही है। लोक लेखा समिति ने इस बात का भंडा-फोड़ कर अच्छा कार्य किया है। अब सदन को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। हमें बेवकूफ नहीं बनाया जाना चाहिये। हम 5 करोड़ रुपए व्यय करके यह सर्कस क्यों कर रहे हैं ? नौकर-शाही हमेशा बेवकूफ बनाने का प्रयास करती रहती है।

श्रीमति पार्वत्ती कृष्णन (कोयम्बतूर) : मैं अनुरोध करती हूँ कि रेल कर्मचारी महासंघ ने रेलमन्त्री के निवास-स्थान के बाहर धरना दे रखा है। वह उनसे बात करके मामला सुलझा लें।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे नोटिस नहीं दिया है। बिना नोटिस के वह उत्तर नहीं देंगे।

प्रधान मंत्री की बंगला देश की यात्रा के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : बंगला देश के राष्ट्रपति के नियन्त्रण पर मैंने 16 से 18 अप्रैल तक बंगला देश जनगणतन्त्र की यात्रा की। विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मेरे साथ थे।

मेरी यात्रा की समाप्ति पर जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई है।

[श्री मोरार जी देसाई]

संयुक्त विज्ञप्ति में सारी बातें कही गई हैं और मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण मदों पर ही प्रकाश डालूंगा जिन पर हमने चर्चा की है और जिनके बारे में हमने संतोषजनक करार किये हैं तथा विज्ञप्ति में कतिपय मामलों के बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। सभा को याद होगा कि जब राष्ट्रपति जियाउर रहमान 1977 में दिल्ली आये थे तो हमने फरक्का में गंगा के पानी के बारे में करार को अन्तिम रूप दिया था तथा आर्थिक हित के कतिपय व्यापार तथा अन्य मामलों पर भी विचार किया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मेरी इस यात्रा के दौरान हमने इन मामलों पर बातचीत में काफी प्रगति की है।

नदी पानी के प्रश्न पर, यद्यपि संयुक्त नदी आयोग द्वारा हमारी समस्याओं के अन्तिम समाधान की प्रक्रिया जारी रहेगी, हम इस बात से सहमत हुए हैं कि न केवल गंगा के पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिएं किन्तु उन नदियों के पानी का भी उपयोग होना चाहिए जो दोनों देशों को उपलब्ध है। अतः हमने यह निश्चय किया है कि संयुक्त नदी आयोग को तटों का कटाव करने वाली नदियों पर 'स्परों' का निर्माण करने सम्बन्धी स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय तंत्र बनाने चाहिए। यह आयोग तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के बारे में करार करने के लिए भी आगे कदम उठायेगा और गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक नदियों के बड़े बेसिन की समस्याओं का भी आगे अध्ययन करेगा। मुझे विश्वास है कि इस तरीके से हम दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने में सफल होंगे।

जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है, हम अपने पड़ौसियों के साथ और अच्छे सम्बन्ध बनाने में विशेश प्राथमिकता देते रहे हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हम अपने प्रयत्नों में दो वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त कर पाये हैं। मेरी इस यात्रा का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है। हमारा न केवल बंगलादेश के राष्ट्रपति और सरकार ने हार्दिक स्वागत किया है किन्तु वहां के लोगों ने भी जिस प्रकार वे राजधानी की सड़कों पर जमा हुए, हमारा हार्दिक स्वागत किया है। इससे मैं यही महसूस करता हूँ कि यह इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों में परस्पर सम्मान के आधार पर अच्छे पड़ोसी देशों के आपसी सम्बन्ध बनाने की अधिकाधिक इच्छा है।

राष्ट्रपति जियाउर रहमान और मैं इस बात पर सहमत हुए कि परस्पर लाभप्रद द्वि-पक्षीय सम्बन्धों में सुधार करने के लिए ऐसे प्रयत्न जारी रहने चाहिए और ऐसे प्रयत्नों में समय-समय पर होने वाली ऐसी उच्च स्तरीय बैठकें कठिनाइयों को दूर करने तथा परस्पर सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जिससे हमारे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और परस्पर अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए दोनों देशों के प्रयत्नों को सहायता मिलेगी।

दोनों देशों के लिए, जिनमें भूगोल, भाषा, जाति और संस्कृत का घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह आवश्यक है कि दोनों देशों के लोगों की सह-अस्तित्व की स्पष्ट भावना होनी चाहिए। अपनी बातचीत में हमने ऐसे सम्बन्धों के निर्माण और संरक्षण की प्रक्रिया को ऐसी परिस्थितियों के कारण जिनसे व्यापार सम्बन्धी बाधायें, अकेलेपन की भावना, आर्थिक विषमतायें और सीमाओं पर गैर-कानूनी प्रवेश हुआ है, हुई क्षति के बारे में चिन्ता पर चर्चा की गई है। यह माना गया

कि यदि नागरिकों के किसी वर्ग में सांस्कृतिक या सामाजिक स्तर के कारण असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो इससे न केवल आर्थिक समस्यायें पैदा होंगी किन्तु यह हमारे सम्बन्धों के मित्रता-पूर्ण वातावरण को भी दूषित करेगा। विश्वास और भरोसे का आधार सहिष्णुता ही है ताकि सभी नागरिक अपने देश की राष्ट्रीय प्रगति को महसूस कर सकें। मुझे बंगला देश के राष्ट्रपति और सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी नीति सभी समुदायों को समान अधिकार तथा अवसर की उपलब्धि सुनिश्चित करना है और विश्वास तथा सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए उनके प्रयत्न जारी रहेंगे।

भूमि सीमा करार को क्रियान्वित करने में होने वाली कठिनाइयों पर गहराई से विचार किया गया। हमें यह मानना चाहिए कि हम पांच वर्ष पहले किए गए इस करार का अनुमोदन और क्रियान्वयन पूरा नहीं कर पाये हैं। साथ ही हमने यह भी महसूस किया है कि 'तिन बीघा' जैसे कुछ मामलों में उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों और प्रवेश को बनाये रखा जाना चाहिए। हमने इस समस्या को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता को पूरी तरह से माना है।

आर्थिक सम्बन्धों के बारे में हमने देखा है कि यद्यपि व्यापार बढ़ता गया है किन्तु इससे असन्तुलन भी बढ़ता गया है। दोनों पक्षों ने महसूस किया है कि इस असन्तुलन को कम करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए तथा साथ ही व्यापर में समग्र वृद्धि भी की जानी चाहिए। बंगला देश की वस्तुओं की भारत के बाजारों में बिक्री के लिए हम कई उपायों को करने पर सहमत हुए हैं। व्यापार पर चर्चा करने के लिए जो तंत्र इस समय है उसका विस्तार किया जा रहा है और इस तंत्र की जब भी आवश्यकता होगी बैठक की जायेगी।

यह भी माना गया कि व्यापार की सुविधा के लिए दोनों देशों के बीच परिवहन और दूरसंचार जैसी कतिपय सुविधाओं में काफी सुधार किया जाना चाहिए। इस मूलभूत आधार को बनाने के लिए हम अपनी ओर से आवश्यक कदम उठायेंगे।

हमने भारत के विभिन्न भागों के बीच बंगलादेश होकर और अच्छी परिवहन सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था करने की विभिन्न सम्भावनाओं पर भी संक्षेप में चर्चा की। हमें आशा है कि इन सुविधाओं का विचार किया जायेगा और इन्हें अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।

जैसा कि विज्ञप्ति में कहा गया है हमने सीमेन्ट और स्पंज लोहा, चिटगांव यूरिया संयंत्र और भारत द्वारा इसके उत्पाद की खरीद जैसी समस्याओं का पता लगाया है जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना है। इस प्रयोजन के लिए यह स्वीकार किया गया कि उद्योग मन्त्री श्री जार्ज-फर्नान्डीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मन्डल की बंगलादेश के समकक्ष प्रतिनिधि मन्डल के साथ चर्चा होगी। शिष्ट मन्डल इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक संचार, परिवहन, विद्युत आदि की आधारभूत सुविधाओं के प्रश्न पर भी विचार करेगा।

मशीनी औजार, कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों, छोटी सूती मिलें, कृषि औजार, वायो-गैस परियोजनाओं और अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के प्रश्न पर चर्चा हुई और यह स्वीकार किया गया कि इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जा सकता है और हम बंगलादेश सरकार की उनके देश के आर्थिक विकास में सहायता कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण

[श्री मोरारजी देसाई]

लाभ यह हुआ है कि संयुक्त प्रयास करने के बारे में एक करार किया गया तथा इसके परिणाम-स्वरूप एक दुहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक करार करने के लिए शीघ्र बातचीत करनी है।

बंगलादेश की कुछ कठिनाइयों को तत्काल पूरा करने के लिए उनकी प्रार्थना पर हम उन्हें तत्काल 200,000 टन अनाज देने पर सहमत हुए हैं। इस सौदे के विवरणों पर चर्चा हो रही है। तथापि यह अनुमान है कि इस अनाज का अधिकांश भाग हमें जिन्स के रूप में ही वापिस किया जायेगा।

पड़ोसियों के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने की हमारी नीति के परिणामस्वरूप मुझे यह विश्वास हुआ है कि बंगलादेश में हम न केवल अपने सहयोग के क्षेत्र और प्रकार में वृद्धि करने में सफल हुए हैं किन्तु इससे और अधिक सार्थक और सन्तोषजनक भी बना पाये हैं। मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि बंगलादेश के राष्ट्रपति ने यह आश्वासन दिया है कि मिजो नेशनल फ्रन्ट को किसी प्रकार की सहायता देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम दोनों इस बात से सहमत हुए हैं कि एक स्थानीय तंत्र की स्थापना की जाय जो यह सुनश्चित करें कि दोनों देश गड़बड़ी करने वाले तत्वों के बारे में जो उस क्षेत्र में सीमा समस्यायें पैदा करते हैं कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें।

एक सुखद संयोग यह भी रहा है कि मेरी बंगलादेश की यात्रा न केवल एक ऐसे अवसर पर हुई जब बंगलादेश गणतंत्र की घोषणा का वर्ष दिन था बल्कि मैं नव निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार के शपथ ग्रहण करने के बाद पहला अतिथि था। सभा इस बात को ध्यान में रखेगी कि इस यात्रा से मुझे बंगला देश के राष्ट्रपति तथा सरकार के मंत्रियों के साथ व्यापक द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचारों के आदान-प्रदान करने के अनेक अवसर मिले।

अन्त में मैं राष्ट्रपति, जियाउर रहमान और उनकी सरकार के सदस्यों ने मित्रता, दोस्ती और मेल मिलाप की जो भावना उन्होंने समस्त यात्रा के दौरान दिखाई है और जो आतिथ्य दिया है, उसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैंने राष्ट्रपति जियाउर रहमान और प्रधान मंत्री शाह अजिजुर रहमान को हमारे देश की यात्रा करने का नियन्त्रण भी दिया है और हम उनका अपने अतिथि के रूप में स्वागत करने की प्रतीक्षा में हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग की वर्ष 1979-80 के लिए अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : मैं डा० प्रताप चन्द्र 'चन्द्र' की ओर से सभापटल पर निम्नलिखित रखता हूँ :—

(1) वर्ष 1979-80 के लिए शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4313/79]

(2) वर्ष 1979-80 के लिए संस्कृति विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4314/79]

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के वर्ष 1979-80 के अनुदान की ब्यौरेवार मांगें

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : मैं वर्ष 1979-80 के लिये पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4315/79]

इस्पात और खान मन्त्रालय के वर्ष 1979-80 के अनुदान की मांगें

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं वर्ष 1979-80 के लिये इस्पात और खान मन्त्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति समा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थायल में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4316/79]

श्रम मन्त्रालय की वर्ष 1979-80 की अनुदानों की ब्यौरेवार माँगें

संसदीय कार्य और श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं वर्ष 1979-80 के लिये श्रम मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार माँगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति समापटल पर रखता हूँ ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4317/79]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम तथा केन्द्रीय अन्तदशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र समापटल पर रखता हूं :—

(I) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4318/79]

(तीन) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(चार) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपरोक्त (i) (iv) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4319/79]

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के वर्ष 1979-80 के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरसिंह) : मैं 1979-80 के लिए पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी० 4320/79]

विभिन्न अधिवेशनों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

श्रम और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लरंग साय) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 11	17वां सत्र, 1976	पांचवी लोक सभा
(दो) विवरण संख्या 15	दूसरा सत्र, 1977	छठी लोक सभा
(तीन) विवरण संख्या 11	तीसरा सत्र, 1977	
(चार) विवरण संख्या 13	चौथा सत्र, 1978	
(पांच) विवरण संख्या 6	पांचवां सत्र, 1978	
(छः) विवरण संख्या 2	छठा सत्र, 1978	
(सात) विवरण संख्या 3	छठा सत्र, 1978	
(आठ) विवरण संख्या 1	सातवां सत्र, 1979	

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4321/79]

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

"जम्मू और कश्मीर की स्थिति"

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं माननीय गृह मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"जम्मू और कश्मीर राज्य में हाल की अनेक हिंसा और आगजनी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति ।"

गृह मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : महोदय, फरवरी के अन्तिम सप्ताह में मैंने इस सदन को पुन्छ जम्मू तथा कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के बारे में सूचना दी थी । सम्भवतः यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विशेषतः श्रीनगर और अनंतनाग में श्री जैड० ए० भुट्टो को 4 अप्रैल को पाकिस्तान में फांसी दिये जाने के कारण हुए प्रदर्शनों के दौरान घटित हिंसा तथा आगजनी की दुखद कार्यवाहियों से सम्बन्धित है ।

उस दिन पूरी, घाटी विशेषतः श्रीनगर शहर और श्रीनगर तथा अनंतनाग जिलों में विस्तृत प्रदर्शन और हड़ताल की गई थी । भीड़ के क्रोध का प्रमुख लक्ष्य जमायत-ए-इस्लामी, इसके कार्यकर्ता और इसकी स्थापनाएं था । श्रीनगर में यू० एन० कार्यालय पर एक बड़ी भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया था । आल सैंट्स जैम्स चर्च को भी खेदजनक रूप से जला दिया गया । दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक के आवास को भी क्षति पहुँचाई गई । स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । सोपोर में भी गोलीबारी हुई थी और एक व्यक्ति मारा गया था ।

5 अप्रैल को अनन्तनाग जिले में हिंसा का फैलाव और प्रबलता बढ़ गई थी । एक हिंसक भीड़ ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग को मालपुरा ग्राम के स्थान पर बन्द कर दिया था । पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी । अनंतनाग कस्बे में कई स्थान पर जमायत-ए-इस्लामी के समर्थकों की दुकानों और मकानों पर हिंसक भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया और लूटा गया था । विशेषतः अरवनी-चेनान क्षेत्र में कई जमायत-ए-इस्लामी गांवों को उस दिन अत्यधिक मात्रा में आगजनी और लूट के द्वारा क्षति पहुँचाई गई । विशेषकर अरबनी गांव में व्यापक रूप से क्षति हुई ।

श्रीनगर और जम्मू क्षेत्र में भी घटनाएं और प्रदर्शन हुए थे । श्रीनगर में एक बहुत बड़ी भीड़ ने अहमेदिया समुदाय की एक मस्जिद को पत्थर फेंक कर नष्ट करने के लिये सतत प्रयत्न किया और पुलिस को इसको नियन्त्रित करने के लिये बार-बार अश्रुगैस के गोले छोड़ने पड़े । दोपहर के बाद पर्यटक स्वागत-केन्द्र के निकट भी काफी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई थी परन्तु इसको रोक दिया गया । बारमूला में प्रदर्शन और हड़ताल की गई । राजौरी पुन्छ और दोदा में भी प्रदर्शन किये गये । भद्रवाह में स्थानीय एस० डी० एम० और एस० डी० पी० ओ० के निवास स्थानों और कार्यालयों पर एक भीड़ द्वारा हमला किया गया ।

[श्री एच० एम० पटेल]

राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण के उपाय किये जाने के परिणामस्वरूप अगला दिन छः अप्रैल अपेक्षाकृत रूप से शांतिपूर्ण रहा। श्रीनगर में ईदगाह शाही मस्जिद और हजरतबल के मकबरे पर स्वर्गीय श्री भुट्टों के लिये बड़ी प्रार्थना सभायें की गयीं। अनंतनाग बारामूला सोपोर और बांदीपुर तथा कुछ गांवों में भी प्रार्थना सभायें की गयीं और प्रदर्शन किये गये।

ऐसी हिंसा और आगजनी का होना वास्तव में बहुत खेदजनक है। किन्तु स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तुरन्त और प्रभावशाली कार्यवाही की गई थी। और हमने भी सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा अतिरिक्त जनशक्ति सहायता के रूप में आवश्यक मदद की थी। मुख्य मन्त्री ने यह सुनिश्चित किया था कि सार्वजनिक शान्ति को समय पर बहाल करने के लिए उपयुक्त उपाय किये गए हैं। उन्होंने प्रभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया था और उनको जो इन घटनाओं के परिणामस्वरूप पीड़ित हुए थे राहत देने का आश्वासन दिया था।

7 अप्रैल के पश्चात कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। राज्य में अब शान्ति और स्थिति सामान्य है। कोई आशंका कि राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति अभी अनियन्त्रित है, वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं होगी।

श्री वयालार रवि : जम्मू और कश्मीर बहुत ही नाजुक क्षेत्र है और अतः जब भी हम वहां किसी भी स्थिति से निपटने का प्रयास कर रहे हों तो हमें बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

अध्यक्ष महोदय : हमें शान्ति से निपटना होता है।

श्री वयालार रवि : किन्तु इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता कि जम्मू और कश्मीर देश का एक महत्वपूर्ण अंग है, वहां पर पृथकतावाद का प्रचार करने वाले को देशद्रोही माना जाना चाहिये और केन्द्र को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उसे दबा देना चाहिए। भारत सरकार को स्थिति पर निगरानी रखनी होगी। जम्मू और कश्मीर राज्य में जो भी हो रहा है वह बड़ा ही निराश करने वाला है और यह प्रत्येक भारतीय के लिए चिन्ता का विषय है। जम्मू से दंगे आरम्भ हो कर समूची कश्मीर घाटी में फैल गये हैं। हम सबको आशा थी कि जब शेख अब्दुल्ला को रिहा करके जम्मू और कश्मीर में सत्ता दी गई थी तो वह एक अच्छे प्रशासक सिद्ध होंगे। किन्तु जो कुछ भी हो रहा है वह निराशा करने वाला है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या हम राज्य सरकार तथा मुख्य मन्त्री पर चर्चा कर रहें हैं। इस प्रकार तो नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : कल हमने विधि और व्यवस्था पर घन्टों बहस की थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज बहस का विषय राज्य सरकार बन रही है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार स्वयं भी रक्षा कर लेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मंच का इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमें इस सम्बन्ध में बहुत अनुभव हैं।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : हम जम्मू और कश्मीर का मामला उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल का नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कल आपका सिद्धान्त दूसरा था। आज दूसरा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप दो मामलों को मिला क्यों रहे हैं? वह मामला अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध था। **(व्यवधान)**

श्री वयालार रवि : दुर्भाग्य से जिस प्रकार जम्मू और कश्मीर में घटनायें घटित हुई हैं वह बड़ी ही कष्टदायी स्थिति है, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि बड़ी ही चौंकाने वाली स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि केन्द्र को हस्तक्षेप कर कार्यवाही करनी चाहिए। संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की जायेगी। यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। संविधान में अनुच्छेद 356 भी है। अतः यदि किसी राज्य में विधि और व्यवस्था टूट जाती है तो उस समय केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि विधि और व्यवस्था पुनः स्थापित हो। अतः स्वाभाविक ही है कि यह संसद इस स्थिति पर विचार कर सकती है। मैं राज्य पर बहस नहीं करना चाहता किन्तु इस देश के लोगों का विश्वास बनाने के लिए संसद को भी भूमिका निभानी होती है और इसीलिये मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं।

यह आन्दोलन में आरम्भ होकर फैल गया है। भुट्टो को फांसी लगने के बाद एक विशाल जलूस निकाला गया उसके पश्चात् प्रदर्शन किया गया। भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने का मामला असली मामला नहीं था। यह तो राज्य में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक विरोधियों का आन्दोलन था। मेरा विचार है कि जमायत-ए-इस्लामी इस देश में अल्पसंख्यकों को अधिक हानि पहुँचा रही है। प्रहार किये गये, घर जलाए गए, गांवों को ध्वस्त कर दिया गया। हजारों घर नष्ट कर दिये गये हैं और हजारों लोग बरबाद हो गए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय गृह मंत्री अति मानवी मुख्य मंत्री नहीं हैं···**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : आप सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है अल्पसंख्यकों का प्रश्न नहीं है।

श्री वयालार रवि : गृह मंत्री कहते हैं कि 6 तारीख तक स्थिति पर काबू पा लिया गया था। किन्तु 4 और 5 तारीख को स्थिति बेकाबू हो गई थी।

समन्वय समिति क्या करती हैं, मैं यहां दे रहा हूं :—

"जम्मू और काश्मीर राज्य एक पुलिस का कैंप बनकर रह गया है। वाक् स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक बैठकें करने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। स्थानीय रेडियो स्टेशन शेख सरकार का प्रवक्ता बन गया है और वास्तविक तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। पी० टी० आई० और इंडियन एक्सप्रेस के काम के समय बिजली बन्द कर दी जाती है। राज्य का गुप्तचर विभाग सभी कागजातों का सेंसर कर रहा है और मुख्य मंत्री ने विभिन्न समाचार पत्रों के संवाददाताओं को खुली चेतावनी दी है कि यदि वह जम्मू में युवाओं और विद्यार्थी आन्दोलन के समाचार छापेंगे तो वह उनसे निपट लेंगे।"

[श्री वयालार रवि]

यह बड़ी गम्भीर स्थिति है ।

इसके अतिरिक्त, काश्मीर विधान सभा में एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुर:-स्थापित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति की व्यवस्था की जा रही है । इस विधेयक का सत्तारूढ़ दल विरोध नहीं कर रहा है । अत: उस राज्य में देश के संविधान को चुनौती दी जा रही है । क्या आप इसकी अनुमति देंगे ?

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि काश्मीर में महिलाओं को सिविल अधिकारों से वंचित किए जाने की योजना है । एक आदेश जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि किसी भी महिला को काश्मीर के बाहर के व्यक्ति से विवाह की अनुमति नहीं होगी । यदि वह गैर-काश्मीरी से शादी करेगी तो उसे अपने सिविल अधिकारों से हाथ धोने पड़ेंगे । क्या काश्मीर वास्तव में भारत का अंग है ? डा० कर्ण सिंह की पुत्री भी केरल के किसी लड़के से विवाह नहीं कर सकती ।...(**व्यवधान**)

देश में सभी नागरिकों के लिए यह स्थिति चिन्ता की स्थिति है । यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

प्रधान मन्त्री स्वयं श्री भीमसिंह, विधान सभा के सदस्य से मिले हैं । वह अभी भी मेडीकल इंस्टीच्यूट में हैं क्योंकि उन्हें जहर दिया गया है । 12 मार्च को डाक्टरों ने कहा था कि उसे दिल का दौरा पड़ा है किन्तु 29 मार्च को उन्हें स्वस्थ घोषित किया गया और पुन: गिरफ्तार कर लिया गया और अब वह फिर मेडीकल इंस्टीच्यूट में हैं, उन्हें जहर दिया गया है । इस प्रकार का मामला कभी नहीं हुआ है । श्री ज्योतिर्मय बसु आपातस्थिति के दौरान होने वाली घटनाओं से विचलित थे, जे० पी० के साथ क्या हुआ, अनेक सदस्य इस सम्बन्ध में असंतुष्ट थे किन्तु अब उन्हें इस विधायक के जीवन की कोई चिन्ता नहीं है वहां सत्तारूढ़ दल ने उन्हें जहर दे दिया है ।

भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शमीम दिल्ली में ही रह रहे हैं क्योंकि वह श्रीनगर नहीं जा सकते, वह इतना डर गए हैं कि वापस श्रीनगर नहीं जा सकते । इसलिए मैं इस बात की मांग कर रहा हूं कि नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए ।

समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता और महिलाओं के सिविल अधिकार पुन: दिए जाने चाहिएं और काश्मीर सरकार द्वारा प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति के पदों की स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही पर अंकुश लगाया जाना चाहिए । मैं चाहता हूं कि आप सदन को आश्वासन देवें कि 4 और 6 अप्रैल, के बीच क्या हुआ, इस सम्बन्ध में जांच का आदेश दिया जाएगा ।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने जो भी कुछ कहा है वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री वयालार रवि : क्या मैंने कुछ गलत कहा है ?

श्री एच० एम० पटेल : जब कोई कल्पना पर उतर आता है तो कुछ भी कह सकता है । एक गैर-सरकारी सदस्य ने विधेयक दिया है तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : उन्होंने उसका विरोध नहीं किया है।

श्री० एच० एम० पटेल : क्या उस पर बहस हुई है ? क्या उस पर निर्णय हो गया है ? जरा-सा बहाना भी सरकार पर दोषारोपण के लिए काफी है।

उपद्रव हुए हैं। यह भुट्टो को फांसी दिये जाने के कारण हुए हैं। यह सिद्ध नहीं हो सका है कि यह दंगे भुट्टो को फांसी के कारण भड़के हैं अथवा सरकार द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने के कारण हुए हैं। मैं इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ करूंगा और किन्तु आप लोगों को यह याद रखना चाहिए कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। जम्मू और काश्मीर में कानून और व्यवस्था भंग नहीं हुई है।

पुंछ में जो कुछ हुआ, उसका बिल्कुल एक भिन्न कारण था। जम्मू में जो कुछ हुआ, उससे सरकार को अवश्य चिन्ता हुई थी और मैं जम्मू गया था और वहां मैंने यह जानने का प्रयास किया था कि आन्दोलन कर रहे विभिन्न दलों में समझौता कैसे करवाया जा सकता है।

मेरे विचार में स्थिति यह है। हम परस्पर मेल-मिलाप कराने में सफल हुए जिसके परिणामस्वरूप कि वहां पुनः शान्ति और सामान्य जीवन लौट आया। यहां एक बिल्कुल नई बात हुई। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को दी गई फांसी के सम्बन्ध में हम कोई कोई कानूनी कार्रवाही नहीं कर सकते थे और न ही हमें इसकी आशा थी। अतः जब दंगा हुआ तो इससे बचा नहीं जा सका। यही किया जा सकता था कि क्या सरकार ने तत्काल कोई कार्यवाही की या नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है और सभी प्रमाण यह दर्शाते हैं कि उन्होंने तत्काल कार्यवाही की।

डा० कर्ण सिंह : क्या प्रधान मंत्री जी बाहर जा रहे हैं। क्या मैं उनका ध्यान केवल 5 मिनटों के लिए आकर्षित कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने जा रहा हूँ। मुझे उनके कार्यक्रम में खलल डालने का खेद है।

अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी आपात काल को समाप्त करने के श्रेय का दावा करती है। परन्तु मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आपातकाल जम्मू-काश्मीर में भी है और विकसित हो रहा है। वहां एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है जो कि भारत सरकार द्वारा आपातकाल में उठाए गए सभी कदमों से कठोर है। वहां सत्तावाद भी इतने भयंकर रूप में विद्यमान है कि इस राष्ट्र ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अतः मैं जनता पार्टी मित्रों से, जो कि सत्तावाद-विरोधी और आपातकाल-विरोधी मंच से सत्ता में आए, यह पूछना चाहता हूं कि जब यही सब कुछ जम्मू और काश्मीर में विद्यमान है जो कि देश का ही एक भाग है, तो वे चुप क्यों हैं।

माननीय गृह मन्त्री ने कहा है कि जम्मू की स्थिति, और क्षेत्रीय असन्तुलन बिल्कुल भिन्न समस्याएं हैं। मैं अब इस पर नहीं जाता परन्तु मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि समिति जिसका गठन हो जाना चाहिए था अब तक क्यों गठित नहीं की गई है जबकि छः सप्ताह का समय बीत गया है। परन्तु यह सिविल अधिकारों और स्वतन्त्राओं की समस्या है। काश्मीर में 4,5 और 6 अप्रैल को खूब आगजनी हुई। भारतीय नागरिकों के सैकड़ों घरों को फूंक दिया गया। एक घटना में तो एक मस्जिद को छोड़कर पूरे गांव को ही नष्ट कर दिया गया।

[डा० कर्ण सिंह]

श्री भुट्टो को फांसी देने वाले दिन की संध्या पर इस सदन में बोलते हुए मैंने और मेरे माननीय मित्र श्री शफी कुरैशी ने इसके विरुद्ध अपील की। परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि किसी दूसरे देश में घटी घटनाओं का लाभ उठाते हुए हम भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति को लूटना और जलाना आरम्भ कर दें। यह जमाते-ए-इस्लामी या अन्य किसी का प्रश्न नहीं है। यदि आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं तो कानून के अनुसार कीजिए। परन्तु वे भारतीय नागरिक हैं। उनके बच्चे बेघर हो गए हैं, स्त्रियों का अपमान किया गया है और सैकड़ों मकानों को जला दिया गया है। देश में जो हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह अविभाजनीय है। स्वतन्त्रता अविभाजनीय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : डाक्टर ! अपना इलाज कीजिए। **(व्यवधान)**

डा० कर्ण सिंह : मुझे यह कहते हुए खेद है कि गृह मन्त्री ने सदन को यह कहकर कि स्थिति को नियन्त्रण में करने हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्काल और कारगर उपाय किए गए, सदन को गुमराह किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है;

"मुख्य मन्त्री ने यह सुनिश्चित किया था कि सार्वजनिक शान्ति को पुनः वापस लाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं।"

जब सैकड़ों घर जला दिए गए तब क्या यह शीघ्र और तत्काल उठाया गया कदम है ? श्रीनगर के सभी सेंट चर्च जलाए गये हैं। निकट ही पुलिस खड़ी रही। चर्च धूल में मिल गया। किसी ने कुछ नहीं किया। इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं।

डा० कर्ण सिंह : श्री ज्योतिर्मय बसु अल्पसंख्यक की बात करते हैं। क्या श्रीनगर के लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं ? जिन लोगों के मकान जला दिए गये हैं क्या वे अल्पसंख्यक नहीं हैं ? काश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति अल्पसंख्यक है। मुसलमान राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक हैं। वहां हिन्दू अल्पसंख्यक हैं क्योंकि वे राज्य में अल्पसंख्या में हैं इसमें कोई भेद करने का यत्न मत कीजिए। एक भारतीय नागरिक भारतीय है। उसके जीवन और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। पत्रकारों से इसी प्रकार का व्यवहार होता है। श्री शमीम को लगभग नष्ट कर दिया गया है।

मेरी पुत्री के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। मुझे व्यक्तिगत उदाहरण देने का खेद है, मेरी पुत्री की शादी राज्य से बाहर कहीं हुई है। वर्तमान विधान के अनुसार यह कहा जाता है कि चूंकि अपने राज्य से बाहर के व्यक्ति से शादी की है वह राज्य में कोई संपत्ति नहीं रख सकती। क्या यह राष्ट्र में एक और राष्ट्र नहीं है ? यदि किसी की बेटी की शादी किसी अमरीकी से होती है तो वह भारत में कहीं भी अपनी सम्पत्ति रख सकती है। परन्तु यदि मेरी बेटी या शफी कुरैशी की बेटी की शादी राज्य से बाहर होती है तो वे राज्य में सम्पत्ति नहीं रख सकती। क्या यह एक देश है या नहीं ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : क्या वहां ऐसा कोई कानून है ?

डा० कर्ण सिंह : जी हां, आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह वर्तमान सरकार का काम है ?

डा० कर्ण सिंह : वे इसे समाप्त तो कर सकते हैं। मुझे कुछ ठोस मुद्दे उठाने हैं। क्या भारत सरकार यह प्रयत्न करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम जो कि किसी भी मीसा से बुरा है वापस ले लिया जाये ? क्या सरकार अपने नैतिक और राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करेगी ? क्या भारत सरकार प्रयत्न करेगी और राज्य सरकार पर दबाव डालेगी कि वह 4, 5 और 6 अप्रैल की घटनाओं की जिसमें आगजनी के दौरान सैकड़ों नागरिक बेघर हो गए न्यायिक जांच करवाए।

क्या सरकार क्षेत्रीय असन्तुलन समिति की नियुक्ति शीघ्र करेगी ? चौथा क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्षेत्र में जम्मू और काश्मीर भी आते हैं ? अन्त में, क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि यह मामला तकनीकी कारणों की वजह से टालने का नहीं है ? यह आपके यह कहने का प्रश्न नहीं है कि इसका कोई उससे सम्बन्ध ही नहीं है। स्वतन्त्रता अविभाजनीय है। यदि स्वतन्त्रता को लक्षद्वीप में खतरा है, या अन्डमान में खतरा या अगर काश्मीर में खतरा है तो भारतीय लोगों की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता खतरे में है। इस स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री एच० एम० पटेल : स्वतन्त्रता अभिवाजनीय है। परन्तु देश को अपने द्वारा बनाए गए संविधान के अन्दर रहना है। इसी के आधार पर मैं यह कहूंगा।

सर्वप्रथम मेरे मित्र ने जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्ति का प्रश्न उठाया है जिसका कि वादा किया गया था। मेरे विचार में माननीय सदस्य अवश्य जानते होंगे कि उस समिति के अध्यक्ष के नाम पर विचार किया गया था और सभी द्वारा वह मान लिया गया था, उससे मिला भी गया परन्तु दुर्भाग्यवश वे देश में नहीं थे। यहां तक कि हमारे प्रधान-मन्त्री ने उनसे सम्पर्क करने का कष्ट किया और उनसे पद को स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। पर चूंकि वे विदेश में थे इसलिए ये अनुरोध कारगर सिद्ध नहीं हुए। किसी प्रकार भी उन्हें नहीं मनाया जा सका।

एक ओर व्यक्ति जो जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री को स्वीकार्य था और जिन पर हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी अर्थात् उच्चतम न्यायालय के एक और न्यायाधीश से मिल गया। दुर्भाग्य से वे भी देश से बाहर थे और उनसे सम्पर्क स्थापित करने में समय लग गया। दुर्भाग्यवश उन्होंने भी व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस पद को स्वीकार नहीं किया तीसरे एक और व्यक्ति ने, जिसका नाम मुख्य मन्त्री ने सुझाया था और वास्तव में हमने भी सुझाया था अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से अभी हाल ही में इन्कार किया है। (**व्यवधान**) श्री सौगत राय के लिए यह प्रसन्नता का विषय हो सकता है। मैं माननीय मित्र को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु यदि हमें इन्कार ही सुनने को मिले तो समय लगता ही है। वास्तव में ऐसा जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री या हमारे प्रयत्नों की कमी के कारण नहीं है।

वे कहते हैं कि मैंने उन्हें गुमराह किया है। मैं नहीं सोचता कि मैंने किसी भी प्रकार इस सदन को यह कहकर गुमराह किया है कि कार्यवाही तत्काल की गई और यह कारगर थी। वास्तव

[श्री एच० एम० पटेल]

में यह कारगर थी और तत्काल की गई। सैकड़ों घर जिस गांव में जलाए गये वह श्रीनगर से काफी दूर है। (**व्यवधान**) वास्तव में वहाँ भी हमने शान्ति बनाए रखने का प्रयत्न किया। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव में आप तत्काल कारगर और शीघ्र कार्यवाही नहीं कर सकते।

डा० कर्ण सिंह : शासक दल की सांठ-गांठ है न कि जनता पार्टी की।

श्री एच० एम० पटेल : आप सभी सांठ-गांठ शब्द के बहुत शौकीन प्रतीत होते हैं। या तो इसे गलत समझा गया है या ऐसी कुछ हुआ है। विरोधी पक्ष के नेता के विपरीत मेरे पास इस समय डिक्शनरी नहीं है अन्यथा मैं कोल्यूड और "कोल्यूशन" शब्दों के अर्थ पढ़कर सुना देता।

दूसरा आश्वासन, मेरे विचार में जो माननीय सदस्य चाहते हैं, वह अल्पसंयक आयोग के सम्बन्ध में है। उसका ध्यान आकर्षण सूचना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हमें संविधान के अनुसार कार्य करना है। हमारे संविधान के अनुसार और जहां तक जम्मू और काश्मीर की विशेष स्थिति का सम्बन्ध जिससे सभी सहमत हैं, यह जम्मू और काश्मीर की सहमति से ही हो सकता है। जब और जैसे ही अनुमति मिलेगी अल्पसंख्यक आयोग वहां जाएगा। माननीय मित्र के शब्दों में वहां केवल अल्पसंख्यक ही रह रहे हैं। यह एक विशिष्ट स्थिति है। वे कहते हैं कि वहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक तो वास्तव में अल्पसंख्यक हैं ही। मेरे विचार में इस स्थिति में अल्पसंख्यक आयोग का काम स्पष्ट है। उसे जम्मू और काश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत पर विचार करना होगा। परन्तु निस्सन्देह जब और जैसे ही संविधान के अन्तर्गत ऐसा अनुमत्य होगा आयोग वहां जाएगा।

मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। परन्तु मेरे विचार में मैंने नहीं, मेरे मित्र ने सदन को गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू और काश्मीर में आपात स्थिति अभी भी लागू है। मुझे पता नहीं कि किस प्रकार वे उस स्थिति को भूल गए हैं·····।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम का उल्लेख किया है।

श्री एच० एम० पटेल : हां, मैं सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को जानता हूं। आपात स्थिति के दौरान देश में क्या हालत थी ? न जाने कितने सैकड़ों और हजारों व्यक्ति जेलों में थे ? सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन केवल दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है और इसमें तो न्यायिक समीक्षा की भी व्यवस्था है जिसकी आपात स्थिति में बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी।

इन सभी घटनाओं के दौरान 104 लोगों को विशेष अपराधों के जुर्म में पकड़ा गया और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन केवल दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। मेरे विचार में इसकी तुलना आपतकाल के दिनों से करना अतिश्योक्ति है।

श्री वयालार रवि : मैं यहां सभी कागजात प्रस्तुत कर सकता हूं। वहां लड़कियों को पकड़ा गया है और जेलों में डाल दिया गया और उन्हें दो दिन पहले ही छोड़ा गया है। माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि केवल दो व्यक्ति पकड़े गए थे। कृपया अपने ही स्रोतों से पता लगाइये कि कितने विधायकों को तंग किया गया और जेलों में डाला गया और कितनी लड़कियों को पकड़ा गया।

श्री एच० एम० पटेल : यदि मेरे माननीय मित्र के पास कोई विशेष सूचना है तो मैं निश्चय ही इस पर जोर दूंगा और उसकी जांच करूंगा ।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी (अनन्तनाग) : श्री पटेल जो आज कह रहे हैं उसमें और जो इनके पूर्वाधिकारी कहा करते थे कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है उसमें मुझे कोई अन्तर नजर नहीं आता । यदि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है तो दिल्ली में गृह मंत्रालय क्या कर रहा है ? क्या वे संघ शाशित क्षेत्रों के गृह मंत्री हैं या सम्पूर्ण देश के प्रधान मंत्री हैं ? मैं कहता हूं कि जब कभी किसी राज्य में विधि और व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो यह केन्द्रीय सरकार की अनिवार्य ड्यूटी हो जाती है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि उस राज्य के लोगों के जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित रहें । पटेल जी यही कार्य आपको करना है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसके प्राधिकार से ?

श्री वयालार रवि : पश्चिम बंगाल की जेलों में लोगों की संख्या अब पहले से अधिक है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : मैं ज्योतिर्मय बसु की कठिनाई से वाकिफ हूँ । मैं कुछ और मिनट लूंगा । जिसका मुझे खेद है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु इसलिए चिन्तित हो उठते हैं क्योंकि श्री ज्योतिर्मय बसु और शेख अब्दुल्ला राज्यों की और स्वायतत्ता के विचार से खेल रहे थे ।

श्री दिनेन भट्टचार्या (सीरमपुर) : इसमें क्या बुराई है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे मित्र श्री कुरैशी और डा० कर्ण सिंह आपात स्थिति लागू करने के निर्णय में सम्मिलित थे और यह अचम्भे की बात है कि अब वे स्वतन्त्रता और आजादी की बातें कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : यह हनीमून केवल एक सप्ताह तक रहा क्योंकि बाद में उनकी बनी नहीं । मुझे नहीं पता किस कारण ?

श्री वसन्त साठे (अकोला) : हनीमून सदा थोड़े समय के लिए होता है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : जम्मू क्षेत्र में यह कठिनाई फिर उठ खड़ी हो सकती है क्योंकि कुछ समस्याओं का कोई हल नहीं ढूंढ़ा गया है। हम अपनी आंखें बन्द नहीं रख सकते । जम्मू के लोगों की कुछ उचित मांगें हैं···जिन्हें पूरा करना ही होगा । मैं यह नहीं कहता कि·····

अध्यक्ष महोदय : उनका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : महोदय यह इसी में आते हैं क्योंकि सारी मुसीबत पुंछ से आरम्भ हुई । जहां एक सरल विषय को राज्य सरकार ने जटिल बना दिया । जैसा कि आप जानते हैं जम्मू की मुसीबत पुंछ से आरम्भ हुई । यह भर्ती प्रक्रिया को लेकर शुरू हुई परन्तु इसमें पांच जानें चली गई, पांच बहूमूल्य जानें जाने के बाद राज्य सरकार को होश आया कि राज्य सरकार द्वारा वहां कुछ गलतियां हुई हैं ।

जम्मू और काश्मीर के मुख्यमंत्री को जिन्हें हर जगह षड्यंत्र नजर आता है यह आन्दोलन भी उन्हें सत्ता से हटाने का एक प्रयत्न दिखाई दिया । उन्होंने इस अवसर को कलाकारों के प्रति-

[श्री मुहम्मद शफी कुरैशी]

निधि मंडल को देश के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए चुना ताकि देश को गुमराह किया जा सके कि जम्मू में सर्वत्र शान्ति है। परन्तु उन्हें जम्मू में चली गोली की आवाज सुनाई नहीं दी जिसमें निर्दोष लोग मारे गए।

महोदय, अब क्या हो रहा है ? अब यदि जम्मू के लोगों की कुछ न्यायपूर्ण मांगें आती हैं तो मुख्यमंत्री तत्काल कहते हैं ऐसा मत करो इससे काश्मीर में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जायेंगे जो पाकिस्तान के पक्ष में जाते हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वे इसका प्रयोग करते आ रहे हैं।

जब वे दिल्ली में योजनाओं के लिए धन लेने आते हैं तो कहते हैं कि काश्मीर भारत का अंग है और हमें पृथक नहीं किया जा सकता। जब आप उनसे प्राप्त धन और व्यय किए गए धन के बारे में पूछें तो वे कहेंगे कि रावलपिंडी की सड़क को खोल दीजिए, काश्मीर विवादास्पद क्षेत्र है। इस प्रकार की ब्लेकमेलिंग सहन नहीं की जा सकती। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस विशिष्ट मामले में श्री पटेल को गृह मंत्री के नाते एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

काश्मीर में क्या हुआ ? सालों पुरानी शान्ति भंग कर दी गई। जमाते-ए-इस्लामी के लोगों का इसमें क्या दोष है ? वे मेरे विरुद्ध भी चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछली बार जब जमाते-ए-इस्लामी के उम्मीदवार ने मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा उसे 60,000 मत मिले। इससे पहले उसे 1,20,000 मत मिले थे। वे भारत के स्वतन्त्र नागरिक हैं। उन्हें देश में इज्जत और सम्मान के साथ रहने का पूरा अधिकार है। पटेल महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि राज्य सरकार ने बडे ही कारगर कदम उठाए। जब काश्मीर जल रहा था शेख अब्दुल्ला लुधियाना में 'सरोपा' ले रहे थे वे वहां एक भवन की आधारशिला रखने गए थे। काश्मीर में जो कुछ हुआ उसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे समझते हैं कि यह उनकी निजी जायदाद है। वे स्वयं को काश्मीर का सुलतान समझते हैं उन्हें इस भावना से छुटकारा लेना होगा। अन्यथा यदि काश्मीर में कुछ होता है तो इससे देश की एकता छिन्न-भिन्न हो सकती है।

4 अप्रैल को क्या हुआ ? एक भीड़ यू० एन० आबसरवेशन पोस्ट तक आई और एक चर्च नष्ट कर दिया। क्यों किया ऐसा ? क्योंकि श्री भुट्टो को फांसी देने वाला तारा मसीह था। 'चूंकि वह क्रिश्चियन था इसलिए क्रिश्चियनों के प्रति रोष चर्चा को नष्ट करके प्रकट किया गया। जमाते-ए-इस्लामी वालों का क्या दोष है। जनरल हक की सरकार में साझीदार होने के कारण वे पी० एन० ए० का अंग है। अरावनी चेलान क्षेत्रों में जमाते-ए-इस्लामी समर्थकों के कई गांवों को नष्ट कर दिया गया। और 3000 से अधिक घर तबाह कर दिये गये। लोगों को घरों से बाहर निकाला गया और उनकी औरतों को गलियों में घसीटा गया और जलती हुई आग में फेंक दिया गया। आप कहते हैं कि यह राज्य का मामला है। महोदय, काश्मीर में कोई सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं जानता कि उस राज्य को हुआ क्या है ? यदि यही हालत बनी रही तो मुझे विश्वास है कि कोई भी पर्यटक काश्मीर नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी ऐसे राज्य में नहीं जाना चाहता। मेरे पास एक प्रेस कटिंग है जिसमें कहा गया है :—

"यद्यपि काश्मीर की घाटी एक शान्त चित्र प्रस्तुत करती है। श्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने के कारण हुई हिंसा ने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़े हैं विशेषरूप से

दक्षिणी भाग में। दक्षिण काश्मीर में 90 से अभी अधिक गांव पूर्ण तबाही का चित्र प्रस्तुत करते हैं जिनमें 800 से अधिक मकान और 500 से अधिक दुकानें तथा गौशालाओं और कोठरों को नष्ट कर दिया गया। भुट्टो समर्थक प्रदर्शनकारियों ने लाठियां, कुल्हाड़े, लोहे की छड़े पत्थर आदि उठाए हुए थे और उन्होंने जमाते-ए-इस्लामी के गढ़ समझे जाने वाले गांवों के धनी और निर्धन लोगों को लूटा और उनके घरों को जला दिया।

भुट्टों समर्थक प्रदर्शनकारियों का क्रोध उन ग्रामों में देखने को मिला जिनमें जमात-ए-इस्लामी और अहमदिया सम्प्रदाय के लोग रहते थे जिनका दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने भुट्टों को फांसी देने में जनरल जियाउल-हक का पक्ष लिया। दक्षिणी काश्मीर के शोपियन उपमण्डल के साथ-साथ कुलगम, फुलवामा तहसीलें इस घाटी के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र हैं। इस संवाददाता द्वारा जिन कई गावों का दौरा किया गया, वहां के लोग जो सप्ताह भर पहले अराम की जिन्दगी बसर करने के आदी थे आज खानाबदोशों की तरह बेघर हो गए हैं। ये लोग पुनः अपने पाव पर खड़े होने के लिए किसी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदमी, औरतें और बच्चे सभी हिंसा और व्यभिचार की इस अभूतपूर्व स्थिति के कारण स्तब्ध रह गए।

शोपियन उपमंडल के राशनगर गांव में तबाह उतनी ही भयंकर थी जितनी अरावनी गांव में। लोगों ने दावा किया कि यहां तक कि औरतों को भी नहीं छोड़ा गया और उन्हें गालियां दी गई और पीटा गया। परवीन और हज ने, जिनके सिरों पर पट्टियां बंधी हुई थीं कहा उनके घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। "हमने कुछ आभूषणों और कीमती चीजों को आग से बचाने का प्रयत्न किया था।" इस गांव में एक घोड़ा, एक गाय, दो बैलों और अन्य अनेक पक्षियों को जिन्दा भून दिया गया।

कुरील गांव में एक 75 वर्षीय अध्यापक नूर अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया। जब एक बड़ी भीड़ ने गांव पर हमला किया नूर अहमद के दो बेटों ने उन पर गोली चला दी जिनमें एक मारा गया और छः अन्य घायल हुए। चित्रागम गांव में मुहम्मद गनई को जीवित जलाने का प्रयत्न किया गया। प्रदर्शनकारियों ने उसे घसीटा और खूब पिटाई करने के बाद उसे जलते हुए घरों के शोलों में फेंक दिया गया।"

काश्मीर में यह सब हुआ। महोदय, अब मैं मूलू गांव के सम्बन्ध में उद्धरण देता हूँ :

"भुट्टो समर्थकों द्वारा 60 घरों 50 गांवों के छप्परों तथा 60 कोठरों को जला दिया गया।"

श्री पटेल का कहना है कि ये दूर दराज क्षेत्र हैं ? यह गांव जिला मुख्यालय से केवल 6 मील दूर है। आप कहते हैं कि लोगों की जान की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक प्रबन्ध किए हैं। यह एक दूसरा वक्तव्य है जिसमें कहा गया है :

"एक सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि 5 अप्रैल को शोपियन तहसील में हिंसा इतनी व्यापक रूप धारण कर गई थी कि शोपिया थाने में उपलब्ध सीमित पुलिस दल या इस उप-मंडल के विभिन्न क्षेत्रों की पुलिस चौकियों की पुलिस से उसको काबू में करना कठिन हो गया। इस थाने में केवल 14 सिपाही हैं जब नगर में हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया तो भुट्टो समर्थकों ने न केवल सिपाहियों पर हमला बोल दिया अपितु थाने का भी घेराव किया।"

[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी]

यही कदम हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं।

महोदय, मुझे कई तार मिले हैं। आप जम्मू गए हैं। आप कश्मीर भी क्यों नहीं जाते हैं। हजारों लोग बेघरबार हो गए हैं। वे अनाथ हो गए हैं। मैं जानता हूँ आप वहां के मुख्यमंत्री से डरते हैं। उनका अब प्रभाव नहीं रहा। आपको जम्मू और कश्मीर के लोगों की भावना को समझना चाहिए आप मुख्यमंत्री के दबाव में आ गए हैं और वहां के लोगों का अपमान कर रहे हैं। जमायत-ए-इस्लाम के कई लोग यहां आ गए हैं। इसी दल के उम्मीदवार ने मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा था। मैं उनकी नीतियों का समर्थनों नहीं करता पर वे सम्मान और गर्व के साथ वहां जीना चाहते हैं। वे सुरक्षित नहीं हैं। श्री अहमद शमीम वापस नहीं जा सकते। एक विधायक को जेल में बन्द कर दिया गया। ये सब बातें राज्य में हो रही हैं और गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब राज्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने प्रश्न पूछें।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा पहला सवाल यह है कि आप उस घटना की न्यायिक जांच करवाएंगे जिसमें कश्मीर के हजारों लोग बेघरबार हो गए और बहुतसी की जानें गईं ? महोदय, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ? केवल 50 व्यक्ति। इसके लिए सरकारी कारण यह दिया गया है कि सरकार बहुत से लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती क्योंकि यह अराजकता फैलाने वाले बहुत से लोग सत्ताधारी दल के हैं। तो क्या आप एक न्यायिक समिति नियुक्त करेंगे ? आप जम्मू गए हैं। क्या आप कश्मीर जाने का भी कष्ट करेंगे ? केवल इतना दिखाने के लिये कि हमारा एक गृह मंत्री है जो वहां के लोगों को दयनीय दशा को सुधार सकता है सी० पी० आई० के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। यह सब राजनीतिक है। मुख्य मंत्री स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। उन्हें लोगों की हालत की कोई चिन्ता नहीं है। आप वहां जाएं और जम्मू तथा कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा करें अन्यथा लोग यही सोचेंगे कि उनकी किसी को चिन्ता नहीं है और वे अनाथ हैं।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने पूछा है कि न्यायिक जांच की जाएगी, यह मेरे अधिकार की बात नहीं है। जहां तक मेरा कश्मीर जाने का सवाल है मैं उपयुक्त समय पर अवश्य जाऊंगा। (**व्यवधान**)

माननीय सदस्य ने कल मुझे अयोग्य कहा और आज डरपोक। मैं वास्तव में भयभीत हूँ.....

एक माननीय सदस्य : आप भयभीत क्यों है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं 'प्राजेक्ट टाइगर' से सम्बद्ध हूँ जिसका सम्बन्ध शेरों की रक्षा करना है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि मुझे कानून और व्यवस्था को राज्य विषय नहीं कहना चाहिए था। शायद उन्हें पता नहीं है कानून और व्यवस्था राज्य विषय है। उदाहरणार्थ कर्नाटक सरकार का कहना है कि हम सी० आर० पी० को अपने राज्य में नहीं आने देंगे। ठीक है। जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है राज्य सरकार की अपनी कुछ शक्तियां हैं। (**व्यवधान**)

महोदय, सदस्य ने एक दिलचस्प विवरण पढ़ कर सुनाया है, कि हिंसा व्यापक थी और उसे रोकने के लिए काफी पुलिस उपलब्ध नहीं थी। मेरे दोस्त को पता होना चाहिए कि हम

प्रत्येक गांव में पुलिस दल रखने की व्यवस्था नहीं कर सकते। अतः कार्यवाही करने से पूर्व इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : आप राज्य सरकार का पक्ष क्यों ले रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

श्री एच० एम० पटेल : आप गलत कह रहे हैं। मेरा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है। जो तथ्य हैं उन्हें सभा के समक्ष रखना मेरा काम है।

डा० कर्ण सिंह : आप राज्य सरकार को साफ बचा रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : डा० कर्ण सिंह आप चाहेंगे कि मैं कुछ ऐसा कहूँ (**व्यवधान**)। मेरा काम सभा के समक्ष तथ्य रखना है। वस्तुतः आप उन कानूनों की भी शिकायत करना चाहते हैं जो आपकी अनुमति से आपके सदरेरियासत के होते बनाए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या कर सकते थे ? वह केवल संवैधानिक प्रमुख थे।

डा० कर्ण सिंह : जी हां, मैं केवल संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम कर रहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस समय आपकी उम्र कितनी थी ?

अध्यक्ष महोदय : पटेल साहिब, उन्होंने पूछा है कि आप कश्मीर जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री एच० एम० पटेल : वहां जाने में मैंने कभी कोई हिचकिहट नहीं दिखाई। मैंने पहले ही कह दिया है। कि मुझे कश्मीर जाने में खुशी होगी।

श्री वसन्त साठे : आप वहां जाकर छुट्टी क्यों नहीं मनाते ?

श्री एच० एम० पटेल : वह भी यही चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक यात्री के रूप में आपका स्वागत होगा। पर आप अपनी बात मनवा नहीं सकते।

श्री के० गोपाल (करूर) : माननीय सदस्य उस बात को भूल गये जो उन्होंने पिछली लोक सभा में कही थी जबकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार थी।

अध्यक्ष महोदय : बात को याद न रखना संसद सदस्यों के लिए काफी लाभकर होता है।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाए और मैंने स्थिति साफ कर दी है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

13वां प्रतिवेदन

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

लोक लेखा समिति

126वां प्रतिवेदन

श्री वी० पी० नरसिम्हा राव (हनमकोंडा) : मैं लोक लेखा समिति की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी 80वें प्रतिवेदन में दी गई समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 126वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

31वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (पांचवीं लोक सभा) के सरकारी उपक्रमों में विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में समिति के 89वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन वक्तव्य।

श्री वयालार रवि (चिरायिकील) : दिल्ली के अध्यापकों के उत्पीड़न के बारे में नियम 377 के अधीन वक्तव्य देने के बारे में मेरी प्रार्थना का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले पिछले प्रस्तावों को निपटाने दें। मैं आपके प्रस्ताव पर कल या परसों विचार करूंगा।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : महोदय हमारे विदेश मन्त्री वाशिंगटन जा रहे हैं। आज का समाचार है कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार आदि मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनका विस्फोट यहां न करें।

श्री वसन्त साठे : मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार अमरीका में क्या बातचीत करना चाहती है। अमरीका का कहना है कि यदि आप कतिपय शर्तें स्वीकार करलें तो हम उसकी अनुमति देंगे। हम इस बारे में भारत की नीति जानना चाहता हैं। मैं इस बारे में नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं।

श्री वयालार रवि : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 के अधीन सभा में वक्तव्य दिया जाता है और हो सकता है कि मन्त्री जी उसी समय उसका जवाब देने में असमर्थ हों। ऐसी दशा में कृपया आप उन्हें निर्देश दें कि वे जवाब लिखित रूप में भेजें।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय में एक अनिवार्य नियम बनाने की सोच रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : मेरे अनुरोध का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं।

श्री वसन्त साठे : कृपया इसके लिए कल अनुमति दें। नहीं तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है मैंने आपके प्रति अन्याय किया है। पर आज नहीं।

श्री वसन्त साठे : मैं आज के लिए नहीं कह रहा। कल के लिए अनुमति दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गार्डनरीच वर्कशाप में हड़ताल के बारे में क्या विचार है जहां 10,000 कर्मचारी 3 मास से हड़ताल पर हैं। सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। मैंने इस बारे में नियम 377 के अधीन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : शायद आपने आज नोटिस दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खुशी है कि आपको इसका पता है।

श्री कृष्णचन्द्र हल्दर (दुर्गापुर) : मैंने 377 के अधीन जो सूचना दी थी उसका क्या हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली में अधिकृत निर्माण कार्यों का समाचार

श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निर्माण, आवास, पूर्ति तथा पुनर्वास मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ :—

आजकल प्राय: समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि दिल्ली में अवैध निर्माण की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। यहां तक समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि दिल्ली में काफी पुराने मकान हैं, उनमें आजकल किरायेदार एवं मकान मालिक मनमाने ढंग से अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण पुराने मकान उसका वजन सहन नहीं कर पाते, परिणाम यह होता है कि किसी भी समय पूरे मकान को लेकर बैठ जाते हैं, जिससे काफी संख्या में व्यक्तियों को मौत के मुंह में सोना पड़ता है। समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि मकान पुराने होने के कारण गिर रहे हैं।

अभी 24 मार्च, 1979 को हौज़काज़ी, दिल्ली क्षेत्र में एक मकान गिरा था और उसमें सरकारी सूचना के अनुसार 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा कुछ अन्य घायल हुए थे।

दिल्ली के अन्दर, विशेषकर पुरानी दिल्ली क्षेत्र में अवैध निर्माण बहुत हो रहा है। पुराने मकानों में मकान मालिक और किरायेदार मनमाना निर्माण कर रहे हैं, जबकि उनकी आयु समाप्त होने जा रही है। इस सम्बन्ध में कई संसद-सदस्य भी आवास मन्त्री महोदय को शिकायतें लिखकर भेजते हैं, इतना होने के पश्चात भी सरकार अवैध निर्माण के सम्बन्ध में बिल्कुल शांत है। अवैध निर्माण के सम्बन्ध में मैंने स्वयं दिनांक 25 मार्च को, मकान नं० 2738, वार्ड नं० 4, छत्ता प्रतापसिंह, किनारी बाजार, दिल्ली-6, जोकि माननीय मन्त्री जी के ही निर्वाचन-क्षेत्र में आता है, में किरायेदार द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय को तथा संबंधित अधिकारियों को लिखा था। मेरे उस पत्र पर विभाग द्वारा अवैध-निर्माण गिराना तो दूर रहा,

[श्री कचरू लाल हेमराज जैन]

वल्कि उस मकान का हाउस-टैक्स बढ़ा दिया गया। मकान की हालत खस्ता है और किसी भी समय वह गिर सकता है।

अधिकारी घटना-स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा नहीं लेते और न ही शिकायतों पर कोई कार्यवाही करते हैं। यह है इस विभाग स्थिति। एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए अनेकों व्यक्तियों के जीवन को जुए पर लगा देना कहां तक उचित है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही कर रही है, इससे सदन को अवगत कराया जाये।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि दिल्ली नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहां पर भ्रष्टाचार ने इतना व्यापक रूप धारण कर लिया है, जिसका उल्लेख करना भी कठिन है। इतना होने पर भी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। दिल्ली में हो रहे अवैध निर्माण उसी का परिणाम है।

मैं तो यह भी अनुरोध करूंगा कि न केवल संसद सदस्यों के पत्रों पर अपितु जन-साधारण के पत्रों पर भी अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिए और उसकी प्रगति से सम्बन्धित व्यक्तियों को एक सप्ताह के अन्दर ही अवगत कराया जाना चाहिए। यदि तत्काल कार्यवाही न की गई तो हौज़काज़ी की तरह ही अन्य स्थानों पर भी बड़ी तादाद में लोगों की जानें जाने की आशंका हो सकती है।

मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि उपरोक्त अवैध निर्माण को गिराने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करें।

(दो) आयातित काजू के वितरण सम्बन्धी नीति

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि वाणिज्य मन्त्री भी यहां उपस्थित हैं। वर्तमान काजू आयात नीति के अनुसार पूर्वी आंचल को कोई कोटा नहीं मिल रहा है। वाणिज्य मन्त्री अपनी इस नीति में परिवर्तन करें या आई० टी० सी० नीति के आधार पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चल रहे उद्योगों को अपने स्वविवेक के अनुसार विशेष कोटा दें जैसाकि जनता सरकार के चुनाव घोषणा-पत्र में वचन दिया गया है।

लघु उद्योगों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में एक लघु इकाई पंजीकृत है जिसे तकनीकी उद्यमियों ने स्थापित किया है। यह इकाई पिछड़ा घोषित किया गया मिदनापुर जिले में स्थित है। इस उद्योग में जनजाति और आदिवासी समुदाय के 1200 लोग काम करते हैं। यह उद्योग पूर्वी क्षेत्र में निर्यातोन्मुख अपने किस्म का एक ही उद्योग है इसने 1977-78 में 5 लाख रु० की और 1878 में 27 लाख रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

यदि मंत्री जी के लिए नीति में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है या वह अपने स्वविवेक से कोटा देने में समर्थ नहीं हैं तो कम से कम पूर्वी क्षेत्र और महाराष्ट्र क्षेत्र के उन जीर्ण उद्योगों को निर्यात के मूल्य के बराबर की राजसहायता दी जाये जिन्होंने काजू के निर्यात का काम 1970 के बाद शुरू किया है। आशा है कि वाणिज्य मन्त्री इन छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाली इकाइयों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उन्हें जीवित रखने के लिए शीघ्र ही कुछ न कुछ कदम उठायेंगे।

(तीन) पंजाब में कोयले की कमी का समाचार

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूँ। पंजाब में कोयले की कमी की स्थिति इतनी गम्भीर है कि वहां कई उद्योग बन्द हो चुके हैं और कई ने अपना उत्पादन कम कर दिया है जिसके कारण कर्मचारियों और कामगारों को बड़ी चिन्ता है। अनिश्चित तथा अनियमित कोयले की सप्लाई के कारण भटिण्डा के गुरु नानक थर्मल पावर स्टेशन में 35 से 50 प्रतिशत तक कम बिजली पैदा हो रही है।

ईंटों के भट्ठे बन्द हो रहे हैं तथा सम्पर्क सड़कें बनाने, अनाज मण्डी बनाने, स्कूलों, अस्पतालों का निर्माण करने, नहर खोदने आदि के लिए राज्य सरकार के 80 करोड़ों ईंटों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3 करोड़ ईंटें बन रही हैं क्योंकि प्रायोजित कोयले का स्टाक वस्तुतः समाप्त हो चुका है।,दिनांक 15-4-1979 के दैनिक ट्राइब्यून के अनुसार यह शिकायत है कि अच्छे किस्म का कोयला जिसको प्रति वैगन कीमत 5000 रु० है। वह इस समय 17,000 रु० प्रति वैगन के हिसाब से बिक रहा है। ईंटों की कीमत 140 रु० प्रति हजार की नियंत्रित कीमत की तुलना में 250 रु० 260 रु० प्रति हजार तक पहुंच गई है।

प्राइवेट मकान बनाने की गतिविधि लगभग समाप्त हो गई है। इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए क्या ऊर्जा मन्त्री राज्य सरकार की मदद करेंगे और पंजाब को यथाशीघ्र कोयले की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करेंगे।

(चार) मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर डिवीजनों में खेतिहर और भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिये वित्तीय सहायता

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय की ओर श्रम मन्त्री जी तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू।

मध्य प्रदेश के चंबल संभाग, मुरैना व ग्वालियर संभाग के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना जिलों में करीब डेढ़ लाख लोग, जो खेतिहर मजदूर व भूमिहीन बंधक श्रमिक हैं, बेघरबार हैं, जिन्हे बसाने का काम नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह इन बेघरबार बंधक लोगों को बसा सके। अतः मैं केन्द्र सरकार व श्रम मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इन बेघरबार लोगों को बसाने हेतु मदद की जाये। बहुत बेघरबार लोग बंगला देश से आये हुए शरणार्थी हैं, जिन्हें तुरन्त बसाया जाना आवश्यक है। उनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हैं।

भिंड मुरैना में कई लाख एकड़ भूमि बीहड़ की है। हर साल बरसात में खेतिहर भूमि कटती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह इस भूमि को समतल कराके भूमिहीनों में बांट सके। इसलिए यह आवश्यक है कि फ्लड कंट्रोल स्कीम के तहत मुरैना व ग्वालियर संभाग की भूमि का कटाव रोका जाये और इस भूमि का समतलीकरण 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से फ्लड कंट्रोल स्कीम के तहत कराया जाये। इस भूमि पर बेघरबार

[श्री छविराम अर्गल]

लोगों को बसा कर उन्हें आर्थिक मदद दी जाये। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों, शरणार्थियों और बेघरबार लोगों को निःशुल्क भूमि दी जाये।

अगर यह कार्य नहीं किया गया, तो श्रमिकों और बेघरबार लोगों में कभी भी भयंकर विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए शासन से मेरी यह मांग है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया जिलों के बेघरबार भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से बसाया जाये। रोजगार के अभाव में कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि बंगला देश से आये हुए शरणार्थियों, सिंधी भाइयों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बंधक बेघरबार लोगों को तुरन्त बसाने की कार्यवाही की जाये। बंधक मजदूरों को मुक्ति दिला कर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप विषय से बहुत बाहर जा रहे हैं।

श्री छविराम अर्गल : सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में कई लाख लोग कुछ समय पूर्व बंधक मजदूर थे। हाल ही में उनमें से कुछ मुक्त हो गये हैं तथा कुछ को अभी मुक्त कराना है। जो लोग मुक्त कराये गये हैं, उन्हें बसाया नहीं गया है और उन्हें न रोजगार और न आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वह सभी प्रकार के बेघरबार बंधक श्रमिकों और भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिए आर्थिक मदद करे।

(पांच) पश्चिमी बंगाल को डीजल तेल और मिट्टी के तेल की कम मात्रा में सप्लाई

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं सरकार का ध्यान डीजल और मिट्टी के तेल की कमी के कारण पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो संकट पैदा हो गया है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के कोटे में कटौती किये जाने के कारण, वहां इन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बहुत कम हो गई है। मिट्टी के तेल की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण गांवों और शहरों के लोग बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है पश्चिम बंगाल में बिजली परियोजनाओं के कुप्रबन्ध के कारण वहां मिट्टी के तेल की नियमित सप्लाई का मामला बहुत ही अहम हो गया है। फिर डीजल की अनियमित सप्लाई के कारण सिंचाई व्यवस्था को भी धक्का पहुंचा है जिसके कारण बोरो की खेती पर प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल में बिजली की समस्या का सामना करने के लिए विभिन्न उद्योगों ने जेनेरेटर सेट लगा लिए हैं पर डीजल की नियमित पूर्ति के बिना उन्हें चलाया नहीं जा सकता। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भी अपना काम चलाने के लिए डीजल नहीं मिल रहा है। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन हेतु ट्रक चलाने के लिए डीजल चाहिए पर डीजल न मिलने के कारण सब कुछ ठप्प हो गया है। इसके अलावा बेइमान व्यापारी कमी का लाभ उठा कर अधिक कीमत ले रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि पश्चिम बंगाल को पर्याप्त मात्रा में डीजल और मिट्टी का तेल दिया जाए जिससे कि स्थिति और न बिगड़ने पाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० ननजेश गौडा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री ननजेश ने एक राज्य विषय उठाया है और नियम 377 की आड़ में राज्य सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं। वहां की

वर्तमान सरकार विधिवत् चुनी हुई सरकार है। उन्होंने उस विषय को चुना है जिस पर विधान परिषद और विधान सभा में चर्चा हो चुकी है। वही मामला यहां उठाया गया है। यह प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों और परम्पराओं के विरुद्ध है अतः इस पर चर्चा की अनुमति न दी जाए। यह एक राज्य विषय है·····उन्होंने इसका विधान परिषद में वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे दिया है। क्या उस मामले पर इस सभा में बहस की जा सकती है ····· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : यह संविधान का उल्लंघन है नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं बोल रहा हूँ। **(व्यवधान)**

मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि कानून और व्यवस्था का प्रश्न पर जो राज्य का विषय है, सभा में चर्चा नहीं होती। वास्तव में मैंने नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। मैंने उनसे चर्चा की और इस विषय को अलग करने का प्रयत्न किया। किन्तु यह कहा गया है कि जब महत्वपूर्ण मामले होते हैं तो मुझे चर्चा करने की भी इजाजत देनी चाहिए। मुझे यह सलाह दी गई है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इस विशेष मामले में आरोप यह है कि सरकारी तंत्र का विपक्ष के नेता को शारीरिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बात है। यह सही है या गलत मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : इस पर सभा में चर्चा की गई थी। **(व्यवधान)**

उन्होंने वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया है।

अध्यक्ष महोदय : काश्मीर के विषय पर सभा में चर्चा हुई थी। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : वह राज्य सरकार की, जो निर्वाचित सरकार है, नियम 377 के अधीन बर्खास्तगी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह मांग कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : मैं चाहता हूँ कि आप कृपया समस्त ·· ··

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ा है। मैंने इसमें कुछ अंशों का लोप किया है।

श्री के० लकप्पा : **(व्यवधान)** राज्य में वैधानिक कार्यवाही पर उन्हें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**। वह यह कैसे करना चाहते हैं ? यदि आप नियम 377 के अधीन किसी खास घटना की अनुमति देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब उनके अपने हक का सम्बन्ध होता है तो वे चर्चा करना चाहते हैं। अन्य दलों के मामले में वे चर्चा नहीं करेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जिन विषयों पर चर्चा हो चुकी है उन्हें आप फिर उठाते हैं।

श्री के० लकप्पा : परम्पराएं हैं। **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हमने विपक्ष के नेता को हर प्रकार का आदर दिया है। कानून के अन्तर्गत उन्हें सभी सुविधाएं दी गई हैं और आप शारीरिक दृष्टि से उनका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह झूठा आरोप है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह आपके लिए चेतावनी है **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाए।

मैंने विचार किया है और इसकी अनुमति दी है। व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री के० लकप्पा : आप एक गलत पूर्व उदाहरण बना रहे हैं। यही कारण है कि आप नियम 377 के अधीन दिए गए निर्णय की फिर समीक्षा करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी एकतरफा समीक्षा नहीं कर सकता। मुझे एक समान प्रकिया अपनानी चाहिए।

श्री वसन्त साठे : नियम 352 (III), (IV)। **(व्यवधान)**

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया। सबसे पहले मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करना है। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : क्या आप पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के पूर्ववृत्त और आचरण पर चर्चा करना चाहते हैं ? क्या आप इसकी अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री के० लकप्पा : आप यह कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष गहोदय : अभी अभी हमने एक मुख्य मंत्री के बारे में सभी बातें कहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया है।

श्री के० लकप्पा : उन्हें यह उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दी है। इसमें कोई खराबी नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : व्यवस्था का प्रश्न नियम 352 के अधीन है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम का उल्लंघन हुआ है ?

श्री वसन्त साठे : इसके दो पहलू हैं। एक ·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था का प्रश्न सुन रहा हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर (दुर्गापुर) : श्री लकप्पा को प्रति कैसे मिली है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्हें वक्तव्य कैसे मिला है ?

श्री के० लकप्पा : यह सार्वजनिक दस्तावेज हैं।

× ×कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला मेरे कार्यालय से सम्बद्ध है। मैं यह जानना चाहूंगा कि उन्हें कैसे मिला।

श्री वसन्त साठे : सदस्य ने स्वयं एक प्रति दी है।

श्री के० लकप्पा : माननीय सदस्य ने प्रति दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक यह दिया नहीं जाता है **(व्यवधान)**। मैं इस मामले की जांच करूंगा। श्री साठे, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। आये दिन यह हो रहा है। अच्छा होता यदि सभी नेता इस निर्णय पर आते कि हम ऐसी बातें नहीं करेंगे।

श्री वसन्त साठे : कृपया नियम 352 (III) पढ़िये :

"बोलते समय कोई सदस्य .....

(3) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक पदावलि का उपयोग नहीं करेगा।"

यदि किसी ऐसे मामले का जिस पर राज्य विधान मंडल में चर्चा की गई हो, मुख्य मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है, राज्य विधान मंडल में विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाये हैं उनका उल्लेख किया गया है...।

अध्यक्ष महोदय : संसद या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक पदावली का प्रयोग किया गया है तो मुझे उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : उप-नियम (5) देखिए :

"(5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप।"

यह निश्चित है कि मुख्य मंत्री एक उच्च प्राधिकारी है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ अंश थे जिन्हें मैंने निकाल दिया है।

श्री वसन्त साठे : यदि मुख्य मंत्री पर कोई आक्षेप किया गया है तो इससे हमारे नियम का उल्लंघन होगा।

अध्यक्ष महोदय : सरकारी, व्यक्तिगत नहीं।

श्री वसन्त साठे : इसमें 'सरकारी' नहीं है। आप इस प्रकार का भेद नहीं कर सकते। जब तक उचित सन्दर्भ में किसी मूल प्रस्ताव पर आधारित चर्चा नहीं होती है तब तक किसी उच्च प्राधिकारी के आचरण पर आक्षेप नहीं हो सकता है।"

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है। जो कुछ भी आपत्तिजनक था मैंने उसे निकाल दिया है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वसन्त साठे : यदि कोई एक भी आक्षेप है तो यह नियम 353 के अन्तर्गत आ जाता है जिसमें कहा गया है :

"कोई मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा।..."

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री वसन्त साठे : जब भी कोई आक्षेप किया जायेगा मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह भी कहा जाता है : "वह एक अच्छे व्यक्ति हैं", तो यह आक्षेप होगा।

श्री वसन्त साठे : यह कहना कि यह अच्छा आदमी है आक्षेप नहीं है। हम आपको रोज अच्छा आदमी कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है, सम्भवत: आपने वक्तव्य नहीं पढ़ा है।

श्री वसन्त साठे : मैंने नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल यही कहा है, देवराज अर्स जिन्दाबाद, सुब्बय्या मुर्दाबाद।" **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई और बात है तो उस पर विचार करूंगा। आप अनावश्यक-रूप से भावुक न हों। **(व्यवधान)** कृपया वक्तव्य पर आइए।

(छ:) कर्नाटक विधान परिषद् में विपक्ष के नेता के निवास स्थान पर हमले का समाचार

श्री एस० ननजेश (हसन) : 11 अप्रैल को 150 आदमियों की एक भीड़ ने विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री ए० के० सुब्बय्या के सरकारी निवास पर हमला किया। उस समय उनके दो बच्चे और बहनोई घर पर थे। जैसा कि 12 तारीख के समाचार पत्र दक्कन हरेल्ड में आया है। यह घटना 10 बजे सुबह के लगभग हुई। सुब्बय्या विरोधी तथा इन्दिरा गांधी समर्थक एक जलूस श्री सुब्बय्या के निवास स्थान पर गया जो नगरपालिका प्रशासन मंत्री और जेल मंत्री के निवास स्थानों के बीच में है। जलूस के पीछे-पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है प्रदर्शनकारी श्री सुब्बय्या के मकान के सामने रुके और पांच प्रदर्शनकारी श्री सुब्बय्या के मकान में घुसे और विपक्ष के नेता के बहनोई श्री देवेन्द्र के मना करने पर भी अगले कमरे में उन्होंने तोड़-फोड़ की। कमरे में तोड़-फोड़ करने के बाद प्रदर्शनकारी अर्स समर्थक तथा शिवान्ना समर्थक (कांग्रेस (आई) के विधान सभा परिषद् के सदस्य) तथा सुब्बय्या विरोधी नारे लगाते रहे। श्री सुब्बय्या की धर्म पत्नी को, जो उस समय घर में मौजूद नहीं थी जब तोड़-फोड़ हो रही थी, भीड़ ने अन्दर जाने नहीं दिया जब वह कुछ खरीददारी कर आटो-रिक्शा में आई। उन्हें घेरा गया और गन्दी गालियां दी गई। आटो-रिक्शा चालक की चतुराई के कारण वह वहां से अपने किसी सम्बन्धी के यहां सुरक्षित चली गयीं। तब प्रदर्शनकारी नगर पालिका प्रशासन मंत्री (श्री श्रीकान्तेय्या) जो श्री सुब्बय्या के पड़ोसी हैं, के मकान में गये और फिर अर्स थमर्थक नारे लगाये। उन्हें नगर पालिका प्रशासन मंत्री के घर में पानी आदि पीने के लिए दिया गया। उस समय नगर पालिका प्रशासन मंत्री घर ही में थे और मूकदर्शक बने रहे तथा उन्होंने प्रदर्शनकारियों का स्वागत भी किया। एक मंत्री होने के नाते तथा सरकार में एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए, न वह बाहर आए और न उन्होंने पुलिस को विपक्ष के नेता के मकान पर हमला रोकने के अनुदेश दिये। पुलिस भी चुपचाप देखती रही। उसके बाद, भीड़ ने जय महल पेलेस होटल में मध्यान्ह

भोजन किया और वहां भी उन्होंने 'शिवान्ना जिन्दाबाद' और 'सुब्बय्या मुर्दाबाद' के नारे लगाये। श्री सुब्बय्या ने विधान परिषद् में भी अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया है। यह अकेली घटना नहीं है। सारे राज्य में ऐसी हजारों घटनाएं हो रही हैं। विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को कर्नाटक सरकार के मंत्रियों के मार्ग-दर्शन में तंग किया जा रहा है। हत्याएं भी हुई हैं। पुलिस तत्काल कार्यवाही नहीं कर रही है·····।

श्री वसन्त साठे : वह कहते हैं कि हत्याएं हुई हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह सब क्या है। वह कहते हैं "कि हत्याएं हुई हैं। पुलिस तत्काल कार्यवाही नहीं कर रही है।" हर एक दिन हम यह सब सुन रहे हैं **(व्यवधान)** आप कहते जाइए। **(व्यवधान)**

श्री एस० ननजेश गौडा : महोदय, अतः कर्नाटक में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों के नेताओं की गुन्डों द्वारा धमकी दिये जाने और संगठित रूप में आक्रमण करने से तथा कर्नाटक सरकार की इसे रोकने में असफलता के कारण उनकी जान-माल की असुरक्षा की दशा बनी हुई है। कर्नाटक में आपातस्थिति छोटे रूप में बनी हुई है। कर्नाटक के लोग उनके शासन और तौर-तरीकों में स्वतन्त्र नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इसे पढ़िये।

श्री एस० ननजेश गौडा : महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से अपील करता हूँ कि वे कर्नाटक के राज्यपाल से एक रिपोर्ट मांगें। जब इस प्रकार के गुन्डा तत्वों को विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष लोकतन्त्र है। अब समय आ गया है कि ऐसे मंत्रियों को सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए और यदि वर्तमान सरकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके कार्यकर्त्ताओं की जान-माल की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर सकती है तो मेरी मांग है कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाई जाये और मैं गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे एक वक्तव्य दें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में निवेदन है ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन : हां।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वास्तव में मैं चाहता हूँ कि आप यहां आइए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : कोई संसद सदस्य किसी राज्य सरकार के मंत्री पर यहां आक्षेप नहीं कर सकता है। यह कहना अलग बात है कि राज्य सरकार असफल हो गई है। किन्तु आप इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते।

अध्यक्ष महोदय : कोई आरोप नहीं है।

श्रीतमी पार्वती कृष्णन : कल किसी राज्य के मंत्री के आचरण के बारे में किसी संसद सदस्य द्वारा कहा जायेगा···**(व्यवधान)**। यहां यह कहा जाता है कि मंत्री की सांठगांठ से यह हो रही है···**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मेर पास यहां वक्तव्य है। वह कहते हैं कि कर्नाटक सरकार के वर्तमान मंत्रियों के मार्गदर्शन में विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्त्ताओं को तंग किया जा रहा है। हत्याएं भी हुई हैं। पुलिस तत्काल कार्यवाही नहीं कर रही है।" मैंने सारी चीज पढ़ी है और जो भी आपत्तिजनक है उसे मैंने निकाल दिया है।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल (धुलिया) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 में दिया हुआ है :

"जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सभा में उठाना चाहता हो··· ।"

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस नियम में 'संक्षेप' का क्या अर्थ है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह समय को बर्बाद करना है। तथ्यों का वक्तव्य लम्बा भी हो सकता है।

अनुदानों की मांगें—1979-80 उद्योग मन्त्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम उद्योग मन्त्रालय के नियमाधीन अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेंगे।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : महोदय, मुझे सचमुच इस बात की प्रसन्नता है कि उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद से सरकार की औद्योगिक नीति के समर्थन में विचारधारा बनी है। जब दिसम्बर, 1977 में यह नीति प्रस्तुत की गई थी तो आम-तौर से इस नीति को सभा ने तथा देश ने स्वीकार किया था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यदि क्रियान्वित किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब कोई नीति प्रस्तुत की जाती है तो इसका अर्थ क्रियान्वयन के लिए होता है। मुझे आशा है कि आप समझ गये होंगे। कतिपय लोगों ने वास्तव में व्यंग किया है तथा कुछ उन लोगों ने भी विद्रोह किया है जिनका विचार यह था कि इस नीति से उन्हें हानि हो रही है। हमेशा से ऐसी धारणा हो रही है कि औद्योगिक नीति उद्योगपतियों के लिए होती है और उद्योग मन्त्री का अर्थ उद्योगपतियों का मन्त्री। और ये लोग, जब यह महसूस करते हैं कि नई सरकार की इस औद्योगिक नीति से आमूल परिवर्तन हो सकता है तो उन्हें चिंता हो गई और उनके प्रवक्ता बड़े स्पष्ट बोलने लगे और अपने विरोध में तथा अपनी अभिव्यक्ति में व्यंग करने लगे। महोंदय, जब औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई तो समाचार पत्रों के शीर्षक तथा देश के बड़े उद्योगों के प्रवक्ताओं की टिप्पणियां देखने योग्य थीं। एक समाचार पत्र ने कहा : "एफ० आई० सी० सी० आई० औद्योगिक नीति से प्रसन्न नहीं है।" "औद्योगिक नीति से न तो वांच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति होगी और न पिछले असंतुलन को ठीक करने में सहायता मिलेगी।" तीसरे ने कहा : "औद्योगिक नीति विकास के अनुरूप नहीं है।" ये शीर्षक थे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : आप एफ० आई० सी० सी० आई० की टिप्पणियां भूल गये हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : साथ ही देश में बड़े व्यापार-गृहों के वेतन शुदा टिप्पणी करने वाले थे। एक आर्चडिकन ने कहा : "औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य ने औद्योगिक स्थिरता की सामान्य समस्या को बिल्कुल छोड़ दिया है।" एक ओर समाचार पत्र के सम्पादकीय लेख में कहा गया कि यह खतरनाक नीति है। एक तीसरे ने कहा : "अस्त-व्यस्त नीति।" चौथे ने "नम फुलझड़ी।" और अन्ततः यह कहा गया कि "यह पुरानी बोतल में पुरानी शराब है।" यह स्पष्ट है कि यह कोई ऐसा होगा जो काफी शराब का आदी होगा। मैं नहीं जानता कि अब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब कि गत एक वर्ष से यह क्रियान्वित हो रही है।

महोदय, गत वर्ष के आरम्भ में हम वर्ष के लिए औद्योगिक विकास की योजना बना रहे थे और हमने एक लक्ष्य रखा। हमने कहा चालू वर्ष के लिए 7 से 8 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य होगा। फिर उसी प्रकार का व्यंग हुआ। पहले जैसी टिप्पणियां की गई थीं—वैसी ही फिर हुईं। फिर उन आर्चडिकन ने लिखा : "श्री फर्नान्डिस अंधेरे में सीटी बजा रहे हैं, उन्हें हमें प्रकाश दिखाना चाहिए था।" उनके विचार से मैं अंधेरे में सीटी बजा रहा था। और कुछ समय के बाद जब यह सिद्ध हुआ कि वह स्वयं अंधेरे में थे तो वह अपनी पूर्व स्थिति में आ गये और उन्होंने कहा : "सुधार हो रहा है।" किन्तु गत 4-5 महीनों से वह बिल्कुल चुपचाप हैं और मैं समझता हूँ कि उनके लिए यह अच्छा है कि वह कुछ समय तक चुप ही रहें। एक और पत्रिका ने कहा कि वर्ष 1978 में औद्योगिक उत्पादन में वास्तव में कमी हुई है। माहवार आंकड़े आने लगे कि हम औद्योगिक उत्पादन बढ़ा रहे हैं और विकास की दर बनी हुई है **(व्यवधान)**। हां, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे प्रिय मित्र, अन्ततः जनमत मायने रखता है। सरकार को जनता का समर्थन चाहिए। और यदि वह लोग, जिनका प्रचार माध्यम पर अधिकार है, सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं और ऐसे बातों को फैलाते हैं जिनका कहीं आधार नहीं होता तो इससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और फिर उन समस्याओं से निपटना पड़ता है। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र इस स्थिति को समझेंगे क्योंकि जब प्रतिमाह सरकारी आंकड़े आ रहे हैं तो लोगों ने गैर-सरकारी आंकड़े देना आरम्भ कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि औद्योगिक विकास के बारे में निर्णय करने के लिए गैर-सरकारी आंकड़े माने जायेंगे। जब जनता सरकार की उपलब्धियों को झुठलाने का प्रयास किया जाता है, उन लोगों के प्रयासों को झुठलाया जाता है जो उत्पादन से सम्बद्ध हैं—सरकार नीति का निर्माण करती है और उसका कार्यान्वयन श्रमिकों, प्रबन्धकों और जनता को करना है। जब व्यवस्था, जिस पर बड़े बड़े व्यापारियों का नियन्त्रण होता है, कहती है कि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है और उसमें गिरावट आई है तो वास्तव में वह उन लोगों को झुठला रहे हैं कारखानों और खदानों में सम्पत्ति का सृजन कर रहे हैं अतः यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसे रिकार्ड पर लाया जाये।

मेरे मित्र श्री वेंकटरमन ने आंकड़े देकर प्राप्त विकास की दर की अवहेलना करने का प्रयास किया है। वह बहुत ही चालाक बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने 1976-77 और 1977-78 की तुलना करनी आरम्भ कर दी जबकि चर्चा 1978-79 के बारे में हो रही है—उन्होंने बड़ा ही रोचक तर्क दिया है और कहते हैं :

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

"अब, उद्योग मन्त्री ने पिछले वर्ष कहा था कि पिछले 30 वर्षों में औसत विकास दर 4 प्रतिशत रहा है। मेरे विचार से यह उत्तर सही नहीं है क्योंकि नये प्रबन्धकों को अन्य विशेष प्रकार की सम्पत्तियां सौंपी गई थीं और यदि उन्हीं परिसम्पत्तियों से पिछले वर्ष में नये प्रबन्धकों के अन्तर्गत विकास दर 10 प्रतिशत हो तो वह 6 प्रतिशत होगी प्रबन्धकों की सम्बद्ध कार्य कुशलता स्पष्ट है।" इसका अर्थ यह हुआ कि जबसे उनके दल ने हमें परिसम्पत्तियों का प्रभार दिया है हमने कार्यकुशलता का परिचय नहीं दिया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने अपने लहजे में बोलते हुए कहा है कि हमें 30 वर्षों का जिक्र नहीं करना चाहिए और उन्होंने जान मार्ले का उद्धृत किया है कि एक राजनीतिज्ञ के लिए वह स्मरण करना उचित है कि उसे क्या याद रखना चाहिए और क्या भूलना चाहिए। मैं श्रीमती कृष्णन की बातों का उत्तर बाद में दूंगा। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमें 1976-77 में एक परिस्थिति विशेष उत्तराधिकार में मिली है तो हमारे सामने समस्याओं का आना अनिवार्य है। अतः 1977-78 में विकास दर 3·9 प्रतिशत थी और यदि श्री वेंकटरामन यह निश्कर्ष निकालते हैं कि प्रबन्ध के मामले में हम कार्यकुशल नहीं हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अकार्य-कुशलता नहीं है। हमने जिस प्रकार की परिस्थिति विशेष में उत्तराधिकार मिला है हम उस सम्बन्ध में सुधार का प्रयास कर रहें हैं।

यदि कोई व्यक्ति देश के औद्योगिक विकास की ओर देखता है तो पता चलता है कि यह 2·2 से 9·5 प्रतिशत के बीच रही है। मैं पिछले दो अथवा तीन दशकों के आंकड़े नहीं दूंगा किन्तु यदि हम 1970 की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि 1970-71 में यह दर 4 प्रतिशत थी—1971-72 में 5·5 प्रतिशत थी। अतः स्पष्ट है कि बहुत कार्य-कुशलता थी 1972-73 में यह घट कर 4 प्रतिशत रह गई और वह बड़े अकार्यकुशल हो गये। 1973-74 में यह 2·2 प्रतिशत हो गई, अतः कहा जा सकता है कि अब तक कार्यकुशलता नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। 1974-75 में यह 2·6% थी फिर 1975-76 तथा 1976-77 में—आपतस्थिति के दौरान यह दर क्रमशः 6 प्रतिशत और 9 5 प्रतिशत थी। इस समय न तो हड़तालें हुई; श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं थे, न ही धार्मिक संघों सम्बन्धी अधिकार थे, कोई प्रदर्शन नहीं थे, न जलसे थे और न ही सदन में विपक्षी नेता थे। आज देश में सभी औद्योगिक अशान्ति की बात कर रहे हैं। कामरेड हलधर ने अभी हाल में अचानक उत्पन्न हो गई औद्योगिक अशान्ति का उल्लेख किया है। उन्होंने एक ही संयंत्र का उल्लेख किया है। सभी औद्योगिक अशान्ति की बात कर रहे हैं और आज देश में औद्योगिक अशान्ति है। किन्तु इन सब के होते हुए हमने औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की विकास दर उपलब्ध करली है। लोग चाहते हैं कि मैं 1975—77 के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना करूं और विश्वास कर लूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई उपलब्धि नहीं है.....

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गाँधी नगर) : क्या आपने यह पता लगाया है कि आपात-स्थिति में दिये गये आंकड़े सही आंकड़े थे ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : वह आंकड़े सही थे क्योंकि एक प्रतिशत आंकड़े मादक द्रव्य के थे, एक-एक प्रतिशत कारों और तम्बाकू से थे। वह आंकड़े सही थे। यह आंकड़े इस प्रकार सही थे कि

इस्पात का उत्पादन हुआ किन्तु बिक्री नहीं हुई, खानों से कोयला निकाला तो गया किन्तु वहां से उठाया नहीं गया, अतः आपात स्थिति में विकास की दर 9·5 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में पिछले वर्ष की विकास की दर देखें।

अन्ततः मेरे मित्र श्री वेंकटरमन द्वारा की गई आलोचना, जिसमें उन्होंने बहुत अजीब तर्क दिये हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक हिसाब लगाया है जो मेरी समझ में बिलकुल नहीं आया क्योंकि वह कहते हैं कि मन्त्रालय का दावा है कि इस वर्ष 8% की विकास दर रही है (वास्तव में यह उन्होंने स्वेच्छा से नहीं कहा है) किन्तु यदि आप इन आंकड़ों की थोड़ी और बारीकी से जांच करें तो आप देखेंगे कि यह 8 प्रतिशत की विकास दर के लिए विद्युत उत्पादन में 13 प्रतिशत वृद्धि जिम्मेदार है। मैं चाहता हूं कि वह मुझे समझायें कि 8 प्रतिशत का अधिकांश भाग क्या है ? मैं समझता हूं कि यह कम से कम 4·1 प्रतिशत तो है ही। क्या यह बताने का अभिप्राय है ?

संभवतः श्री वेंकटरामन घर से पूरी तरह तैयार नहीं होकर आये क्योंकि 1978-79 में 890 विकास पर उपलब्ध हुई है और विद्युत उत्पादन 13 प्रतिशत तक रहा है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यह 13 प्रतिशत तक गया है। हम न केवल इसको बनाये रखेंगे बल्कि इसमें वृद्धि भी करेंगे। इसमें सुधार करना आवश्यक है।

श्री आर० वेंकेटरमन : यह वाक्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा से लिया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 8 प्रतिशत की कुल विकास दर की वृद्धि में विद्युत उत्पादन का क्या अंशदान है—1.2, अपितु औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि जो गत वर्ष वास्तव में पहली बार मेरे विचार से पर्याप्त वृद्धि थी, एक संतुलित वृद्धि थी, संतुलित इस अर्थ में कि हमारे सभी बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में जिनमें इस्पात, जहां गिरावट आई है, कोयला जहां वृद्धि बहुत कम थी, और सीमेंट जहां वृद्धि सीमांतक थी, को छोड़कर यह वृद्धि हुई है। अन्यथा उद्योग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्युत उत्पादन में लगभग 13 प्रतिशत की हुई है। फासफेट उर्वरकों में 24.8 प्रतिशत, वाणिज्यक वाहनों में 38.1 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि, चीनी में 26.9 प्रतिशत, अलुमिनियम में 19.9 प्रतिशत, ट्रेक्टरों में 20.8 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है। जहां तक साईकलों का सम्बन्ध है, किसी ने कहा है कि साइकलों का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है और कहा है कि जनता सरकार साइकलों के उत्पादन में सफल नहीं हो सकी किन्तु इनका उत्पादन 12.7 प्रतिशत रहा है, ड्राई बैटरियों का 28.3 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है। मिल क्षेत्र में सूती कपड़े का उत्पादन 2.6 प्रतिशत बढ़ा है और हथकरघे और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में यह पूर्व के सभी रिकार्ड तोड़कर 11.1 प्रतिशत रहा है। टायरों का उत्पादन 12.9 प्रतिशत बढ़ा है तथा वनस्पति में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अर्थ-व्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में विकास दर में असाधारण वृद्धि हुई है जिस पर श्री वेंकटरामन का ध्यान नहीं गया है। उनका ध्यान केवल विद्युत उत्पादन की ओर ही गया है जिसके सम्बन्ध में उन्होंने आर्थिक समीक्षा से एक वाक्य उद्धृत किया है कि 8 प्रतिशत विकास दर, में प्रमुख भार विद्युत उत्पादन का अर्थात् कम से कम 4.1 प्रतिशत का रहा है।

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

कुछ निहित स्वार्थ लोगों ने गत वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में जो उपलब्धि हुई है उसे कम आंकने का प्रयत्न किया है। यहां तक कि उन क्षेत्रों में, जहां कि कई कारणों से कठिनाईयां रही हैं उदाहरण के लिए सीमेंट, बिजली की कमी, परिवहन सम्बन्धी कठिनाईयों आदि से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और जहां विकास की दर बहुत थोड़ी रही है किन्तु उपलब्धता 11 प्रतिशत बढ़ी है क्योंकि हमने सीमेंट का आयात किया है और यह सुनिश्चित किया कि सीमेंट उपलब्ध किया जा सके। इस्पात का भी उदाहरण है। कई कारणों से इसके उत्पादन में थोड़ी कमी रही है किन्तु इसकी उपलब्धता में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि हमने इस्पात का आयात किया है और यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग को हानि न होने पाये।

मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता है कि आलोचना के बावजूद, उन आलोचकों और बड़े व्यापारियों के प्रवक्ताओं के बावजूद, जो औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को झुठलाना चाह रहे हैं, हमने 8 प्रतिशत विकास की दर प्राप्त कर ली है जिस पर सरकार गर्व कर सकती है और जिसके लिए मैं कारखानों और अन्य स्थानों के श्रमिकों और प्रबन्धकों का धन्यवाद करता हूं।

जिला उद्योग केन्द्रों में सभी कार्य ठीक से चल रहा है, ऐसा मैं नहीं कहता। दो महीने पहले ही मैंने मुख्य मन्त्रियों और उद्योग मन्त्रियों को जिला उद्योग केन्द्रों को चलाने में और अधिक प्रयास की आवश्यकता है हमने जिला उद्योग केन्द्र पिछले वर्ष मई में आरम्भ किये और सही लोगों को पाने में हमें चार महीने लग गये। उसके बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस समय 13 प्रशिक्षण एकक देश में हैं और इन 13 प्रशिक्षण केन्द्रों में महाप्रबन्धकों और कार्यात्मक प्रबन्धकों को बिशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः जिला उद्योग केन्द्रों के कार्य के बारे में गत अगस्त से जो कार्य प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुए हैं हमें जहां कहीं भी किसी गलत बात का पता लगा है उसे ठीक करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। 346 जिला उद्योग केन्द्रों में से 164 जिला उद्योग केन्द्रों ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं और वे अपने कार्य की योजनाएं तैयार कर रहे हैं। इन जिला उद्योग केन्द्रों के जरिये 52 हजार उद्यमियों को चुना गया है। उन्होंने 13400 परियोजना प्रारूप तैयार किए हैं उन्होंने 36660 एकक स्थापित कराने में सक्रिय भाग लिया है, उनके जरिये 1,16,465 व्यक्तियों को रोजगार मिला है ग्रामीण इलाकों वाले जिलों में उन्होंने छोटे उद्यमियों को 47.2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। उनके द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, इन 164 जिला उद्योग केन्द्रों में अनुमान लगाया है कि तैयार की गई योजनाओं पर 181 करोड़ रुपये का निवेश होगा और उनका अनुमान है कि वे करीब चार लाख लोगों को रोजगार दे सकेंगे।

उद्योग नीति की घोषणा करते हुए हमने कहा था कि उसका लक्ष्य शहर से गांव की ओर जाना भारी उद्योग के लघु उद्योग की ओर जाना, पूंजी उन्मुख उद्योग से श्रमोन्मुख उद्योगों की ओर जाना है। जिला उद्योग केन्द्र बनाने की योजना इस दिशा में एक कदम है। उद्योग नीति प्रस्तुत करते समय चार वर्षों में 400 जिला उद्योग केन्द्र बनाने का लक्ष्य था ; मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रति वर्ष औसतन 100 जिला उद्योग केन्द्रों के विपरीत एक मई से हमने 346 जिला उद्योग केन्द्र बना दिये हैं। 50 या 60 जिले बचते हैं और कुछ ही महीनों में देश के सभी जिलों में औद्योगिक केन्द्र बना दिये जायेंगे।

कल और उससे पहले भी हमने माचिस उद्योग के बारे में चर्चा की थी। विमको और सिवकासी माचिस निर्माता बहुत समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

श्रीमती वी० जयालक्ष्मी (सिवकासी) : सिवकासी में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र में भी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने सदन और सदन से बाहर यह कहा है कि हम यह चाहते हैं कि माचिस उद्योग विकेन्द्रीकृत ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र बन जाये। हमने पिछले दो वर्ष में इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया है ? श्रीमती पार्वती कृष्णन ने कहा है कि "मन्त्री महोदय बस बोलते रहते हैं।" ठीक है, बोलना तो पड़ता ही है । नहीं तो शिक्षित कैसे किया जायेगा। अत: बोलना आवश्यक होता है । श्रीमती पार्वती कृष्णन इस बात को समझेंगी। आखिर वह भी तो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। वह इस क्षेत्र में बहुत अरसे से हैं। मेरी और उनकी तुलना की जाये तो वह भी मेरे से अधिक बोली होंगीं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने कहा है कि मन्त्री बोलते रहते हैं। मन्त्री महोदय को तो बोलना पड़ता है। मैं इस देश में निहित स्वार्थों के विरुद्ध लड़ रहा हूँ वह बड़े बलशाली हैं। जब हम माचिस उद्योग की बात करते हैं.....

एक माननीय सदस्य : पश्चिम जर्मन का क्या हुआ ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं उस बात पर भी आऊंगा। मेरे पास उस सम्बन्ध में आंकड़े हैं। मैं उन्हें आपको दूंगा। किसी देश के प्रति इतनी खिन्नता प्रकट न करें। (**व्यवधान**)

1978-79 में जब सरकार ने यह निर्णय लिया था कि दियासलाई का उत्पादन अनिवार्य रूप से कुटीर और विकेन्द्रित क्षेत्र में होना चाहिए, उसी समय 6.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी हमने लगभग 11.5 करोड़ रुपये की कीमत की दियासिलाई का उत्पादन किया और 27,000 लोगों को रोजगार दिया। परन्तु वर्तमान वर्ष 1979-80 में 14.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे हमारा उत्पादन 21.64 करोड़ रुपए का अर्थात् दुगुना हो जाएगा। और करीब 54,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। चूंकि हमें दियासलाई उद्योग संगठित और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र से मिला था और इसे कुटीर और विकेन्द्रित क्षेत्र में ले जाना है अत: हमारी योजना अगले तीन वर्षों के दौरान 1982—83 तक 14.45 करोड़ रुपये का निवेश करने की है। इससे हमारा उत्पादन 76.9 करोड़ रुपये का हो जाएगा और लगभग दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कामरेड हलधर जी मुझे भी 800 व्यक्तियों की नौकरी की चिन्ता है और उन नौकरियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम जो सम्भव है वह कर रहे हैं और इसके साथ-साथ हम लगभग दो लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यन्त्रीकृत क्षेत्र के उत्पादन स्तर को बांध सकते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह तो कांग्रेस सरकार ने ही बांध दिया था। मैं इसे केवल बांधना नहीं चाहता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह शिवाकाशी के निकट नहीं होना चाहिए।··· ·· **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे चाहते हैं कि देश में बहुराष्ट्रिक बने रहें। महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपको किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम्) : मन्त्री महोदय, सदन को भ्रान्ति में डाल रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस : विम्को बहुराष्ट्रिक कम्पनी है। यदि मेरे मित्र अब यह भूल गए हैं कि बिम्को क्या है तो मुझे खेद है। विम्को में 40 प्रतिशत पूंजी स्वीडन की है और विम्को प्रति-वर्ष हजारों रुपये देश से बाहर भेजता है।

एक माननीय सदस्य : 39 प्रतिशत।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : चलो ठीक है 39 प्रतिशत। यदि एक विदेशी कम्पनी की 39 प्रति-शत अन्शपूंजी भारत में लगी है तो क्या यह बहुराष्ट्रिक कम्पनी नहीं रह जाती। मुझे प्रसन्नता है कि बहुराष्ट्रिक की एक नई परिभाषा दी जा रही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवृतान्त में शामिल न किया जाए। एक आधी बार तो ठीक है परन्तु इस प्रकार रनिंग कमेंट्री नहीं चल सकती। कार्यवृतान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान) ××

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप देख सकते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग में कितना परिवर्तन किया है। पिछली पांच वर्षीय योजना के दौरान खादी क्षेत्र में किए गए 83-98 करोड़ रुपए की तुलना में जनता सरकार ने अपने शासन के प्रथम दो वर्षों में ही 102 करोड़ रुपये लगा दिए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कहां स्थित हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तमाम भारत में।

जहां तक ग्राम उद्योगों का संबंध है, पिछली सरकार के 34.28 करोड़ रुपये के कुल निवेश की तुलना में जिसकी पिछली सरकार ने व्यवस्था की थी, हमने 49.52 करोड़ रुपये लगा दिए हैं। महोदय, इससे सिद्ध होता है कि बड़े उद्योगों से लघु की ओर तथा मशीन से हाथ की ओर आ रहे हैं और · · ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण वादविवाद है। उसे बीच में टोकिए नहीं। यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आपके पास अन्य उपाय भी हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वस्त्र नीति के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाए गए है। मैं मूल वस्त्र नीति पर आता हूँ। अब जोर शहर से ग्राम की ओर तथा मशीन से हाथ की ओर पर दिया जा रहा है। हमने सबसे पहले हथकरघा क्षेत्र को धन लगाने के लिए, क्रय शक्ति के सृजन के लिए तथा रोजगार पैदा करने के लिए चुना। यहां भी मैं प्राप्त परिणामों से प्रसन्न हूँ **(व्यवधान)**

××सभा के कार्य वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

जी हां, पश्चिमी बंगाल फिर अच्छा कार्य कर रहा है। वास्तव में बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित आप सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं।

(व्यवधान)××

अध्यक्ष महोदय : कार्य वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 1976-77 में केन्द्रीय बजट में हथकरघे के विकास हेतु रखे गए 10 करोड़ रुपये की तुलना में, हमने इसे 20 करोड़ रुपये करके दुगुना कर दिया है। पिछले वर्ष यह 27.5 करोड़ रुपये था और इस वर्ष हमने 28.3 करोड़ रुपये अनुदान का अनुमान लगाया है।

श्री आर० वेंकटरमन् : योजना दुगुनी बड़ी हो गई तो राशि भी दुगुनी हो जाएगी। परन्तु आपको यह बताना चाहिए कि यह कुल योजना का कितना प्रतिशत है। तभी इसकी तुलना की जा सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह समझ जाएंगे कि यदि योजना दुगुनी कर दी गई और यदि हमारे सरकार में आने के पहले वर्ष में ही हमने हथकरघे का आबंटन 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये कर दिया और अगले वर्ष हमने 27.50 करोड़ रुपये कर दिया तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अत्यधिक वृद्धि हुई और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य महोदय गणित के प्रति अपने झुकाव के आधार पर इसे समझ जाएंगे।

एन० सी० डी० सी० द्वारा हथकरघे क्षेत्र को जून, 1978 में दी गई 2.67 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में मार्च, 1979 में बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गया। 1976-77 में सहकारी क्षेत्र में 6.7 लाख करघे आते थे जबकि पिछले वर्ष के अन्त तक ये बढ़कर लगभग दुगुने अर्थात् 14 लाख हो गए हैं। रिजर्व बैंक की वित्त पोषण की योजनाओं के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों की राशि 1975-76 में 20 करोड़ से बढ़कर 1978-79 में 60 करोड़ हो गई। हथकरघा क्षेत्र में काटन फेब्रिक्स और ब्लेडेंड फेब्रिक्स का उत्पादन केवल दो वर्षों में ही 2460 मिलियन मीटर से बढ़कर 2720 मिलियन मीटर हो गया। 1976 में जनता कपड़े का उत्पादन नगण्य था। 1977-78 में हमने 82 मिलियन मीटर का उत्पादन किया। 1979-80 में हमने 200 मिलियन मीटर का लक्ष्य रखा जबकि पिछले वर्ष यह 125 मिलियन मीटर था।

हथकरघा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। 1976 में 57 लाख रोजगार थे। 1978 में बढ़कर 67 लाख हो गए अर्थात दो वर्षों में हथकरघा क्षेत्र में 10 रोजगारों की वृद्धि हुई। यह वृद्धि केवल रोजगार में नहीं हुई। यह वृद्धि मजदूरी में भी हुई। हथकरघा बुनकरों की मजदूरी में वृद्धि हुई है क्योंकि उन्होंने ब्लेंडड फेब्रिक्स के क्षेत्र में प्रवेश किया है। हथकरघा बुनकरों की मजदूरी बढ़ गई है मैने पांच राज्यों का अध्ययन किया है। कर्नाटक में 1976 में 4 से 5 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर आज 7 से 8 रुपये हो गई है। उड़ीसा में यह 130 से 180 रुपये प्रति महीना हो गई है। तमिलनाडु में 200 से बढ़कर 250 हो गई है। बिहार में 4 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो गई है। गुजरात में 4 से 6 रुपये से बढ़कर 8 से 12 रुपये हो गई है। उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ, विपणन के क्षेत्र में भी, जो कि विनाश का कारण रहा और हथकरघा क्षेत्र के लिए एक समस्या रहा है, हमने महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं। इस मामले में भी राज्य सरकार

××कार्यवृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

असाधारण रूप से बहुत अच्छा काम कर रही हैं जैसे पश्चिम बंगाल को लीजिए। मुझे विश्वास है कि सोमनाथ बसु यह जानकर प्रसन्न होंगे कि 1976-77 में 19.6 लाख रुपये की बिक्री की तुलना में यह बिक्री पहले वर्ष में ही बढ़कर 439 लाख रुपये हो गई और उन्होंने वर्तमान वर्ष में 6 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य रखा है। यह बिक्री शीघ्र हथकरघा बुनकर संस्थाओं द्वारा की जाएगी।

इसी प्रकार महाराष्ट्र को लीजिए। 1976-77 में राज्य हथकरघा विकास निगम् की 28 लाख रुपये की बिक्री की तुलना में 1977-78 में यह 2 करोड़ रुपये हो गई। इस वर्ष यह 2.50 करोड़ रुपये हुई है। उत्तर प्रदेश में 1976-77 में 4 करोड़ रुपये की बिक्री की तुलना में इस सरकार के शासन के प्रथम वर्ष में ही 7.28 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वर्ष यह 10 करोड़ रुपये हुई। वर्तमान वर्ष में भी उससे काफी अधिक होने की आशा है।

उड़ीसा को जब हम लेते हैं जो कि एक अत्यन्त पिछड़ा राज्य है तो हम देखते हैं कि 1976-77 में 10.59 करोड़ रुपए की बिक्री की तुलना में उन्होंने 1978-79 में 3.45 करोड़ रुपए कमाए हैं और इस वर्ष 5 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मैं और भी आंकड़े दे सकता हूं। परन्तु शायद उनकी आवश्यकता नहीं है।

एक बात यह है कि हथकरघा विकेन्द्रित क्षेत्र में स्थित है जहां कि उन्होने असाधारण रूप से अच्छा कार्य किया है। एक महत्पूर्ण और रुचिकर पहलू हस्तशिल्प में हुआ विकास है। यह अर्थव्यवस्था का अत्यन्त उपेक्षित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार ने अब तक मिलकर काम किया है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 1976-77 में कांग्रेस सरकार के समय में हस्तलिप में 2.8 करोड़ रुपए का निवेस किया गया (**व्यवधान**)। 1976-77 के 2.8 करोड़ रुपए से बढ़कर यह पिछले वर्ष तक 12.4 करोड़ रुपये हो गया। इसे हमने 7 गुना कर दिया। मुझे विश्वास है कि माननीय वेंकटरमन् जी इस गणित को समझ गए होंगे। (**व्यवधान**) एक वर्ष में स्थिति यह रही। गतिशील दशक के अन्तिम वर्ष में हस्तशिल्पियों के लिए जहां कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं था (**व्यवधान**)।

1977-78 में हमने 11,000 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण दिया विशेष रूप से दरियां उत्पादन करने का। हमने प्रभावशाली प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हमने 600 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की और देश के कई भागों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, जम्मू और काश्मीर में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये कार्यक्रम आयोजित किए। हमने दरियां प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की और लगभग 11,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया। 1978-79 में हमने 47,000 लोगों को दरियां बुनने का और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया। हमारा उद्देश्य 1979-80 में 70,000 लोगों को प्रशिक्षण देने का है। हस्तशिल्प क्षेत्र में हमने रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए हैं। हमने तीन लाख लोगों के लिए ये अवसर पैदा किए हैं। मौजूदा वर्ष में हम 4·25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। महोदय, हस्तशिल्प का उत्पादन 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 1978-79 में 800 करोड़ रुपए हो गया है। ये हमारी उपउपलब्धियां हैं। यह सब प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण जिनका हमने आयोजन किया था और

सेवा केन्द्रों को खोलने के कारण तथा समेकित विकास के कारण हुआ। इसी प्रकार जहां तक नारियल जटा का सम्बन्ध है जिसकी श्री रवि को विशेष रूप से चिन्ता है···(व्यवधान)

श्री ए० सी० जार्ज : महोदय उन्होंने हमारी परवाह नहीं की है। यहां बहुत संगठित कार्यक्रम है। आप वाणिज्य मन्त्री से पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी पर सन्देह नहीं कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जहां तक नारियल जटा का सम्बन्ध है, हमारा प्रयत्न तो यही है कि किसी प्रकार समस्या का समाधान हो जाए। श्री रवि कल विशेष रूप से इसी पर बोले और श्री रवि यह भी जानते हैं कि ये समस्याएं हमारे द्वारा खड़ी नहीं की गई हैं बल्कि ये समस्याएं तो दूसरी तरफ वालों ने पैदा की हैं। हम इन समस्याओं के समाधान का प्रयत्न कर रहे हैं। इन समस्याओं के बावजूद, मुझे विश्वास है कि श्री रवि यह जानकर प्रसन्न होंगे कि उत्पादन 1975-76 में 1,55,000 टन से बढ़कर 1977-78 में 1,65,000 टन हो गया है। हमारा निर्यात भी 1975-76 में 37,000 टन से बढ़कर 1977-78 में 42,000 टन हो गया है। वास्तव में समस्याएं हैं और हम उनसे निपट रहे हैं।

नारियल जटा के सम्बन्ध में एक बैठक 12 तारीख को होनी थी परन्तु उसे स्थगित कर देना पड़ा है। अब हम नारियल जटा के सम्बन्ध में एक विशिष्ट योजना लेकर आयेंगे जिसके द्वारा न केवल नारियल जटा उद्योग का केरल में ध्यान रखेंगे बल्कि सम्पूर्ण देश में। अतः ये सब विकेन्द्रित क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। हम लोगों को विपणन और प्रबन्ध के लिए सभी प्रकार की सुविधा दे रहे हैं और उनके लिए धन भी जुटा रहे हैं। हम सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नया रूप दे रहे हैं ताकि धन उन्हीं लोगों के पास जाये जिन्हें इनकी आवश्यकता है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि पिछले दो वर्षों के दौरान सभी विकेन्द्रित क्षेत्रों में हमें सफलता मिली है जिसके माध्यम से हम रोजगार पैदा करने जा रहे हैं, और यह कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे भारत सरकार और उद्योग मन्त्रालय ने करना है। मेरा विश्वास है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है।

महोदय, श्री वेंकटरमन् और कतिपय अन्य सदस्यों ने कहा है कि उद्योग मन्त्री के कथनों तथा अन्य मन्त्रियों द्वारा दिए गए भ्रान्तिपूर्ण वक्तव्यों से निवेश करने का वातावरण अच्छा नहीं रहा है। अब निवेश का वातावरण क्या होता है? यह एक विशिष्ट शब्दावली है जिसका हाल ही में विकास हुआ है। हां यह या तो श्री बिरला या श्री टाटा के प्रवक्ता हैं जो ऐसी बातें करते हैं। सर्वप्रथम, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह समझें कि विशाल निजी क्षेत्र में इस समय 10 से 12 प्रतिशत पूंजी लगी है जो कि निरन्तर बढ़ती जा रही है। यह खतरे का संकेत है। **(व्यवधान)**

जब कोई निवेश वातावरण के सम्बन्ध में बोलता है तो उसे सर्वप्रथम यह याद रखना चाहिए कि देश में इस समय निजी क्षेत्र में 10 से 12 प्रतिशत तक पूंजी लगी हुई है। पूंजी का अधिकांश भाग अर्थात 50% घरेलू बचतों से या गैर निगम क्षेत्र से, व्यक्तिगत और छोटे

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

लोगों तथा कुटीर यूनिटों, मोचियों और चमारों से प्राप्त होता है परन्तु उनके निवेश वातावरण की कोई चर्चा नहीं करता है। उन्हें के० वी० आई० सी० या हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार मिल गया है। परन्तु उनकी कोई बात नहीं करता क्योंकि समाचार पत्रों या आर्थिक पत्रिकाओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वित्तीय समाचार पत्रों के प्रवक्ता या एफ० आई० सी० सी० आई० ही यह कहते हैं कि निवेश वातावरण ठीक नहीं हैं। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनका संबंध केवल 10 प्रतिशत निवेश से है। देश के निवेश का 40% सार्वजनिक क्षेत्र में है। आंकड़ों के बारे में कोई झूठ नहीं बोला जाना चाहिए न ही कोई खतरे के संकेत दिए जाने चाहिए जैसा कि श्री वेंकटरमन् परसों कह रहे थे कि मैं भ्रान्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्या मैंने ऐसा किया है ? क्या पिछले दो वर्षों के दौरान निवेश में कमी आई है। आप किसी समाचार-पत्र के स्तम्भों पर क्यों जाते हैं और क्यों स्टाक एक्सचेंज के आंकड़ों को देखते हैं जहां कि व्यवसायी प्रातः, दोपहर और रात पूजा करते हैं। स्टाक एक्सचेंज की स्थिति आज तक कभी अच्छी नहीं रही है जिसका अर्थ है कि उद्योग सम्बन्धी नीति जिसका मेरी सरकार पालन कर रही है वे नीतियां ठीक हैं और विकास को बढ़ावा देने वाली हैं। परन्तु उद्योग की खतरे का सकेत देने की प्रवृति है ताकि और अधिक रियायतें मिल सकें। मुझे आज तक एक भी ऐसा उद्योगपति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि आपने अच्छा कार्य किया है या जिसने कहा हो कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे आज तक ऐसा भी कोई उद्योगपति नहीं मिला है जिसने उत्पाद कर और करों में और अधिक रियायतों की मांग न की हो। न ही मुझे ऐसा कोई उद्योगपति उस समय मिला है जब मैं यूनियनों से सम्बद्ध था और न ही अब मंत्री होते हुए मिला है।

महोदय, यहां भी कुछ प्रवक्ता हैं और कभी-कभी समाचार पत्र भी यह कह देते हैं कि निवेश का वातावरण निराशाजनक होता जा रहा है। तथ्य क्या हैं ? पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष जब मैं उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया था स्टाक एक्सचेंज का चढ़ाव नीचे आ गया परन्तु एक पखवाड़े के बाद यह फिर बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने टाटा थर्मल पावर स्टेशन को स्वीकृति दी उन्होंने सोचा सब ठीक है परन्तु जब मैंने टाटा के कतिपय यूनिटों को अपने हाथ में लेने की बात की तब मैं एक निन्द्य व्यक्ति हो गया। महोदय, पिछले वर्ष मैंने बिड़लाओं के करीब 200 करोड़ रुपये के लाइसेंसों की स्वीकृति दी तब मैं सम्माननीय व्यक्ति हो गया और यदि मैं ग्वालियर रेयन और नागदा में यह कहता हूं कि बिड़लाओं के पास 38,000 टन की गैर लाइसेंस-शुदा क्षमता है तो मैं निन्द्य हो गया। यदि मैं कहता हूँ कि केरल में स्थित बिड़ला की फैक्टरी अनाधिकृत है और यह कहता हूँ कि सरकार की 12 वर्ष तक उपेक्षा की गई और सरकार ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री से नीचे तक के साथ सांठ-गांठ की है तो यह कहा जाता है कि फर्नान्डीस उद्देश्यों से प्रेरित हैं। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। अतः हमें स्वयं को बुद्धू नहीं बनाना चाहिए। निवेश वातावरण का अनुमान व्यय किए जाने वाले धन से लगाया जाता है। पहले वर्ष जब मैंने कार्यभार संभाला तो सीमेन्ट का उपभोग 7 प्रतिशत से बढ़ गया। दूसरे वर्ष यह और भी 10% बढ़ गया। मांग चक्रवृद्धि पर से बढ़ रही है।

महोदय, जनता सरकार के कार्यभार संभालने के पहले वर्ष में ही इस्पात की खपत 14% बढ़ गई और दूसरे वर्ष यह 10 % बढ़ गई। यहां पर वृद्धि चक्रवृद्धि दर से हुई। यदि आप

यह देखना चाहते हैं कि पूंजी बाजार का कार्य चालन कैसा रहा, तो आपको पता होना चाहिये कि वित्तीय वर्ष 1974-75 में बाजार में पूंजी 61 करोड़ तक बढ़ गई। 1975-76 में यह 93 करोड़, 1976-77 में 82 करोड़ और 1977-78 में यह सर्वाधिक 135 करोड़ हो गई। कौन कहता है कि निवेश का वातावरण अच्छा नहीं है। अप्रैल-दिसम्बर, 1978-79 में निजी पूंजी बाजार में बढ़कर 92.5 करोड़ रुपये हो गई और जब शेष तीन महीनों के आंकड़े आयेंगे तो आप देखेंगे कि यह एक नया कीर्तिमान होगा।

महोदय, गतिशील दशक के अन्तिम वर्ष 1796 में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 903 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जबकि 1978-79 में इनकी संख्या 1392 थी। अब वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित किए गए धन की मात्रा 1976 में 590 करोड़ रुपये थी जबकि 1977-78 में यह 694 करोड़ रुपये हो गई। यह 16.2 प्रतिशत की वृद्धि है। सी० सी० आई० ई० द्वारा पूंजीगत माल के लिए 510 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस जारी किए गए, 1977-78 में ये 521 करोड़ के और फरवरी, 1979 में 495 करोड़ रुपये के जारी किए गए। 1976-77 में 156 करोड़ रुपये के पूंजीगत माल के आयात को स्वीकृति दी गई। 1977-78 में 173 करोड़ और 1978 में 195 करोड़ रुपये की। पूंजीगत माल के आयात से बाजार के स्वरूप का पता चलता है। 1974-75 में 723 करोड़ रुपये के पूंजीगत माल के आयात के आदेश दिये गए जबकि 1977-78 में यह बढ़कर 1158 करोड़ रुपये हो गई। इस सबके बावजूद भी हर कोई बाजार को ढ़ीला बताता है।

(व्यवधान)

महोदय, उद्योग हमें यह सुझाव देने का प्रयत्न कर रहा है कि जिन नीतियों का हम पालन कर रहे हैं वे विकास को बढ़ावा नहीं देती हैं। सब आंकड़े मौजूद हैं और ये फिर भी उन्हें तोड़ते-मरोड़ते हैं और कहते हैं कि उत्पादन में वास्तव में वृद्धि नहीं हुई है और जबकि वास्तव में 8% बढ़ गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप और कितना समय लेंगे। सदन ने वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदान सम्बन्धी मांगों पर विचार करना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए और भी महत्वपूर्ण मुद्दों को लूंगा।

महोदय श्री वेंकटरमन ने अपने भाषण के दौरान 'समुचित प्रौद्योगिकी' की बात उठाई है जिसमें उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया है। उनमें से कुछ मुद्दों पर तो मैं पहले ही विचार कर चुका हूं, परन्तु समुचित प्रौद्योगिकी की बात सुनकर मुझे वास्तव में ही दुःख हुआ है। जिस ढंग से उन्होंने 'समुचित प्रौद्योगिकी' का प्रश्न उठाया है उसके प्रति मैं अपनी गहन निराशा प्रकट करता हूं। इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने 'समुचित प्रौद्योगिकी' को नवीन-साम्राज्यवाद का नाम दिया है। उनका कहना है कि "वस्तुतः यह एक नवीन-साम्राज्यवाद है और इस पर वे भरपूर धन व्यय कर रहे हैं।" वे इस या उस बात को लेकर 'हिन्द' के एक लेख में से निरन्तर उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पश्चात उनका कहना था "जिस उत्साह से 'समुचित प्रौद्योगिकी' के नवीन सिद्धान्त का प्रसार किया जा रहा

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

है, उससे मैं परिचित हूं । वास्तव में एक काम तो वे यह करते हैं कि वे हमारे कुछ असैनिक कर्मचारियों तथा प्रौद्योगिकी-विज्ञों पर इस आशय से मत-आरोपण कर देते हैं, जिससे कि विकासशील देशों को पिछड़े-स्तर से आगे नहीं बढ़ने दिया जा सके ।" महोदय 'समुचित प्रौद्योगिकी' कोई नवीन-साम्राज्यवाद की देन नहीं है । महात्मा गांधी को भी साम्राज्यवाद का पिछलग्गू कुत्ता कहा गया था । जब श्री वेंकटरमन ने यह बात कही तो मुझे भी कुछ वैसे ही अपमान का अनुभव हुआ । यह तो मैं नहीं कहता कि यही कुछ कहने से उनका मतलब था । परन्तु मुझे कुछ-कुछ ऐसा ही आभास हुआ । इस कारण से कि 'समुचित प्रौद्योगिकी' का पाठ तो गांधी जी ने पढ़ाया था, तो उसी बात पर अचानक मेरा ध्यान गया । चर्खा और बैलगाड़ी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी हैं । देश में सड़क वाहनों और रेलों के डिब्बों से कहीं अधिक बैल गाड़ियों की संख्या है । आपके देश के समस्त विद्युत स्टेशनों द्वारा जितनी विद्युत का उत्पादन होता है उससे कहीं अधिक उत्पादन तो बैलगाड़ियों द्वारा किया जाता है । 'समुचित प्रौद्योगिकी' आखिर है क्या ? मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि श्री वेंकटरमन ने ऐसा अतिरंजित वक्तव्य दिया कैसे ? यह बात तो मेरी समझ में आ जाती, यदि जो वे 'समुचित प्रौद्योगिकी' पर बहस की मांग करते । मैं तो इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार हूं, परन्तु श्री वेंकटरामन ने ऐसा अति-रंजित वक्तव्य दे डाला, जिसकी उनसे बिल्कुल भी आशा नहीं की जा सकती । मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि इससे मैं बुरी तरह से हतप्रभ हुआ और मुझे तब गहरा आघात पहुँचा जब उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया ।

महोदय माननीय सदस्यों ने अनेकानेक मुद्दे उठाए हैं और मैं उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर तत्परता से विचार करूंगा । श्री कोलनथाइवेलू द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तो मैं पहले से ही उत्तर दे चुका हूं । श्रीमती पार्वती देवी ने लद्दाख के विकास की समस्याओं का जिक्र किया है । प्रश्न-काल में, कल मैं पहले ही उस पर विचार प्रकट कर चुका हूं और मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देता हूं कि जब इस वर्ष के दौरान हम अपने बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विचार करेंगे तो, मन्त्रालय की कार्यसूची में लद्दाख को भी अवश्यमेव सम्मिलित किया जाएगा । श्री कचरूलाल हेमराज जैन ने फैरो मैंगनीज संयन्त्रों की और जिन परिस्थितियों में वहां मजदूरों-कामगरों को काम करना पड़ता है, उनकी भी बात उठाई है । सरकारी नियन्त्रण में लेने के बारे में, मेरे विचारों से सभी भली भांति परिचित हैं । यदि यह कोई साधारण मामला होता तो, वास्तव में ही बात दूसरी होती । लेकिन यह कोई ऐसी साधा-रण समस्या नहीं है कि इसे सरकारी नियन्त्रण में लिया जा सके । मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य क्षेत्रों, आधारभूत क्षेत्रों और अग्रताओं की स्थिति को समझेंगे । राष्ट्रीयकरण की बात करने से पूर्व, इन प्रश्नों पर विचार करना होगा । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि तत्काल तो इस बात की आवश्यकता है कि फैरो मैंगनीज संयंत्रों के स्वामियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाना बन्द हो । उन्होंने बालाघाट में कागज की मिल की भी बात उठाई है । अब तो हम उस कागज उद्योग के स्वरूप और परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें हमें अगले पांच वर्षों में चालू करना है और उस अवस्था में, मुझे आशा है कि बालाघाट भी उन परियोजनाओं में से एक होगी, जिन पर विचार किया जाना है ।

श्रीमती जयलक्ष्मी ने 'विमको' की बात उठाई है : मैं उसके बारे में पहले ही बता चुका

हूं। परन्तु वे इस आशय का स्पष्ट उत्तर चाहती हैं कि क्या मैंने स्थिति की जांच के लिए पहले से ही आदेश दे दिये हैं। जैसे ही कुछ दिन पहले मैंने 'बिजनैस स्टैन्डर्डस' में इस रिपोर्ट को पढ़ा, जिसमें औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम का भी जिक्र किया गया था, तो मैंने शिवकाशी उद्योग के समस्त ढ़ांचे, गठन की जांच करने के लिए कहा और जैसे ही शिवकाशी की हालत के बारे में मुझे कोई रिपोर्ट मिलती है, मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा। महोदय, उन्होंने हथ-करघा, के लिए सुलभ-ऋणों की बात भी उठाई है। जिस प्रकार का बढ़ावा हथकर्घा उद्योग को हमने दिया है उसके बारे में तो मैं पहले ही विस्तार से बता चुका हूं और मैं माननीय सदस्या को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि धन अब कोई बाधा नहीं रह गया है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जहां कहीं भी विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र का सम्बन्ध है, धन कोई अवरोध न खड़ा करे, फिर चाहे यह हथकर्घा हो या हस्तकला हो अन्यथा फिर चाहे यह ग्रामीण हो या घरेलू कोई भी वस्तु हो, धन को इसके आड़े नहीं आना दिया जाना चाहिए। सभी प्रकार का धन उपलब्ध कराया जाएगा और सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। श्री वेगाराम चौहान ने कपास की कीमतों की बात कही। और मैं उन्हें तथा उन अन्य सदस्यों को, जिन्होंने कपास की कीमत के प्रश्न को उठाया है, यह सूचित करना चाहता हूं कि प्रथमतः हमने, इस वर्ष कपास की 15 लाख गांठों को खरीदने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कपास निगम प्रथम बार, इस वर्ष, कपास का एक बड़ा भण्डार तैयार कर रहा है। हमने कुछ कपास के निर्यात की भी अनुमति दे दी है। जो कुछ भी उपाय हमने अब तक किए हैं, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि उनसे कपास की कीमतों में स्थिरता आई है। महाराष्ट्र कपास खरीद एकाधिकार योजना के सन्दर्भ में, आजकल एक चर्चा यह चल रही है कि हम भविष्य में कौन सी खरीद नीति अपनाएं। मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि चालू वर्ष में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर, मेरा मन्त्रालय इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रखेगा कि कपास उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरे मन्त्रालय को मिल-मालिकों से कहीं बढ़कर कपास उत्पादकों की चिन्ता है, क्योंकि कपास उत्पादक संख्या में अधिक और कमजोर हैं और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। हम इस काम में जुटे हैं।

श्री सुन्ना साहिब ने पिछड़ेपन का प्रश्न उठाया और अन्य राज्यों के अनेक सदस्यों ने भी यह सुझाव रखा है कि उनके जिलों को पिछड़ा घोषित कर दिया जाये। कर्नाटक, केरल, मध्य-प्रदेश, राजस्थान आदि के सभी माननीय सदस्य अनेक जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित करने की मांग कर रहे थे। कर्नाटक के माननीय सदस्य तो, कर्नाटक सरकार द्वारा इकतालीस क्षेत्रों को पिछड़ा घोषित करने के लिए भेजे गए इकतालीस प्रस्तावों का हवाला दे रहे थे। कर्नाटक के उद्योग मन्त्री की उपस्थिति में, जब कर्नाटक के सांसदों के साथ मेरी बैठक हुई तो यह मामला उस समय भी उठाया गया था। मैंने तब यह बात कही थी कि पहले तो मुझे उन क्षेत्रों को पिछड़ घोषित करने का कोई प्राधिकार ही नहीं है जिन्हें वे मुझ से घोषित करवाना चाहते हैं। मैंने दूसरी बात यह कही थी कि पिछड़ेपन की यह संकल्पना उद्भूत कहां से हुई? केन्द्रीय सरकार को योजना आयोग ने एक प्रस्ताव भेजा था। फिर, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से यह पूछा था कि वे पिछड़े घोषित किए जाने वाले जिलों के नाम उसे बताएं। परिणामस्वरूप राज्य सरकारों की सिफारिशों पर प्रत्येक राज्य में से छह जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया। ऐसा पांच या छः

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

वर्ष पूर्व किया गया था। आज यदि इसमें परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है तो इस पर राज्य के मुख्य मन्त्रियों से बातचीत करने की आवश्यकता है। इस पर मैंने अभी हाल ही में योजना आयोग से विचार-विमर्श किया था और मुझे आशा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की आगामी बैठक में इस मद को कार्यसूची में रखना सम्भव हो सकेगा, जिससे कि हम हमेशा के लिए यह निर्णय ले सकें कि वे कौन से परिमाप हैं जिनके अन्तर्गत यह निश्चित किया जा सके कि कौन से जिले पिछड़े हुए हैं और कौन से नहीं तथा वे कौन सी आर्थिक सहायताएं जो पिछड़े जिलों को दी जानी चाहिएं ? उन जिलों की क्या स्थिति है, जिनको अब तक पिछड़े जिलों के नाते आर्थिक सहायता मिलती रही है ? क्यों न उन जिलों पर विचार किया जाए जिनको अब तक पिछड़ा घोषित नहीं किया गया।

जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जब मैं कर्नाटक के संसद सदस्यों से मिला था तब भी मैंने यह बात कही थी कि उन्होंने इकतालीस क्षेत्र गिनाए हैं। प्रत्येक क्षेत्र मंगलौर, उदीपी, मैसूर, देवानगेरे, हुबली, धारवाड़ जैसे बड़े नगरों के चारों ओर पड़ता है और उनकी यह मांग थी कि इन नगरों के इर्द-गिर्द चारों ओर फैले इन तालुकों को पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया जाये। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायक नहीं हो सकता। फिर भी, जैसा कि मैंने कहा है, हम इस मामले का परीक्षण योजना आयोग से करायेंगे और उसके बाद मुख्य मन्त्री महोदय से सलाह लेकर यदि इस पर कोई नया निर्णय लेने की आवश्यकता जान पड़ी तो, हम उस पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्य ने केरल के अखबारी-कागज एकक को चालू करने की भी बात उठाई। हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक वह एकक चालू हो जाऐगा। समस्याएं तो हैं परन्तु ये समस्याएं मजदूरों के अपने बीच की हैं। प्रत्येक मजदूर या प्रत्येक दल श्रमिकों का ठेका लेने के लिए, अपनी स्वयं की सहकारी-समिति गठित करना चाहता है। यह एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राज्य सरकार ने इस मामले में हमें सहयोग दिया है और मुझे आशा है कि इस बात के अन्त तक हम उस एकक को चालू करने में सफल होंगे। उन्होंने एक यह भी बात उठाई थी कि केरल में सरकारी क्षेत्र का कोई भी एकक नहीं है।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : ऐसा किसने कहा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री सुन्ना साहिब ने।

श्री वयालार रवि : उनके अपने चुनाव-क्षेत्र में ही दो या तीन हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हां, निर्माणाधीन सीमेन्ट एकक के अतिरिक्त, वहां पर उपकरण एकक, आई० टी० आई० तथा कलामैसरी में एच० एम० टी० एकक हैं, कन्नूर में एच० एम० टी० घड़ी एकक तैयार हो रहा है और समुद्री जहाज बनाने का नया यार्ड बनकर तैयार हो रहा है। सुप्रसिद्ध एच० पी० सी० अखबारी कागज का एकक वहां लगने जा रहा है। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि हम वह सब कुछ कर रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता है।

श्री मनोहर लाल ने टी० ए० एफ० सी० ओ० जयपुर उद्योग और कैलाश मिल्स की बात

उठाई। टाफको एक सुन्दर एकक है, परन्तु है यह बहुत ही खराब हालत में। हमें हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है और विशेषकर वहां के श्रमिक-संघों के सहयोग की आवश्यकता है। इसको ठीक करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम सभी बातों पर जोर दे रहे हैं। जहां तक जयपुर उद्योग और कैलाश-मिल्स का प्रश्न है मामला आजकल सरकार के विचाराधीन है। और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में रचनात्मक निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा।

श्री राचैया ने घड़ियों के आयात की बात कही। हमें घड़ियों के आयात की आवश्यकता है, क्योंकि घड़ियों की तस्करी होती है और हम केवल घडियों की तस्करी को रोकने के लिए ही उनका आयात करते हैं। मुझे यह पूरा विश्वास है कि वे इस बात को समझेंगे।

श्री वयालार रवि : एच० एम० टी० घडियों का उत्पादन कर रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे ही तो घड़ियों का आयात करके उनको बाजार में बेच रहे हैं। और फिर ऐसे दो या तीन मुद्दे हैं जिन्हें विशेषकर कामरेड हल्दर ने उठाया है। श्री हल्दर ने यह बात कही थी कि हम बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रश्रय दे रहे हैं, विशेषकर पश्चिमी जर्मनी की बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को। उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए कि पिछले वर्ष, 273 सहयोगों में से कैसे 73 केवल औद्योगिक मशीनों के लिये थे और शेष वस्तुत: निहितार्थ में गैर-महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए थे। इस देश में, प्रतिवर्ष औसतन लगभग 250 से लेकर 300 तक विदेशी सहयोगों पर समझौता होता रहा है, जिन्हें जार्ज फर्नान्डीस ने नहीं किया था। श्री जार्ज फर्नान्डीस के उद्योग मन्त्रालय में प्रवेश से पूर्व, कुल विदेशी सहयोगों की संख्या, सीमन्स को मिलाकर 5440 थी। पहले की तरह ही, आज भी हमारे पास लगभग 300 आवेदन-पत्र विदेशी सहयोग के लिए हैं, जिन पर साल भर के भीतर-भीतर निर्णय ले लिया जाता है। गत वर्ष हमने 307 और उससे पहले 267 आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया। और अपनी सरकार के अन्तिम वर्ष में उन्होंने 277 मामले निपटाए और अपनी सरकार के अन्तिम वर्ष में, उनकी सरकार ने, 359 आवेदन-पत्रों पर फैसला दिया।

पश्चिमी-जर्मनी के बारे में बार-बार बात उठाई जा रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि पश्चिमी-जर्मनी अथवा पश्चिमी-जर्मनी की तकनीक में क्या खराबी है। मैं उसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि पश्चिमी-जर्मनी की तकनीक से लगातार घृणा की जाती रही है। हम हुगली नदी पर एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। (**व्यवधान**) हुगली पर इस पुल के निर्माण की सलाह का काम ब्रिटेन की एक कम्पनी को सौंपा गया था। गत वर्ष पश्चिमी बंगाल के मुख्य-मंत्री आकर मुझसे मिले और कहा 'हमें पश्चिमी जर्मनी की कम्पनी चाहिए।' उन्होंने पश्चिमी जर्मनी की फर्म से बातचीत की थी और हुगली पर पुल के निर्माण के लिए आज न केवल ब्रिटिश सलाहकारों के कार्य का निरीक्षण करने, अपितु सामग्री और श्रमिक जुटाने वाले प्रत्येक भारतीय के कार्य का निरीक्षण करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी जर्मनी की फर्म की सेवाएं प्राप्त कर ली हैं। क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि श्री ज्योति बसु पश्चिमी-जर्मनी के अभि-कर्त्ता हैं ? क्या मुझे ऐसा मान लेना चाहिये ? क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, इसलिए मैं यह बात जानना चाहता हूँ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : तकनीकी पहलू के बारे में तो हमें कोई शिकायत नहीं है और प्रौद्योगिकी के बारे में भी नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि मार्क्सवादी सरकार पश्चिमी-जर्मनी की प्रौद्योगिकी को अपनाती है तो वह तो राष्ट्र-हित में होता है, परन्तु यदि जनता सरकार पश्चिमी-जर्मनी की प्रौद्योगिकी को चाहती है तो यह राष्ट्र-हित में नहीं होता ? इसमें क्या तुक है ?

श्री वयालार रवि : वे अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन (सोसलिस्ट इंटरनेशनल) को अधिक धन देते हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं । माननीय सदस्य में उच्चकोटि की उत्तरदायित्वहीनता दर्शाने की भारी सामर्थ्य है । अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन पर मुझे गर्व है । अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन ने मेरे देश में स्वतन्त्रता की पुनः स्थापना का संघर्ष किया था । अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन के साथ अपने साहचर्य, जीवन भर के साहचर्य पर मुझे गर्व है । और मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जब उनकी नेता प्रधान मंत्री थीं तो उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन का अंग बनने की जी तोड़ कोशिश की । यह अलग बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन ने उन्हें छांट बाहर किया ।

मैं एक और उदाहरण दूंगा । छिप-छिपकर गोलियां दागने के इस सारे घट रहे मामले में, सब किसी को सदैव के लिए यह जान लेना चाहिए कि कौन क्या है और कौन कहां है ।

आज पश्चिमी-बंगाल सरकार ने इंग्लिस इलेक्ट्रिक से गैस-टरबाइन्स की मांग की है ।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : वे इस बात को यहां क्यों घसीट रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने उनकी आलोचना की है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने एक आरोप लगाया है । मझे उसका उत्तर देना है । **(व्यवधान)**.....

श्री वयालार रवि : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जब कभी भी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप 'व्यवस्था का प्रश्न' ही उठाते हैं ।

श्री वयालार रवि : वह अपनी मांग को प्रस्तुत भी कर रहे हैं और उसको उचित भी ठहरा रहे हैं । उन्हें भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही अपनी बात कहनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : रविजी यह तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आप जानते हैं कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : पश्चिमी-बंगाल सरकार ने एक ब्रिटिश फर्म से 19 करोड़ रुपये का अनुबन्ध किया है और अनुबन्ध के अनुसार ब्रिटिश अभियन्ता न केवल संयन्त्र को खड़ा करने के लिए आ रहे हैं, अपितु उसकी देखरेख के लिए भी आ रहे हैं । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वह मेरी सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है । अब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा । उन्होने कोई आरोप नहीं लगाया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह केवल मात्र एक उदाहरण दे रहे थे। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कोई दोषारोपण नहीं किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : (बी० एच० ई० एल०) ने जो ट्रबाइन्स बनाकर दिये थे, उनका नुकसान हम उठा रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : माननीय सदस्य के साथ बी० एच० ई० एल० पर मैं अलग से बहस करने को तैयार हूँ। पहली बात तो यह है कि केवल बी० एच० ई० एल० ने ही सारे ट्रबाइन्स सप्लाई नहीं किये थे। और दूसरी बात यह है कि यदि माननीय सदस्य सदा ही यह कहते रहे हैं कि बी० एच० ई० एल० वास्तव में ही सुपर है और यह सब कुछ उत्पादित करने में समर्थ है तथा इसे किसी विदेशी सहायता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है तो, अब वे बी० एच० ई० एल० की क्यों शिकायत कर रहे हैं ? वे शिकायत करते हैं, उनमें से हर कोई शिकायत करता है कि वह अयोग्य है, अक्षम है, और यह कार्य पूरा नहीं कर सकता और फिर भी वे सभी मुझसे यही कहते रहते हैं कि किसी प्रकार का विदेशी सहयोग नहीं लेना चाहिए। आप पल-पल में अपनी ही बात को काटते रहते हैं। इस प्रकार परस्पर विरोधी बात की भी कोई सीमा होती है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मन्त्री महोदय तो यह जानते ही हैं कि किस प्रकार परिवर्तनवादी दशक में पश्चिमी-बंगाल और समस्त उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र विद्युत परियोजना की अनुचित आयोजना और कुप्रबन्धन से कष्ट उठाते रहे हैं। हमने तो ऐसी भी स्थिति का सामना किया है और हमें उत्पादन में भी वृद्धि करनी थी।

अध्यक्ष महोदय : वह कोई शिकायत नहीं कर रहे, वह तो केवल यह बात बता रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए तो हमें जनरेटर खरीदने पड़े।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कह रहे हैं वह उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम तो अपनी स्थिति पहले ही भली-भांति स्पष्ट कर चुके हैं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इसका स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। मैं कामरेड ज्योति बसु को पश्चिमी-जर्मनी का अभिकर्त्ता नहीं बता रहा हूं और न ही उन्हें कोई ब्रिटिश अभिकर्त्ता का नाम दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि वह एक ऐसे सच्चे राष्ट्रवादी हैं जो पश्चिमी-बंगाल तथा देश के हित में कार्य कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए, नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह तो अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कामरेड ज्योति बसु एक विलक्षण कार्य कर रहे हैं, जिसमें उन्हें इन ट्रबाइन्स के आयात की आवश्यकता

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

है और उन्हें ब्रिटेन से आयात करना जरूरी है और हुगली के पुल का निरीक्षण करने के लिए उन्हें पश्चिमी-जर्मनी का सहयोग चाहिए। मुझे पूर्णतया विश्वास है कि कामरेड ज्योति बसु उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी-बंगाल के सर्वोच्च हित में कार्य कर रहे हैं। मैं भी केवल यही बात कह रहा हूं कि जैसे कामरेड ज्योति बसु राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं मैं भी वैसे ही राष्ट्र के सर्वोच्च हित में कार्य कर रहा हूँ। दोहरे मानक मत अपनाइए। (**व्यवधान**)

अब मैं कामरेड हल्दर की दूसरी बात को लेता हूँ। उनका कहना है कि 273 सहयोगों में से, औद्योगिक मशीनों के लिए केवल 73 ही किये गए। क्या मैं कामरेड हल्दर को यह बता सकता हूँ, क्या मैं उनसे यह निवेदन कर सकता हूँ कि वे विदेशी सहयोग की उद्योग-दर-उद्योग सूची को पढ़ें, जहां वे पायेंगे कि प्रदान किया गया प्रत्येक सहयोग, जो भी हमने स्वीकृत किया है, वह मौसम विज्ञान सम्बन्धी उद्योग, बायलर, सीमेंट संयन्त्र, विद्युत उपकरणों, परिवहन, औद्योगिक मशीनों, मशीनों के औजार, रसायनों और उर्वरक के क्षेत्र में किया गया है। मेरे पास जब मैं 1969 में संसद में था उस समय के आंकड़े भी हैं, उसके बाद 1971 से आगे जब मैं विपक्ष में था और 1975-76 में भी, जब मैं जेल में था तथा पिछले दो वर्षों के जबसे मैं सरकार में हूँ — इन सबके आंकड़े मेरे पास हैं। यही वे क्षेत्र है जिनमें सहयोग लिया गया है। हमने आइस्क्रीम और चोली जैसी उपभोगता वस्तुओं को बनाने के लिए सहयोग नहीं दिया।

एक माननीय सदस्य : होटल उद्योग के बारे में क्या विचार है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि पिछले 15-20 वर्षों से होटल उद्योग में सहयोग लिया जाता रहा है। मैंने तो केवल मात्र यही किया है कि मैं अपनी अपनाई गई नीति में भेदभाव नहीं बरतता। मेरा मस्तिष्क भेदभाव पूर्ण नहीं है यदि सहयोग लिए जाते रहे हैं यदि टाटा परिवार को सहयोग की आवश्यकता अनुभव होती है, ओबराय को सहयोग की आवश्यता अनुभव होती है और यदि कोई नया वर्ग पनप रहा हो और उसे भी सहयोग की आवश्यकता अनुभव हो रही हो तो मैं यह नहीं कह सकता कि टाटा और ओबराय तो इसे प्राप्त कर सकते हैं और अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैं इस ढंग से भेदभाव नहीं बरत सकता।

एक और भी बात है जो सदन में भी और इसके बाहर भी बार-बार मेरे सामने लाई गई है और उसका सम्बन्ध बी० एच० ई० एल० के भूतपूर्व चेयरमैन श्री राघवन से है। मुझे अनेक कारणों से श्री राघवन को निकाल बाहर करना चाहिए था और बहुत से लोग इस बारे में बातें भी करते रहे हैं, लेकिन मैं इस पर उचित समय पर ही निर्णय लूंगा। क्योंकि कामरेड हल्दर ने इस दूसरे मुद्दे को उठाया है तो मैं सदैव-सदैव के लिए इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हर कोई जानता है कि मैंने श्री राघवन को कभी भी कोई अच्छा नाम नहीं दिया और न ही उन्हें 15 दिन के बाद निकाल बाहर किया···(**व्यवधान**) कृपया मेरी बात शान्ति से सुनिए, सामर्थ्य तो बहुत है, इस प्रकार चिल्लाने की, कुछ वक्तव्य देने की सामर्थ्य तो लोगों में बहुत है···। (**व्यवधान**)

गत वर्ष मेरे मन्त्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान, इन्हीं दिनों में, जबकि देश में इस बात पर बहुत ही होहल्ला मचा हुआ था कि निजी क्षेत्र के उच्च प्रबन्धकों

के वेतन में कटौती न की जाए, क्योंकि उनके लिए केवल यही एकमात्र प्रलोभन उपलब्ध था तथा मैंने गत वर्ष बहस का उत्तर देते समय यह बात कही थी :

"एकमात्र मुद्दा यह है कि प्रलोभन क्या है ? प्रलोभन के बिना तो ऐसा लगता है कि वे कुछ नहीं कर सकते। हम इस बात पर विचार-विमर्श करते रहे हैं कि क्या कम्पनियों आदि के निदेशकों और उच्च अधिकारियों के वेतनों का किसी न किसी प्रकार का सीमांकन होना चाहिए। इस पर विचार-विमर्श किया जा चुका है। सरकार इस पर कुछ नीति निर्धारित कर रही है। इसमें कुछ समय लगेगा। यह मजदूरी, आमदनी और मूल्य नीति से सम्बन्धित है। परन्तु इस देश के सामुहिक क्षेत्रों में सब ओर भय व्याप्त है। सरकारी क्षेत्र को प्रलोभन नहीं दिये जाते। हमने वेतन की उच्चतम सीमा निर्धारित की हुई है अर्थात 3500 रुपए। मैं तो निजी क्षेत्र में सदैव इस बात को उठाता हूं। 'बी० एच० ई० एल०' में इस वर्ष 550 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है और लाभ लगभग हुआ है 75 करोड़ रुपए का। यह है भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड का काम, चाहे लोगों की शिकायतें कुछ भी हों। आप इसके मुख्य कार्यकारी को 3500 रु० या 4000 रु० प्रतिमास दे रहे हैं और वह बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके विपरीत प्राइवेट कम्पनियों का, जिन्हें आयात प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन सभी प्रकार के प्रोत्साहन मिल रहे हैं, कहना है कि उनका चेयरमैन प्रबन्ध निदेशक तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक उसे 15,000 या 20,000 रु० न दिए जाएं। इस सारी व्यवस्था को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।"

श्री वयालार रवि : यदि आपको जरूरत हो तो भाषण की प्रति मेरे पास है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप प्रमाणपत्र पेश करें। मुझे सभा में और सभा से बाहर यह कहते बताया गया है कि मैंने श्री राघवन को अच्छा काम करने का प्रमाणपत्र दिया है और फिर उन्हें निकाल बाहर किया है। आप उस प्रमाणपत्र को पेश करें।

यह अंतिम मुद्दा है जिस पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा। यह कोई तरीका नहीं है। आप पहले ही डेढ़ घण्टा ले चुके हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्रीमती पार्वती कृष्णन् और श्री वेदव्रत बरुआ ने दो बातें कही हैं। श्री बरुआ यहां नहीं दिखाई पड़ रहे। श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने जॉन मॉरले की बात कही। वह कैम्ब्रिज से पढ़ी हैं और जॉन मॉरले का उद्धरण दिया है। आपने कहा कि राजनीतिज्ञ की सही स्मृति वह है जिसमें वह यह जानता हो कि किस बात को भुला दिया जाए और किस बात को याद रखा जाए। इस सलाह पर श्रीमती कृष्णन स्वयं अमल करें। आपको कुछ बातें याद करने की जरूरत है और तानाशाह को अपना समर्थन देने की बात को भूलना होगा। आपको मेरे दोस्त श्री एस० ए० डांगे के उस वक्तव्य को भूलना होगा जिसमें उन्होंने कहा : "आपात-स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है जबकि बोनस उतना महत्वपूर्ण नहीं है।" राजनीतिज्ञ वक्तव्य देते हैं कि उन्हें किस बात को भूल जाना चाहिए और किसे याद रखना चाहिए। मुझे कुछ भी भूलना नहीं है। मैं कुछ मूल्यों और कतिपय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सिद्धान्तों में विश्वास रखता हूं। मैं उन पर विश्वास करता रहूंगा। दल में, सरकार में, देश में मेरे लिए समस्याएं

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

हो सकती हैं पर मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने पिछले वर्षों में देश के लोगों की सेवा करने के बारे में जो कुछ सीखा है उसे कभी नहीं भूलूंगा। माननीय सदस्या ने कई अन्य बातों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में बिजली का संकट पैदा हुआ तब हम चिन्तित नहीं हुए। तमिलनाडु के सम्बन्ध में भी मैंने कुछ नहीं किया अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल उठाया गया था। मेरे दोस्त श्री ननजेश गौडा ने कर्नाटक में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया। सुबह जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण पर चर्चा हुई। तब सदस्यों ने जिस प्रकार अपनी आवाज उठाई वह देखने लायक दृश्य था। मुझसे कहा गया कि मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड हैं। मैं उनकी हर किस्म की सहायता करने को तैयार हूं। राज्य सरकारों ने जो भी सहायता मांगी मैंने उसकी व्यवस्था की। मेरा मन्त्रालय पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में सहयोग कर रहा है। मैंने पांच-छः बार वहां के मुख्य मन्त्री, वित्त मंत्री और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श किया है। मैंने भा० हे० इ० लि० से योग्यतम अधिकारी वहां भेजा। मैंने इसके सचिव को वहां भेजा। वह वहां गए और मुख्य मंत्री से मिले और उन्होंने जो भी सहायता मांगी हमने वह दी। श्री हल्दर ने कहा कि पटसन मिलों में हड़ताल हुई। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि उन्हें मेरी सहायता की जरूरत है। मैंने उन्हें जबानी, व्यक्तिगत रूप से तथा लिखित रूप से तीन बार पूछा कि उनको क्या सहायता चाहिए। पर फिर भी मेरे विरुद्ध.....**(व्यवधान)**

कामरेड, जब कामरेड हल्दर ने कल अपना भाषण दिया तो आप उपस्थिति नहीं थे। उन्होंने इस विषय पर मेरी आलोचना की थी। **(व्यवधान)** तब आप अपने सदस्य को समझाएं उन्हें शिक्षित करें। **(व्यवधान)**। मेरे दोस्त श्री वेदव्रत बरुआ ने एक दिलचस्प मुद्दा उठाया है। उन्होंने उद्योग मन्त्रालय को छोड़कर सभी मन्त्रालयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम अनाज, नमक, सीमेंट और हर चीज का आयात कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम नमक का आयात नहीं कर रहे हैं। हम नमक के निर्यात के लिए बाजार ढूंढ रहे हैं। हमारे यहां नमक का काफी अच्छा उत्पादन हुआ है। हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं न कि आयात। हम रूस से तेल खरीदते हैं और उसके बदले चावल बेचते हैं, पहली बार योरुप से हमारा गेहूं खरीदने की पेशकश आयी है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम गेहूं बेचने की स्थिति में हैं। हम अनाज बाजारों में बेच रहे हैं खरीद नहीं रहे।

श्री बरुआ हमेशा ही गड़बड़ में पड़े रहते हैं उनके पास सदैव गलत जानकारी होती है। इस समय भी वह यहां नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि फिलिप्स अपनी क्षमता से 300 प्रतिशत अधिक उत्पादन कर रहे हैं। हां, जब आप सरकार में थे तब यह हुआ था। मैं आपको बताऊं कि कारण बताओ नोटिस के अलावा मैंने और क्या किया? हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने हंगरी के तुंगसराय के साथ सहयोग समझौता किया है। शीघ्र ही एच० एम० टी० तुंगसराय भारत की सबसे बड़ी बल्ब उत्पादक फैक्ट्री होगी। हम देश में जो विदेशी एकाधिकारी हैं उन्हें शनैः-शनैः समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जब आप सरकार में थे तो आपने उनको और समृद्ध होने दिया। बहुत कुछ बेबुनियाद आलोचना हुई है।

राजनीतिक आलोचना की गई है। विशेष रूप से श्री हल्दर ने इस प्रकार की आलोचना की है। मैं नहीं जानता.....

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मेरे रचनात्मक मुद्दे का क्या हुआ ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने आपकी सभी रचनात्मक बातें मान ली हैं यहां तक कि श्री हल्दर की बातें भी मान ली हैं।

सदन के बाहर जो इनकी समस्याएं हैं और जिन समस्याओं के लिए इन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, वे समस्याएं ही नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कल कामरेड हलधर को क्या हुआ था। उन्होंने अचानक विषय बदल दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि मैंने बालमेर लारी की फाइल पर लिख दिया है कि मजदूरों को भुगतान न किया जाए और इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने शिकायत की थी तथा यूनियनों ने सार्वजनिक वक्तव्य दिए हैं। मेरा बालमेर लारी से कोई सम्बन्ध नहीं है। बालमेर लारी पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री और उद्योग मन्त्री के प्रशासनिक नियन्त्रण में आता है। किसी प्रकार वे कल मुझ से खिन्न हो गए और उन्होंने मेरी वामपन्थी, दक्षिणपन्थी या मध्यपन्थी कहकर आलोचना की मेरे विचार में मैंने सभी मुद्दों में...

मैं अब अन्तिम विचार प्रकट करूंगा और बाद में समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि उद्योग मन्त्रालय ने पिछले वर्ष शानदार काम किया है मुझे मंत्रालय, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और इस क्षेत्र के व्यक्तियों पर गर्व है। मुझे मजदूरों पर और वास्तव में तमाम औद्योगिक विश्व पर जिसके कारण उत्पादन हो सका और 8% की विकास दर प्राप्त हो सकी गर्व है। हमारे द्वारा स्थापित और स्थापित किए जाने वाले विभिन्न मैकेनिजम के द्वारा हमारा प्रयत्न औद्योगिक विकास पर निगरानी रखना होगा ताकि कठिनाइयों को दूर किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा वर्ष में औद्योगिक उत्पादन न केवल पिछले वर्ष के स्तर तक बना रहे बल्कि उसमें सुधार भी हो। इस कार्य के लिए मैं सदन का तथा उन सभी व्यक्तियों का समर्थन चाहता हूँ जो देश के औद्योगिक विकास के विषय में चिन्तित हैं। महोदय, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि सभी माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापस ले लेंगे और मेरे मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करेंगे। (समाप्त)

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : पहले भी हम लगभग दो घण्टे इसमें लगा चुके हैं। मुझे खेद है कि मैं और किसी प्रश्न को अनुमति नहीं दे सकता।

इससे पूर्व कि मैं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करूं.....**(व्यवधान)** हमने लगभग 1 घण्टा 45 मिनट इस पर लगा दिए हैं। एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय—वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय अभी रहता है अब इसकी मांगों पर चर्चा होगी। **(व्यवधान)**

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : मैंने जो मुद्दे उठाए थे उनका इन्होंने अभी उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वे सभी मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकते। मुझे खेद है। (**व्यवधान**)। अच्छा ठीक है, मैं सभी को एक-एक मिनट देता हूँ।

श्री आर० वेंकटरमन् (मद्रास दक्षिण) : उपयुक्त तकनीक के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने मेरे भाषण के केवल एक अंश को उद्धृत किया है और एक गलत धारणा पैदा कर दी है। पूर्ण पाठ इस प्रकार है।

"अत: हमें इस सम्बन्ध में बहुत ही सावधान होना चाहिए और औद्योगिक के चुनाव में हमें स्वयं निर्णय लेना चाहिए और इस प्रकार हम स्वयं निर्णय ले सकेंगे कि हमारे लिए उचित क्या है और हमें इन लोगों के पीछे नहीं चलना पड़ेगा।"

मैंने यह कहा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने जो कहा था उसे पृष्ठ 25579 पर पढ़िए। (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरमन् : पूरे भाषण को पढ़ो।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरे भाषण को पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आर० वेंकटरमन् : मैंने कहा था कि पश्चिमी देश एक ऐसे दर्शन का प्रचार कर रहे हैं जो हमारे हितों के प्रतिकूल है। अत: मैंने यह कहा था कि हमें स्वयं निर्णय लेने चाहिए। मैंने यही कहा था।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम) : उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वहां कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है। वाणिज्य मन्त्री भी यहां उपस्थित हैं। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड उनके मन्त्रालय के अधीन आता है। पिछले 16 वर्षों से 23 प्रशिक्षण केन्द्र और 11 उप-केन्द्र हस्तशिल्प में प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य पर अड़े रहेंगे या इसे ठीक करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जहां मुझे सुधार करना आवश्यक होगा मैं करूंगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मन्त्री महोदय ने दावा किया है कि वे मुझे उत्तर दे रहे थे। मैंने तो उन्हें डोल पीटने से बाज आने के लिए कहा था जिसका उन्होंने आज बहुत प्रदर्शन किया है। परन्तु मुद्दा यह है कि जब वे लघु उद्योगों के सम्बन्ध में डोल पीटने में लगे थे तब उन्होंने मेरे द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर नहीं दिया। वास्तव में उन्होंने स्वयं का खूब प्रदर्शन किया और सिद्ध कर दिया कि वे ठीक हैं, जूता चुभता गया और वे चलते गए। परन्तु लघु उद्योगों का क्या हुआ ? उनके लिए जो संरक्षण आवश्यक है, उनका क्या हुआ ? कच्चे माल के सम्बन्ध में क्या हुआ ? विघटन सुविधाओं के सम्बन्ध में क्या हुआ ? विद्यमान विभिन्न वित्तीय अभावों के सम्बन्ध में क्या हुआ ? उन्होंने बहुत से आंकड़ों को सफलतापूर्वक पढ़ डाला है। परन्तु मैंने प्रश्न उठाया था कि लघु उद्योगों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं हैं। उत्पादन आंकड़े कहां हैं ? अत: मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे डोल ही न पीटते रहें बल्कि हमने जो आंकड़े मांगे हैं, उन्हें दें।

श्रीमती वी० जयालक्ष्मी : मैंने 3 प्रश्न उठाये थे । क्या मन्त्री महोदय 'बी' क्षेत्र में माचिस के कारखानों के लिए उत्पादन सीमा निर्धारित करेंगे ? क्या रेल मन्त्रालय से सिफारिश करेंगे कि वेगन आवंटन करते समय 'ई' श्रेणी से 'सी' श्रेणी कर दिया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उनका दायित्व है ।

श्रीमती वी० जयालक्ष्मी : यह उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत ही तो आता है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : माननीय सदस्यों का कहना ठीक ही है क्योंकि उन्होंने बहुत से प्रश्न उठाये हैं परन्तु मैं समय के अभाव के कारण उनका उत्तर नहीं दे सका हूं ।

जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र को कच्चा माल सप्लाई करने का प्रश्न है, उसके बारे में हमने निश्चय ही कुछ कदम उठाये हैं। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं और उन आंकड़ों के आधार पर मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं कि पिछले दो वर्षों के दौरान लघु क्षेत्र के लिए उपलब्ध करवाये जाने वाले इस्पात में 200 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है । यह तो हमने कर दिया है तथा इसके साथ ही हम अन्य समस्याओं से भी निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक 'बी' क्षेत्र में माचिसों के उत्पादन तथा माल डिब्बे आदि उपलब्ध करवाने सम्बन्धी समस्याओं का सम्बन्ध है, जो कि इस क्षेत्र के कारण विकेन्द्रीकरण उत्पन्न हो गई है, इन सभी पर विचार किया जा रहा है और उनका निपटारा भी सही ढंग से किया जायेगा ।

यदि मैं कुछ माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया हूं तो उन्हें मैं पत्र लिखकर उत्तर दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए रखूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता है । अब मैं बारी-बारी से सदस्यों के नाम बुलाऊंगा । अब मैं श्री धीरेन्द्र नाथ बसु के कटौती प्रस्ताव संख्या 4 से 10, 46 से 48, 64 से 67, 69 से 73 तथा 80 से 83 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजगोपाल नायडू क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू : कटौती प्रस्ताव संख्या 56 को छोड़ कर मैं अन्य वापिस लेता हूं । मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 49 से 55, 57 से 59, 74 से 78 तथा 85 सभा की अनुमति से वापिस लेता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस ले लिए गए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी० राजगोपाल नायडू का कटौती प्रस्ताव संख्या 56 सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रोबिन सेन के कटौती प्रस्ताव संख्या 60 से 62, 86, 92 तथा 93 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भगत राम के कटौती प्रस्ताव संख्या 87 से 91 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए० के० साहा के कटौती प्रस्ताव संख्या 169, 179, 183 तथा 184 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 170 से 178, 180 से 182, 185 से 188 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी० के० कोडियन के कटौती प्रस्ताव संख्या 189 से 217 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई उद्योग मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 58 से 61 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपये
	उद्योग मन्त्रालय		
58.	उद्योग मंत्रालय	68,17,000	
59.	उद्योग	3,54,33,000	42,42,80,000
60.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	15,06,18,000	17,38,99,000
61.	वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प	20,93,02,000	9,31,57,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय से सम्बद्ध मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा जिसके लिए 6 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है। ये मांगें निम्नलिखित हैं :

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
11.	वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	30,66,000	
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	62,12,04,000	56,00,40,000
13.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता	3,53,14,000	4,47,83,000

जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि चाहें तो अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या दर्शाते हुए एक चिट 15 मिनट के अन्दर-अन्दर सभा पटल पर भेज सकते हैं। जिन कटौती प्रस्तावों के बारे में इस प्रकार की सूचना दे दी जायेगी केवल उन्हें ही पेश किए गए समझा जायेगा।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मन्त्रालय है जिसका सम्बन्ध देश के लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं से है। यदि ये मन्त्रालय अपने कार्यकरण में असफल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि सरकार असफल हो जाती है। गृह-मन्त्रालय के अलावा यदि और कोई मन्त्रालय अपने कार्यकरण में असफल हो जाये तो फिर भी सरकार का कार्य कुछ दिन के लिए चल सकता है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए

इस मन्त्रालय का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों अर्थात् वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता से है। इस मन्त्रालय का कार्यभार बहुत ही सकुशल तथा गतिशील व्यक्तित्व वाले मंत्री श्री मोहन धारिया सम्भाले हुए हैं। यह ठीक है कि उन्होंने इस मन्त्रालय के कार्यकरण के सम्बन्ध में बहुत ही गतिशील नीतियां अपनाई हैं तथा वह कुछ क्षेत्रों में काफी सफल रहे हैं परन्तु इसके साथ ही कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कि वह सफल रहे हैं।

इससे पहले कि मैं इस मन्त्रालय से सम्बद्ध अन्य पहलुओं के बारे में कुछ कहूं मैं कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि सुनने में ऐसी लगेगी जैसे कि मैं कोई राजनैतिक भाषण दे रहा हूं। परन्तु जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वह उससे सम्बद्ध ही है यद्यपि मेरी कही हुई बातें सरकार में बैठे लोगों को असम्बद्ध ही लगें।

हमारी वर्तमान सरकार के शासन काल में भुखमरी, बेरोजगारी अत्यावश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक ढंग से बांटना, परिवार नियोजन तथा आर्थिक विकास जैसी समस्याएं गौण महत्व की हो गई हैं जबकि इनके स्थान पर देश में मजदूर संघ झगड़ों, शशस्त्र डकैतियों, विद्यार्थी असंतोष, षडयंत्र तथा गोलीबारी की घटनाओं का बोलबाला हो रहा है।

आज जनता पार्टी का हर आदमी यही दावा कर रहा है कि जनता पार्टी ने देश में लोकतंत्र बहाल कर दिया है तथा लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी है इस संदर्भ में मैं तो सोचता हूं कि हमारे देश के लिए लोकतन्त्र का लक्षण फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता है। आज वास्तविक स्थिति यह है कि जनता सरकार केवल लोगों की सरकार लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार न रहकर केवल जनता पार्टी के हितों के लिए कार्य करने वाली जनता सरकार बनकर रह गई है। यह सब कुछ मैं केवल आरोप लगाने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं अपितु यह कहते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है लोग उससे खुश नहीं हैं। आज के समाचार पत्रों को ही देखिए, उनमें क्या लिखा है ?

"तीन राज्यों में संकट के बादल"

जैसे कि पिछले 24 घण्टों से बिहार में चल रहा है वैसे ही जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार की रात से घोर संकट के बादल छा गये हैं। जनसंघी मुख्य मंत्री श्री शांता कुमार का विरोध करने वाले तीन मंत्रियों ने अपने त्याग पत्र दे दिये हैं।

पटना में भी रातों-रात संकट और गम्भीर हो गया है। ज्योंहि कार्यकारी राज्यपाल ने 13 मन्त्रियों तथा 3 संसदीय सचिवों के त्यागपत्र स्वीकार किये उसके शीघ्र बाद 3 अन्य संसदीय सचिवों ने भी त्यागपत्र दे दिया, इसके परिणामस्वरूप श्री कर्पूरी ठाकुर की स्थिति और भी शोचनीय हो गई।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : इस समय वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जा रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उसी पर आ रहा हूं ।

"शिमला में श्री शांताकुमार की तरह ही श्री ठाकुर को भी गुरुवार को हुई जनता विधायी दल का विश्वास प्राप्त करना है ।

परन्तु ये और भी खेद की बात है कि ये राजनैतिक हथकण्डे केवल इन दो राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं । जनता सरकार द्वारा शासित अन्य राज्यों में भी गड़बड़ चल रही है परन्तु अभी तक वहां शक्ति परीक्षण करवाने के कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं ।"

सभापति महोदय : इन सब बातों से आपका क्या तात्पर्य है ? आप इस प्रकार समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज...(**व्यवधान**)

मैं जानता हूं कि सदन में अनुदानों पर विचार किया जा रहा है । क्या आप यह नहीं जानते कि आज देश में संकट है ? प्रश्न यह है कि क्या इस मन्त्रालय सहित भारत सरकार इन परिस्थितियों में सकुशल ढंग से देश का प्रशासन चला सकती है ? इसलिए मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि आये दिन जनता पार्टी के आन्तरिक संकट की बात होती रहती है । इस संकट से.....(**व्यवधान**) इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि.....

श्री पवित्र मोहन प्रधान : इसका चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री जनार्दन पुजारी : देश को किसी प्रकार का दिशानिदेश नहीं दिया जा रहा है । अत: इन परिस्थितियों में यह सम्बद्ध है या असम्बद्ध इस पर विचार करना आपका काम है । परन्तु मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि जनता पार्टी के इस रवैये से लोगों को यह अवश्य महसूस हो रहा है कि उनमें इस दल से कुशल प्रशासन नहीं मिल रहा है । यही मैं कहना चाहता हूं ।

श्रीमान जी जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली निश्चय ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप भारत जैसे देश में अनेक सामाजिक सुधार किए जा सकते हैं । हमारा देश 62 से 65 करोड़ की जनसंख्या वाला एक ऐसा देश है जिसके लोग शोषण, बेरोजगारी तथा दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सामाजिक असुरक्षा के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही हमारे देश की समस्याओं का एक अच्छा समाधान हो सकता है और इसी प्रणाली से ही हमारे देश के जनसाधारण को लाभ हो सकता है । अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को संतुलित धरातल पर रखने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक ढंग से किए जाना आवश्यक ही है अन्यथा गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापारी, जिनका कि व्यापार पर एकाधिकार होता है, वह व्यापार में असंतुलन पैदा करते रहते हैं । वह संकट पैदा करने की कोशिश में रहते हैं । आरम्भिक चरण में भले ही वह कुछ प्रलोभन दें परन्तु बाद में जाकर वह सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को नष्टभ्रष्ट कर देते हैं । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हर प्रकार की अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का

[श्री जनार्दन पुजारी]

होना आवश्यक है। यह प्रणाली इस प्रकार से संचालित की जानी चाहिए कि इससे देश के गरीब तथा विशेषकर जनसाधारण वर्ग को लाभ प्राप्त हो सके।

हमें मूल्य सूचनांक तथा आंकड़े दिये जाते हैं परन्तु लोगों का आंकड़ों के साथ क्या संबंध है ? आपने बताया कि थोक मूल्य स्थायी हैं और उनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती परन्तु उसके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, घर-गृहणियों की क्या प्रतिक्रिया है ? जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। सही आंकड़े आज बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। आज यदि आप बाजार में जायें तो फिर आपको मालूम होगा कि वहां क्या मूल्य बढ़ गये हैं ? क्या क्रय मूल्य में स्थायित्व है ? अभी कुछ ही दिन पूर्व घर-गृहणियों ने बढ़े हुए मूल्यों के विरोध में संसद भवन के समक्ष प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि घर-गृहस्थी चलाना बहुत कठिन हो गया है। अतः भारत सरकार के विभागों द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें लोगों का विश्वास नहीं रहा ?

आज देश में वर्तमान स्थिति क्या है ? जमाखोर सक्रिय हो रहे हैं और जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद तो वह खुले रूप से इस कार्य में लग गये हैं मैं इस दर्शन को समझ सकता हूं कि लोग बिना भय के अपना जीवन व्यतीत करें परन्तु मैं यह नहीं समझ सकता कि आज जमाखोरों तथा तस्करी करने वाले लोगों को किसी प्रकार का भय न हो। इन लोगों को स्वतन्त्रता देने का तात्पर्य केवल देश की अर्थव्यवस्था को ही क्षति पहुंचाना नहीं है अपितु इससे देश के लोक तन्त्र को भी क्षति पहुँचेगी।

इस मन्त्रालय का सम्बन्ध वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता-विषयों से है जिनका सम्बन्ध देश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाने से है। अतः आज मुझे काफी दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के मुनाफाखोर साधारण आदमी का शोषण कर रहे हैं और वह गरीब आदमी का खून पी रहे हैं। सरकार द्वारा इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? मैं जानता हूं कि सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम है परन्तु अभी तक इन मुनाफाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? जब तक इन मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती तब तक देश की अर्थव्यवस्था निश्चय ही तबाह होती रहेगी और आवश्यक वस्तुयें जन-साधारण की पहुँच से बाहर हो जायेगी तथा देश में उनकी उपलब्धता भी समाप्त हो जायेगी।

मन्त्री महोदय सम्भवतः इसलिए उदासीन हों कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है परन्तु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हम पिछले अनुभव से यह सीख चुके हैं कि यदि खराब मानसून के कारण कृषि उत्पादन में कमी आती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आयेगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी घाटे में चल रही है। वर्तमान बजट में तो 1355 करोड़ रुपए का घाटा है। पहले छटी अनवरत योजना के पक्ष में तर्क देते हुए यह कहा गया था कि इससे घाटे का आयोजन समाप्त हो जायेगा।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, इतने अधिक घाटे के कारण मन्त्री महोदय को काफी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अत: उन्हें इस मामले में पूर्णतया जागरूक तथा सतर्क रहना चाहिए अन्यथा निकट भविष्य में स्थिति और भी खराब हो जायेगी ।

जहां तक आयात तथा निर्यात की स्थिति का सम्बन्ध है, उसके बारे में, मैं 1978-79 के आर्थिक सर्वेक्षण से उद्धृत करना चाहता हूं :

"व्यापार में जो असंतुलन पिछले वर्ष व्याप्त था, वह इस वर्ष भी जारी रहा है। आयात, जिनमें कि पिछले वर्ष काफी अधिक वृद्धि हुई, वह इस वर्ष और भी बढ़ गये हैं तथा पिछले वर्ष के अप्रैल—नवम्बर, 1977 की तुलना में इस वर्ष अर्थात 1978 के इसी समय में इनमें 21 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। आयात में हुई वृद्धि का कारण यह है कि खाद्य तेल, कृत्रिम धागे, इस्पात तथा लोहे, उर्वरक तथा ऊंचे मूल्य वाले पेट्रोलिमय उत्पादों जैसी वस्तुओं के आयात में वृद्धि कहा जा सकता है।"

मैं आगे उद्धृत करता हूं :

"देश में बढ रहे विदेशी मुद्रा भंडारों का आयोग विकास कार्यों के लिए न करने के बारे में पहले भी आलोजना की गई थी। परन्तु तब से लेकर स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है। पिछले वर्ष आयात 1976-77 की तुलना में 19·5 प्रतिशत अधिक थे और इस वर्ष वह गत वर्ष के इसी समय में 21 प्रतिशत अधिक है। खाद्य तेलों के अलावा वृद्धि का कारण कच्चे माल, अर्द्धनिर्मित माल, तथा पूंजी वस्तुओं अर्थात कपास, कृत्रिम धागा, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, अलोह धातुओं तथा मशीनरी आदि का आयात भी बताया गया है। आरक्षित भंडारों में होने वाली वृद्धि की दर भी कम हुई है क्योंकि गैर-निर्यात में कमी हुई है ।

"निर्यात स्थिति में भी नाटकीय परिवर्तन हुआ है। यद्यपि निर्यातों के मूल्य में हो रही वृद्धि की दर में वर्ष 1977-78 में 4·5 प्रतिशत थी, परन्तु हमें संदेह है कि चालू वर्ष में वह इस स्तर को भी छू पायेगी। अत: यह आवश्यक है कि इस कार्य को विकसित करने के लिए अपेक्षित नीति तैयार की जानी चाहिए तथा निरन्तर प्रयास किये जाने चाहिएं तथा हम चीनी, चाय तथा काफी आदि जैसी वस्तुओं के बहुल्य पर ही निर्भर न न रहे। यह महत्वपूर्ण है कि पहले निर्यात सहायता सम्बन्धी जो कार्य आरम्भ किया गया था उसे संशोधनों सहित जारी रखा जाये और केवल उसके लिए अतिरिक्त सहायता ही न दी जाती रहे।"

आपने सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। निर्यात की जाने वाली सब्जियों की प्रतिशतता कितनी है ? कुल सब्जियों के उत्पादन का यह केवल 1 प्रतिशत है। अत: सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना कोई समाधान नहीं है। इससे सब्जियों के उत्पादन पर ही बुरा असर पड़ेगा। इससे रोजगार के अवसर भी कम हो जायेंगे ।

"यद्यपि अर्थ-व्यवस्था की समग्र स्थिति संतोषजनक रही है, परन्तु फिर भी बेरोजगारी की आधारभूत समस्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे कि पहले कहा जा

[श्री जनार्दन पुजारी]

चुका है, संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने में भी कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है और हमारे रोजगार कार्यालयों उसका आंकड़ों से,—उनसे सभी सीमाओं को दृष्टि-गत रखते हुए यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि उस गति से नहीं हो रही है जिस गति से कि श्रम शक्ति में वृद्धि हो रही है।"

यह उद्धरण भी मैंने 'आर्थिक सर्वेक्षण' से ही प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन यह है कि यदि हम आत्म-निर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आयात में कमी कर, निर्यात में वृद्धि करनी होगी। जनता दल का मुख्य काम देश की जनता को खाद्यान्न तथा दवाईयां उपलब्ध करवाना है। परन्तु अपनी आन्तरिक लड़ाई के परिणामस्वरूप इन लोगों को देश के लोगों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है।

आप यदि यह कहते रहे कि पिछले 30 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है। यदि आप यही कहते रहेंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपका यह तर्क काफी पुराना हो गया है। यदि आप लोगों के प्रति यही रवैया अपनाते रहे, तो फिर एक दिन ऐसा आयेगा, जबकि सदन के इस ओर बैठकर, अपनी भूलों को महसूस करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	1.	श्री धीरेन्द्रनाथ बसु :	विदेशी मुद्रा को 1977-78 से पूर्व के स्तर पर लाने में असफलता।	राशि के लिए रुपये घटा दिये गए
,,	2.	,,	कच्चे माल का निर्यात बढ़ाने में असफलता।	,,
,,	3.	,,	इलैक्ट्रानिक्स उपकरण उद्योग की वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा अथवा उचित दरों पर कच्चे माल का आयात करने में असफलता।	,,
,,	4.	,,	इलैक्ट्रानिक उपकरण के तैयार माल को बहुत ऊंची दरों पर आयात करना बन्द करने में असफलता।	,,
13	5.	,,	उपभोक्ताओं को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
13	6.	श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	वितरण प्रणाली को समस्त देश में विशेष रूप से उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने की आवश्यकता ।	राशि के लिय रुपये घटा दिये गए
,,	7.	,,	देश के प्रत्येक जिले में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तार करने में राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद की असफलता ।	,,
,,	8.	,,	राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता महासंघ की देश के सभी जिलों में अपने शाखा एकक खोलने में असफलता ।	,,
,,	9.	,,	विभिन्न नगरों में सुपर बाजारों का विकास करने में असफलता ।	,,
,,	10.	,,	राष्ट्रीय सहकारिता विकास महासंघ की देश के प्रत्येक नगर में अपनी सेवायें उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
11.	31.	श्री पी० राजगोपाल नायडू :	नागरिक पूर्ति की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था ।	,,
12.	32.	,,	कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए तदर्थ व्यवस्था करना ।	,,
,,	33.	,,	कृषि उत्पादों का निर्यात अकस्मात बन्द करना ।	,,
,,	34.	,,	गन्ना उत्पादकों को हानि से बचाने के लिए 10 लाख टन से अधिक चीनी का निर्यात करने की आवश्यकता क्योंकि विदेशी बाजार में उसका अच्छा मूल्य मिलता है ।	,,
,,	35.	,,	निर्यात संवर्धन के अन्तर्गत कतिपय कृषि उत्पादों को सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	36.	,,	दूसरे देशों में हमारे दूतावासों में विशेष वाणिज्य प्रतिनिधि की नियुक्ति करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
13.	37.	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	गांवों में दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ।	राशि के लिए रुपये घटा दिए गए
,,	38.	,,	ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के तेल का वितरण करने की आवश्यकता ।	,,
11.	39.	**श्री मुकुन्द मण्डल** :	विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर हस्तशिल्प मेले आयोजित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	40.	,,	आन्तरिक बाजार में चाय के उचित मूल्य को बनाए रखने में असफलता ।	,,
,,	41.	,,	देश भर में, विशेष कर पूर्वी क्षेत्र में खाद्य तेल को उचित मूल्य पर सप्लाई करने में असफलता ।	,,
,,	42.	,,	सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि को रोकने में असफलता ।	,,
12.	43.	,,	कच्चे चमड़े का निर्यात रोकने की आवश्यकता ताकि घरेलू बाजार पनप सके ।	,,
,,	44.	,,	कच्चे चमड़े के बजाय तैयार चमड़े का निर्यात करने की आवश्यकता ।	,,
,,	45.	,,	रबड़ और काजू के आयात पर रोक लगाने की आवश्यकता ।	,,
,,	46.	,,	हस्तशिल्प और हथकरघा तथा लघु और घरेलू उद्योगों के उत्पादों के लिए पर्याप्त विदेशी बाजार खोजने की आवश्यकता ।	,,
,,	47.	,,	बाजार सर्वेक्षण और आसूचना प्रतिवेदनों के आधार पर विदेशों में जूट उत्पादों के लिए नये बाजार खोजने की आवश्यकता ।	,, ,,
,,	48.	,,	नारियल जटा उत्पादों के निर्यात पर जोर देने की आवश्यकता ।	,,
,,	49.	,,	विदेशी व्यापार नीति में सुधार करने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया है ।	,,

1	2	3	4	5
12	50.	**श्री मुकुन्द मण्डल :**	आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाने आवश्यकता ।	राशि के लिए रुपये घटा दिए गए
,,	51.	,,	कच्चे माल के स्थान पर तैयार माल का निर्यात करने की आवश्यकता।	,,
,,	52.	,,	देश के बाहर सिल्क के लिए नये बाजार खोजने की आवश्यकता ।	,,
,,	53.	,,	जूट उत्पादों के लिए और अधिक विदेशी बाजार खोजने के लिए बिक्री का आयोजन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	54.	,,	देश के बाहर तम्बाकू के लिए बाजार खोजने की आवश्यकता ।	,,
,,	55	,,	तराशे हुए हीरों के निर्यात से अधिक बिदेशी मुद्रा अर्जित करने में असफलता ।	,, ,,
13.	56.	,,	चोरबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने में असफलता, जिसके परिणाम-स्वरूप सीमेंट के मूल्य बढ़ रहे हैं और उसके वितरण में अनियमितायें हो रही हैं ।	,,
,,	57.	,,	देश भर में उचित दर दुकानें खोलने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को कठिनाई हो रही है ।	,,
,,	58.	,,	सभी राज्यों को सभी आवश्यक वस्तुएं समान दरों पर सप्लाई करने की आवश्यकता ।	,,
11.	62.	**के० ए० राजन :**	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में विफलता ।	,,
,,	63.	,,	आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए लोक वितरण प्रणाली आरम्भ करने में विफलता ।	,,
,,	64.	,,	हथकरघा बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले धागे के मूल्य घटाने में विफलता ।	,,
,,	65.	,,	हथकरघा वस्त्रों के लिए पर्याप्त विदेशी मण्डियां खोजने में विफलता ।	,,
,,	66.	,,	सरकारी क्षेत्र की भारतीय काजू निगम, केरल को बचाने में विफलता ।	,,

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

(1) मूंगफली की खली (डी आचल्डरेक्स) कुछ मात्रा में एच० पी० एस० और मूंगफली, प्याज, जीरा, गुड़, आलू, अरंडी तेल, चाय, काफी वगैरह कृषि जिन्सों के निर्यात करने की जो प्रक्रिया सरकार ने चालू की है, वह अच्छी है ।

(2) खाद्य तेलों, बाजरी, गेहूं, चावल, ज्वार जैसे अनाज, वनस्पति, गुड़, चीनी, प्याज, आलू वगैरह चीजें लोगों को सरलता से और योग्य दाम से मिल रही हैं ।

(3) नाफेड के जरिए कुछ मात्रा में एच० पी० एस० के लिए मूंगफली, प्याज, आलू, सोयाबीन वगैरह कृषि जिन्सों की खरीद करके किसानों को लाभ दिया है ।

इसलिये मैं वाणिज्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं । और कुछ अन्य विषयों पर उनका ध्यान खींचना चाहता हूं । खाद्य तेलों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । 1976-77 में विदेशों से 9.48 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था जिसकी कीमत विदेशी मुद्रा में 530 करोड़ रुपये थी । 1977-78 में 13 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया जिसकी कीमत विदेशी मुद्रा में 800 करोड़ रुपये थी, और 1978-79 में 10 लाख टन आयात हुआ जिसकी विदेशी मुद्रा करीब 700 करोड़ रुपये थी । इस प्रकार तीन साल में हमने 2,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की । तो इस प्रकार खाद्य तेलों के आयात करने का तरीका अच्छा नहीं है । इसको बदलना चाहिए । खाद्य तेलों के बारे में हम कब आत्म निर्भर होंगे ? इसलिए वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों को मिलकर योजना बनानी चाहिए। तिलहनों की पैदावार बढ़ाने की योजना होनी चाहिए ।

आयातित खाद्यान्न तेलों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

मैं माननीय वाणिज्य मंत्री के विचारार्थ नीचे कुछ बातें रख रहा हूं :—

1. व्यापारियों के पास इस समय आयातित खाद्य तेल का भंडार नहीं रहना चाहिए ।
2. इस समय पत्तन पर खाद्य तेलों के लिए कोई जल पोष नहीं रहना चाहिए और कोई शेष करार नहीं रहना चाहिये ।
3. घोषणा की गई है कि 18 लाख टन रेपसीड तेल का उत्पादन किया जाएगा किन्तु प्रतिकूल मौसम के कारण केवल 11 से 12 लाख टन तक का उत्पादन हुआ है ।
4. ग्रीष्म मूंगफली के 5 से 6 लाख टन बीजों का उत्पादन केवल दक्षिण में होगा और उनका उपयोग केवल दक्षिण में किया जाएगा तथा अन्य राज्यों से भी उसे मंगाया जाएगा ।
5. खोपरा तेल का मूल्य भी अधिक है (14 रुपये से 15 रुपये प्रति किलोग्राम)

इस प्रकार उपरोक्त स्थिति के कारण राज्य व्यापार निगम लोगों को खाद्य तेलों की सप्लाई नहीं कर पायेगा। अत: देश में परिशोधनशाला मालिकों को खाद्य तेलों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए ।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि करीब 9 लाख टन तेल का आयात होता है। इसमें से वनस्पति उद्योग के लिए करीब 6 लाख टन होता है। तो इसको तो आप एस० टी० सी० के जरिये आयात कीजिये। लेकिन जो खाने के लिए आयात किया जा रहा है तो देश में जितनी रिफाइनरीज हैं उनके जरिये आयात होना चाहिए, एस० टी० सी० के जरिए नहीं होना चाहिये। अगर एस० टी० सी० के जरिए तेल आयात किया जायेगा तो 4, 5 मास में तेल का दाम 10 रु० प्रति किलो हो जायेगा। इसलिये आयात दो तरह का होना चाहिए। जो वनस्पति उद्योग के लिये तेल चाहिए वह एस० टी० सी० के जरिये आयात होना चाहिए, और जो खाद्यान्न तेलों का आयात होता है वह रिफाइनरीज के जरिये होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने डी० आयल केक के ऐक्सपोर्ट का निर्णय लिया है। गत साल 8 लाख टन डी आयल्ड केक्स निर्यात किया था, और अभी जनवरी से अप्रैल तक का 3 लाख टन डी आयल्ड केक्स निर्यात करने का कोटा दिया गया है।

डी-आयल्ड केक्स, मूंगफली की खली का निर्यात करने का मई से अगस्त तक का 3 लाख टन का कोटा जाहिर नहीं किया है जो कि तुरन्त जाहिर किया जाना चाहिए। मूंगफली की खली का 1978 में 8 लाख टन का निर्यात किया गया था जो कि 1979 में 9 लाख टन निर्यात होना जरूरी है। अभी जनवरी-अप्रैल का 3 लाख टन का कोटा तो जाहिर कर दिया गया है लेकिन मई से अगस्त तक का 3 लाख टन का कोटा अभी जाहिर नहीं किया गया है जो कि तुरन्त जाहिर किया जाना चाहिये। सितम्बर से दिसम्बर तक का बाकी का 3 लाख टन का कोटा अगस्त में ही जाहिर करना चाहिए। सौराष्ट्र में इसका हालका भाव 1100 रुपये एक टन का है। एस० टी० सी० ने अपनी ओर से 40 हजार टन का कोटा दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया है जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर एस० टी० सी० एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है तो इनका कोटा रद्द करके अगले चार तिमाही में मिलाकर सबको फिर से बांट दिया जाये।

एच० पी० एस० का निर्यात नाफेड के द्वारा करने का निर्णय किया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। 1 लाख टन एच० पी० एफ० का निर्यात होना जरूरी है। हमारे सौराष्ट्र में बाजार में मूंगफली के 20 किलो का भाव 45 रुपये चल रहा था लेकिन नाफेड ने 20 किलो का दाम 50 रुपये देकर खरीदी की है, यह अच्छी बात है। इससे किसानों को 50 करोड़ का फायदा हुआ है। इसको और ज्यादा बढ़ाने की मैं मांग करता हूं।

प्याज की भी नाफेड के द्वारा खरीदी की गई है जो कि अच्छी चीज है। बाजार में 20 किलो प्याज का दाम 4, 5 रुपये था, लेकिन नाफेड ने 7 रुपये के भाव से खरीदी की है। यह अच्छा किया, लेकिन नाफेड ने प्याज खरीदने में काफी देरी की है। हमारे सौराष्ट्र में घोराजी, भायावदर, उपलेटा-जाम, जोधपुर, पानेली मोटी, कोलकी, जामवाली, माणाबदर, मांगरोल, केशोद, धरवाड, वेरावल, पाटण वगैरा विस्तारों में प्याज की फसल जनवरी के शुरू में आने लगती है, लेकिन नाफेड ने इसकी खरीदी 15 मार्च से शुरू की है। इस तरह से आधी-पौनी फसल तो ऐसे ही चली गई। अगर नाफेड को प्याज की खरीदी करनी है तो इसकी योजना बनानी चाहिये और जनवरी के शुरू से ही इसकी खरीदी की जानी जाहिये। गुजरात स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन के साथ मिलकर नाफेड ने प्याज की खरीदी की है, लेकिन उनको वैगन नहीं मिलता है।

[श्री धर्मसिंह भाई पटेल]

वाणिज्य मंत्रालय को रेलवे मत्रालय से मिलकर इनको तुरन्त वैगन दिलवाने का प्रबन्ध करना चाहिये।

हमारे सौराष्ट्र के कई एम० एल० ए० श्री वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई कालरिया, मनु भाई कोटडिया, रमणीक भाई पटेल और जोरूभा गोहिल ने रेलवे मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय को तार दिया 17 मार्च को कि घोराजी, मायाबदर और जाम जोधपुर के रेलवे स्टेशनों पर पूरे वैगनों का प्रबन्ध किया जाये। मेरा निवेदन है कि यह काम प्रापर्टी पर किया जाना चाहिये।

मोलासिस के निर्यात के सम्बन्ध में कोई समय मर्यादा नहीं होनी चाहिये, साल भर तक निर्यात होना जरूरी है हमारे सौराष्ट्र में 30 हजार टन मोलासिस निर्यात करने का लाइसेंस दिया है। कृषि मंत्रालय ने 1978-83 में 3125 करोड़ रुपये की कृषि जिन्सों का निर्यात करने का लक्ष्यांक तय किया है, अगर यही स्थिति रही तो यह कैसे होगा ? क्योंकि एच० पी० एस० का प्रतिटन निर्यात्त शुल्क 1500 रुपये लिया जाता है, मूंगफली पर निर्यात शुल्क 1125 रुपये और डी-आयल्ड केक्स का निर्यात शुल्क 125 रुपये है। इसको रद्द करना बहुत जरूरी है।

हमारे मंत्री जी ने कुछ मांगें रखी हैं, मैं भी अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखना चाहता हूं :—

1. डी-आयल केक्स (ग्राउण्डनट सौल्वेंट एक्सट्रेक्शन) मूंगफली की खली के 3 लाख टन निर्यात का मई से अगस्त 79 तक का कोटा तुरन्त जाहिर करें।
2. जिनके पास आइल रिफाइनरीज हैं, इन्हें खाद्य तेलों के आयात करने की मंजूरी देना जरूरी है।
3. एच० पी० एस० का नाफेड के द्वारा 1 लाख टन का निर्यात होना जरूरी है।
4. नाफेड और गुजरात स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन से प्याज की खरीदी जनवरी के शुरू में होनी चाहिए और इन्हें पूरा वैगनों के मिलने का प्रबन्ध होना चाहिए।
5. मोलासिस की नियति बारह माह करने की मंजूरी दी जाये।
6. एच० पी० एस० मूंगफली, मूंगफली की खली की मौजूदा निर्यात शुल्क रद्द करने के लिये वित्त मंत्रालय से मिलकर प्रबन्ध करें।
7. तिलहनों की पैदावार बढ़ाकर चार सालों में खाद्य तेलों की आयात क्रमशः कम करने के अन्त में बन्द की जाये।
8. मूंगफली विकास बोर्ड की रचना करें।

अगर मन्त्री महोदय इन सुझावों को अमल में लायेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा।

बार-बार कहा जाता है कि मंहगाई बढ़ रही है। किस चीज की मंहगाई बढ़ रही है ? आज सभी चीजें बाजार में मिल रही हैं, अच्छी तरह से मिल रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह उपभोक्ताओं के हितों के साथ-साथ किसानों के हितों को भी ध्यान में रखें।

श्री ए. सी. जार्ज (मुकन्द पुरम) : हम भारत सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मन्त्रालय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसाकि मेरे मित्र ने पहले ही उल्लेख किया है, विदेश-व्यापार, नागरिक पूर्ति और सहकारिता जैसे तीन मुख्य विभागों वाला यह मन्त्रालय ही इस देश के नागरिकों की वर्तमान और भावी आर्थिक स्थिति पर निर्णय लेता है। यही मन्त्रालय निर्यातों और विदेशी-मुद्रा अर्जन का काम सम्भालता है और इस देश के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और कीमतों के स्थिरीकरण का काम भी करता है तथा एक प्रकार से यही वह मन्त्रालय है जोकि हमारे देश की समस्त आर्थिक स्थिति को मापने के लिए बैरोमीटर का काम करता है। वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री का एक अच्छा आत्मीय मित्र होने के नाते, पिछले दो वर्ष से मेरा यह भरसक प्रयत्न रहा है कि उनका मन्त्रालय प्रगति दर्शाये। परन्तु श्रीमान, केवल शुभ कामना मात्र से बात नहीं बनेगी। यह बात मैं अंगीकार करता हूं कि मन्त्रालय के कार्यकाल के दो वर्ष बाद आज भी, एकमात्र कमी जो मैं स्वीकार करता हूं वह यह है कि मन्त्रालय का कार्यसंचालन एकदम से असफल रहा है। यह सच है कि काले बादलों की छाया पहले से ही दृष्टिगत हो गई थी। मैं उन सर्वप्रिय शब्दों को नहीं दोहराना चाहता कि 'मैंने आपको ऐसा कहा था' परन्तु 1977 में भी जब मेरे मित्र श्री मोहन धारिया ने वाणिज्य मन्त्रालय का कार्यभार सम्भाला था तो, शुभाशीर्वाद देते हुए और सफलता की कामना करते हुए, दृष्टिगत चेतावनी के साथ, मैंने उन्हें इसी सदन में बतलाया था कि निर्देशन की उनकी नीति सर्वथा ठीक नहीं है।

जब मैं इस विषय पर बात करता हूं तो, मैं मन्त्री महोदय को विभाग से बिल्कुल अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अनेक वर्षों से श्री मोहन धारिया सरकार का अंग थे और योजना विभाग में महत्वपूर्ण पद ग्रहण किये हुए थे। ये देश की प्रगति की योजना बनाते समय साधनों के हिमायती थे, जिसमें विशेषकर देश के निर्यातों पर जोर देते थे और जो कुछ उस समय उन्होंने किया वैसा ही उसके परिणाम भी सामने आयेंगे। इसीलिए जब 1976-77 में नई नरकार बनी तो, तेल भुगतानों के लिए भारी रकमें देने के बाबजूद चारों ओर खड़े हो रहे संकट के बावजूद, 31 मार्च, 1976 के अन्त में, देश के निर्यात के आंकड़े 5,145 करोड़ रुपये के थे और आयात आंकड़े 5074 करोड़ रुपये के तथा हमारे पास 71 करोड़ रुपये का आधिक्य था। भारत जैसे विकासशील देश के लिए 71 कराड़ रुपये का अधिक्य भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि आयातों को मुख्य रूप से औद्योगिक आधार तैयार करने पर लगाया गया था तथा हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि निर्यात हमारे आयातों का मूल्य अवश्य चुकाएं। एक समय था अर्थात् दशक अथवा इससे भी अधिक समय पहले की बात है, तब उस समय सरकार की नीति,उसका दर्शन, विदेश व्यापार और वाणिज्य मन्त्रालय की नीति और सच तो यह है कि यहां तक कि आम आदमी के होठों पर भी यही बात थी, 'मूल्यवान विदेशी मुद्रा'जबकि आज इस बात को भुला दिया गया है। वाणिज्य मन्त्रालय ने एक बहुत भारी गलती यह की,जिसे मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही उन्होंने 'मूल्यवान विदेशी मुद्रा' शब्दों को अपनाया तो वे अपनी समस्त महत्ता और अर्थ खो बैठे और 'मूल्यवान विदेशी मुद्रा' शब्दों को महत्वहीन बनने दिया गया तो विदेशी मुद्रा के दर्शन की कोई कीमत न रही। एक समय वह था जबकि हम सतत प्रयत्न कर रहे थे, जबकि हम अपना पेट काट रहे थे, जिससे कि अधिकाधिक निर्यात किया जा सके। उस समय औद्योगिक आधार प्रमाणित किया जा चुका था, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी और कीमती विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही थी। परन्तु पिछले दो वर्षों में,

(श्री ए. सी. जार्ज)

क्योंकि देश में एक और ही प्रकार का विकास हो रहा है, बहुत में यह रवैया व्याप्त रहा है—और मुझे सन्देह है कि यह रुख मेरे मित्र श्री मोहन धारिया और वाणिज्य मन्त्रालय के अन्य लोगों पर भी प्रकट हुआ है या नहीं—और 'मूल्यवान विदेशी मुद्रा' शब्दों ने अपना पूरा अर्थ और महत्व खो दिया है। मुझे याद है कि डेढ़ वर्ष पूर्व वे यह कहकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे, 'हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व यह देखना है कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों, अतः मैं निर्यातों को घटा रहा हूं और मैं निर्यातों को कम करने में समर्थ हूं।' मैं यह मानता हूं कि हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं। जहां हम निर्यातों को कम कर सकते हैं और हम निर्यातों को कम करने की बात सोच सकते हैं। वह भ्रांति हमारे मन में इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि लाखों ही लोग विदेश में सेवारत हैं। विदेशों में गये भारतीयों ने —यदि मैं यहां पर केरलवासियों के भारी योगदान का जिक्र नहीं करता तो, अपने में को अपने कर्त्तव्य से च्युत समझूंगा—कीमती विदेशी मुद्रा भेजनी प्रारम्भ की। और आज वाणिज्य मन्त्रालय और इस सरकार बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के बावजूद, हमारे पास लगभग 4,300 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा आधिक्य है। इसीलिए तो निर्यात प्रयत्नों के प्रति अवहेलना बरती गई थी। मुझे याद है कि श्री मोहन धारिया ने यह बात कही थी, "हमें प्याजों के निर्यात की, आलुओं और चीनी तथा और किसी भी वस्तु के निर्यात की आवश्यकता नहीं है।" तथा लोकप्रिय नारा यह था, 'मेरे इरादे यह देखना है कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अब बहुत से जागरुक पत्र यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि गत दो वर्षों में अपनाई गई नीति, अपनाया गया दर्शन गलत था। वे लापरवाह थे और उनकी बेरुखी के परिणाम सामने आ रहे हैं। यहां तक कि भारत सरकार के एक प्रकाशन 'आर्थिक सर्वेक्षण' में भी यह कहा गया हैं :

"·····निर्यातों में तेजी से आई गिरावट·····।" 'निर्यातों में तेजी से आई गिरावट' कथन में भारत सरकार के इस प्रकाशन 'आर्थिक सर्वेक्षण' में तो कहीं सर्वोच्च श्रेणी का प्रयोग किया गया है। इसमें आगे कहा गया है :

"·····1977-78·····में चाहे इसमें कोई सुधार दिखाई न दे·····" गत दशक में भी, जबकि हमारा भुगतान अधिशेष घाटे में चल रहा था तो, निर्यातों में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। केवल 1975-76 में ही निर्यातों, आयातों की तुलना में, संख्या में कम थे। अन्यथा, इन तमाम वर्षों में, इस देश में निर्यातों में निरन्तर वृद्धि की स्थिति रही है और हर वर्ष यह बढ़ता रहा, यहां तक कि जब हमारा भुगतान अधिशेष प्रतिकूल पड़ रहा था। एक वर्ष में तो निर्यात भी कम रहा था, क्योंकि आयात में भी बढ़ोतरी हो रही थी। हमारा निर्यात रेखाचित्र सदैव ऊपर की ओर ही बढ़ता गया है। 1976-77 में जब विभाग को नई सरकार को सौंपा गया था तो उस समय निर्यातों में वृद्धि की दर 27 प्रतिशत थी। 1977-78 वित्तीय वर्ष में जो कि जनता सरकार का प्रथम वर्ष है, यह 27 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत तक आ गया। इस वर्ष—मैं सही बात पर आना चाहता हूं, और मेरी आकांक्षा है कि मुझसे बात ही हो—हमारी वृद्धि दर में न केवल 'कुछ नहीं' नहीं हैं, अपितु यह ऋणात्मक भी हो सकती है . . .

श्री मोहन धारिया : यह गलत है।

श्री ए०सी०जार्ज : आपसे ऐसी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। परन्तु मैं जानता हूं कि अब क्या होगा। मुझे उस मन्त्रालय में, 3½ वर्ष तक, बैठने का अक्सर प्राप्त हुआ है। जनवरी तक तो हमारी वृद्धि-दर 'कुछ नहीं' थी। इसीलिए तो मैं सावधानीपूर्वक कह रहा था। मुझे यह जानकर खुशी होगी यदि जनवरी, फरवरी और मार्च में इसमें कुछ बढ़ोतरी हो गई हो। लेकिन आसार तो ऐसे नजर आ रहे हैं। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वृद्धि-दर यहां तक कि 4.5 प्रतिशत भी नहीं होगी। जो ताजा रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसके अनुसार तो यहां तक कि आशावादी लोग भी, केवल 2 प्रतिशत या कुछ इतनी ही वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं। मेरे विचार से तो यह आंकड़ों का ही जादू होगा। वस्तुतः श्री जार्ज फर्नान्डीस उसमें दक्ष हैं और श्री मोहन धारिया से मैं वैसी प्रत्याशा नहीं करता.....

सभापति महोदय : श्रीमान आपके दल से छह सदस्यों को और बोलना है।

श्री ए०सी० जार्ज : सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनके मन्त्रालय को संभालने के बाद ही आप देखेंगे कि निर्यातों में निरन्तर गिरावट आई है। सीधी सी बात है, चूंकि लाखों ही भारतीय अरब देश के रेगिस्तान में खाड़ी के नये धनी बने देशों में सेवारत हैं और वे अपना खून-पसीना बहाकर रुपया भेज रहे हैं और चूंकि सीधी सी बात है कि अब उनके खजाने में लगभग 4000 करोड़ विदेशी मुद्रा भरी की पड़ी है तो निर्यातों के प्रति कठोर उदासीनता प्रदर्शित की जा रही है इसीलिए तो वे हर प्रकार का आयात करने की बात सोच रहे हैं। यहां तक कि शक्ति-चालित हल, इलोक्ट्रोनिक उपस्कर और अपने ही देश में उत्पादित कीमती आधुनिकतम सामान भी आयात कर रहे हैं। नये बजट में तो वे अनेकानेक वस्तुओं के आयात की बात सोच रहे हैं और इस प्रकार स्वदेशी उद्योग पर कुठाराघात कर रहे हैं। आयात बीजक में वृद्धि के लिए मैं सरकार को कभी भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आयात बीजक में निरन्तर वृद्धि से आर्थिक उन्नति प्रदर्शित होती है, यदि यह कहीं अधिकतर कच्चे माल और उद्योगों के लिए आवश्यक कल-पुर्जों के आयात पर आधारित हों। लेकिन यहां पर तो हम देखते हैं कि नियातों में गिरावट आती जा रही है। मैं आपसे कोई 27 प्रतिशत की वृद्धि को निरन्तर बनाये रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब निर्यातों पर पाबन्दी लगाये जाने के मुद्दे को उठाया गया तो, उनका कहना था वे यही तो कर सकते हैं। परन्तु अब पंजाब के किसान होहल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आलूओं के लिए पूरी कीमत नहीं मिल रही है। अब वे निर्यात करने की बात सोच रहे हैं। निर्यात नीति पर जैसे-तैसे निर्णय नहीं लिया जा सकता। यह तो एक पक्की निश्चित नीति होनी चाहिए। इसी बात के लिए मैं वर्तमान वाणिज्य मन्त्री को दोषी ठहराता हूं। वह एक तदर्थवादी नीति अपनाते रहे हैं। अब हमारे पास आधिक्य है तो, हमें प्याज के लिये मण्डी ही नहीं मिल रही। हमारी मण्डी खो दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रिक्ति नहीं बनी रहेगी। क्योंकि हमारे पास बहुमूल्य विदेशी-मुद्रा का भण्डार है, इसीलिए तो मन्त्रालय निर्यातों के प्रति ऐसा उदासीनता का रुख अपना रहा है। दो वर्ष तो पहले ही बीत चुके हैं। ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि कम से कम 1200 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। ऐसा सम्भव है, क्योंकि विदेशी-मुद्रा का भारी भण्डार जो है और विदेशी धन जो आ रहा है, वे आयात बीजक को सम्भाल सकते हैं। परन्तु यह एक बुरा रवैया है, एक ऐसा रवैया है जिसे समय रहते बदलना होगा। हमें तो अचल ढ़ंग से अपना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तैयार करना है।

(श्री डा० सी० जार्ज)

दुनियां के लोग भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करने वाले नहीं हैं। विदेशी बाजारों को तो अपने ग्राहक और विक्रेता जुटाने ही होंगे।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात अब समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं जानता हूं कि मेरे पास सीमित समय है मैं तो केवल सरकार की कार्यपद्धति के पीछे काम कर रहे दर्शन की चर्चा कर रहा हूं। मैं सरकार के इस रवैया की बात बता रहा हूं कि उनके मत से मूल्यवान विदेशी मुद्रा वह वस्तु है, जिसे वे कुछ हजार भारतीय मजदूरों को विदेशों में भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। यह दर्शन गलत है। निर्यात तो अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के सूचक हैं। कम-से-कम, अब तो हमें एक निश्चित रूप से स्थिर निर्यात-नीति तैयार करने की बात सोचनी चाहिये। हमें अपने विदेशी खरीददारों को यह आश्वासन देना ही चाहिये कि हम अब अव्यहार्य तरीकों को नहीं अपनायेंगे, हम तदर्थवाद का पालन नहीं करेंगे और हम एक स्थिर नीति अपनायेंगे, जिसमें उन्हें पूर्ति के लिए आश्वासित किया जा सकता है। विशेषकर खाड़ी के देशों में, जिनमें बहुत से लोग मिर्च-मसालों, अन्य खाद्य पदार्थों के आदी हैं, चूंकि वे मुख्य रूप से भारतीय हैं और यदि हम उन चीजों के निर्यात पर पाबन्दी लगा दें तो, हम विदेशी मुद्रा के मुख्य साधनों की जड़ पर ही कुठाराघात कर रहे होंगे। अतः क्या मैं वाणिज्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन कर सकता हूं कि वे अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करें, बदलें। यह लोकप्रिय नारा, 'स्वदेशी मांग की पूर्ति, तो केवल एक बहाना मात्र है। इस अनुचित और बुरे रवैये को बदलना होगा। मुझे आशा है कि वाणिज्य मन्त्री महोदय सचाई को समझेंगे, नीति में सुधार लायेंगे और आगामी वर्ष में भुगतान अधिशेष आधिक्य की स्थिति सुधारेंगे।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, हम वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में विचार करने जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो कि भारत की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने व सुनियंत्रित दिशा में चलाने के लिए प्रभाव रखता है। इसी कारण उसकी एक विशेष स्थिति मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्षों की अपेक्षा आपस निर्यातसेतु बनते हमारी स्थिति में जो सुधार होना चाहिए था वह नहीं हुआ है यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि मानवीय मंत्री जी ने उसके लिए सम्पूर्ण प्रयास भी किया परन्तु जैसी स्थिति निर्मित होनी चाहिए थी उसी प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई है, इसके कई कारण हो सकते हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता किन्तु इतना अवश्य है कि—हम आयात और निर्यात में संतुलन बनाये रख कर जिस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे और अपनी विदेशी मुद्रा के कोष में अभिवृद्धि करना चाहते थे—उसमें हम समक्ष नहीं हो सके हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो भी प्रयत्न रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी है, ऐसा महसूस नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इन प्रयत्नों को बढ़ाया जाना चाहिए और जहां कमी हो उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। हमारी विदेशी मुद्रा की बचत में जो गिरवट आई है उसे प्रयत्नपूर्वक ठीक करना होगा। आज हमारी यह बचत घटकर केवल 4500 करोड़ रह गई हैं।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान वाणिज्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण अंगों की ओर आकर्षित करना चहता हूं, जैसे एस० टी० सी० है, एम० एम० टी० सी० है, तथा अन्य अण्डर-

टेकिंग्ज है। सबसे पहले एस० टी० सी० को लेता हूं। मैं इसके कार्यकलापों में विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसका कार्य संतोषप्रद नहीं है। एस० टी० सी० द्वारा बाजार की मांग के अनुरूप भिन्न वस्तुओं की मांग के आधार जो पूर्ति की जानी चाहिये थी, वह नहीं हो रही है। और इसके कारण कई क्षेत्रों में विपरीत असर पड़ा है। मैं तम्बाकू का उदाहरण देना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में निर्णय किया गया था कि तम्बाकू उत्पादकों को ठीक दाम मिल सके यह काम एस० टी० सी० की मार्फत किया जाएगा, वह बाजार में तम्बाकू खरीदेगी, लेकिन मेरे पास जो नोट है, मैं उसे यहां पर उद्धत करना चाहता हूं—

"1979 में 15,000 मी०ट० तम्बाकू खरीदने के सरकार के निर्णय के बावजूद, राज्य व्यापार निगम मध्य मार्च तक भी, इसका प्रबन्ध करने में असफल रहा। राज्य व्यापार निगम के प्रवेश में तीन मास का विलम्ब हुआ है। ऐसा केवल निहित स्वार्थों द्वारा उत्पादकों को लूटने में सहायतार्थ किया गया। व्यापारी द्वारा उत्पादक को औसतन लगभग 3 रुपये प्रति कि० ग्रा० की कीमत दी गई। उत्पादक असहाय है। 1979 में केवल 80,000 टन फसल होने की आशा है। फिर भी उसकी कोई मांग नहीं है। तम्बाकू बोर्ड ने बड़े व्यापारियों के लाभ के लिये, कीमतों को निम्न स्तर पर रखने का भली भांति प्रबन्ध किया है। राज्य व्यापार निगम द्वारा 15,000 टन की प्रस्तावित खरीद का बाजार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है।"

मैंने केवल एक उदाहरण-मात्र इसे आपके सामने रखा है।

इसी प्रकार से कई अन्य वस्तुएं हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि जो कार्य उसको करना चाहिए था वह उसने नहीं किया है। खाद्य तेल की भी यही स्थिति है जब विश्व बाजार में कम थे, नहीं खरीदा और बाद में ऊंचे दाम पर खरीदा। हमारे व्यापार में इसके माध्यम से जो एक सन्तुलित व्यवस्था आनी चाहिये थी, वह नहीं आई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया। एस०टी०सी० की मारफत कुछ चांदी के निर्यात किये जाने का सौदा किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से चांदी का निर्यात किया जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया क्योंकि यह अनुबन्ध एस०टी०सी० की मारफत हुआ था और अनुबन्ध की समय पर पूर्ति न होने के कारण एस०टी०सी० को भारी घाटा होने की सम्भावना है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा—मेरी जानकारी के अनुसार कुछ पाबन्दियों के साथ आप निर्यात की अनुमति देने जा रहे हैं, लेकिन जब सौदा हुआ था उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, उस समय विश्व में चांदी का बाजार भाव क्या था और आज का क्या भाव है और यदि इनके अन्तर को लिया जाय तो एस०टी०सी० को कितनी हानि अथवा लाभ होगा ? यह सब विचार योग्य विषय बातें हैं।

दूसरी बात मैं रेडी-मेड गारमेंट्स, सिले-सिलाये वस्त्रों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह बात बहुत कही जाती रही है कि हम सिले-सिलाये वस्त्रों के लिये बाजार ढूंढ रहे हैं और इसमें काफी सफलता भी मिली है किन्तु आज गारमेंट्स एक्सपोर्टस के सामने संकट है। यह 11 अप्रैल के 'इकोनोमिक टाइम्स' में विस्तार से दिया है काफी विदेशी मुद्रा भी हमने अर्जित की है, प्रसिद्धि भी हो रही है। इसके बारे में पहले सरकार ने एक "कैश-एसिस्टेंस" की स्कीम जारी

(श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय)

की थी। अब मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य देखा है 12 अप्रैल के 'इकोनोमिक टाइम्स' में छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यापारी इस बात को पूरा करे कि कोई कैश-एसिस्टेंस की स्कीम 31 मार्च, 79 तक लागू थी। मैं एक पत्र आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं—इस पर "स्ट्रिक्टली-काट्रीडेन्शल" लिखा हुआ है। "यह हथकर्घा निर्यात वर्धन परिषद का पत्र सं० एच इ पी सी। 1132/पी ओ एल/खण्ड दिनांक 24-4-1978 है।"

इसमें आगे चलकर स्पष्ट किया गया है कि कैश असिसटेंट स्कीम 31 मार्च, 79 तक लागू रहेगी।

जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि मंत्री महोदय के द्वारा किया गया एक स्पष्टीकरण जो इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है जिसमें उसने लिखा है कि उस समय 31 मार्च की कोई समय अवधि निर्धारित नहीं हुई थी: जब कि हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल के गोपनीय पत्र में साफ-साफ लिखा है मैं उद्धत करता हूं : "सूती हथकर्घे 'खादी' खादी के वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के निर्यात के लिए निम्नलिखित दरों पर निर्यात सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1979 तक लागू रहेगा।"

इसी प्रकार का दूसरा पत्र जो काटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल का 22 अप्रैल, 78 का है। उसमें भी यही बात कही गई है कि कैश असिस्टेंस स्कीम 31 मार्च 79 तक जारी रहेगी।

पहला पत्र श्री एम० मदुराय नायगम, सेक्रेटरी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल के द्वारा एक सरकुलर के रूप में प्रकाशित किया तथा दूसरा एस० वैकटेश्वरन के नाम से है। इसी संदर्भ में कुछ और भी पत्र है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस प्रकार के आदेश दिये गये। इस प्रकार के आदेश देने के बाद फिर इंकार करने से उनके सामने काफी कठिनाई पैदा हो गई है। रेडीमेड गारमेंट वालों को जिस प्रकार से कोटा उपलब्ध कराने की बात कही गयी थी और आज हम उनको कोटा नहीं दे सके हैं इससे उनके सामने कठिनाइयां हैं। अगर ये कठिनाइयां उनके सामने बनी रहीं तो हम निरन्तर बाजार खोते चले जायेंगे और हमारे सामने संकटपूर्ण स्थिति बन जायेगी। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का इसमें विरोधाभास क्यों है ?

मैं इन्जीनियरिंग गुड्स के बारे में कहना चाहूंगा कि उसका निर्यात भी लगातार कम हुआ है। यद्यपि इस बारे में भी असिस्टेंस की बात कही गयी है लेकिन इन्जीनियरिंग गुड्स के निर्माता का कहना है कि यह असिस्टेंस उससे बहुत कम है जितनी की बात आपने कही थी। इससे उनको लाभ होने वाला नहीं। क्योंकि बाजार में स्टील के और दूसरी चीजों के दाम बढ़े हैं। हमने इंजीनियरिंग गुड्स का मार्कीट प्राप्त किया है। आप उन्हें पूरी सहायता दीजिए, तभी हम उसके निर्यात में सफल हो सकेंगे, अन्यथा सफल नहीं हो सकेंगे। मंत्री जी इसको देखने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। आज आलू उत्पादक खंडसारी व गुड़ बनाने वाले परेशान हैं उनके निर्यात पर विशेष ध्यान देता है। इसी प्रकार से अन्य और चीजें भी हम निर्यात करना चाहते हैं। हमने नये बाजार ढूंढे हैं। हमने आयरन के लिए और क्रीम के लिए चीन का बाजार ढूंढा है। अगर आयरन ओर की स्वदेश के अन्दर आवश्यकता है और हम अपने देश में इस्पात

की कमी अनुभव कर रहे हैं तो फिर आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने की क्या आवश्यकता है। बाहर से हम स्टील मंगाये और अपने यहां से आयरन ओर भेजें यह कहां तक ठीक है। हमें अपने देश में ही इतनी तकनीकि उपलब्धता प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि इसे बाहर न भेजना पड़े। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि हम इसकी खपत नहीं कर सकें और हमें इसे विदेशों को भेजना पड़े तो हमें इसके लिए नये बाजार तलाश करने की आवश्यकता है। पहले जापान हमारा इसका सबसे बड़ा खरीदार था लेकिन आज वह इस स्थिति में नहीं है कि वह इसको ले सके। हमारे देश में बहुत सी ऐसी उपलब्ध चीजें हैं जिनको भेजकर हम यहां से दूसरी चीजें प्राप्त कर सकते हैं।

इस मंत्रालय के अधीन एस.टी.सी. में कुछ सुधार हो रहा है लेकिन एम.एम.टी.सी. में भी सुधार की आवश्यकता है।

यद्यपि मंत्री महोदय ने उस बारे में प्रयत्न भी किया है, एम.एम.टी.सी. के कार्यक्रम में सुधार भी हुए हैं फिर भी देश में उत्पादित खनिजों के उत्पादन में, खनिजों के निर्यात में जो हमारे खनिज बाहर और कुछ ऐसी वस्तुएं या खनिज हैं जिन्हें हम एम.एम.टी.सी. के जरिए बाहर से मंगाते भी हैं उसमें कोई सन्तुलन नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश में अभ्रक बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है इसका अलग निगम भी बना हुआ है जिसकी बाहर मार्कीट भी है, उसमें निरन्तर गिरावट आई है। यह बात आपने जो रिपोर्ट 78-79 उपलब्ध कराई है उसको देखने से पता लग जाता है। अब इस निर्यात में किन उपकरणों से गिरावट आई है, विदेशी मार्कीट कम हुई है या क्या कारण रहे हैं यह भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। ऐसी वस्तुएं जिनका पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जा सकता है और जिनकी पर्याप्त मात्रा में यहां पैदावार भी होती है, उनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना होगा।

खाद्य तेलों का भी बहुत बड़ी मात्रा में आप आयात कर रहे हैं। दालों का यद्यपि आप उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उनका भी आपको आयात करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ का जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करने की और भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। खास तौर पर दिल्ली सुपर बाजार जो है और उसने बहुत सी अपनी शाखाएं भी खोल रखी हैं और जो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शेयरहोल्डर्ज को उसके द्वारा कितना लाभांश दिया गया है, उसके कार्यक्रम में कितना सुधार हुआ है, उसको कितना घाटा हुआ है, इस सबको भी आपको देखना चाहिए। उसको निरंतर घाटा हो रहा है, करोड़ों रुपये का हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस ओर निश्चित रूप से ध्यान दें।

आप सहकारी समितियों के जरिये आवश्यक वस्तुएं वितरित कराना चाहते हैं, सरकार वितरण का काम उनके हाथ में सौंपना चाहती है। लेकिन उनको जो ऋण उपलब्ध होता है उसके ब्याज की दर बहुत अधिक है। नौ प्रतिशत की दर पर आप उसको पैसा दे देते हैं वे उन पर अपनी रिकरिंग एक सपैंडीचर लगाते हैं इससे वस्तुओं की कीमतें और बढ़ा दी जाती हैं तो आप जो सस्ती वस्तुएं लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं वे उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। इस वास्ते

(डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय)

मेरा सुझाव है कि आप ब्याज की दर को कम करें ताकि लोगों को आप जो वस्तुएं वितरित कराना चाहते हैं वे उनको ठीक दामों पर और सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें।

वस्तुओं का क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत आवश्यक है। वस्तुओं के क्वालिटी कंट्रोल की आज कोई व्यवस्था नहीं है। काफी उनमें एडलट्रेशन होता है। इस क्वालिटी कंट्रोल के बारे में लोगों की काफी शिकायतें हैं। आपको उपाय करना चाहिये ताकि क्वालिटी पर कंट्रोल हो सके। इसके वास्ते आपको यदि कानून में सुधार या परिवर्तन अपेक्षित है तो वे भी उपाय करने होंगे।

मैं आंकड़ो में जाना चाहता हूं लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमारी संतुलित अर्थ व्यवस्था हो उसकी तरफ हमको विशेष ध्यान देना होगा। हम भारत की अर्थ व्यवस्था को जो दिशा देना चाहते हैं, जो गति देना चाहते हैं उसको वह दिशा और वह गति देने में वाणिज्य मन्त्रालय का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। उसको चाहिये कि वह आयात निर्यात में सन्तुलन बनाए रखे। ऐसा नहीं होना चाहिये कि आयात निरंतर अधिक होता रहे और निर्यात निरंतर गिरता चला जाए जैसा पिछले दिनों देखने में आया है। ऐसा अगर हम कर सकें तो हम अधिक सक्षम और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे और नागरिक आपूर्ति की दिशा में जो लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप आप कार्य कर सकेंगे।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे (अहमद नगर) : महोदय, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बुलाया। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसी टिप्पणियां करूं कि मंत्री महोदय और उनके सहयोगियों को अच्छी न लगें, मैं पहले ही कुछ ऐसी बातें बता देना चाहता हूं जोकि आपके मंत्रालय के ही हित में हैं। हमारा आम अनुभव है कि सरकारी विभाग या सरकारी संगठन ठीक प्रकार से कार्य संचालन नहीं करते, परंतु मैं श्री धारिया और उनके सहयोगियों को राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तुओं की वितरण परिषद् के उत्तम कार्य संचालन और जिस ढंग से यह इस देश में सहकारी आन्दोलन की कुछेक समस्याओं के प्रति व्यवहार्थ रुख अपनाये हुए है, धन्यवाद देता हूं। परंतु मुझे खुशी है कि नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग की ही रिपोर्ट के पृष्ठ 3 पर, एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पैरा दिया गया है, जिसे मैं उद्धृत करता हूं :—

"विश्व के किसी भी अन्य देश में सहकारिता आन्दोलन इतना विस्तृत और अनाविध नहीं है जितना कि भारत में है। यह सर्वथा अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ता। सदस्यता, साधनों और लेन-देन के मामले में वर्षों से ही सहकारिता गतिविधियां प्रगतिवादी ढंग से बढ़ती रही हैं। आज सहकारी गतिविधियों का आर्थिक मूल्य 15,000 करोड़ रुपये वार्षिक बढ़ गया है—जो कि कुल वार्षिक आय काल गभग एक चौथाई है। आन्दोलन में आठ करोड़ लोग सम्मिलित हैं और सम्भवतः यही एक प्रकार का ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें सर्वाधिक संख्या में लोग फंसे हुए हैं।"

जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, मैं मंत्रालय के निर्धारण से पूर्णरूप से सहमत हूं परंतु फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि आपकी नियत ठीक है और जहां तक सहकारिता विभाग का सम्बन्ध है आप उचित नेतृत्व कर रहे हैं, परंतु फिर भी जहां तक सहकारिता आन्दोलन का संबंध है, समग्रतः सरकार की विचारधारा पूरी तरह से अस्पष्ट है।

महोदय, कुछ दिनों पहले, सहकारी एककों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा चली थी। मैं यह तो

नहीं कहना चाहता कि सहकारी-क्षेत्र में खामियां नहीं हैं। मैं जानता हूं कि इसमें अनेकानेक कमियां हैं। परंतु मेरा मुद्दा यह है कि जब हम लोकतान्त्रिक ढांचे के बारे में चर्चा और बातचीत करते हैं और हम यह भी जानते हैं कि इसमें अनेक कमियां हैं तो क्या हम कोई ऐसी बात करते हैं कि लोकतन्त्र को समाप्त कर दिया जाये। सच बात तो यह है कि हम यह कहते हैं कि लोकतन्त्र की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो सम्भवतः इस देश को सही दिशा में ले जा सकती है। इस प्रकार, यदि सहकारिता आन्दोलन में कुछ त्रुटियां हैं तो, क्या राष्ट्रीयकरण ही इसका उपाय रह गया है। निस्सन्देह, अन्ततः अच्छी भावना व्याप्त हो रही है। यह अच्छी बात है। मैं मुख्यतया राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूं।

अगर जन प्रतिनिधित्व का यह बेहतर स्वरूप होता तो मैं राष्ट्रीयकरण का विरोध नही करता। साम्यवादी देशों में राष्ट्रीयकरण भिन्न प्रकार का होता है। वहां नौकरशाही पर साम्यवादी वर्ग और जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण होता है। वह नौकरशाही को समुचित दिशा, सलाह देते हैं और उस पर अंकुश रखते हैं। पर हमारे यहां राष्ट्रीयकरण के बाद संगठनों में जन प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाता है और नौकरशाही आरोपित होती है। यह है आप के राष्ट्रीयकरण का काम करने का तरीका। इससे स्पष्ट है कि आपकी सरकार सफल होने नहीं जा रही। पर मुझे खुशी है कि अन्ततः यह निर्णय नहीं हुआ।

आप का मंत्रालय आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करने तथा उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने का उत्तरदायी है। आपके अपने प्रतिवेदन में कहा गया है—मुद्रा फैलाव रोकने एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुधारने की मूलभूत नीति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुल योग और पूर्ति के कार्य योग्य प्रबंध व्यवस्था पर निर्भर है। इस नीति के आधारभूत विषय हैं, (1) मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण : और (2) सरकारी वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना। इससे अनेक बातें सामने आती हैं। शायद श्री धारिया मूल्य नियंत्रण के अपने मिशन में सफल होने वाले नहीं हैं। इसका कारण है अर्थव्यवस्था के कई ऐसे घटक जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, कल वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था का जो मूल्यांकन किया उससे शायद आप अवगत होंगे। पर मुद्रा प्रसार विकास की गति से आगे बढ़ रहा है। यही हमारे लिए खतरा है जिसके प्रति हमें सावधानी बरतनी होगी। मैं समझता हूं मुद्रास्फीति आ चुकी है। पर इसे रोकना कठिन है। आपको इतने अधिक अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने चाहिए थे और घाटे की बजट व्यवस्था का सहारा नहीं लेना चाहिए था। कीमतें बढ़ रही हैं। मेरा पिछली सरकार में रहने का अनुभव है कि 1972 के बाद कीमतों को कम करने के हर प्रकार के उपाय करने के बावजूद सरकार कीमतों को रोकने में सफल नहीं हुई। आज आप भी उसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं। आपका कहना है कि आप मूल्यों को स्थिर रखने में सफल रहे हैं। पर घाटे की बजट व्यवस्था करने के कारण अब आप इसमें सफल नहीं होंगे। कभी-कभी यह जरूरी होता है। पर यह तभी ठीक हो सकता है जब सत्ताधारी दल या नीति निर्माता स्थिति पर काबू रख सकें। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आपकी पार्टी के विभिन्न घटक आपस में लड़-झगड़ रहे हैं। आपका राजनीतिक नियंत्रण नहीं रहा। अतः घाटे की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा।

(श्री अण्णु साहिब पी. शिंदे)

आपने सरकारी विवरण प्रणाली की बात कही। मैं इसके पक्ष में हूं। लाखों गरीब लोगों को उचित मुल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का यही एक तरीका है। आपके निर्वाचन क्षेत्र पुणे में व्यापारियों का एक सम्मेलन हुआ। आपके दल से सम्बद्ध मंत्रियों ने उसमें हिस्सा लिया। आपके साथियों के सहयोग से देश में सरकारी वितरण प्रणाली लागू करने के खिलाफ संकल्प पारित किए जाते हैं। पर आप कहते रहते हैं, हम सरकारी वितरण व्यवस्था लागू करेंगे। अगर आप स्वयं ही एक बहुमत दल होते तो शायद आप इसमें सफल होते पर जो लोग बिचौलियों में, जनता का शोषण करने में विश्वास रखते हैं वे आपकी इस योजना को सफल नहीं होने देंगे। और पिछले 10 वर्ष से इस प्रणाली की बात करते आ रहे हैं पर निहित स्वार्थ आपको यह सब नहीं करने दे रहा। अतः आपको इन सब बातों का वास्तविक मूल्यांकन करना चाहिए।

आपने मूल्यों में स्थिरता की बात कही। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आपने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि कृषि उत्पादन के कारण कीमतों में स्थिरता आई है। इसी अवधि में निर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं और कृषि उत्पादों के दाम गिर गए हैं। मैंने इस बात का उल्लेख कृषि मंत्रालय की अनुदानों की लोगों पर बोलते हुए भी किया है। फसल कटने के बाद जब उपज मण्डी में आती है तो उसके दाम बहुत गिर जाते हैं। मूल्य सूचांक की क्या स्थिति है ? अखिल भारतीय मूल्य सूचांक 1977 में 174 से घट कर 1978 में 139 रह गया है। गूहं का मूल्य सूचांक जनवरी में 166 से घटकर जून में 148 रह गया। मुख्य कृषि वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है। पर आपकी मूल्य स्थिरता खेती की कीमत पर बनाए रखी गई है जिसके लिए आपको बाद में कीमत चुकानी होगी।

निर्यात के बारे में मेरे दोस्त ने पहले ही कह दिया है कि मंत्रालय इस मामले में पूर्णतः असफल रहा है। मैं केवल कृषि निर्यात या उसकी नीति विषयक पहलू पर ही बोलूंगा। पर इससे पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और बांगलादेश के साथ हम अपने व्यापार सम्बन्ध सुधारने में सफल भी हुए हैं। अच्छी बात है कि हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री बांगलादेश गए हैं और व्यापार के मामले में कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। इस समय पाकिस्तान के साथ हमारे निर्यात विषयक कैसे सम्बन्ध हैं। वहां बहुत-सी वस्तुओं के निर्यात करने के लिए सम्भावनाएं विद्यमान हैं। 1977-78 में भारत ने पाकिस्तान को 13 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया। जबकि आयात 23 करोड़ रुपये का रहा। बांगलादेश को 1977-78 में 51 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ और आयात 1.6 करोड़ रुपये का हुआ। इससे पता चलता है कि पड़ोसी देशों में भी जहां निर्यात की काफी सम्भावनाएं हैं हम सफल नहीं हुए हैं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

कृषि वस्तुओं के निर्यात के मामले में मंत्रालय में बिल्कुल ही गलत फहमी है। पिछले वर्ष मैंने स्वदेशी सिद्धान्त का उल्लेख किया था। हमें गांधी जी के इस मंच पर गर्व है। खेती हमारा सबसे बड़ा उद्योग है। पर आप जो निर्णय लेते हैं वे कितने भेदमूलक होते हैं। आप किसानों की दशा को ध्यान में रखे बिना आयात करने का फैसला कर लेते हैं। यह पिछले तीस वर्षों से होता आ रहा है। मुझे इसकी शिकायत है हालांकि मैं भी पिछली सरकार का सदस्य रहा हूं। जब किसान अपनी कपास बाजार में लाने लगा तो हमने उसका आयात आरम्भ कर दिया। आप श्रीमती गांधी की सरकार की आलोचना करते रहते हैं पर आपने भी अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया

है। अतः आपको अपनी नीति को बदलने की जरूरत है। आपने बिना सोचे-समझे 400 करोड़ रु० के मूल्य का कपास और खाद्य तेल कैसे आयात किया। क्या आपने इतने बड़े आंकड़ों की बात कभी पहले सुनी।

महोदय, आयात तो करना पड़ता है पर कृषि वस्तुओं के संरक्षणार्थ एक मशीनरी होनी चाहिए। कृषि वस्तुओं को भेदभाव से बचाने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई मंत्री या अधिकारी अपनी इच्छा से इस विषय में कोई निर्णय न ले सके।

विश्व के कई देशों में ऐसे विधान मण्डल हैं। यहां हम केवल दुर्भाग्यपूर्ण दर्शक के रूप में हैं। एक संसदीय विधान तथा संस्थागत ढांचा होना चाहिए। बिना उचित जांच के ऐसा कोई आयात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो कृषि के आधार को समाप्त करे जैसाकि उद्योगों के मामले में हमारा तकनीकी विकास का महानिदेशालय है। हमें पी० एल० 480 के बारे में मालूम है। इससे बड़ी भारी क्षति हुई है यद्यपि इसके अन्य पहलू भी हैं। मुझे खुशी है कि हम इससे बाहर निकल आये हैं।

जहां तक कृषि निर्यात का सम्बन्ध है—हम उन्हें अन्य पहलुओं में न अपनाएं क्योंकि उनकी भिन्न स्थिति है—हम अमेरिका से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गत वर्ष अमेरिका ने 27 अरब डालर की कृषि वस्तुओं का निर्यात किया। कृषि वस्तुओं के आयात और निर्यात के बाद उनका अनुकूलन व्यापार संतुलन 13 से 14 अरब डालर का था। मैं समझता हूं कि भारत की स्थिति इस सम्बन्ध में अमेरीका से अच्छी है। हमें प्रसन्नता है कि कृषि ने अच्छी प्रगति की है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा संकेत है कि सरकार ने सही दिशा में शुरूआत की है। मैं नहीं समझता कि क्या हम सफल होंगे। मैं आर्थिक समीक्षा से पढ़ रहा हूं:

"अब तक नीति ऐसे उत्पादों का निर्यात करने की रही है जिनका देश की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। यह स्पष्ट है कि निर्यात की आवश्यकताएं देश के उत्पादन आयोजन में शामिल नहीं हुई हैं। अब उत्पादन की सम्भावना औद्योगिक और कृषि दोनों का विकास करने के लिए ठोस प्रयत्न किये जाने चाहिए जिससे कई किस्म के माल के निर्यात की सम्भावना होगी। कृषि वस्तुओं के निर्यात का विकास करने पर और अधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह नहीं पूछना चाहिए कि आज भारत के निर्यात में कृषि वस्तुएं तथा कृषि पर आधारित औद्योगिक उत्पाद अधिक भाग हैं। भारत के प्रमुख निर्मित निर्यात पर विकसित देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण होने वाली कठिनाइयां इसका अंशतः उत्तर है।"

मेरे पास विस्तार से बताने के लिए समय नहीं है। आपने पहले की कार्य बल की नियुक्ति की है। आप जानते हैं कि कार्य बल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात की आपकी नीति अनियमित, तदर्थ तथा असंगत है। इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह सरकार का प्रतिवेदन है। ये मेरे शब्द नहीं हैं। मुझे आशा है कि आप इनसे सीखेंगे।

श्री मोहन धारिया : यह मेरी अपनी रिपोर्ट है।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : अतः आपका इसे स्वीकार करना चाहिए। आपको सभा

(श्री अण्णा साहिब पी. शिन्दे)

को तथा देश को कहना चाहिए कि आप कार्य बल की सिफारिशों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत 300 करोड़ के मूल्य की कृषि वस्तुओं का निर्यात कर सकता है। इससे काफी रोजगार मिलेगा। कठिनाईयों के समय भी आपका निर्यात संगत होना चाहिए। इसके बिना आप निर्यात बाजारों को बनाये रखने में सफल नहीं होंगे।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं : चीनी के निर्यात के बारे में मैं कहूंगा कि प्रतिवेदन में आपने जो उल्लेख किया है वह गलत है। अत: मैं चाहता हूं कि आप वस्तु स्थिति को देखें। आपने कहा है कि कीमतें 1977-78 में गिरी हैं और यही कारण था कि निर्यात नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। उस समय कीमतें लाभप्रद थीं किन्तु हमारी असफलता के कारण अर्थात् जब हमारे पास स्टाक थे तो हम देश में चीनी का भण्डार नहीं बना सके और हमारे पास गोदाम नहीं थे। देश की खपत के लिए आवश्यकता नहीं थी। यह बात तब समझ में आ सकती थी यदि देश के उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपने निर्यात में कमी की होती। किन्तु जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, जब देश में खपत के लिये इसकी आवश्यकता नहीं थी, हमारे पास इसका भण्डार बनाने के लिए कोई स्थान नहीं था और हमने उत्पादन बन्द किया था। यहां तक कि 1977-78 में जब कीमतें 1978-79 की अपेक्षा अच्छी थीं। आपने 1978-79 में निर्यात किया जब कीमतें घट गई थीं। मेरा आपसे विवेदन है कि आप प्रतिवेदन पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार का गलत वक्तव्य न हो ताकि सरकार की विश्वसनीयता पर असर पडे। धन्यवाद।

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य, सिविल सप्लाईज और सहकारिता मंत्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

(श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए)

हमारे मंत्री महोदय एक कुशल और अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में जो कुछ काम हुआ है, और आगे के लिए जो योजनायें हैं, उनके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

पहले मैं एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ बातें समीक्षा के रूप कहना चाहता हूं। अभी जार्ज साहब ने, जो खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, श्री धारिया के सम्बन्ध में बहुत क्रुएल शब्द इस्तेमाल किए। मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। यह सही है कि 1976-77 में हमारा निर्यात 28 परसेन्ट बढ़ा था, 1977-78 में वह 4.4 परसेंट बढ़ा था और 1978-79 के बारे में अन्दाज ही किया सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीद है जा कि उसके सम्बन्ध में कुछ ज्यादा आशा नहीं रखी जा सकती है।

लेकिन यह हुआ कैसे ? इसको प्रापर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। जहां तक विश्व व्यापार का सम्बन्ध है, 1976 में वह 11 परसेट बढ़ा, 1977 में वह घटकर 4 परसेंट रह गया और 1978 के बारे में भी ऐसी आशा है कि वह 4, 5 परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अपने एक्सपोर्ट्स को उस संदर्भ में देखना चाहिए, और इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि हमारे देश में हालात अच्छे नहीं थे। पावर का ब्रेक-डाउन हुआ। यातायात के साधन भी बहुत अवरुद्ध हो गए। बाढ़ इस कदर आई कि हमारे माल की ढुलाई नहीं हो सकी। पोर्ट्स में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि लदान नहीं हो सका। इन सब बातों के कारण हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सका।

एक कारण यह भी था कि हमारी पालिसी में एक पाजिटिव बात आई, जिसके बारे में मैं बधाई देना चाहता हूं, और वह है सोशल कास्ट्स का फैक्टर। कोई उसको नजर-अंदाज कर दे, तो वह बात दूसरी है, लेकिन यह सही है कि अगर हम शकर, प्याज और आलू आदि रोज-मर्रा की जरूरत की चीजों को एक्सपोर्ट करें, और हमारी दृष्टि केवल फारेन एक्सचेंज कमाने पर रहे, जैसी की पहली सरकार की रही है—उसकी वृत्ति रही है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते चले जाओ, और हर साल के आंकड़े बताते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़े— 'अगर हम एक्सपोर्ट्स फार एक्सपोर्ट्स सेक की नीति पर चलें, तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता।

यह चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट या जो भी व्यापार हमारे देश का होता है वह हमारे समाज की तरक्की के लिए होना चाहिए। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो तरक्की होगी यह बात सही है लेकिन उस के साथ हम अपनी ऐसेंशियल कमोडिटीज को बेचकर फारेन एक्सचेंज कमायें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे यह रिपोर्ट पढ़ने से प्रसन्नता हुई जिस के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। उस में वह कहते हैं—

"सरकार ने कुछ वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबन्धित और नियन्त्रित करने की नीति जान-बूझ कर बनाई है ताकि वे देश में उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और इस प्रकार निर्यात की सामाजिक लागत को कम किया जा सके।"

यह बात अपनी जगह सत्य है उस को इन्कार करें लोग और यह कहें कि हमारा एक्स पोर्ट घटा है यह बात अलग है। हमारे महाराष्ट्र के मित्र कह रहे थे कि कुछ ऐसी लाबी क्रियेट की जाय ऐग्रीकल्चरिस्ट्स की ओर से कि जिस में प्याज बाहर जाने लगे। मगर उस समय यहां प्याज 6-7 रुपये के भाव पर बिक रही थी, कन्ज्यूमर्स को तंगी थी। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी बात सही है कि प्याज मारी-मारी फिरने लगे तो उसका एक्सपोर्ट जरूर होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई चीज सरप्लस होती है बाजार में और उस को बाहर भेजने से किसानों का भला हो सकता है तो उस में एक्सपोर्ट की गुंजाइश रखनी चाहिए और उस का एक्सपोर्ट करना चाहिए।

दूसरी बात यह देखें कि हमारा ट्रेड गैप बढ़ा है, डेफिसिट हुआ है, उस की ओर सब का ध्यान जाना चाहिए, देश के लोगों का और पार्लियामेंट का ध्यान जाना चाहिए। 76-77 में 72 करोड़ की बचत थी, 77-78 में 693 करोड़ का घाटा हो गया, डेफिसिट हुआ, ट्रेड-गैप हुआ और 78-79 में लगभग 1 हजार करोड़ का गैप हैं। तो ये जो गैप्स है ये काफी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उस के बारे में भी अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो पता चलेगा कि जो हमारे इम्पोर्ट्स बढ़े हैं वह इम्पोर्ट्स बढ़ने भी आवश्यक हैं। जो डेवलपिंग एकोनामी है, जिस को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसमें जैसे उद्योग धन्धे हैं, उन में अगर मशीन्स की जरूरत है या रा-मैटीरियल की जरूरत है जो हमारे देश में नहीं उपलब्ध तो उस की कमी को हमें पूरा करना चाहिए। इस तरह इस बात के लिए भी हम उन को बधाई देंगे कि इस मामले में उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हमारे ट्रेड गैप्स नहीं बढ़ने चाहिए बल्कि इस बात का ख्याल किया कि हमारे उद्योग-धन्धे ठप्प न हो जाएं या ऐसा न हो कि उन का एक्सपैंशन न हो सके, उन की उत्पादन क्षमता न बढ़ सके, इस

(श्री तेज प्रताप सिंह)

बात का उन्होंने ध्यान रखा। इस के लिए भी मैं उन को बधाई देता हूं। फर्टिलाइजर्स में भी हमारे इम्पोर्ट बढ़े हैं और बहुत-सी चीजों में बढ़े हैं। यह बात अपनी जगह सही जरूर है जो शिन्दे साहब ने कही कि ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी तो बढ़ना चाहिए। पिछले 30 वर्षों में सिंचाई के साधन ज्यादा बढ़े नहीं। कुल दस परसेंट रहे। बुन्देलखंड जहां से मैं आता हूं वहां जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है उस के पाँच से दस परसेंट में सिंचाई के साधन तीस सालों में मुहैया किए गए। अब जहां-जहां सिंचाई के साधन हैं वहां 25 से तीस मन प्रति एकड़ पैदावार होती है। वह हम बढ़ा सकते हैं। तो उस में भी बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सिंचाई के साधन बढ़ने के लिए काफी फंड्स बढ़ाए गए हैं। लेकिन उस में समय लगेगा। तब तक हम फर्टिलाइजर भी न मंगाए, सीमेंट भी न मंगाए जो जरूरत की चीजें हैं तो हमारा कोई उद्योग धन्धा बढ़ेगा नहीं। उन्होंने काफी ध्यान इस पर दिया है, इसलिए मैं उन को बधाई देता हूं। लेकिन यह भी बात है कि गैप बढ़े, यह भी एक चिन्तनीय बात है।

ये जो इम्पोर्ट्स बढ़े हैं इन के बारे में मैं रिपोर्ट से कुछ समझ नहीं सका क्योंकि यह इतना बड़ा काम है, उसमें कौन-कौन से आइटम्स को आप ने इम्पोर्ट करने की इजाजत दी, उनको भी तो देखिए। आप कहते तो हैं रिपोर्ट में कि वह इसलिए मंगाए गए कि उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्रीज में पैदावार बढ़ेगी और छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज की ओर आपका ध्यान है क्योंकि उससे आप की यह प्राबलम भी साल्व हो जाएगी, लेबर उसमें लगेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो वह तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हुआ ? जो आप कहते हैं इसमें आशा दिखलाते हैं कि आगे चलकर हमारा काम अच्छा हो जाएगा तो वह प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसके लिए कोई आप की विजिलेंस टीम होनी चाहिए जो यह देखती रहे कि इम्पोर्ट्स सही हुए हैं या नहीं और उनका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है।

विश्व व्यापार की चर्चा मैं कर रहा था। तो उसमें हमारा हिस्सा 0.49 है, यानीं हाफ परसेंट है जबकि 1/5 हमारी पापुलेशन है। तो इतना बड़ा राष्ट्र इतनी बड़ी पापुलेशन और हम कहां क्या कर रहे हैं, कहां कमी है हमारे में कि उस गैप को पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारा प्रापर प्लेस विश्व में आना चाहिए। एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में मेरे मित्र कह रहे थे कि इंजीनियरिंग गुड्स में एक्सपोर्ट घटा है लेकिन मेंने देखा 9 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। हैंडीक्रैफ्ट में भी बढ़ोत्तरी हुई है। कई डायनेमिक सेक्टर्स में बढ़ोतरी हो रही है। इससे फारेन एक्सचेंज बढ़ेगा।

जैसा कि शिंदे साहब कह रहे थे, एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दिया गया है, उसकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी आई है जिसके लिए मैं बधायी देना चाहता हूं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि कमियां कहां हैं और किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। विश्व में हमारा नाम हर माने में ऊंचा है लेकिन व्यापार ने हमको कलंकित किया है क्योंकि कोई क्वालिटी कन्ट्रोल नहीं है। सारे दफ्तर खुले हुए हैं, प्री-शिपमेंट इन्स्पेक्शन भी होता है फिर आखिर वे लोग करते क्या हैं। हमारा बहुत-सा माल बाहर लौट आता है क्योंकि सेम्पुल्स के मुताबिक माल सप्लाई नहीं किया जाता। तो इस तरह से काम नहीं चल सकता है।

दूसरी बात यह है कि क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ाई जानी चाहिए। कोआपरेटिव सेक्टर में जो काम करते हैं उनको विशेष रूप से क्रेडिट फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। एक्सपोर्ट इन्टेलिजेंस

सर्विस को व्यवस्था भी नहीं है। इसकी व्यवस्था भी अगर की जाती है तो उससे काम और बढ़ेगा। इसके साथ-साथ हमारे दूतावासों में भी ऐसे लोग रखे जाने चाहिए जिनको इसकी जानकारी हो। मुझे कुछ देशों का भ्रमण करने का मौका मिला, मैंने दूतावासों में देखा कि उनका ट्रेड कामर्स से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। हम से लोग कहते थे, मेरा तो कोआपरेटिव से सम्बन्ध था, कि हमारा आपका म्यूचुअल ट्रेड, व्यापार बढ़ाना चाहिए। तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमारे देश में अच्छे से अच्छे एकोनामिस्ट हैं, कामर्स के ज्ञाता है, उनकी फौज है इसलिए ऐसे लोगों को दूतावासों में रखा जाना चाहिए जो कि इसकी जानकारी रखते हैं। केवल व्यूरोक्रैट्स ही वहां पर रहेंगे तो ट्रेड बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि मुझे इस बात का अनुभव है ईसलिए में कह रहा हूं कि इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मिक्स्ड एकोनोमी है इसमें कोआपरेटिव्ज का व्यापार में क्या स्थान है। हमारे देश में 10-12 बिग हाउसेज हैं वही सारा रुपया कमाते हैं। कम से कम कोआपरेटिव सेक्टर को इस दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिये। पब्लिक सेक्टर को आप आगे बढ़ायें लेकिन साथ साथ कोआपरेटिव सेक्टर को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं सिंदे साहब से इस बात में सहमत हूं कि कोआपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा मिलना चाहिए। आप देखें कि नाफेड सबसे बड़ी संस्था है लेकिन उसका शेयर-कैपिटल केवल 60.43 लाख है। 1977-78 में वह बढ़कर 60.96 लाख हुआ। एक तरह से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। और इसमें गवर्नमेंट का केवल 40 हजार का ही शेयर पार्टिसिपेशन है। मैं तो समझता हूं कि इसको 40 करोड़ होना चाहिए। अगर आप नाफेड को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं इसका लक्ष्य सारे व्यापार में एक तिहाई, 1000 करोड़ का होना चाहिए। जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं उसके अनुसार एक्सपोर्ट में 1977-78 में 10.92 करोड़ का एक्सपोर्ट एलाऊ किया गया जबकि 1976-77 में 18.54 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया था। पिछले वर्ष भी मैंने अपील की थी कि अगले वर्ष कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए लेकिन वह 18 करोड़ से 10 करोड़ ही रह गया। यह बहुत भयंकर स्थिति है, हमारा कोआपरेटिव सेक्टर उभर नहीं रहा है। मेरा सुझाव है कि आप नाफेड को स्ट्रेंथेन करें। आपने 40 लाख का शेयर कैपिटल दिया हुआ है, मेरा तो सुझाव है कि 40 करोड़ होना चाहिए फिर भी आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के पर्सपेक्टिव में जो मुनासिब समझें रखें लेकिन पांच वर्ष की आप एक योजना बनायें कि इसका टर्नओवर कम से कम एक हजार करोड़ का होगा। अभी इसका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है। पहले 36 करोड़ था वह 46 करोड़ हो गया 1977-78 में। यह इतनी बड़ी संस्था है, इसका टर्नओवर एक हजार करोड़ होना चाहिए। इसकी तमाम छोटी छोटी सहकारी संस्थाएं हैं। आप देखें कि व्यापारी 150 रुपये की मसूर 300 रुपए में बेचता है। आप इनको एलीमिनेट क्यों नहीं करते हैं। आपके सारे एग्रीकलचर प्रोडयूस का मार्केटिंग इन मार्केटिंग सोसायटीज की मारफत होना चाहिए। आप इनके शेयर-पार्टिसिपेशन को बढ़ाकर इनको सक्षम बनाइये, समृद्ध बनाइये और यह सारा व्यापार इनके माध्यम से होना चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो किसानों का एक्सप्लायटेशन नहीं होगा, मिडिल-मैन बीच में से निकल जायगा।

एन.सी.सी.एफ. को लीजिये। आज हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारी जो भी

(श्री तेज प्रताप सिंह)

दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनका डिस्ट्रिब्यूशन कोओपरेटिव्ज की मारफत होना चाहिये। मैंने तमाम ईस्ट-यूरोपियन कन्ट्रीज में देखा है, रूमानिया, बलगेरिया और दूसरे मुल्कों में देखा है—100 प्रतिशत देहाती क्षेत्रों में जनता को कोआपरेटिव सोसायटीज की मारफत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा वितरण किया जाता है। हमारे यहां भी नेशनल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव फेडरेशन बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन उसकी पूंजी 1977-78 में 286 लाख रुपए थी और उसमें सरकारी हिस्सा 37 लाख का था। इसमें 40-45 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वह सक्षम बन सके। इस संस्था को बहुत विशाल बनाना चाहते हैं, इसके अन्तर्गत 50 हजार सोसायटीज के द्वारा कपड़ा, नमक, तेल आदि बांटते हैं, लेकिन यदि धन की दृष्टि से इसको सक्षम नहीं बनायेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप इनके सेल्ज की टर्न-ओवर को देखिये—जो पहले 63 करोड़ थी, अब 91 करोड़ रह गयी है। मैं चाहता हूं कि इनके लिए भी आप पांच वर्ष की योजना बनाइये—यह ठीक है कि शायद मैं जितना कहूं, वह इसकी शक्ति के अनुरूप न हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 हजार करोड़ रुपए का टर्न-ओवर तो हो—ऐसी व्यवस्था इसमें करनी चाहिए। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको फण्डस की व्यवस्था करनी होगी।

अब आप स्टेट कन्ज्यूमर्ज फैडरेशन्ज की हालत को देखिए। सारे देश में 20-25 के करीब स्टेट कन्ज्यूमर्स फैडरेशन्ज हैं और इन सब को मिला कर 66 करोड़ रुपये का टर्न ओवर है—यह कितनी हास्यास्पद बात है। हम व्यापार के जिस लक्ष्य को अपने सामने रख कर चल रहे हैं—इस तरह से उस को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर है, यदि उसमें पैसा नहीं लगायेंगे, उनके लिये साधन मुहैया नहीं करेंगे तो यह हास्यास्पद बात ही बनी रहेगी। मैं चाहता हूं—आप इस ओर ध्यान दें।

चूंकि मैं इस समय कोआपरेटिव्ज का जिक्र कर रहा हूं—इस लिये आज देश में कोआपरेटिव सोसायटीज की जो स्थिति चल रही है—थोड़ा उस पर भी विचार कर लीजिए। हमारी कोआपरेटिव्ज का जो स्ट्रक्चर है, वह डेमोक्रेटिक डेस्ट्रक्चर है, वह एक वे-आफ-लाइफ है जिसमें हम डेमोक्रेटिक सेट-अप रखते हैं। लोग उसमें चुनकर आते हैं। लेकिन आज आम हालत यह है कि जो भी नई सरकार आती है। वह उनको सुपरसीड करके अपने आदमियों को बैठाल देती है, अपने आदमियों को नामिनेट कर देती है, बहुत-सी जगहों पर आफिसर्ज को एड-मिनिस्ट्रेटर एप्वाइन्ट कर दिया जाता है। अगर वहां ब्यूरोक्रेसी रहेगी, पोलिटीकलाइजेशन रहेगा, इन-रोड्स बनी रहेगी, तो हमारा यह मूवमेन्ट कभी स्वस्थ नहीं हो सकेगा और ठीक तरह से बढ़ नहीं सकेगा। इस तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये और मैं ऐसा समझता हूं—मंत्री जी उस ओर ध्यान दे भी रहे हैं।

हमारे यहां चूंकि मिक्स्ड इकानामी है—इसलिए पब्लिक सैक्टर एस. टी. सी. की अभी बहुत चर्चा हुई। इनका 1977-78 में 1 हजार करोड़ का टर्न-ओवर हुआ है। मैं समझता हूं—यह बहुत कम है। मेरी दृष्टि में देश-व्यापी व्यापार का एक-तिहाई टर्न-ओवर तो होना ही चाहिए। इसके लिए हमें पांच वर्ष की योजना बनाकर कम-से-कम पांच हजार करोड़ का टर्न-ओवर रखना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकें, तब हम समझेंगे कि कुछ प्रगति हुई है। आज जो

व्यक्तिगत लोग मुनाफा कमाते हैं, हम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा इन मिडिल मैन को एलिमिनेट कर के जनता तक पहुंचना चाहिए।हमें अपनी पब्लिक सैक्टर की क्षमता बढ़ा करके प्रगति लानी चाहिए ताकि हमारा देश समृद्ध हो और हमारी वेल्थ कंसेन्ट्रेट न हो। इससे हमारी जनता का भला होगा। मुझे आशा है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर मंत्री जी विचार करेंगे और ऐसी पंचबर्षीय योजना बनायेंगे जिससे को आप्रेटिव और पब्लिक सैक्टर आगे बढ़े और शोषण विहीन समाज की स्थापना हो।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, यह हमारी मिनिस्ट्री के बारे में भाषण करने में इसीलिए खुशी होती है कि हमारे मिनिस्टर जवाब देने के टाइम वही कहेंगे जो करके दिखायेंगे और जो फेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचेंगे। यह उनका तरीका है। जैसा उनके डिपार्टमेंट में काम होता है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वैसा काम किसी और मिनिस्ट्री में नहीं होता है। इस मिनिस्ट्री के बारे में तो मैं दावा कर सकती हूं लेकिन किसी और मिनिस्ट्री के बारे में दावा नहीं कर सकती हूं। क्योंकि इनकी मिनिस्ट्री का ताल्लुक उन चीजों से है जो हमें खाने को मिलती हैं।

यह जो कंज्युमर गुड्स हैं इनकी प्राइसिज बहुत बढ़ गयी हैं। इनके बारे में मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में बहुत कम्प्लेसेंसी से काम लिया गया है। आने वाले दिनों में हमारा बजट इन्फलेशन बढ़ने वाला है। एक महीने में ही 1,4 परसेन्ट इन्फलेशन बढ़ गया है। इसके मायने है कि हमारी प्राइसिज भी बढ़ने वाली है।

मैं देखती हूं कि बजट के पहले कोई कोई कंज्युमर गुड्स की प्राइस बढ़ रही थीं लेकिन आज हर चीज की प्राइस बढ़ रही है। मैं होलसेल इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहती हूं। दिसम्बर 1977 में इनका इन्डेक्स 184.6 था, दिसम्बर, 1978 में यह 184.8 हो गया। लेकिन इस मार्च तक यह 188 तक बढ़ गया। फरवरी से मार्च तक 4.4 परसेंट से ज्यादा प्राइसिज बढ़ी है। इस बात को मिनिस्टर साहब को ध्यान में रखना चाहिए।

इतना ही नहीं, माचिस जो कि जरूरत की चीज है, जोकि आग लगाने के लिए ही नहीं है बल्कि दिया जलाने के लिए भी है, उसकी कीमत 28 परसेंट बढ़ गयी है। टेल्कम पाउडर सब इस्तेमाल करते हैं। उसकी भी 23 परसेंट कीमत बढ़ गयी है। सिग्रेट का दाम 11 परसेंट बढ़ गये हैं। गरीब लोगों के पास कोई भी रिलेक्सेसन नहीं है। वे बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसकी प्राइसिज भी 9 परसेंट बढ़ गयी है। सोप के दाम पांच परसेंट बढ़ गये हैं। गेसोलीन और एवियेशन फ्यूल के दाम 14 परसेंट, हाई स्पीड डीजल के दाम 9 परसेंट बढ़ गये और केरोसीन आयल के दाम जो अधिकारी कहते हैं कि एक परसेंट बढ़े हैं, उनका ब्रेन एग्जामिशन करवाना चाहिए। मैं कहती हूं कि ये जो अधिकारी कहते हैं यह गलत कहते हैं। उसके दाम 8 परसेंट बढ़े हैं। मिनिस्टर साहब को यह बात देखनी चाहिए।

इतना ही नहीं आपने इम्पोर्ट ड्युटी एडीबल आयल पर लगायी जिसकी वजह से वनस्पित के दाम बढ़े हैं। आपकी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। वनस्पति की प्राइसिज बढ़ रही है और आपकी रिपोर्ट में इसके बारे में काम्प्लीसेंसी है। पहले साल हमने बाहर से रेपसीड आयल ला-

(श्रीमती अहिल्या पी० रांगवेकर)

कर दिया था। अब फिर उसकी प्राइस बढ़ने लगी हैं। आपने बजट में एक परसेंट का टेक्सेसन किया है लेकिन इसकी प्राइस 8 परसेंट बढ़ गयी हैं।

आपको ही कुछ-न-कुछ करना होगा, कोई-न-कोई कदम उठाने होंगे। आप नहीं उठाएंगे तो मैं समझती हूं कि कोई दूसरा इसको करने वाला नहीं है।

इन्टरमिडिएट इन्डस्ट्रियल गुड्ज. की प्राइसिस भी बहुत बढ़ गई हैं। फरवरी 24 और मार्च 24 के बीच में पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स का इन्डेक्स 4.5 बढ़ गया है, लैदर एंड लैदर प्रोडक्ट्स का 11.2 रबड़ और रबड़ प्रोडक्ट्स का 4 और कैमिकल्ज. का 2.8 बढ़ गया है। इसी तरह से सोप और डिटरजेंट्स का 10.6 बढ़ गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि पिछले बजट सत्र में आपने अपने विभाग पर हुई बहस का उत्तर देते हुए यह घोषणा की थी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्रैल के मिडल तक यानी पिछले साल चालू कर दिया जाएं और तब तक सब तैयारियां पूरी करली जाएंगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। अब आपने वादा किया है कि जुलाई तक सब तैयारियां हो जाएंगी। यदि जुलाई तक आपने अपने इस आश्वासन की पूर्ति नहीं की तो हम औरतों की तरफ से आपको इशारा करना चाहते हैं कि तब हम क्या करेंगे, यह अभी—आपको पता चलेगा, अभी हम इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कैरोसीन के लिए लम्बी-लम्बी, तीन-तीन मील की लाइनें लगती हैं फिर भी वह नहीं मिलता है वह भी आधा मिलता है, पूरा नहीं मिलता है। यही हाल मैंडीसिंज. का है। माचिस आपने कहा था कि खादी ग्रामोद्योग से आपको मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी। मैंने सब दुकानों पर जाकर देख लिया है मुझे कहीं नहीं मिली है। वह माचिस लगती है या नहीं, उससे कुछ होता है या नहीं पता नहीं लेकिन अभी तक तो यह लोगों को मिलती भी नहीं है। जब तक आप इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिये से देने की व्यवस्था नहीं करते है तब तक लोगों को पंद्रह पैसे में ही विम्को की माचिस लेनी पड़ेगी, उनके सामने कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई आवश्यक वस्तु अवेलेबल है या नहीं इसको भी आपको देखना चाहिये। जुलाई तक आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सब तैयारियां मुकम्मिल कर लेनी चाहिये। दिस सिस्टम इज. ए मस्ट।

आप राशन में आज जो अनाज दे रहे हैं इसको कोई जानवर भी नहीं खा सकता है। आप बाजार में जाकर देखते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है। बाजार में गेहूं और चावल खुले में मिल रहा है और बड़े लोग वह लेते हैं। लेकिन बस्तियों में जो रहने वाले हैं—उनको राशन की दुकानों से लेना पड़ता है, बेचारे नौकर और गरीब लोग ही इसको लेकर खाते हैं। लेकिन यह ऐसा होता है कि जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं। जब इसके बारे में पूछा गया तो बताया गया कि हमारा जो स्टोरेज था, जो स्टोर में माल पड़ा हुआ था वह गीला हो गया, खराब हो गया। मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि त्रिपुरा में जो स्टाक्स भेजे वे खराब थे, उनको कोई खा भी नहीं सकता था। अभी उनको बदला गया है।

एस टी. सी. और नाफेड का फंक्शनिंग कैसा है इस पर भी मैं बोलने वाली हूं —ओनियंज. की अगर तीन सौ गाड़ियां आती हैं तो नाफेड वाले सिर्फ पंद्रह की ही खरीद करते हैं, बाकी वापिस चली जाती है। यह कहा जाता है मैरिट को देखा जाता है, चोयसेस्ट चीज. ली जाती है। अब

मैरिट क्या है हमें मालूम नहीं है। बात कुछ दूसरी होती है, अनाज के मैरिट की नहीं होती है। मैरिट पैसे का होता है। करप्शन के बारे में आपको दसियों बार लोगों ने कहा है कि आप जरा कपड़े बदल कर एक दिन स्वयं देखने के लिए चले जाएं, मार्किट में चले जाएं और मार्किट में जाकर आपको स्वयं पता चल जाएगा कि नाफेड और एस. टी. सी. का फंक्शनिंग किस तरह का है। उस तरह से आप कपड़े बदल कर जाएं जिस तरह से पुराने ज़माने में राजा लोग जाया करते थे। आपने सिमेंट का इम्पोर्ट करना शुरू किया है, इसको एस. टी. सी के तावे में लिया है। एस. टी. सी. वालों ने शिप्स को बम्बई में पोर्ट तक लाया। और वहां से किसको दिया ? एक बड़ी मोनोपली है सीमेंट की, उसकी ही गैराज में रखा। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी तक नहीं है। आपने कहा है कि इसको बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी तब तक एस.टी. सी. का काम ठीक नहीं चल सकता।

आज भी जो आपकी प्राइसेज स्टेबिल हैं वह इसलिए हैं कि जो किसान अपना माल पैदा करता है उसको अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत नहीं मिल रही है। इसलिए यह है। नाफेड ने प्याज खरीदा 25 पैसे किलो के भाव से, लेकिन शहर में 2 रु. से कम प्याज नहीं है। आपने भाव बढ़ाया, 50 पैसे किलो किया था। क्या फायदा हुआ पता नहीं है। असल फायदा मिडिल मिडिल मैन को मिलता है, किसान को नहीं। अभी पूर्ण में मिडिल मैन की कानफरेंस हुई थी, जिसमें एक अन्य मंत्री गए थे। मैं जानती हूं कि माननीय धारिया जी नहीं जायेंगे कभी ऐसी कानफरेंस में। इसलिए मिडिल मैन को एनकरेज करने वाली जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहिए। ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो करता है वह मरता है और कंज्यूमर मरता है। जब कि मिडिल मैन लाभ उठाता है। इसलिए इस पौलिसी को बदलना चाहिये।

शुगर कोआपरेटिव्ज के बारे में माननीय शिंदे साहब आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन हम नहीं देंगे। क्योंकि शुगर कोआपरेटिव्ज भी बड़ी-बड़ी मोनोपलीज बन गई हैं। एक कोआपरेटिव का इलेक्शन होता है तो उसमें लोक सभा के चुनाव से भी ज्यादा पैसा खर्च होता है, और वह एक मोनोपली बन गई है। हम तो कहते हैं कि शुगर इण्डस्ट्री का नेशनेलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि वह केन ग्रोवर्स को और कंज्यूमर्स को ऐक्सप्लायट करते हैं।

महाराष्ट्र में काटन का सवाल है, आप देख सकते हैं कि इस साल वहां का 78 लाख बेल्स का प्रोडक्शन है और वहां मोनोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम चालू है। वहां के मंत्री श्री एन. डी. पाटिल ने काफी मेहनत की है और इस काम में सफलता लाकर दिखायी है। तो 78 लाख बेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और 21 लाख बेल्स का बैलेंस गये साल का है। इस प्रकार 99 लाख बैल्स हमारे पास हैं। 72 लाख बैल्स का डोमेस्टिक कंजम्पशन है। ऐक्सट्रा फैक्ट्री कंजम्पशन 2 लाख बैल्स का है। इस प्रकार इसमें से 25 लाख बेल्स बच जाती हैं। आपने ड़ेढ़ लाख बेल्स के ऐक्सपोर्ट का कोटा दिया है जिसमें से 20,000 बेल्स महाराष्ट्र को अलाट किये हैं। अतः मेरी मांग है कि हमारे कोटे को आपको बढ़ाना चाहिये। अगर ऐसा हो जायगा तो हमारी मोनोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम सक्सेसफुल होगी और इस से महाराष्ट्र के काटन ग्रोवर्स को प्रोटेक्शन मिल जायगा।

समय अब चूकि नहीं है इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : आदरणीय महोदय, मुझे वहीं से आरम्भ करना होगा जहां श्री जार्ज, श्री शिन्दे और मेरी बहन ने समाप्त किया है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय निष्ठावान, गतिशील और एक कुशल व्यक्ति हैं। यह भी जानता हूं कि उन्हें निहित स्वार्थ प्रभावित नहीं कर सकते हैं परन्तु मैं नहीं जानता कि नीति निर्धारण में अन्दरूनी कठिनाइयां क्या है। मैं उनकी सफलता चाहता हूं। परन्तु मैं यह भी चाहता हूं कि वे सरकार की नीतियों में संशोधन करें।

महोदय, इस देश में दो वर्ग के लोग मिलते हैं। एक उपभोक्ताओं का वर्ग है, दूसरा उत्पादकों का। सरकार के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह न केवल उपभोक्ताओं का ध्यान रखे बल्कि उत्पादकों का भी। सरकार की नीति ऐसी है कि यह न उपभोक्ताओं को संरक्षण देती है न उत्पादकों को।

मैं, अब केवल उत्पादकों की बात करूंगा। यदि सरकार उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को संरक्षण देना चाहती है तो दोहरी मूल्य प्रणाली अपनाने के अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। राष्ट्रीय किसान नेता प्रो० एन० जी० रंगा ने 1950 में दोहरी मूल्य प्रणाली का समर्थन किया था। इसका अर्थ है कि कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य दिए जाएं और निर्धन उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता देकर उचित कीमतें निर्धारित की जाएं। इसे हम अब कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम खाद्यान्नों को 650 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। अतः जब तक दोहरी मूल्य प्रणाली नहीं बना ली जाती और उसका कार्यान्वयन नहीं किया जाता तब तक सरकार के लिए कृषकों को संरक्षण देना संभव नहीं होगा।

जनता पार्टी, कांग्रेस (आई), कांग्रेस (एस) और साम्यवादी पार्टी के सदस्य सभी कह रहे हैं और मंत्री महोदय भी जानते हैं कि कृषक बहुत कष्ट उठा रहे हैं। अतः पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित करने होंगे। पारिश्रमिक मूल्य कैसे निर्धारित किए जा सकते हैं और कैसे उनका कार्यान्वयन किया जाएगा यह सब हमें देखना है। श्री शिन्दे ने कहा हैं कि इस संबंध में कानून बनाने का समय आ गया है। क्यों ? क्योंकि सभी कुछ परिवर्तित हो चुका है। पहले हमारा देश कमी वाला देश था। अब कृषि उत्पादन हमारे पास फालतू हैं। अतः हमारी नीति में अवश्य ही परिवर्तन किया जाना चाहिए और वह नीति निरन्तर चलने वाली तथा स्थायी होनी चाहिए।

कृषि उत्पादन और खाद्यान्न कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं और नागरिक पूर्ति एक दूसरा मंत्रालय देखता है। अतः भ्रान्तियां उत्पन्न होती हैं। यहां तक कि कृषि विभाग भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि कृषि उत्पादन कितना होगा क्योंकि उनके अनुमान केवल मौजूदा स्थितियों पर आधारित हैं और अनुसन्धान परिणामों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

अतः उन्होंने कहा कि हम इस वर्ष 125 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न करेंगे परन्तु वास्तव में उत्पादन 127 मिलियन टन हुआ। अतः अनुमान लगाने की प्रक्रिया त्रूटिपूर्ण है क्योंकि अनुसंधान परिणामों को ध्यान में नहीं रखा जाता।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गेहूं को ही लीजिए। गेहूं के मामले में दूसरी क्रान्ति होने वाली है। यदि आप हिसार जाएं तो वहां आप कल्याण सोना की एक नई किस्म देखेंगे।

पहले इसकी बाली केवल 7 इंच लम्बी होती थी। अब आप हिसार में एक फुट की बाली देख सकते हैं। पहले प्रत्येक बाली में केवल दो दाने होते थे। अब नई किस्म में प्रत्येक बाली में 5 दाने होते हैं। अब जोतने वाले भी अधिक हैं और इस किस्म का प्रचार विस्तार कार्यकत्ताओं द्वारा किया जा रहा है। यह अब बल पकड़ता जा रहा है। उन्हें विश्वास है कि तीन वर्षों के अन्दर वे इस किस्म को गेहूं क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने में सफल हो जाएंगे उस समय उत्पादन कितना होगा। यह दुगुना हो जायेगा। बिना अनुसंधान परिणामों को ध्यान में रखे आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान त्रुटिपूर्ण होने के कारण हम यह नहीं जान सकते कि हमारे पास कितनी गेहूं फालतू होगी। जब तक हम यह नहीं जान लेते कि फालतू गेहूं कितना होगा तब तक अपनी नीति को स्पष्ट करना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक कृषि वस्तु के संबंध में आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं और अनुमान भी त्रुटिपूर्ण है।

निर्यात के संबंध में योजना बनाने के लिए भी मंत्रालय के पास मशीनरी नहीं है। आपके पास अनुसंधान एकक है। आपने कहा है कि वे कह रहे हैं। 'इतना निर्यात-तदर्थ व्यवस्था—।' मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आपने स्वीकार कर लिया है कि निर्यात तदर्थ और त्रुटिपूर्ण हैं। जब तक निर्यात के लिए कम से कम पांच वर्षों के लिए योजना नही बना ली जाती तब तक बाजार मिलने संभव नहीं हैं। जब हमें यह पता चलता है कि अमुक वस्तु हमारे पास फालतू होगी उसी समय हम दूतावासों में अपने व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से बाजार की संभावनाओं का पता लगाते हैं। तब हमें पता लगता है कि हम अपनी कृषि वस्तु को बेच सकते हैं। मंत्रालय के लिए नीति बनाना नितान्त आवश्यक है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में कानून बनायें ताकि कृषकों को परिश्रमिक मूल्य दिए जा सकें और समर्थन मूल्य निर्धारित किए जा सकें और फालतू अन्न को खरीदा और निर्यात किया जा सके।

तम्बाकू के संबंध में मुझे एक बात कहनी है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वे जल्दी इस सम्बन्ध में कानून बनाएँगे। मैं अनुरोध करता हूं कि वे यथासम्भव जल्दी ऐसा करें। इस संबंध में मैं चाहता हूं कि वे तम्बाकू को सारणीबद्ध करें ताकि उत्पादकों को एकाधिकारियों से संरक्षण दिलाया जा सके। हम सारणीबद्ध करके निजी व्यापार को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। मंत्री महोदय भी यह जानते हैं। हम एकाधिकारियों पर नियन्त्रण रखना चाहते हैं और तम्बाकू उत्पादकों का उनके द्वारा शोषण नहीं होने देना चाहते। मेरे मित्र अन्य बातें विस्तार से बताएंगे।

जहां तक गुड़ का संबंध है 51+ गन्ना गुड़ उत्पादन में जाता है। गुड़ उत्पादकों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। यहां तक कि नारियल के संबंध में भी एक बोर्ड का गठन किया गया है। मैं माननीय मंत्री को अनुरोध करता हूं कि वे गुड़ के लिए भी एक बोर्ड का गठन करें ताकि गुड़ उत्पादकों को संरक्षण दिया जा सके।

जूट के संबंध में, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने कहा है जूट उत्पादकों का शोषण हो रहा है। अतः जूट को सरणीबद्ध करने के लिए मैंने एक विधेयक पेश किया है। यह आवश्यक नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे विधेयक को स्वीकार करें। वे स्वयं भी विधेयक ला सकते हैं। जूट को सरणीबद्ध किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है।

(श्री पी० राजगोपाल नयाडू)

मुझे एक बात और कहनी है । अब समय आ गया है जब पार्टियों और राजनीति में कोई अन्तर नहीं रह गया है । हमें एक होना होगा और आपके प्रयत्नों को पूरा करना होगा । यदि आप कानून बनाना चाहें तो हम आपको सहयोग देंगे ताकि कृषि उत्पादकों और उपभोक्ताओं को बचाया जा सके । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय कृषि मूल्यों को स्थिर करके श्रेय प्राप्त करें । उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य ही कदम उठाने चाहिए कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों को संरक्षण मिले ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा उनके मंत्रालय की मांगों के रूप में जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा जो आलोचना की गई है, मैंने उसे काफी ध्यानपूर्वक सुना है । उनके विभाग की ही क्यों बल्कि सरकार की जो सबसे अधिक आलोचना इसकी निर्यात नीति के लिए की गई है और कहा गया है कि निर्यात संबंधी सरकार की कोई नीति ही नहीं है । जहां तक मैं समझता हूं इस विभाग तथा सरकार की नीति है और यह बहुत ही अच्छी तथा राष्ट्रीय नीति है ।

सरकार की आयात नीति तो यही है कि केवल उन वस्तुओं का ही आयात किया जाये जोकि देश में उपलब्ध नहीं होती हैं तथा जो देश में बहुत ही मंहगी मिलती है । जो वस्तुएं देश में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हैं, उनका निर्यात किया जाना चाहिए । पिछले कुछ वर्षों से इस बात का हाहाकार मच रहा है कि खाद्य पदार्थों के मूल्य काफी बढ़ गए हैं । यह ठीक है कि खाद्य पदार्थों तथा कपड़े के मूल्यों में वृद्धि हुई है । इसीलिए तो सरकार ने आमतौर पर यह नीति अपनाई है कि जहां कहीं वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, उनका निर्यात नियंत्रित कर दिया जाना चाहिये । किसी वस्तु की आवश्यकता देश के लिए ही काफी अधिक हो, तो उसका निर्यात बंद कर दिया जाना चाहिए । अत: मेरा यह विश्वास है कि सरकार की यह नीति काफी अच्छी है ।

मांगों का समर्थन करते हुए, मैं सदन के समक्ष कुछ शिकायतें भी प्रस्तुत करना चाहता हूं और सम्बद्ध मंत्रालय से अपेक्षा करता हूं कि वह उन्हें कम करने के लिए प्रयत्न करे । मेरी शिकायत सम्पूर्ण मंत्रालय के खिलाफ नहीं है अपितु मेरी शिकायत तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम की उड़ीसा शाखा के खिलाफ है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम की उड़ीसा शाखा इस प्रकार गलत ढंग से कार्य कर रही है कि उसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण विभाग, सम्पूर्ण विभाग ही क्यों बल्कि सरकार को बदनामी सहन करनी पड़ रही है । मैं इस सम्बन्ध में धाराहीन पलन का उद्धरण विशेष रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस पलन से व्यापार निगम द्वारा लौह-अयस्क आदि का निर्यात किया जाता है । इस कार्य को करने वाली अनेक एजेंसियां हैं तथा एक ऐसी ही एजेंसी महावीर आयरन और एजेंसी हैं तथा इस एजेंसी में मुख्य रूप से श्रमिक ही हैं । इस एजेंसी के मालिक का नाम श्री फकीर मोहन सत्यकी है । इस व्यक्ति को इतना अधिक परेशान किया गया है कि बेचारे को भीख मांगने पर विवश किया जा रहा है । मुझे खनिज तथा धातु व्यापार निगम के खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं है । मुझे यह सब कुछ भारी मन से कहना पड़ रहा है परन्तु ऐसा कह के तो मैं केवल अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं । इस लौह-अयस्क एजेंसी को अटहारवंकी रेलवे साइडिंग पर रेलवे की माल गाड़ियों को खाली करने का काम दिया गया था । परन्तु बिना किसी दोष के इस एजेंसी को दण्डित किया गया तथा उससे यह कार्य उनसे ले लिया गया । यह सब-कुछ एक धनवान व्यक्ति के लिए किया गया । जिसने एक संगठन बना लिया था

तथा दूसरी लौह-अयस्क एजेंसी का मालिक था। खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस व्यक्ति को न्यायालय तक घसीट कर ले गई। इस एजेंसी ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विरुद्ध 7 लाख रुपये का दावा किया। उस व्यक्ति ने स्थानीय धातु निगम के अधिकारियों को प्रार्थना की, उनके सामने गिड़गिड़ाये तथा उनसे निर्णायक नियुक्ति के लिए कहा, परन्तु उन्होंने उसकी एक न सुनी। मजबूर होकर उस व्यक्ति को न्यायालय का दरवाजा खटकाना पड़ा और न्यायालय ने प्लांट नियुक्त कर दिया। इस फकीर मोहन सत्यकी नामक व्यक्ति ने पलांट के समक्ष 7 लाख रुपये का अपना दावा पेश किया जिसके जवाब में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उन पर 49 लाख रुपये का दावा कर दिया जोकि उनके दावे से 7 गुणा अधिक था। पलांट ने दोनों पत्रों को सुनने के बाद महावीर आयरन ओर एजेंसी तथा सत्यकी के पत्र में निर्णय दिया। उसने तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विरुद्ध टिप्पणी भी की। फकीर सत्यकी को उसके दावे का कुछ भाग मुआवजे के रूप में दे दिया गया परन्तु खनिज तथा धातु व्यापार निगम को एक पैसा भी नहीं दिया गया। पलांट ने अपने निष्कर्ष न्यायालय को भेज दिये। कानून के अनुसार यदि कोई पत्र पलांट के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह 30 दिन के अन्दर-अन्दर उस निर्णय के विरुद्ध अपनी याचिका दायर कर सकता है। फकीर मोहन सत्यकी ने अपने और अधिक दावे के लिए न्यायालय में मामला दायर कर दिया जबकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपने 49 लाख रुपये के दावे के बारे में, निगम के नहीं अपितु मंत्रालय के, मंत्रालय या सरकार के ही क्यों अपितु राष्ट्र के इस 49 लाख रुपये के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। अगर यह एक सत्य है तो फिर व्यापार निगम ने राष्ट्र को 49 लाख रुपये की क्षति पहुंचाई है। यदि यह सत्य नहीं है तो फिर निगम ने महावीर आयरन ओर एजेंसी तथा फकीर मोहन सत्यकी के विरुद्ध मनघन्डत दावा दायर किया है।

मैं पिछले वर्ष से यह मामला उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया था परन्तु फिर भी मैं चुप रहा परन्तु अब मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं। मैं किसी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा हूं और न ही मंत्री महोदय को इसके बारे में कोई उत्तर विभाग से मिलने वाला है। परन्तु मुझ इस बात की खुशी होगी यदि फकीर मोहन सत्यकी के मामले की सही जाँच करवाई जाती है तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सजा पुरस्कार दिया है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह खुशी की बात होगी...

सभापति महोदय : पुरस्कार किसके लिए ?

श्री पवित्र मोहन प्रधान : यदि निगम ने 49 लाख रुपये का मनघडन्त दावा तैयार किया है...

श्री मोहन धारिया : मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि न्याय किया जाये।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : मैं यह मामला उठा रहा हूं।

श्री मोहन धारिया : मैं यह मामला यहां उठाने के लिए बाध्य हो गया हूं क्योंकि यह तो मैं जानता था कि यदि इसके बारे में आवेदन पत्र दिया जाता या ज्ञापन दिया जाता तो सरकार

(श्री मोहन धारिया)

उसे सम्बद्ध विभाग को भेज देती तथा विभाग अपने पुराने निर्णय पर अड़ा रहने के लिए सब कुछ करता। विभाग इस ढंग से अपना टिप्पण लिखता कि उसे सही मान लिया जाता क्योंकि सारी फाईल को पढ़ने का अवसर तो मंत्री को नहीं मिलता। अतः मेरा निवेदन है कि फकीर मोहन सत्यकी तथा महावीर एजेंसी के साथ न्याय किया जाए और यदि यह व्यक्ति या फर्म दोषी हो तो इन्हें दण्ड दिया जाये और इन्हें झूठे करार दे दिया जाये। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है।

सहकारिताओं तथा सरकार द्वारा समान बेचे जाने के काम की भी आलोचना की गई है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार सही ढंग से चल रही है और कोई अन्य दल इससे अच्छी तरह सरकार नहीं चला सकता। हमारे मंत्रीगण तो विशेष रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारत बहुत ही बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या 70 करोड़ से भी अधिक है। मैं समझता हूं कि इस विभाग की तो बात ही क्या, सरकार के सभी विभागों में प्रशासन सही ढंग से चल रहा है।

सहकारिता विभाग की कुछ आलोचना की गई थी। सहकारिया गस्तव में लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है और यदि लोग ही सक्षम्य न हो तो फिर वह कभी सहकारिता में भी आ जाएगी। जैसे कि किसी सरकार में यदि वह केन्द्र की दो या राज्य की तथा स्थानीय अर्ध सरकारी में त्रुटियां व्याप्त है। यद्यपि हमारी सहकारिताओं में कुछ त्रुटियां भी हो तो भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहकारिताओं की त्रुटियों के लिए तो राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए न कि केन्द्र सरकार को।

इन शब्दों के साथ मैं इनके मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) मैं तीन या चार बातों के बारे में बोलना चाहूंगा।

इनमें से पहली बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में है जिसमें मंत्री का काफी विश्वास है तथा जिसके लिए वह कटिबद्ध है। पिछली सरकार के शासन के दौरान भी वह योजना मंत्री थे और उस समय भी वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वकालत किया करते थे। अब जबकि वह इस कार्य को काफी जोश के साथ क्रियान्वित करने जा रहे हैं, मैं उन्हें इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि इस मामले में देश के एक संगठित वर्ग द्वारा इसका भरपूर विरोध किया जा रहा है। अंतः उन्हें इस प्रकार के प्रयत्नों को सुनयोजित ढंग से असफल करना चाहिए।

जहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार का सम्बन्ध है, उसकी ओर से तो मैं पूर्ण आश्वासन के साथ यह कह सकता हू कि हम तो इस वितरण प्रणाली की सदा मांग करते आये हैं और इसे सफल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा।

श्रीमान जी, इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासनिक कठिनाईयों के बावजूद भी अब हमें शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य आरम्भ कर देना चाहिए क्योंकि इसमें पहले ही कार्य विलम्ब हो गया हैं। इस बिवरण प्रणाली के अन्तर्गत हम जितनी अधिक वस्तुओं को ला सके, उतना ही अच्छा होंगा। दिन प्रतिदिन प्रयोग में लाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है तथा उनकी उपलब्धता भी समाप्त होती जा रही है। इस प्रकार इस समय जो थोड़ी बहुत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसे भी समाप्त करने का प्रयत्न किया

जा रहा है ताकि इस प्रणाली को निठप्रभावी बनाया जा सके। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में निर्धारित तिथि को बनाये रखें। वह तिथि सम्भवतः 1 जुलाई है तथा इसे सम्पूर्ण शक्ति के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस कार्य में पंचायतें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लोग इस बात की प्रतीक्षा बहुत उत्सुकता से कर रहे हैं कि यह प्रणाली किस प्रकार क्रियान्वित की जाती है तथा इसे सफल बनाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखेंगे क्योंकि अब इसके लिए केवल 3 या 4 महीने का समय ही रह गया है। यह ठीक है कि हमारी सरकार को कुछ कठिनाइयां पैतृक सम्पति के रूप में पिछली सरकार से मिली है।

उदाहरणार्थ रेपसीड तेल का मामला ही लीजिये। मंत्री महोदय यह जानते हैं कि रेपसीड तेल को लोकप्रिय बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा काफी प्रयत्न किए गए थे। यद्यपि आरम्भ में उसका काफी विरोध किया गया था।

लोगों को इसके लिए तैयार करने के लिए सरकार को काफी अधिक प्रयत्न करना पड़ा। अब लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। आपको यह तो मालूम ही है कि प्रशासनिक अड़चने कैसे प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें से एक यह है कि सप्लाई नियमित रूप से नहीं की जाती है। जहां तक रेपसीड तेल का सम्बन्ध है। आने के लिए पश्चिम बंगाल को 1925 मीट्रिक टन तेल का आवंटन किया गया था। परन्तु अभी तक सप्लाई उन्हे दी नहीं गई है। कुल 2,200 मीट्रिक टन में से, मार्च के लिए 1925 मीट्रिक टन का आवंटन किया गया था जो अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है। इसी प्रकार फरवरी में किए गये आवंटन में से 275 मीट्रिक टन तेल आना भी अभी बाकी है। कठिनाई यह है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा भंडारण तथा स्टाक इकठ्ठा करने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। यदि एक बार खाद्य तेल या रेपसीड तेल की कमी होती है तो निहित स्वार्थ वाले लोग उसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं और यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार यह सब गैर कानूनी कार्य मूक दर्शक बन कर देखती रहती है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पश्चिम बंगाल के लिए तेल की सप्लाई नियमित तथा अधिक मात्रा में सुनिश्चित करना सार्वजनिक प्रणाली के हित में ही होगा। वहां एक महीने तक कोई सप्लाई नहीं दी गई है जिसके फलस्वरूप मूल्यों में अस्थिरता आ गई है तथा लोगों के मन में भ्रम हो गया है।

यदि वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में सरकार असमर्थ रही तो लोगों का विश्वास इस प्रणाली से उठ जायेगा तथा इस कार्य को काफी धक्का पहुंचेगा। मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें कुछ कठिनाइयों—परन्तु 1975 के आपातकाल जैसी नहीं—का सामना तो उन्हें करना ही होगा। बस एक दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से निरन्तर यह बात महसूस करते आ रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्र में समान भाड़ा प्रणाली नहीं अपनाई जा रही है। आपको यह भी मालूम है कि इस सम्बन्ध में देश के पूर्वी भाग के साथ जिस प्रकार अन्याय किया गया था। यदि देश के सभी

(श्री सोमनाथ चटर्जी)

भागों में कोयला समान दर पर उपलब्ध करवाया जाना है तो हमें उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। परन्तु भारत देश का अग्नि अंग होने के नाते क्या हमें भी कोयले जैसी आवश्यक वस्तुओं को पाने का अधिकार इसी प्रकार नहीं होना चाहिये ? क्या कयाल के सम्बन्ध में भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये ? और क्या खाद्य तेलो के सम्बन्ध में भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। श्रीमान् जी आपको मालूम ही है कि नये रेलवे वजट के अन्तर्गत रेल भाड़े में दूरी के आधार पर भाड़ा बढ़ा दिया गया है। जिस आवश्यक वस्तु को अधिक दूरी तय करनी पडेगी, उसके लिए रेल अधिक भाड़ा लेगी। अतः इसलिए हम मांग रहे हैं कि—हमें कोयले के बारे में किसी प्रकार की शिकायत नहीं है—सम्पूर्ण देश के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मूल्य स्तर की नीति अपनाई जानी चाहिये। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दे।

सभापति महोदय : क्रमशः समाप्त कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सहकारिता के बारे में मेरे साथी ने कह ही दिया है और यह तक सत्य ही है कि हमारे देश की विभिन्न सहकारिताओं पर अभी भी निहित स्वार्थों का नियंत्रण बना हुआ है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में जहां कि कपास तथा चीनी उद्योग जैसी सशक्त सहकारितायें नहीं है, वहां अभी भी सहकारिताओं पर ऐसे लोगों का नियंत्रण है जो वर्षों से कुछ पदों पर जमे बैठे है तथा जब कभी भी उनके परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है वह न्यायालय से आदेश ले आते हैं। उच्च पदों पर आसीन नौकरशाहों द्वारा उनका समर्थन किया जाता है। परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के प्रयत्नों को इस प्रकार असफल नहीं होने दिया जायेगा। इसलिए उन्हें अधिक सतर्कता बरतनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि जन साधारण द्वारा उन्हें इस कार्य में भरपूर सहयोग दिया जायेगा.

श्रीमान जी अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि टी० टी० सी० थे नैमित कर्मचारियों के बारे में भी कुछ करें।

प्रो० आर० के० अमीन सुरेन्द्रनगर : श्रीमान जी मैं वाणिज्य मंत्रालय की मागों का समर्थन करता हूं। मेरे से कुछ ही समय पूर्व महिला सदस्या ने मंत्री महोदय को मुस्तैदी तथा शीघ्रता के साथ यह कार्य करने के लिए बधाई दी थी, उसके साथ मैं भी अपने आपको शरीक करता हूं। मैं समझता हूं कि जब कभी भी कोई सदस्य आपके पास गया है, उन्होंने उसकी बात समझने के लिए भरसक प्रयत्न किया है और यदि वह उनकी बात से प्रभावित हो गये हैं तो उन्होंने मामले को अन्तिम छोर तक देखने का प्रत्यन किया है। यह सब कुछ कहने के बाद अब मैं माननीय मंत्री महोदय की नीति की कुछ त्रुटियों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि अगले वर्ष नीति निर्धारण के समय वह उनसे लाभ उठा सके। मंत्री महोदय दो वर्ष से इस विभाग का कार्यभार संभाले हुए है। दो वर्ष पूर्व जब इन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तो उस समय देश की विकास नीति को भी पून्जी विकास प्रधान बनाने की अपेक्षा रोजगार प्रधान बना दिया गया था। परन्तु क्या उन्होंने इस नई विकास नीति के अनुरूप ही आयात-निर्यात नीति भी बनाई ? नई नीति के अनुसार तो आयात को उदार बनाया जाना चाहिए तथा जहां तक पून्जी प्रेरक वस्तुओं का सम्बन्ध है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना

चाहिए। इसके साथ ही श्रम प्रेरक वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि पूंजीगत प्रधान आयात तथा श्रम प्रधान निर्यात प्रोत्साहित हो, किसी ढंग की संगत नीति अपनाई है ? यदि मैं पूंजीगत प्रधान उत्पादों के आयात को प्रोत्साहन देना चाहूंगा तो मुझे उर्वरकों पेट्रो-रसायन वस्तुओं, तन्तु रेशों तथा मशीनरी को प्रोत्साहित करना होगा। जब मैं श्रम प्रधान वस्तुओं के निर्यात के बारे में बात करता हूं तो इससे मेरा तात्पर्य हथकरघों, विद्युत चालित करघों, कपड़ों, कृषि उत्पादों, रेशम उत्पादों, कुटीर तथा लघु उद्योगों के उत्पादों से होता है। यदि मैं जनकी पिछले दो वर्षों से अपनाई जाने वाली नीति की परख के मापदण्ड लागू करता हूं तो मैं यह अवश्य बता दूं कि यह नीति नई जरूरतों के अनुसार या अनुकूल नहीं रही है। दूसरे पक्ष के मेरे माननीय मित्र ने बतलाया है कि समय-समय पर कृषि वस्तुओं के निर्यात पर कैसे प्रतिबन्ध लगाया गया है। मुझे पता है कि एकबार नमक के आयात को प्रोत्साहन दिया गया था। दूसरी बार नमक के निर्यात को हतोत्साहित किया गया था। मैं उनकी कठिनाई को समझता हूं। कभी प्याजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया और कभी प्याजों के निर्यात को बढ़ावा दिया गया। यदि वह प्याजों के निर्यात की अनुमति देते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। इसका उपयोग अधिकांशत. गरीब लोगों या गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग करते हैं। यदि प्याज का मूल्य कम है तो फिर उत्पादक को घाटा होता है। किन्तु साथ ही यदि वह इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं तो मूल्य गिर जाएंगे और उत्पादकों को घाटा होगा अतः प्याज तथा आलू के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली बनानी कठिन है। किन्तु मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको प्याजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से क्या लाभ होता है, यदि निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा लगा दिया जाता है तो मूल्य गिर जाएंगे और अगले वर्ष इसका उत्पादन कोई नहीं करेगा और इसका उत्पादन कम हो जाएगा। इसका मतलब तो यह होगा कि आप इस समस्या पर बल दे रहे हैं और आप गरीब लोगों को यह वस्तु उपलब्ध नहीं कर रहे हैं, यदि आप इसके निर्यात की अनुमति दे देते हैं तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा और इसीलिए इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की बजाए कोई और विकल्य निकालना होगा क्योंकि यदि अगले वर्ष इसका उत्पादन बढ़ा तो उससे आप आंतरिक मांग या खपत को पूरा कर सकते है और इससे आप निर्यात करने की स्थिति में हो जाते हैं। इस ढंग से वह इस दुविधा से निकल सकते हैं और दूसरे आपको जानना चाहिए कि जब आप समय-समय पर इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि व्यापार एक बहुत ही नाजुक मामला होता है और इसे अकस्मात बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और न ही इसे हतोत्साहित किया जा सकता है। यदि आप इसके निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको उस वस्तु के लिए बाजार की ढूंढ करनी पड़ेंगी और इसका उत्पादन बढ़ाने के पश्चात ही आप इसकी सप्लाई को बढ़ावा दे सकते हैं। आज आपने बाजार में स्पर्धा मूल्यों को जाने बिना आलू के निर्यात की अनुमति दे दी है। किन्तु गत वर्ष अनिश्चितता के कारण क्या आलू के निर्यात की अनुमति दे दी जाएगी अथवा नहीं। बाजार में किसी ने प्रवेश नहीं किया है और आलू के निर्यात के लिए प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि आलुओं का निर्यात नहीं हो रहा है। निर्यात बाजार को विकसित करने में समय लगता है। कतिपय वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कृषि वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की बजाय कुछ विकल्प निकालकर भी इस कठिनाई का सामना किया जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में मंत्री महोदय कोई समुचित

(प्रो० आर० के० अमीन)

नीति अपनाएं। यदि आवश्यक हो तो बड़ी मात्रा में उर्वरकों, खाद्य तेलों आदि का आयात किया जा सकता है। इससे मुझे कोई आपति नहीं है। किन्तु हम चाहते है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा को उपयोग में लाएं जोकि हमारे पास एकत्रित है। हमारा जैसा गरीब देश इतनी विदेशी मुद्रा को बिना किसी प्रकार के उपयोग में लाए बिना नहीं रख सकता है। क्योंकि इससे हमें केवल 5 या 6 प्रतिशत ब्याज मिलता है। विकासशील देशों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अत: विदेशी मुद्रा को उपयोग में लाकर हमें विभिन्न वस्तुओं का आयात करना चाहिए। गत दो वर्षों के दौरान हमने रेशम उत्पादन के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है जबकि यह एक रोजगार प्रधान उद्योग है। यह श्रम प्रधान उद्योग है। उन्हें इस उद्योग के विकास तथा इसके उत्पादों के निर्यात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था। हथकरघा उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए था। अन्य निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की तुलना में कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जोकि श्रम प्रधान है। क्या उन्होंने कपड़ा उद्योग के बारे में कोई संगत नीति अपनाई है। निश्चय ही नहीं। उन्हें कपड़ों का निर्यात बढ़ाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत गत दो या तीन वर्षों के दौरान इसके निर्यात में गिरावट आ रही है 200 करोड़ रुपये के मूल्य के कच्चे माल, पोलीस्टर, तन्तु रेशों और विस्कोज धागों तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात किया गया है जबकि उनसे निर्मित कपड़ों का निर्यात केवल 8 से 10 करोड़ रुपये तक का किया गया है। व्यापार खाते में घाटा हो रहा है। उन्हें यह घाटा यथासंभव कम करने के लिए कदम उठाने चाहिएं थे।

दूसरा, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी निर्यात-आयात नीति में बार-बार परिवर्तन न करें। आयात और निर्यात की नीति में बार-बार परिवर्तन करने से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि तरीके तथा प्रक्रियाएं इतनी प्रेचीदा तथा जटिल हैं कि कानून से इस बात का पूर्वाभास नहीं किया जा सकता कि इसका इन परिवर्तनों पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जिसे माननीय मंत्री जी ने पहले ही देख लिया है। खजूर का तेल तथा खाद्य तेल ओ. जी. एल. के अन्तगर्त थे और उन्हें इसके अन्तगर्त 31.3.1979 तक रखा जाना था किन्तु कुछ हेराफेरी के कारण, चाहे वह ठीक थी अथवा गलत, उन्हें इसे 2 दिसम्बर को रद्द करना पड़ा और इस मद्द को सरणीबद्ध कर दिया गया। जब इसे सरणीबद्ध किया गया तो पाइपलाइन में कई वस्तुएं थी। जरूर किसी ने ठेका लिया होगा किसी ने इसके लिए एल. सी. खोला होगा, किसीने खरीदा होगा, किन्तु वे वस्तुएं गोदाम में थी और कुछ समुद्र में जलपोत पर। आप उन्हें कैसे लेंगे ? क्या आपने अपने कानून में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था की है कि पाइप लाइन में पड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को ध्यान में रखा गया है। कानून दोष पूर्ण हो सकता है। इन सब बातों पर केवल कानून ही निगरानी नहीं रखेगा। यह तो एक प्रकार से मृत प्राय: शरीर सा है। अत: यदि आप अगली बार निर्यात को बढ़ावा देना चाहते है तो यह कार्य पूरी सतर्कता तथा सक्षमता पूर्वक किया जाना चाहिए। गत वर्ष के दौरान कपास, नमक, हल्दी आलू, चावल, जीरा, खाद्य तेलों में ये परिवर्तन किए गए। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह बार-बार ऐसे परिवर्तन न करें।

रसायनों पर भी जब आप शुल्क लागते हैं तो आपको कच्चे माल, अर्ध निर्मित वस्तु तथा

अंतिम रूप से निर्मित वस्तु के बीच का सम्बन्ध बरकरार रखना चाहिए। यदि आप छोटे पैमाने के उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फिर बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के बीच समुचित सम्बन्ध रखा जाना चाहिए। सरकार इन सब बातों को ध्यान में नहीं रख सकती। अतः औषधियों तथा अन्य आधुनिकतम जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात तथा आयात कर की प्रणाली में कुछ लोचकता होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार को एक दूसरे के कार्यों को निष्फल नहीं बनाना चाहिए। जब हल्दी और कपास का मूल्य कम था तो हमने सरकार को कहा कि निर्यात की अनुमति दे दी जाए। सरकार ने एक ओर तो कपास के निर्यात की अनुमति दे दी दूसरी ओर कपास के निर्यात पर शुल्क में वृद्धि 700 रुपये से 2500 रुपये तक कर दी। अधिक लाभ कमाने के लिए निर्यात की अनुमति दी गई। साथ-ही-साथ निर्यात शुल्क लगाने में क्या तुक है ? ऐसा करने में कोई तुक नहीं है। अतः साथ-साथ जो दोनों कार्यवाहियां की गई हैं उनका आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यों मुद्रा स्फीति तथा अन्य बातों के बारे में कह रही थी उन्हें पता होना चाहिए मुद्रा स्फीति केरल आंतरिक कारणों से ही नहीं होती है। टीन, तांबा, पोलिस्टर, कपास आदि का मूल्य बढ़ रहा है। इसके अन्तर्राष्ट्रीय कारण भी होते हैं। विदेशों में कच्चे माल का मूल्य बढ़ रहा है। इसका प्रभाव इस देश में भी पड़ना स्वाभाविक है। आप इसे रोक ही नहीं सकते। चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लें। इसके विपरीत आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने आयात करों तथा निर्यात शुल्कों का पुनरीक्षण काफी समय पहले कर दें ताकि विदेशों में मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का आंतरिक बाजार पर यथा संभव कम प्रभाव पड़ें। विदेशों में चल रहे मूल्यों का समय-समय पर पुनरीक्षण करने और आयात तथा निर्यात करों में परिवर्तन करने के लिए क्या आपके पास कोई तंत्र है ताकि विदेशों में चल रहे मूल्यों का आप पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और आपको आंतरिक बाजार में कम से कम परिवर्तन करने पड़े।

मेरा एक और सुझाव है। पूर्व की स्थिति आयात प्रतिस्थापन्न की थी। अब तो एक बोर्ड की आवश्यकता है जो कि यह निर्णय करे कि उत्पादों के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी उपयुक्त है। ऐसा केवल संरक्षण बोर्ड द्वारा ही किया जा सकता है, जिसका गठन इस देश में किया जाना चाहिए। यह विभिन्न आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन उपायों का अध्ययन करेगा और यह सुझाव देगा कि फलां-फलां वस्तुओं के आयात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और आपको कैसी प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहिए। ऐसा बोर्ड फिलहाल नहीं है, किन्तु इसकी स्थापना की जानी चाहिए।

मेरी आखिरी बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में है जिसके लिए श्री धारिया में बहुत उत्साह है मेरी यह सलाह है कि उन्हें इसे कुछ ही वस्तुओं तक सीमित रखना चाहिए और इसका अधिक विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों के करना चाहिए। उचित दर की दुकानें केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नही रहनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी अधिकाधिक दुकानें खोली जानी चाहिएं। अन्यथा आपको अधिक लम्बी अवधि के लिए उत्पादन, वितरण तथा मूल्य निर्धारण का काम करना होगा। फिर आपको ऐसा करने के लिए साम्यवादी तरीका अपनाना पड़ेगा. .व्यवधान

(प्रो० आर० के० अमीन)

व्यवधान

अब मैं कुछ वायदा बाजारों के बारे में कहता हूं। जब तक हमारे संसाधनों के प्रावधान के लिए वास्तविक वायदा बाजार व्यवस्था है तब तक उस पर नियंत्रण रखना नितांत आवश्यक है नहीं तो मूल्यों में अधिक उतार-कढ़ाव आयेगा और सीजन के समय कीमतें बहुत घट जायेंगी तथा सीजन के पश्चात कीमतें बहुत घट जायेंगी। आप वायदा बाजार के तरीके को रोक नहीं सकते। किन्तु जब आप अपनी अर्थव्यवस्था में बाजार प्रणाली को चलायेंगे तो आपको वायदा बाजार लागू करना ही होगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह निष्क्रिय रहेगा जिससे आपको अधिक हानि होगी। गुड़ के लिए आप ऐसा कर ही चुके हैं। आपको ऐसा अब कपास तथा खाद्य तेलों के लिए भी कर देना चाहिए। धन्यवाद।

* **श्री पी० एस० रामलिंगम** (नीलगिरी) सभापति महोदय, अण्णाद्रुमक की ओर से मैं उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की माँगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। और मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

1978-79 के प्रथम 11 महीनों में 4938 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था और यदि इसकी तुलना 1977-78 की इसी अवधि से की जाये तो यह वृद्धि 3.1 प्रतिशत बैठती है। 1978-79 के प्रथम 11 महीनों में 6001 करोड़ रुपये का मूल्य का आयात किया गया था और यदि इसकी तुलना वर्ष 1977-78 की इसी अवधि के साथ की जाये तो इसमें वृद्धि 27.5 प्रतिशत बैठती है। व्यापार असंतुलन 1063 करोड़ रुपये का है। यदि व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में नहीं रहेगा तो इससे औद्योगिक प्रगति नहीं हो पायेंगी और आर्थिक पिछड़ापन आरम्भ हो जायेगा। माननीय मंत्री जी को इस समस्या की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

मैं उटकामंड के चाय-उत्पादक निर्वाचन क्षेत्र का हूं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अन्तर्राष्ट्रीय चाय सवंर्धन संघ का प्रमुख बनने का गौरव भारत को मिला है और श्री पी. के. कौल इसके अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसका मुख्यालय ऊटकामंड में ही खोला जाना चाहिए न कि जनेवा में। इस देश के चाय उत्पादकों को बहुत सुविधा मिलेगी। भारतीय चाय संघ की हाल में हुई वार्षिक बैठक में माननीय वाणिज्य मन्त्री ने घोषणा की कि उन्होंने चाय बोर्ड की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। विशेष रूप से उन्होंने इस सिफारिश को स्वीकार किया है कि इस शताब्दी के अंत तक चाय का उत्पादन 140 करोड़ किलो ग्राम का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह प्रर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध करेंगे। जब मैं अपने अन्य संसद सदस्यों के साथ मंत्री महोदय को चाय पर लगने वाले 5 रुपये के शुल्क में कमी करने के लिए कहने हेतु गया तो उन्होंने हमारे तर्क की सराहना की और पहले तो उन्होंने उस शुल्क में कमी की और अब तो चाय की निर्यात पर लगने वाले शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर लिया है। मैं अपनी ओर से तथा नीलगिरी के सभी चाय उत्पादकों की ओर से उन्हें यह काम करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने चाय उत्पादों के बारे में जो यह रुचि दिखाई है, उसके लिए हम

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवादक का हिन्दी रूपांतर।

उनके ऋणी हैं। लंदन के बाजारों में चाय की नीलामी की जटिलताओं का हमें पता नहीं है। परिणाम स्वरूप भारतीय चाय अच्छी विदेशी मुद्रा नहीं कमाती है। हमें लंदन में नीलामी के तरीके का अध्ययन करने की के लिए वहां एक भारतीय चाय कम्पनी स्थापना करनी चाहिए। सरकार यों में शेयर खरीदने कीम्पनिको लंदन क का प्रयास भी करना चाहिए ताकि नीलामियों में हम भी सकें। भारतीय चाय बोर्ड को भाग ले इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यधासंभव कुछ शीघ्र ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

हाल ही में अर्ध शोधित खालों के निर्यात में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है। शोधित खालों के निर्यात पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन का मैं स्वागत करता हूं। किन्तु हमारे पास यह काम करने के लिए आधुनिक मशीनें नहीं हैं। खालों के कुछ निर्यात में तमिलनाडु का योगदान 80 प्रतिशत है। सरकार को खालों तथा चर्म को शोधित करने के लिए आधुनिक मशीनों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम शोधित चमड़े का निर्यात बढ़ा सकें।

कोडला तथा सांता-क्रूज के मुक्त व्यापार लोगों ने कोई सफलता प्राप्त नहीं की है। हमें पूर्वी तट पर एक व्यापार जोन की स्थापना करनी चाहिए। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मुक्त व्तापार जोन वहीं सफल हो सकता है जहां पत्तन पर अधिक भीड़ भाड़ न हो। इस उद्देश्य के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, उसे तमिलनाडु सरकार देने के लिए तैयार है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह मद्रास पत्तन पर यथासंभव शीघ्र एक मुक्त व्यापार जोन की स्थापना करवायें।

मैं सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात की समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। निर्यात कोटे का वितरण परिधान परिषद द्वारा किया जाता है। ऐसा लगता है कि किसी-विशेष अधिकारी ने दक्षिण भारत के सिले-सिलाए वस्त्र निर्यातकों के विरुद्ध भेदभाव किया है। उसने उन्हें कोई कोटा नहीं दिया है। उसके विरुद्ध गंभीर कदाचारों के आरोप भी हैं। मेरी मांग है कि कोटा वितरण की शक्ति परिधान परिषद से वापस ले ली जाए और यह शक्ति या तो कपड़ा आयुक्त को दे दी जाए या फिर यह कार्य मंत्रालय स्वयं करे।

सरकार ने विदेशों में लगभग 338 संयुक्त उद्योगों की अनुमति दी थी, उनमें से केवल 102 को कार्यान्वित किया जा रहा है और 197 पर प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है। 150 स्वीकृतियां असफल रही हैं। दो सरकारों के बीच के सयुंक्त उद्यमों की देखभाल उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के सयुंक्त उद्यमों की देखभाल वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रमुख परियोजनाओं की देखभाल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय के अधीन की जाती हैं। सिविल निर्माण कार्य सयुंक्त उद्यम निर्माण मंत्रालय के अधीन होता है। इतने अधिक प्राधिकार होने के कारण ऐसे सयुंक्त उद्यमों के कार्यान्वयव में कई रुकावटें पैदा हो जाती हैं मेरा सुझाव है कि एक अन्तर्राष्ट्री परियोजना विकास बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए ताकि ऐसे सभी सयुंक्त उद्यमों की देखभाल एक ही प्राधिकार द्वारा की जा सके। ऐसा करना सरकार के हित में होगा।

निर्यातकों तथा आयातकों की सहायता देने के लि॰ यह नितांत आवश्यक है कि तत्काल

(श्री पी. एस. रामलिंगम)

एक आयात-निर्यात बैंक की स्थापना की जाए ताकि उन्हें ऋण आदि के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।

1978-79 में रक्षा मंत्रालय को 80,करोड़ रुपये वापस देने पड़े क्योंकि विदेशों में पुर्जों की सप्लाई के स्रोत का पता ही नहीं लगाया जा सका। भारतीय दूतावासों में कार्य कर रहे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी वाणिज्यक जानकारी के बारे में कुछ नहीं जानते। जब तक इन दूतावासों में वाणिज्य मंत्रालय से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को नहीं भेजा जाएगा, तब तक हमें अपने व्यापार के विकास के लिए अपेक्षित वाणिज्यिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इस समय जो उद्योगपति विदेशों में जाते हैं वे खाली हाथ वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें हमारे मिशनों से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। वाणिज्य मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

निर्यात नीति को 31 मार्च, 1980 तक बढ़ा दिया गया है जबकि आयात नीति में 30 अप्रैल, 1979 के बाद संशोधन किया जा रहा है। निर्यात और आयात औगोगिक अर्थव्यवस्था सम्बन्धी सिक्के के दो पहलू हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह का कदम क्यों उठाया जा रहा है।

इस समय जनेवा में नियमों में "संरक्षणावाद के सिद्धान्त" नियमित करने पर चर्चा चल रही है। यह उचित समय है कि 400 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जाए। माननीय मंत्री जी को "संरक्षणावाद" की समस्या पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा निर्यात प्रभावित न हो।

माननीय मंत्री, श्री मोहन धारिया ने देश को आश्वासन दिया है कि 31 जुलाई, 1979 तक समूचे देश में लोक वितरण प्रणाली लागू कर दी जाएगी। हमारे देश में 5 लाख गांव हैं और वहां केवल 1,30,000 उचित दर की दुकाने हैं। समझ में नहीं आता कि वह शेष तीन महीनों में सभी गाँवों में उचित दर की दुकानें कैसे खोल लेंगे। किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें जो गतिशीलता है तथा कार्य के प्रति उनमें जो लगन है, उससे वह इस लोक वितरण को निर्धारित तिथि तक वास्तविक रूप दे देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के. ए. राजन (त्रिचूर) : यह एक ऐसा मंत्रालय है, जिसकी हमारी अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। मैं अपने बिचार लोक वितरण प्राणाली के विशेष पहलू तक ही सीमित रख रहा हूं। मुझे हर्ष है कि उन्होंने उल्लेख किया है कि वह पहली जुलाई से लोक वितरण प्रणाली लागू करने जा रहे हैं, मैं इस समस्या पर शंका तथा उत्सुकता व्यक्त क्यों कर रहा हूं ? इस बात को मंत्री महोदय भली भांति जानते हैं कि इस लोक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य मूल्यों में स्थिरता लानी है। इस देश की गैर सरकारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्यों में स्थिरता लानी कहां तक व्यावहार्य है ? आप यह प्रणाली लागू करने की सोच रहे हैं और ऐसा करके कीमतों में कमी करना चाहते हैं या मूल्यों में स्थिरता लाना

चाहते हैं और वह भी विशेष रूप से गैर-सरकारी अर्थव्यवस्था में। इसीलिए मैं अपनी आशंका व्यक्त कर रहा हूं। मेरी चिंता का दूसरा कारण यह है कि आप इस योजना को एक विशेष आर्थिक स्थिति में लाने जा रहे हैं और वह स्थिति यह है कि देश में इस समय घाटे की अर्थ-व्यवस्था चल रही है। आपको इसके प्रभाव, जटिलताओं तथा इसके चारों ओर की गतिविधियों का पता है। हमें अतीत का अनुभव है कि इसका मूल्य प्रणाली पर कितना घातक प्रभाव पड़ा। अतः यदि मैं अपनी आशंका या चिंता व्यक्त करता हूं तो मुझे गलत नहीं समझा जाना चाहिए। मैं स्वयं लोक वितरण प्रणाली का समर्थक हूं। किन्तु जिस ढंग से आप इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उससे कुछ सतर्कता बरती जानी चाहिये। आपको यह ध्यान में रखना है कि यह काम हम किसी विशेष स्थिति में कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में वह विशेष परिस्थिति क्या है ? मूल्यों के बारे में यह निवेदन कर सकता कि पेश किए गए प्रतिवेदन में मूल्यों के घटने-बढ़ने का उल्लेख किया हुआ। वह केवल नवम्बर, 1978 तक किया गया है। यदि आप बजट के पश्चात थोक मूल्य सूचकांक को देखें तो आपको वर्तमान मूल्य स्थिति का पता चल जाएगा। 24 फरवरी, 1979 को सूचकांक 184.4 था। 24 फरवरी, 1979 को थोक विक्रय मूल्य सूचकांक 184.4 था जो कि 24 मार्च, 1979 को बढ़कर 189.4 हो गया। यदि आप इसे विभिन्न मदों में बांट दें तो पता चलेगा कि मार्च 1978 में यह 179.5 था जबकि मार्च 19.79 में यह 180.5 हो गया। खाद्यान्नों के मामले में यह 171.0 से घटकर 170.3 हो गया। गर-खाद्य वस्तुओं के मामले में यह 167.9 से बढ़कर 172.2 हो गया। ईंधन, बिजली, लाइट तथा चिकनाई वाले पदार्थों में यह 242.5 से बढ़कर 258.5 हो गया। आप इस योजना को इस पृष्ठभूमि में लागू कर रहे हैं। यह विशेषता बजट के बाद की नहीं है। यदि आप बजट की घोषणा से पूर्व की स्थिति को देखेंगे तो मूल्यों में वृद्धि का स्पष्ट संकेत था। यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि 184.4 पर उस महीने का मूल्य सूचकांक फरवरी, 1978 की तुलना में पूरे तीन प्वाइंट अधिक था। यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बजट के कई प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव पड़ा है, फिर भी मार्च के महीने में ये दबाव भी बढ़ गए। बजट के तत्काल पश्चात, 3 मार्च को समाप्त होने वाले सप्ताह में दियासलाई के मूल्य में 28 प्रतिशत की वृद्धि, टैलकम पाउडर के मूल्य में 23 प्रतिशत, चेहरे की क्रीम के मूल्य में 20 प्रतिशत, दातों के पेस्ट के मूल्य में 12 प्रतिशत, सिगरेटों के मूल्य में 11 प्रतिशत, बीड़ी के मूल्य में 9 प्रतिशत, सिंथेटिक डिटेरजेंट के मूल्य में 6 प्रतिशत तथा साबुन के मूल्य में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त गैसोलिन तथा अवियेशन स्प्रिट के मूल्य में 14. प्रतिशत, हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्य में 9 प्रतिशत तथा मिट्टी के तेल के मूल्य में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयात शुल्क में वृद्धि करने के फलस्वरूप खाद्य तेलों, वनस्पति तथा तिलहनों के मूल्य भी बढ़ गए। यह स्थिति तो आवश्यक वस्तुओं की की है। अब जरा औद्योगिक उत्पादनों की स्थिति को देख लें। 24 फरवरी तथा 24 मार्च के दौरान कागजों तथा कागज उत्पादों के सूचकांक में 4.5, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के सूचकांक में 11.2 रबड़ तथा रबड़ उत्पादों के सूचकांक में 0.4 रसायनों तथा रसायन उत्पादों (सौन्दर्य प्रसाधन सहित) के सूचकांक में 2.8, साबुन तथा डिटरजेंट के सूचकांक में 10.6, धातु तथा धातु उत्पादों के सूचकांक में 3.1 और मशीनों, परिवहन उपकरणों के सूचकांक में 5.4 प्वाइंट की वृद्धि हुई।

हमारी अर्थव्यवस्था के ये लक्षण हैं। इसीलिए मैं लोक वितरण प्रणाली के बारे में अपनी आशंका व्यक्त कर रहा हूं। यह मत सोचिये कि मैं अनगर्ल आंकड़े दे रहा हूं और इस पर केवल

(श्री के० ए० राजन)

सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपना रहा हूं। मेरा यह दृढ़ विश्वास अतीत के अनुभव पर आधारित है कि यह लोक वितरण प्रणाली प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हम इसे ग्रामीण जनसंख्या के अधिकाधिक हित के लिए लाना चाहते हैं। अब तक वे लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं और उन्हें आवश्यक वस्तुएं स्थिर मूल्यों पर नहीं मिल सकी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं कृषि उत्पादों तथा अन्य बस्तुओं के मूल्यों पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इसके लिए मेरे पास इतना समय नहीं है किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि कृषि उत्पादों से निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में कितनी समानता है ? इन दोनों में असमानता बढ़ती जा रही है और यह हमारी समूची अर्थव्यस्था को अस्त-व्यवस्त कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप लोक वितरण प्रणाली लागू करना चाहते हैं तो मेरी पक्की राय है कि जब तक आप प्रारम्भिक उपभोक्ता उद्योगों को अपने हाथ में नहीं ले लोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकेगी। कम से कम चीनी, औषधियाँ तथा कपड़ा उद्योग आपके नियंत्रण में रहने चाहिएं। इन उद्योगों पर गैर-सरकारी लोगों का नियंत्रण है। ऐसी सभी वस्तुएँ गैर सरकारी पूंजीपतियों के हाथ में है। अतः जब तक इस तरह की वस्तुओं के उत्पादन पर आपका नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप लोक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पायेंगे। अभी आप यह कार्य परीक्षण के तौर पर करने जा रहे हैं। यह अच्छी बात है। किन्तु जबकि इस मामले में कई अन्य जटिल नीति सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं फिर भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों को खोलने का काम कर रहे हैं। किंतु आपके नियंत्रण में कई आवश्यक वस्तुओं का होना नितांत आवश्यक है क्योंकि व्यापारी अपनी मनमानी करते हैं। आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि व्यापारी बहुत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। फिर भी माननीय मंत्री जी ने लोक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं सरकार के हाथ में रहें। आपको पता है कि सरकारी क्षेत्र का काफी बोलबाला तथा प्रभाव है। यह बहुत व्यापक तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके लिए भारी आवंटन किया हुआ है। किन्तु सरकारी क्षेत्र को उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण भी करना चाहिए। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को 75 एकाधिकार गृहों के हाथों में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। साथ-साथ आप उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना भी करें और ऐसी लोक वितरण प्रणाली तैयार करें जो आपके लिए सहायक हो। मैं और मेरा दल इस नीति का समर्थन करेंगे।

मैं यह भी बता दूं कि लोक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में लोगों को भी सतर्कता बरतनी नितांत आवश्यक है। कई ऐसी शक्तियां हैं जो इन सब प्रयासों को असफल करना चाहती हैं। यद्यपि आपने कुछ योजनाओं का सुझाव दिया है, फिर भी मेरा विचार है कि इस समय सतर्कता समिति को बहुत अधिक सक्रिय रहना चाहिए। जब तक इस प्रणाली को लोगों के सहयोग तथा सतर्कता से भलीभांति नहीं चलाया जाएगा और इस पर पूरी निगरानी नहीं रखी जाएगी तब तक ऐसी दो शक्तियों से ऐसा डर बना रहेगा कि वे इस योजना को निष्फल कर दें। ये दो शक्तियां व्यापारी तथा नौकरशाह हैं जो कि आपसी सांठगांठ से इस योजना को मिट्टी में मिला देंगे।

अब मैं एक महत्वपूर्ण उद्योग पर आता हूं जो कि विशेषरूप से मेरे राज्य में है। वह काजू उद्योग है। प्रतिवेदन के पृष्ठ 18 में इस प्रकार कहा गया है :—

"गत कुछ वर्षों के पश्चात काजू की गिरी के निर्यात में लगातार कमी आई है। 1974-75 में 65 हजार टन का निर्यात किया गया था जो कि 1977-78 में केवल 40.3 हजार टन ही रह गया और 1978-79 के प्रथम आधे भाग में केवल 11.8 हजार टन का ही निर्यात हुआ है। इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि इसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा काजू नहीं मिला है। राज्य सरकार ने कच्चे काजू का वसूली मूल्य अधिक निर्धारित कर दिया। साथ ही पूर्वी अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू की कम आयात उपलब्धता से भी भारतीय काजू उद्योग का कार्यकरण अस्त-व्यस्त हो गया।"

यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में लगभग 1.5 लाख लोग रोजगार में लगे हुए हैं, जिनमें अधिकांशतः महिलाएं हैं। हमारे राज्य में यह परम्परागत उद्योगों में से एक है। इस क्षेत्र में हमारे राज्य ने एक सरकारी क्षेत्र के एकक की स्थापना कर दी है। किन्तु इस उद्योग को इस विशेष संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहले हमें कच्चा माल पूर्वी अफ्रीकी देशों से मिल जाता था किन्तु अब हम इस बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि वे देश भी अब इनसे वस्तुएं बनाने लगे हैं। इसका एकमात्र समाधान यही है कि देश में ही काजू का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि काजू के देशी बागानों के विकास के लिए वह पर्याप्त अनुदान तथा सहायता दें। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक इस उद्योग के संकट को दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम हमेशा कच्चे काजू के लिए उन देशों पर निर्भर नहीं रह सकते, हम उनकी दया पर निर्भर नहीं रह सकते। राज्य में इस उद्योग के सरकारी निगम को बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कई बार स्थिति हमारी नियंत्रण से भी निकल जाती है क्योंकि इसे बाहरी बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। इस समय हमारे पास 40 करोड़ रुपये के मूल्य की गिरी का भंडार पड़ा हुआ है और सरकारी क्षेत्र बहुत ही अव्यवस्थिति स्थिति में है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करें। उन्हें ब्याज की ऊंची दरों पर ऋण देने की बजाय, राज सहायता दें ताकि उद्योग तथा सरकारी क्षेत्र को कठिनाईयां न हों और वह इस समस्या को आसानी से हल कर लें।

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर) : श्रीमान मैं इस सम्माननीय सदन के समक्ष कुछ विचार पेश करना चाहता हूं। माननीय नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री ने लोक वितरण के प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही रुचि दिखाई है। किन्तु कतिपय सीमाएं हैं, जो कि मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं।

यहां मैं महाराष्ट्र में कपास वसूली प्रणाली का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि कृषकों के लिए बहुत ही सहायक रही है। इसी तरह से लोक वितरण प्रणाली भी सहायक सिद्ध हो सकती है बशर्ते कि उसमें स्थिरता कायम की जाए। व्यापार पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इस प्रणाली के द्वारा खाद्यान्नों, कृषि उत्पादों, दालों तथा रोजमर्रा की चीजों जैसे दियासलाई तथा कपड़े आदि का वितरण किया जाएगा। यदि हम मूल्यों में स्थिरता लाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास एक क्रय संगठन होना चाहिए। हमें कृषि वस्तुएं कृषकों से तथा औद्योगिक वस्तुएं उद्योगों से खरीदनी चाहिए। अतः लोक वितरण प्रणाली के पास अपना कोई क्रय संगठन होना चाहिए। मन्त्री जी ने प्रतिवेदन में घोषणा की है। तथा संकेत दिया है कि सरकार इन वस्तुओं का बड़ा भारी भंडार नहीं रखेगी। सरकार उन वस्तुओं की विभिन्न

(श्री दाजीबा देसाई)

उत्पादकों से खरीद करेगी । अर्थात् सरकार उन वस्तुओं की खरीद उद्योगों, कृषकों और यहां तक कि व्यापारियों आदि से करेगी । इससे सरकार इस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने में सफल नहीं हो पायेगी क्योंकि मूल्यों में स्थिरता कायम नहीं की जा सकेगी ।

हमारा गत वर्ष का क्या अनुभव है ? विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थन के रूप में कार्य किए । इसके अलावा समर्थन मूल्य की भी व्यवस्था थी । दुर्भाग्य से कुछ संगठन इस मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर है । जैसे कि भारतीय खाद्य निगम कृषि मंत्रालय के अधीन है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम उद्योग मंत्रालय के अधीन है अतः नागरिक पूर्ति मंत्री को उन लोगों को लिखना पड़ेगा और कतिपय वस्तुओं की सप्लाई की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । अतः विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के बीच समन्वय की सम्भावना नहीं रह जाती ।

यहाँ तक कि जब गत वर्ष समर्थन के रूप में संचालन कार्य किए गए थे तो भी क्या परिणाम रहा ? कपास कपास निगम द्वारा खरीदी जाती थी और कई अन्य वस्तुएं नफेड तथा अन्य संगठनों द्वारा खरीदी गई । किन्तु किसानों को वास्तविक रूप से समर्थन मूल्य नहीं मिल पाया । नफेड ने जो कार्य किए संसद सदस्यों के कहने पर किए । उन्होंने तम्बाकू, प्याज, आलू तथा अन्य वस्तुएं खरीदीं । प्रश्न यह है कि क्या नफेड उपभोक्ताओं को जरूरत की सभी कृषि वस्तुओं की सप्लाई कर सकता है ? लोक वितरण प्रणाली का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना है, किन्तु गत वर्ष समर्थन कार्तों से कृषकों को कोई लाभ नहीं पहुंचा । महाराष्ट्र सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार खाद्यान्नों की भी उचित दर की दुकानों पर बिक्री नहीं की जा रही है, क्योंकि अन्यत्र मूल्य कम है और लोगों को वहां बेहतर अनाज मिल रहा है । अतः महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वहां की उचित दर की दुकानों से पहले 97,000 टन अनाज बिकता था जबकि अब केवल 77,000 टन ही बिक रहा है ।

दूसरे चूंकी लोक वितरण प्रणाली निहित स्वार्थी लोगों के विरुद्ध है, अतः ये निहित स्वार्थ लोक वितरण प्रणाली को असफल करने का प्रयास करेंगे । अन्य सदस्यों ने भी यही आशंका व्येक्त की है और मुझे भी यही आशंका है । ग्राम स्तर पर लोक वितरण प्रणाली का कौन सा अभिकरण है ? वहां सहकारी समितियां, ग्राम पंचायतें आदि होंगी । मंत्री जी स्वयं सहकारिता मंत्री हैं और वह इस बात को बेहतर जानते हैं कि ग्राम स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं । वे केवल सरकार द्वारा चीनी, उर्वरक तथा मिट्टी के तेल की की जाने वाली सप्लाई के आधार पर कार्य कर रही हैं और चूंकि उन्हें अब कोई मुनाफा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने काम करना ही बन्द कर दिया है । लोक वितरण प्रणाली का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की सहायता करना है, अतः मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम स्तर पर समुचित अभिकरणों की स्थापना की जाये । इस समय तो इस तरह की कोई व्यवस्था दिखने में नहीं आ रही है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह ग्रामीण अभिकरण संगठन को ओर ध्यान दें ।

दूसरी बात जो मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं वह सरकारी निकायों के बारे में है । कुछ सदस्यों ने कहा है कि सहकारी समितियां एक प्रकार से एकाधिकार निकाय बन गए हैं । पूंजीवादी समाज में सहकारी संस्थाएं सहकारी कम्पनियों का रूप ले लेती हैं । ऐसी बात नहीं

है कि सहकारिता के सिद्धान्त अच्छे नहीं हैं बल्कि वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सहकारी समितियों या संगठनों पर सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विभिन्न प्रतिवेदनों के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत राष्ट्रीय या राज्य संगठनों का प्रबन्ध सरकारी अधिकारियों या नौकरशाही द्वारा किया गया है।

श्री के० ए० राजन : मध्य प्रदेश में सभी सहकारी समितियों का प्रबन्ध कार्य इन लोगों द्वारा किया गया है।

श्री दाजीबा देसाई : राज्य जिला तथा ग्राम स्तर पर सभी सहकारी समितियां सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। उड़ीसा में वे सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही हैं। तमिलनाडु में प्रशासनिक बोर्डो तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही हैं। अतः सरकार को देखना यह है कि सहकारी क्षेत्र की वास्तविक समस्या या कठिनाई क्या है।

सहकारी समितियों के लोग स्वतंत्रता चाहते हैं किन्तु साथ ही सरकारी संरक्षण भी चाहते हैं। हम मानते हैं कि सरकार को अवश्य उनकी सहायता करनी चाहिए किन्तु यह केवल निहित स्वार्थों को ही अधिकाधिक लाभ कमाने का अवसर दे रही है। इसका समाधान होना चाहिए। यदि सहकारी समितियों के ग्रामीण जनता के लिए उपयोगी बनाना है तो उनमें ग्रामीण लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह सही है कि उन पर नियंत्रण होना चाहिए। किस लिए ? क्योंकि गत 30 वर्षों से तालुक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की लगभग सभी सहकारी समितियां सहकारी कम्पनियां बन गई हैं। सदस्यों ने उनमें कितनी राशि का निवेश किया है। विभिन्न सहकारी समितियों में 8 मिलियन सदस्य है, उन्होंने केवल 15 प्रतिशत पूंजी का निवेश किया है और शेष 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक पूंजी का निवेश सरकार ने या वित्तीय संस्थाओं ने किया है। किन्तु सहकारी समितियों पर नियंत्रण निहित स्वार्थों का चल रहा है। सहकारिता आन्दोलन के नेता चाहते हैं कि सरकार उन्हें कुछ करने के लिए स्वतंत्रता दे। इस मामले में सहकारिता आन्दोलन के नेताओं तथा सरकार के बीच मतभेद है। मैं सरकार की इस बात का समर्थन करता हूं कि यदि सरकार को उन्हें संरक्षण प्रदान करना है तो फिर उन पर नियंत्रण सरकार का ही रहना चाहिए। यह किस तरह का नियंत्रण हो और कैसे तरीके अपनाए जाएं, यह एक व्यापक प्रश्न है। सहकारिता आन्दोलन को मजबूत किया जाना चाहिए।

सहकारिता संगठनों तथा लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार का व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए और इसे कृषकों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्यों में स्थिरता कायम की जाये। कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में समानता होनी चाहिए। कई सदस्यों ने कहा है कि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं और कृषि वस्तुओं के मूल्य कम होते जा रहे हैं। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अन्तर है। यहां तक कि जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने भी कहा है कि चूंकि कृषक अधिक उत्पादन कर रहे हैं इसलिए उन्हें दंड दिया जा रहा है।

हाल ही में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है मैं उसका उद्धरण देता हूं। वह कहते हैं :—

(श्री दाजीबा देसाब)

"वास्तव में सरकार की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि अधिक उत्पादन और मांग की तुलना में अधिक सप्लाई के कारण मूल्य इस स्तर तक न गिर जायें कि वे अलाभप्रद बन जाये।"

व्यापारी लोग मांग और पूर्ति में जोड़-तोड़ कर सकते हैं। वे कृषि मूल्यों में भी जोड़-तोड़ करते हैं। फसल के मौसम में तो कृषि पदार्थों के भाव गिर जाते हैं और अन्य मौसमों में बढ़ जाते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ती है। परन्तु वे औद्योगिक कीमतों को उच्च स्तर पर बनाए रख सकते हैं। मैं दृष्टान्त दे सकता हूं। जब कभी सरकार कुछ छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लेती है तो इन्जनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि सरकार बीज-पूंजी देने का निर्णय लेती है तो गाड़ियों और अन्य वस्तुओं के मागों में दस से बीस प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है।

कृषि मूल्यों और औद्योगिक मूल्यों में असमानता है। क्या कृषि मूल्यों और औद्योगिक मूल्यों के बीच समानता बनाए रखने का उत्तरदायित्व सरकार का नहीं है? उद्योगपति तो कीमतों को बनाए रख सकते हैं क्योंकि उनमें इन्हें बनाए रखने की सामर्थ्य है, परन्तु किसानों में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती। अतः सरकार को उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। सरकार को किसानों के पास उपलब्ध समस्त आधिक्य को खरीद लेना चाहिए और उसका एक बड़ा भण्डार बनाना चाहिए।

सरकार के पास पर्याप्त गोदाम तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक पाबन्दियां, और सीमाएं हैं। क्योंकि मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के काम से सम्बद्ध हूं तो मैं उन्हें बता सकता हूं। मेरा सहकारिता मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे उन तमाम रुकावटों को दूर करें और इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, इस देश में एक महान् सफलता का रूप प्रदान करें।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल धुलिया: मैं पहले सहकारिता मंत्रालय के बारे में बोलूंगा। यह मंत्रालय जनता सरकार ने अबाधित रखा इसलिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री श्री देसाई सहकारिता के बारे में पूर्वग्रह रखते हैं। ये बात सब जानते हैं। सहकारिता मंत्रालय भी कभी कृषि और कभी ग्रामविकास मंत्रालय से जोड़ा जाता है तो कभी व्यापार मंत्रालय के साथ। सौभाग्य से सहकारिता मंत्री श्री धारिया ऐसे राज्य के हैं जहाँ सहकारी आंदोलन काफी सफल हुआ है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस बारे में कुछ ठोस कदम उठाए जायेंगे।

नाफेड की बात लीजिए। पिछले साल नाफेड को उससे पहले वर्ष की अपेक्षा 64 लाख रुपए कम मुनाफा हुआ। जब कीमतें गिरने लगती हैं तब नाफेड खरीदी शुरू करती है। यह बात ठीक नहीं है। सरकार ने दिए हुए आंकड़ों के अनुसार नाफेड को खरीदी मूल्य के बारे में सोचना चाहिए और उसी के आधार पर तंबाकू प्याज, आलू वगैरह वस्तुओं के भाव निश्चित करना चाहिए।

अभी श्रीमती रांगनेकर ने प्याज-खरीदारी के बारे में अनुभव सुनाया। नाफेड के कर्मचारी महाराष्ट्र में जब प्याज खरीदने आये तब वह किसानों से नहीं बल्कि छोटे व्यापारियों द्वारा प्याज खरीदा गया। अगर मूल्य 45 रुपये से नीचे गया तो सरकार 3 रुपयों की सबसीडी देती है,

उसका फायदा छोटे व्यापारियों ने उठाया है एसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से सरकार को ठगाया न जाए।

नागरिक आपूर्ति विभाग ने घोषणा की है कि जुलाई, से सरकारी वितरण व्यवस्था चालू होगी। अभी जैसे श्री दाजिबा देसाई ने बताया वैसे यह वितरण, ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी संस्थाओं द्वारा होना चाहिए। यही संस्थाएं पहले भी, चीनी, अनाज वगैरह का वितरण करती थी।

इन संस्थाओं को सरकार से, या अन्य ठिकानों से खरीददारी वगैरह के लिए जो पैसा देना पड़ता है, उसकी ब्याज दर कम होनी चाहिए। उनको प्रति किलो जो कमिशन मिलता है वह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ऊपरी खर्चे बहुत होते हैं इसीलिए इन सहकारी संस्थाओं को मिलने वाला कमीशन बढ़ाना चाहिए और उनको जो पैसे दिए जाते हैं उसकी ब्याज दर कन होनी चाहिए।

सिमेंट के बारे में यह देखा जाता है कि उसके वितरण में बहुत शिकायतें हैं। जब कोई मनुष्य घर बनाने के लिए 100 वैग्स सिमेंट मांगता है तो 1-2 महीनों के नाद उसके हाथ में 4-5 वैग्स आती है। उसकी असली जरूरत 100 वैग्स की होती है किन्तु उसको इतना कम सिमेंट मिलता है कि उसका नुकसान होता है। इस स्थिति में सुधार लाना जरूरी है।

हमारे औयात-निर्यात में अभी भी विषमता है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विषमता इसका कारण बताया जाता है। रिपोर्ट में दिया है कि कई चीजों की निर्यात कम हो गई है। जैसे उटकमंड के मित्र ने अभी बताया कि चाय का निर्यात चार करोड़ किलोग्राम कम हुई है। इसका कारण यह है कि निर्यात शुल्क में बार-बार फेर बदल किए जाते हैं। पटसन उद्योग में हड़ताल आदि के कारण 50 प्रतिशत भी निर्यात नहीं हो पायी।

काजू के बारे में मैं सुझाव देता हूं कि सहयाद्रीकी पहाड़ियों में कृषि मंत्रालय की मदद से काजू के बागान लगाए हैं। काफी बोर्ड की तरह एक काजू बोर्ड स्थापना करना चाहिए।

एस०टी०सी० द्वारा नहरीकरण करके तेल की आयात करने की कोशिश अच्छी रही है। हमने 864 करोड़ रुपयों का आयात किया है। एक तरफ हम अन्नन्धन्न के बारे में आत्म निर्भर हो रहे हैं लेकिन अभी भी दालें और तेल वगैरह की आयात करनी पड़ते हैं। जिसका मतलब यह है कि 50 प्रतिशत अन्न पदार्थ आयात करने पड़ती हैं। इसमें से कुछ हल ढूंढना चाहिए। पायराइट खनिज एम. एम. टी. सी. द्वारा नहरीकरण करके निर्यात किया जाता है लेकिन वह भी 3 लाख टनों से घटा कर 2 लाख टन हुई है।

खान मालिकों को निर्यात की अनुमती देने का मैं सुझाव देता हूं।

निर्यात बढ़ाने के लिए भारत को विदेशों में व्यापार में प्रदर्शनियां आयोजित करनी चाहिए। जैसे विदेशी प्रतिनिधिमंडल सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि विविध नामों पर भारत में आकर अपना माल दर्शाते हैं उसी प्रकार भारत को भी विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेज कर निर्यात वस्तुएं उनको दिखानी चाहिए। भारत हजारों किस्म की वस्तुएं निर्यात कर सकता है।

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके बिए आपको धन्यवाद। मैं अपने चीफ व्हिप से कह रही थी मेरा कल का हक रखें।

(श्रीमती चन्द्रावती)

इस वक्त हमारे सामने सिविल सप्लाइज की जो डिमाण्डस प्रस्तुत हैं उनमें दो चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है एक हैं इण्डस्ट्रियल गुड्स और दूसरे फार्म गुड्स फोर्म गुड्स गरीब लोग पैदा करते हैं और इण्डरिट्रयल गुड्स अमीर लोग पैदा करते हैं जोकि बहुत अमीर हैं। इण्डस्ट्रियल गुड्स बनाने वाले अपने एजेन्ट खुद नियुक्त करते हैं, अपने माल की कीमत खुद तय करते हैं लेकिन किसान जो चीजें पैदा करता है उसकी नीलामी होती है और और उसके लिए आढ़तिया होता है। किसान के घर में जब अनाज आता हैं तब उसकी कीमतें नीचे चली जाती हैं। कपास जब किसान के घर से चली गई तो आज 260 पर बिक रही है। मण्डियों में किसान की कपास एक एक महीने तक पड़ी रही। आप डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम बनाना चाहते हैं उसमें सभी चीजें होनी चाहिए। जैसे तमाकू है, काजू है उसका जो उत्पादन करने वाले हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। इन चीजों के लिए जो बोर्ड बने हुए हैं उनमें भी किसी के चहेते लोग होते हैं जोकि बिग इण्डस्ट्रियल हाउसेज को रिप्रेजेन्ट करते हैं। फिर जो गरीब उत्पादन करने वाले लोग हैं उनके हितों की देख-भाल कौन करेगा ? तमाकू किसान पैदा करता है, जूट किसान पैदा करता है लेकिन तम्बाकू बोर्ड में जूट बोर्ड में पता नहीं कौन लोग हैं ? कमेटी के सामने गवाही के लिए जो लोग आए वे कलकत्ता के रहने वाले थे जिनके दादा ने भी कभी खेती नहीं की थी। हमने उनसे पूछा क्या तुम्हारे यहां कभी इसकी खेती हुई तो उन्होंने कहा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि अगर बिनौला नहीं पैदा होगा, मूगफली नहीं पैदा होगी तो डालडा के कारखाने बन्द हो जायेंगे। अगर देश में कपास नहीं पैदा होगी तो क्या इस गर्म मुल्क में लोग सिंथेटिक फाइबर पहनेंगे ? कच्चे माल की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। गरीब आदमी कपड़े के लिए कपास पैदा करता है, उन के लिए भेडें पालता है और पशमीने के लिए पशमीने की बकरियां पालता है लेकिन उसके घर में कुछ नहीं है। एक पशमीने का शाल दो हजार, तीन हजार में बिकता है लेकिन उस गरीब आदमो को पांच रुपए ही मिलेंगे। दूसरी तरफ जो बोर्ड मेम्बर होते हैं उनमें एक मेम्बर का ही टी ए और डी. ए उस गरीब आदमी की साल भर की कमाई से कई गुना होता है। इसका सारा बोझ जाकर कंज्यूमर पर पड़ता है ? जो बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं उनके एग्जीक्यूटिव्ज की तनख्वाहें क्या हैं ? उनके दफ्तर और घर एअरकंडीशंड हैं। लेकिन यह पैसा उनके बाप के घर से नहीं जाता है बल्कि कंज्यूमर्स पर जाकर पड़ता है।

एक तरफ कहते हैं कि हमारे मुल्क में गरीबी है और दूसरी तरफ एक्जीक्यूटिब हेड्स को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देते हैं, इतनी तनख्वाह देते हैं जो किसी एफ्लएन्ट कन्ट्री के लोगों को दी जातीं हैं।

कोल को लीजिए—हमारा देश दुनिया में वह देश हैं जो सबसे ज्यादा कोयला पैदा करता है, लेकिन डिस्ट्रिव्यूशन सिस्टम का यह हाल है कि पावर-हाउसेज बन्द पड़े हैं। भटिण्डा का पावर हाउस बन्द है, दूसरे थर्मल स्टेशन्ज बन्द पडे हैं। कोयला ब्लैक में मिलता है और सब जगह मिलता है। यह हमारी अपनी सरकार है—मैं क्या कहूं ? लेकिन, चेअरमैन साहब, मैं कहना चाहती हूं कि जब हम चुनाव में जायेंगे तो हमें इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि इतना कोयला होते हुए भी जनता को कोयला क्यों नहीं मिला।

आज सुबह—हमारे दण्डवते साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन शायद उनको गुस्सा आ गया। मैंने बीच में खड़े होकर कहा कि आप इतनी एक्स्ट्रा ट्रेन्ज दे रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ की गाड़ियों को बन्द कर रखा है। जिस दिन मुझे कोयले का पता लगा, मैंने एनर्जी मिनिस्टर साहब से बात की। उन्होंने बतलाया कि हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, लेकिन ढोने के लिये वैगन्ज नहीं मिल रही हैं। अगर वैगन्ज नहीं मिल रही हैं तो आप ट्रकों से पहुंचाइये। हमारे देश में कोयला ठीक से रिफाइन भी नहीं करते है। अगर कोयला ठीक से रिफाइन हो तो हमें बाहर से अरबों रुपया खर्च करके कैरोसिन आयल न मंगाना पड़े, साथ ही सस्ता भी पड़ेगा और घर में बदबू भी नहीं होगी।

मिट्टी के तेल से एडलटेशन होता है। मैं समझती हूं—यह एडल्ट्रेशन का महकमा भी शायद आप के ही पास है। आज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं होता हो। मैं कल हवाई जहाज से आ रही थी, वहां मुझे जूस दिया गया, उसको पीकर मेरी तबियत खराब हो गई, मैं समझती हूं वह टिण्ड-स्टफ भी खराब होगा। मैं बजीर साहब के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं—एडल्ट्रेशन करने वालों को बहुत मेजर-पनिशमेंट देना चाहिये। आप जितने भले हैं, जितना आपका नाम है, आपका वह नाम सार्थक होना चाहिये, वरना यह निरर्थक हो जाएगा।

आयल सीड्स की बात मैं क्या कहूं ? मैं तो यह मानकर चलती हूं कि बाहर से तेल नहीं मंगाना चाहिये। आप देखिये—मूंगफली और सरसों का पहले क्या भाव था और किसान के घर से जाते ही क्या भाव हो गया। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं—रेपसीड आयल जैसी गन्दी चीज को मंगा कर क्यों खिलाया जाता है ? तारामीरा का नाम रेपसीड है, चूंकि अंग्रेजी में नाम आकर्षक लगता है इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहां तो पशु भी उस को अकेले नहीं खा सकते। आज सरसों के तेल में एडल्ट्रेशन करने के काम आता है, चूंकि विलायत से आता है इसलिए सब खा सकते हैं। जिनको इस के मंगाने का लाइसेंस मिल गया, उन के पैसे बन गए।

आप की जो लाइसेस प्रणाली है यह भी बड़ी अजीब है, इस में सुधार करना चाहिए। जो बड़े बड़े इण्डस्ट्रीयल हाउसेज हैं उन के लायजां आफिसर्ज यहां बैठे रहते हैं। किसी भी चीज का फैसला लेने से पहले उन को सब पता लग जाता है। आज कौन सा इण्डस्ट्रीयल हाउस गरीब है, आप उन के खर्चों को देखिए। उन के घर में जवाहरात, कपड़ा सब कुछ है, खूबखर्च करते हैं—उन के खर्च हमारी कल्पना से परे हैं—यह सब कहां से आता है। उन के लायजां आफिसर्ज हमारी फाइलों को देखते फिरते हैं और इस में उन का क्या कुसूर है। एक दिन बात हो रही थी—आप के दफतरों में फाइल तब आगे जाती है, जब उस मेज पर पहले से कुल दे दिया जाता है।

अगले की मेज पर कुछ दे दिया जाए तो काम हो जाएगा। मैं समझती हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यह बड़े शर्म की बात है।

अब मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। हमारे यहां लेदर गुड्स बनता है। हमारे यहां से जूता बाहर भेजा जाता है लेकिन वे अपने देश के नाम से बाहर नहीं भेजे जाते हैं। दूसरे देशों के नाम से हम उन्हें भेजते हैं। हम उनमें अपना नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं ? क्या हमारी रेपुटेशन गिर रही है ? हमें अपना सामान अपने नाम से ही भेजना चाहिए।

हमारे देश में सीमेंट की बड़ी कमी है। लोग दो-दो और पांच-पांच कट्टों के लिए तरसते

(श्रीमती चन्द्रावती)

रहते हैं। यह कमी या तो सचमुच में है या आर्टिफिशियल कमी क्रियेट की हुई है। क्योंकि आज भी मोनोपलिट्स जो भी चीज चाहता है वह कर सकता है। मोनोपलिस्ट्स हमारे सिर पर इसलिए सवार रहते हैं क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां उनसे चंदा लेती है। अगर कानून के हिसाब से बड़े हाउसिज मे चंदा लेना बंद कर दें तो हम उनके सामने जाने से शर्माएगें नहीं। आज हम उनके सामने नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम उनसे चंदा लेते हैं। इसी वजह से हमारे व्यापार में बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिन चीजों की यहां जरूरत नहीं पड़ती वे भी यहां मंगायी जाती हैं। इसका हमारे व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

सब्जियों की बात लीजिए। सीजन में आम और सेव बहुत सस्ता हो जाता है। इसलिए सस्ता हो जाता है कि हम व्यापारियों पर डिपेंड करते है। हमें सभी चीजों के लिए व्यापारियों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये चीजें जो हैं इनकी तरफ सरकार ध्यान दे।

कोआप्रेटिव के बारे में मैं एक बात कह दूं। कोआप्रेटिव का काम बड़ा अच्छा शुरू हुआ था। मुझे पता है कि यह सेक्टत 73-75 में शुरु किया गया था। लेकिन अब कोआप्रेटिव सेक्टर कोआप्रेटिय सेक्टर नहीं रह गया है, यह नामिनेटिड सेक्टर हो गया है। उसमें चुनाव नहीं हो रहे हैं, नोमिनेशन कर दिया जाता है। मैं जानती हूं कि कई जगह चुनाव नहीं हुए हैं। मैं चाहती हूं कि नोमिनेशन बंद होना चाहिए और वहां चुनाव होने चाहिएं। इस के बारे में सरकार की कोई निश्चित पालिसी होनी चाहिए। कोआप्रेटिव सेक्टर का ठीक ढंग से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें नोमिनेशन करना जारी रखेंगे तो ये ठीक ढंग से नहीं चलेगा।

व्यापार के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि या तो व्यापार गवर्नमेंट को करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो कोआप्रेटिव सेक्टर को व्यापार दे दिया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि एकदम प्राइवेट व्यापार को बन्द कर दीजिए लेकिन मैं यह मान कर चलती हूं कि मिक्स्ड इकोनोमी इज नो इकोनोमी। इस से साइड बाई काला धन चलता है। इस ने कालेधन को लिगेलाइज्ड कर दिया है। एक चीज बाजार में मिलेगी और वही चीज राशन में भी मिलेगी, कंट्रोल से भी मिलेगी। जब हम ने ब्लेक इकनोमी को रिकगनाइल्ड कर दिया, लीगेलाइज्ड कर दिया तो बाजार में स्केअरसिटी होगी ही। अगर हमें इस स्केअरसिटी को दूर करना है तो हमें काले धंधे को भी समाप्त करना होगा। काला धन्धा करने वाले बाजार में आर्टिफिशियल स्केअरसिटी पैदा करते हैं। बहुत सी तो ऐसी चीजें हैं जो कि व्यापारियों को भी नहीं मिलतीं। मै फरीदाबाद और गुड़गांव की बात जानती हूं। इस के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

मैं एक बात और बता दूं। कीमते कैसे बढ़ती हैं? मैं पब्लिक सेक्टर में खाद का एक कारखाना देखने के लिए कोचीन गई थी।

एक पब्लिक स्कूल चल रहा है। उस में एक भी मजदूर के बच्चे को एडमिशन नहीं मिला हुआ है। फर्टिलाइजर का जो खर्चा है उससे यह स्कूल चल रहा है। बढ़िया टीचर उस में लगे हुए हैं। कोई फीस वगैरह वहां कुछ नहीं है। अफसर कितने हैं? साढ़े तीन मजदूरों पर एक अफसर है। अब फर्टिलाइजर की कीमत बेचारा किसान ही तो देगा और कौन देगा? धन्यवाद

श्री पी० अंकिनीडू प्रसादराव (बापतला): जिस उत्साह और शक्ति से मंत्री महोदय

ने इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है और मध्यस्थों के शोषण से उपभोक्ताओं को छुटकारा दिलाने के लिए जिस प्रकार इसे सुदृढ़ किया है, उस सबकी मैं सराहना करता हूं। मैं उनसे ऐसा उत्साह कृषि उत्पादकों को भी राहत दिलाने, विशेषकर उन उत्पादकों को दिलाने के लिए, जो कि वाणिज्य विभाग से सम्बद्ध हैं अर्थात जो कृषि उत्पादों को निर्यात करने में सहायता देते हैं और उन्हें भी मध्यस्थों से छुटकारा दिलाने का मैं निवेदन करता हूं।

यद्यपि इस देश में पैदा की जाने वाली कृषि-जन्य वस्तुओं के निर्यात से, तथाकथित निर्यातक और मध्यस्थ द्वारा काफी धन अर्जित किया जाता है परन्तु उसमें से बहुत कम धन किसानों को मिल पाता है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई सुव्यवस्थित संगठित क्षेत्र नहीं है। उनको यह पता ही नहीं चलता है कि निर्यात किये जाने वाले उनके कृषि उत्पाद की क्या कीमत प्राप्त की जा रही है। उन्हें तो कम से कम मूल्य पर भी, अर्थात जो कुछ उन्हें मिल जाता है, उस पर भी सन्तोष रहता है।

कुछ वस्तुओं की कीमतों में अचानक ही गिरावट आती रहती है। धनिये के मामले में, इस वर्ष भी कीमतें घट-बढ़ रही हैं। यह भी एक निर्यात योग्य वस्तु है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसका ध्यान रखें।

अब मैं तम्बाकू की बात करता हूं जो कि एक ऐसी वस्तु है जिसका उन्हें दो वर्ष का अनुभव है। मन्त्रीगण इसके बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हैं। सरकार द्वारा इस पर बिना कुछ खर्च किए किसान लोग इसमें से 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हैं। जब कि एक करोड़ रुपया भी तम्बाकू के विकास पर व्यय नहीं किया जाता। इस प्रकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपये का राजस्व वे प्राप्त करते हैं और यहां तक कि इसमें से एक करोड़ रुपया भी सरकार तम्बाकू के विकास पर व्यय नहीं करती। तम्बाकू का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि यद्यपि स्वाधीनता काल से, तम्बाकू की खेती करने वाले विदेशी-मुद्रा और करों के रूप में राजकोष में बहुत सारा धन जमा करते रहे हैं, जब कि तम्बाकू की पैदावार और विक्रय पर सरकार कोई नियन्त्रण नहीं है और तम्बाकू उद्योग पर तम्बाकू तैयार करने वालों पर भी कोई नियन्त्रण नहीं है। तम्बाकू के निर्माता और तथाकथित निर्यातक तथा मध्यस्थों को लाभ का बड़ा हिस्सा मिलता है और खेतिहरों को इसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। तम्बाकू के बारे में वाणिज्य विभाग की वर्ष 1978-79 की रिपोर्ट में यह कहा गया है जिसे मैं उद्धत करता हूं :

"तम्बाकू के निर्यात के लिए एकक मूल्य वसूली में, गत तीन वर्षों से निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। जो वर्ष 1974-75 में, 8.75 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ कर दिसम्बर 1978 में 16.17 रुपये प्रति कि०ग्रा० हो गई।"

प्रतिवेदन में कहा गया हैं कि तम्बाकू का मूल्य दुगना हो गया है परन्तु तम्बाकू पैदा करने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों में जो तम्बाकू उन्होंने बेचा है, उस पर कृषकों को 10 प्रतिशत भी अधिक प्राप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष स्थिति बड़ी ही हास्यास्पद है। यद्यपि मन्त्री महोदय ने बड़े ही उत्साहप्रद ढंग से यह घोषणा की है कि राज्य व्यापार निगम मध्यस्थों से न खरीद कर किसानों से सीधे ही 15,000 टन तम्बाकू की खरीद करेगा, परन्तु

(श्री पी० अंकि नीडु प्रसाद राव)

अनुभव से यह पता चला है कि दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है और राज्य व्यापार निगम ने कृषकों से कुछ भी क्रय नहीं किया है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान, दिनांक 14 अप्रैल, 1979 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में, "राज्य व्यापार निगम का तम्बाकू बाजार में विलम्बित, अप्रभावी प्रवेश" शीर्षक के चार कालम के लेख की ओर दिलाता हूं। प्रथम पैरा में कहा गया है :

"इससे पहले कि राज्य व्यापार निगम मुसीबत और दुःख में फंसे किसानों की सहायता के विचार से बाजार में आया इस मौसम में आन्ध्र-प्रदेश में पैदा किए जाने वाले विरजीनिया तम्बाकू का अधिकांश भाग निजी व्यापारी ले उड़े हैं, राज्य व्यापार निगम ने अपनी 15000 टन की लक्ष्य खरीद के विपरीत मुश्किल से 2,000 टन तम्बाकू की खरीद की हैं, जबकि 95,000 टन की अनुमानित पैदावार में से निजी व्यापार ने 85,000 टन की खरीद की है।"

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इसको देखें। इसका मुख्य उद्देश्य तो तम्बाकू उत्पादकों को राहत देना है। सबसे पहले मैं तम्बाकू बार्ड के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। यद्यपि सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि चाहे तो निर्यात प्रक्रिया के लिए हो, अथवा मूल्य समर्थन प्रक्रिया के लिए हो, केवल राज्य व्यापार निगम ही तम्बाकू की खरीद का काम कर सकता है, जबकि स्वयं तम्बाकू बोर्ड ने खरीदारी में, सम्मिलित होने का प्रयत्न किया। उचित विनियमन, उपज का उचितसंवर्धन और कृषिकों को उचित सहायता जैसे अपने दूसरे कर्त्तव्यों की अवहेलना करके, वे दिल्ली में बैठकर वणिज्य मंत्री से तम्बाकू की खरीदारी का काम करने की अनुमति मांग रहे थे। विनियम का अर्थ है कि तम्बाकू की पैदावार में इस ढंग से बढ़ोतरी की जाए कि कृषकों को अच्छी आमदनी हो।

यदि पैदा किया गया तम्बाकू देश के उपभोक्ताओं और निर्यात बाजार की आवश्यकताओं से अधिक है तो क्षेत्र के नियमन का प्रश्न उठता है। पिछले 20 वर्षों से तम्बाकू की औसत पैदावार 1000 लाख किलोग्राम है 1964, 1972 और 1978 के इन दो या तीन वर्षों में भारी पैदा हुई थी और उत्पादन 200 लाख किलोग्राम अधिक हुआ था। ये वे वर्ष थे जब सरकार को भारी पैदावार की सम्भाल करनी चाहिए थी। परन्तु आम फसल तो 1000 लाख कि. ग्रा. ही होती है। इस वर्ष जब कि तम्बाकू बोर्ड ने क्षेत्र को 1.40 लाख एकड़ या कुछ कम ज्यादा-तक सीमित कर दिया तो न्यायालय ने यह बात नहीं मानी और 1.80 लाख एकड़ भूमि पर तम्बाकू बोया गया। अभी भी तम्बाकू का कुल उत्पादन लगभग 1000 लाख कि. ग्रा. है।

सभापति महोदय : आपको और कितना समय चाहिए ?

श्री पी०अंकिनीडू प्रसाद राव : लगभग 10 मिनट।

सभापति महोदय : आप कल भी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 20 अप्रैल, 1979, 30 चैत्र, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाश दीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2